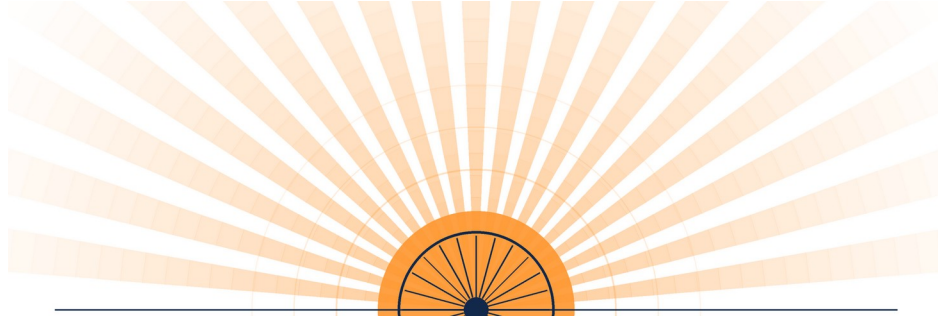




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartarihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 21 सितंबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan · 21 सितंबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने कभी देखा हो, और स्वयं से पूछें कि जिस कदम पर आप विचार कर रहे हैं, वह उसके लिए किसी काम का होगा या नहीं।” (“Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him.”)

— महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) · गांधी जी का तिलिस्म कहा जाता है, 1948 (Known as Gandhi's Talisman, 1948)
उपयोग करें (Use in): शासन (Governance) · नैतिकता (Ethics) · कल्याण वितरण (Welfare delivery)

“प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है; उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है।” (“In the happiness of his subjects lies the king's happiness; in their welfare, his welfare.”)

— कौटिल्य (Kautilya) · अर्थशास्त्र (Arthashastra)
उपयोग करें (Use in): लोक सेवा (Public service) · शासन (Governance) · भारतीय चिंतन (Indian thought)

“राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक इसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।” (“Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy.”)

— डॉ. बी.आर. आंबेडकर (Dr B. R. Ambedkar) · संविधान सभा (Constituent Assembly), 25 नवंबर 1949
उपयोग करें (Use in): लोकतंत्र (Democracy) · सामाजिक न्याय (Social justice) · संविधान (Constitution)

अनुक्रमिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 दिल्ली एसआईआर (SIR) के नोटिस एक निर्वाचन आयुक्त, एल.के. आडवाणी, एस. जयशंकर और एक दिवंगत अर्थशास्त्री तक पहुँचे
- 1.2 कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में तुलु को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया
- 1.3 ईडी (ED) टीएमसी के ₹5.22 करोड़ के अग्रिम भुगतान की जाँच कर रहा है जो अभी तक की गई उड़ानों के लिए नहीं थे, छह पार्टी खाते फ्रीज़

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को शून्य घोषित किया, कहा — कास्टिंग वोट (casting vote) नामित-निदेशक वीटो (nominee-director veto) को निष्प्रभावी नहीं कर सकता
- 2.2 अगस्त सीपीआई मुद्रास्फीति (CPI inflation) 4.82% पर पहुँची, रेपो 5.25% पर बरकरार — वास्तविक नीतिगत दर (real policy rate) शून्य के करीब
- 2.3 इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली (electronics assembly) से चीन पर भारत की निर्भरता गहरी होने के बीच चीन से आयात 71% बढ़ा
- 2.4 एनसीआईआर (NCAER) अर्थशास्त्रियों की चेतावनी — आयात ₹750-करोड़ के घरेलू अनुमान को बौना बनाते हुए, भारत का परमानेंट-मैग्नेट (permanent-magnet) बाज़ार आंकड़ों में अदृश्य
- 2.5 पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने 33 उद्योगों के लिए भूमि स्वीकृत की, अधिग्रहण की जगह भूमि पूलिंग (land pooling) पर विचार

3. कृषि और खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 एक साल में सल्फर की आयात कीमतें तिगुनी, भारत की DAP और SSP उर्वरक आपूर्ति पर खतरा
- 3.2 चीनी की बढ़ती कीमतों ने भारत के इथेनॉल फीडस्टॉक मिश्रण में खाद्य बनाम ईंधन के सवाल को फिर जगाया

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 ट्रंप ने ग्राहम प्रतिबंध अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, खुद को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत दी
- 4.2 भारत-EU FTA के मसौदा कॉपीराइट अध्याय से ISP, छात्रों और पुस्तकालयों के लिए सेफ हार्वर खतरे में
- 4.3 लीक हुई ICBC फाइलें दिखाती हैं कि मुंबई में एक चीनी सरकारी बैंक ने डोकलाम के दौरान \$185 मिलियन रोक दिए थे
- 4.4 नेपाल के वित्त मंत्री ने भारत-विरोधी 'जिंगोइज्म' को खत्म घोषित किया, नई व्यापार संधि और ओवरफ्लाइट की मांग की
- 4.5 EU का प्रस्तावित किड्स एक्ट 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और AI पर अभिभावक-नियंत्रित द्वार के पीछे रखेगा

5. पर्यावरण और पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 कर्नाटक ने विशेष सत्र बुलाया, पश्चिमी घाट ईएसए मसौदे के विरुद्ध प्रधानमंत्री को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना (Karnataka Opens Special Session, Plans All-Party Delegation to PM Against Western Ghats ESA Draft)
- 5.2 न्यायमूर्ति नागरत्ना का कहना : सुप्रीम कोर्ट मनुष्य-केंद्रित से पारिस्थितिकी-केंद्रित पर्यावरण कानून की ओर बढ़ रहा है (Justice Nagarathna Says Supreme Court Is Shifting From Anthropocentric to Ecocentric Environmental Law)
- 5.3 बोट्सवाना चीता CCB-2 गांधी सागर में छोड़ा गया, कुनो में जन्म से भारत का आंकड़ा 56 पहुँचा (Botswana Cheetah CCB-2 Released at Gandhi Sagar as Kuno Births Take India's Count to 56)

6. स्वास्थ्य और जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 तमिलनाडु उच्च रक्तचाप रोकने के लिए पहला राज्यव्यापी मूत्र सर्वेक्षण और सरकारी रसोई में नमक कटौती की योजना बना रहा (Tamil Nadu Plans First Statewide Urine Survey and Salt Cut in Government Kitchens to Curb Hypertension)
- 6.2 पेसमेकर और वाल्व पर MRP लागत से 10-30 गुना अधिक होने पर डिवाइस निर्माता व्यापार-मार्जिन सीमा की मांग कर रहे (Device Makers Seek Trade-Margin Caps as MRPs Run 10-30 Times Above Cost on Pacemakers and Valves)
- 6.3 LASI आंकड़ों के अनुसार 88 लाख वृद्ध भारतीय डिमेंशिया से पीड़ित, वृद्धावस्था-रोग विशेषज्ञ जल्द, घर-आधारित देखभाल पर जोर दे रहे (LASI Data Put Dementia at 8.8 Million Older Indians as Geriatricians Push Early, Home-Based Care)

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- 7.1 काकोडकर ने पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में थोरियम-हेल्यू (Thorium-HALEU) ईंधन का आग्रह किया, एनपीसीआईएल (NPCIL) ने आरएपीपी-8 (RAPP-8) पर ईंधन लोडिंग शुरू की
- 7.2 चीन की सीएक्सएमटी (CXMT) ने अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के बावजूद पांचवीं-पीढ़ी के डीआरएएम (DRAM) का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया

7.3 एनपीसीआई (NPCI) के एआई-संचालित माईयूपीआई (MyUPI) और एटीओएम (AtOM) भारतीय भुगतान को एजेंटिक वाणिज्य (agentic commerce) की ओर ले जाते हैं

8. समाज

8.1 आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के छात्र की मृत्यु ने यूजीसी (UGC) के स्थगित जाति-समता नियमों की लड़ाई को तेज़ किया

8.2 पेपर लीक के चार साल बाद राजस्थान ने 2021 उप-निरीक्षक परीक्षा दोबारा कराई, परीक्षा अखंडता राजनीतिक बनी

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

9.1 अस्थायी परिचालन ठिकानों (Temporary Operational Bases) से बलों ने पीर पंजाल पर कब्जा बनाए रखा और आतंकी आवाजाही रोकी

9.2 सेना की AASHVAST प्रयोगशालाएं तैनाती से पहले ड्रोन फर्मवेयर में छिपे चीनी कोड की जांच करेंगी

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

9.1 केस 1 — निरीक्षक, फोन और अठारह मांगों का चार्टर (Case 1 — The Invigilator, the Phone and the Charter of Eighteen Demands)

9.2 केस 2 — वह ड्रोन जो सीमा को छोड़कर हर जगह काम करता था (Case 2 — The Drone That Worked Everywhere Except Over the Border)

9.3 केस 3 — ₹25,000 में आयातित और ₹2 लाख में बिल किया गया पेसमेकर (Case 3 — The Pacemaker Imported at ₹25,000 and Billed at ₹2 Lakh)

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

10 21 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

11.1 एक नियम अपना मूल्य उसी दिन सिद्ध करता है जिस दिन वह असुविधाजनक हो।

11.2 निर्भरता खतरा नहीं है; यह न जानना कि वह कहाँ है, खतरा है।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

तीन कहानियाँ, एक सबक: भारतीय शासन में समस्या शायद ही कभी नियम में होती है, समस्या उस तंत्र में होती है जो नियम को लागू करता है। एक सॉफ्टवेयर फ्लैग ने एक कार्यरत निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioner) और एक दिवंगत अर्थशास्त्री को एक ही नोटिस-सूची में डाल दिया; तुलु (Tulu) पर मंत्रिमंडल के फैसले को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक 1963 का एक अधिनियम संशोधित न हो जाए; और एक पार्टी के चार्टर-विमान बिल मनी-लॉन्ड्रिंग (money-laundering) की फाइल बन गए हैं, क्योंकि भारत उम्मीदवार के खर्च को तो नियंत्रित करता है पर पार्टी के खर्च पर मुश्किल से ही नज़र रखता है। सत्ता और प्रक्रिया के बीच के इस अंतर को समझने के लिए हर कार्ड पढ़ें।

1.1 दिल्ली एसआईआर (SIR) के नोटिस एक निर्वाचन आयुक्त, एल.के. आडवाणी, एस. जयशंकर और एक दिवंगत अर्थशास्त्री तक पहुँचे

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (special intensive revision, SIR) — यानी सामान्य वार्षिक अद्यतन के बजाय हर मतदाता का घर-घर जाकर किया गया ताज़ा पुनर्सत्यापन — ने राजधानी के कुछ सबसे प्रतिष्ठित नामों के विरुद्ध नोटिस जारी करवा दिए हैं। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे घोषित 47.56 लाख मतदाताओं को हटाने के बाद 31 अगस्त को दिल्ली की मसौदा सूची (draft roll) प्रकाशित की (द इंडियन एक्सप्रेस)। इसके बाद आयोग के केंद्रीकृत पोर्टल, ईसीआईनेट (ECINET) ने मतदाताओं को दो श्रेणियों में चिह्नित करना शुरू किया: “नो मैपिंग” (no mapping), जहाँ किसी मतदाता को पिछले गहन पुनरीक्षण (दिल्ली में 2002) की सूची से नहीं जोड़ा जा सकता, और “लॉजिकल डिसक्रेपेंसी” (logical discrepancies), जहाँ मौजूदा विवरण पुरानी सूची से अलग हैं। द हिंदू के अनुसार नोटिस झेलने वाले मतदाताओं की संख्या 33.1 लाख है और द इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार 33.13 लाख; द इंडियन एक्सप्रेस ने 31.63 लाख बताई है। निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संधू को दिल्ली छावनी (Delhi Cantonment) निर्वाचन क्षेत्र में “स्व-नाम बेमेल” (self-name mismatch) के लिए चिह्नित किया गया; उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी (Electoral Registration Officer, ERO) ने रविवार को कहा कि “विवरण, तथ्य और दस्तावेज़” सत्यापित किए जाने के बाद उनकी प्रविष्टि को मान्य कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनकी पत्नी, एल.के. आडवाणी व उनके दो परिजन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुशील चंद्रा और अरुण गोयल, तथा सीबीआई (CBI) निदेशक प्रवीण सुद को “नो मैपिंग” के लिए चिह्नित किया गया; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिंसोदिया का नाम भी सूची में है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General) के संजय मूर्ति को “जनक नाम बेमेल” (parent name mismatch) का नोटिस मिला है। नवंबर 2024 में 69 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Prime Minister's Economic Advisory Council) के पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्री बिबेक देबराय, 70 वर्षीय मतदाता के रूप में “नो मैपिंग” के लिए चिह्नित पाए गए, ऐसा द हिंदू ने पाया। अकेले दो न्यू मोती बाग बूथों पर, 594 मतदाताओं — जिनमें अधिकांश वरिष्ठ कार्यरत और सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं — को नोटिस मिले। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने कहा कि नोटिस का मतलब हटाया जाना “नहीं है” और बिना सुनवाई तथा “उचित, तर्कसंगत और अपीलयोग्य आदेश” के कोई नाम नहीं हटाया जा सकता। दावे और आपत्तियाँ (claims and objections) 30 अक्टूबर को बंद होंगी; अंतिम सूची 4 नवंबर को आनी है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि एसआईआर के दो चरणों (जून 2025 से बिहार, फिर नवंबर 2025 से नौ राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश) में 7.8 करोड़ नाम हटाए गए, जो एसआईआर-पूर्व सूची का 13% है, और यह कि 5.43 करोड़ और मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं; उन्होंने दिल्ली में हटाए जाने के जोखिम वाले मतदाताओं की हिस्सेदारी 53.73% बताई। पाठ्यक्रम से सीधा संबंध है: अनुच्छेद 324-326 (Articles 324-326) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मतदाता सूची का पिछला गहन पुनरीक्षण लगभग 2002 में हुआ → एसआईआर हर मतदाता को उस पुरानी सूची से जोड़ना अनिवार्य करता है → केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर हर बेमेल या असंगत प्रविष्टि को चिह्नित करता है → दिल्ली में 33 लाख नोटिस, जिनमें एक आयोग सदस्य और एक दिवंगत व्यक्ति शामिल → प्रमाण का भार ईआरओ (ERO) की सुनवाई से पहले मतदाता पर स्थानांतरित

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- तीन अनुच्छेद मताधिकार गढ़ते हैं, और अनुच्छेद 325 बहिष्करण-विरोधी उपबंध है — अनुच्छेद 324 (Article 324) मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग (Election Commission) में निहित करता है। अनुच्छेद 325 (Article 325) हर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान करता है और केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर बहिष्करण को रोकता है। अनुच्छेद 326 (Article 326) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को, जो अन्यथा अयोग्य न हो, वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है; मतदान की आयु 61वें संशोधन, 1988 (61st Amendment, 1988) द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नागरिकता, आयु और सामान्य निवास — ये तीन शर्तें ही ईआरओ (ERO) वास्तव में जाँचता है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 — न कि 1951 का अधिनियम — सूची को नियंत्रित करता है — जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) सीटों के आबंटन और मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित है; 1951 का अधिनियम चुनावों के संचालन और विवादों से संबंधित है। 1950 के अधिनियम की धारा 21 (Section 21) सूची को तैयार और पुनरीक्षित किए जाने की अपेक्षा करती है, और धारा 21(3) आयोग को दो दर्ज कारणों से किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण निर्देशित करने का अधिकार देती है। धारा 16 पंजीकरण के लिए अयोग्यताओं को सूचीबद्ध करती है, जिसमें नागरिक न होना शामिल है, और धारा 22

प्रविष्टियों में सुधार की अनुमति देती है। विस्तृत प्रक्रिया निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) में है।

3. **ईआरओ (ERO) वैधानिक निर्णयकर्ता है, और हर निर्णय अपीलयोग्य है** — निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer), जो आमतौर पर राजस्व या नागरिक अधिकारी होता है, 1950 के अधिनियम की धारा 13B (Section 13B) के तहत नियुक्त होता है और नोटिस व सुनवाई के बाद दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेता है। धारा 24 (Section 24) के तहत अपील जिला निर्वाचन अधिकारी और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Lal Babu Hussein v. Electoral Registration Officer, 1995) में कहा कि पहले से सूची में शामिल व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर नहीं हटाया जा सकता, और प्राधिकारी को उचित अवसर देना होगा तथा सभी साक्ष्यों को तौलना होगा। यही कारण है कि दिल्ली के सीईओ (CEO) का “तर्कसंगत और अपीलयोग्य आदेश” का वादा शिष्टाचार नहीं, कानूनी अपेक्षा है।
4. **निर्वाचन आयुक्त अब 2023 के एक क़ानून के अधीन बैठते हैं** — मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 (CEC and Other ECs Act, 2023) राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति का प्रावधान करता है। आयोग 1993 से बहु-सदस्यीय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को अनुच्छेद 324(5) (Article 324(5)) के परंतुक के तहत CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **मतदाता सूची की शुद्धता एक जीएस2 (GS2) का नियमित विषय है, जिसे एसआईआर ने चर्चा में ला दिया है** — पाठ्यक्रम में “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ” और “विभिन्न संवैधानिक निकायों की संविधान में नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व” नामित हैं। यूपीएससी (UPSC) ने बार-बार मुख्य परीक्षा (Mains) में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और चुनावी सुधारों पर पूछा है, और प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) ने अनुच्छेद 324-329 और 1950 व 1951 के अधिनियमों के अंतर की परीक्षा ली है।
2. **परीक्षोपयोगी तनाव प्रमाण के भार में है** — प्रारंभिक परीक्षा पूछेगी कि सूची किस के तहत और किस अधिनियम से तैयार होती है; मुख्य परीक्षा पूछेगी कि क्या 2002 की सूची से जुड़ाव साबित करने की अपेक्षा वाला पुनरीक्षण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुरूप है। जो उम्मीदवार धारा 21(3), ईआरओ की सुनवाई-कर्तव्य और लाल बाबू हुसैन का उल्लेख कर सकता है, वह केवल “मतदाता वंचन” लिखने वाले से बेहतर अंक पाएगा।
3. **आज की सूची आपको मिलने वाला सबसे अच्छा केस स्टडी है** — जब सॉफ्टवेयर एक निर्वाचन आयुक्त, एक सीएजी (CAG), एक विदेश सचिव और 2024 से दिवंगत एक व्यक्ति को चिह्नित करता है, तो यह एक ही वाक्य में एल्गोरिथ्मिक सत्यापन की गहनता और उसकी खामी दोनों दिखाता है। उदाहरण का उपयोग करें; प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर में नामों का उपयोग न करें।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
- अनुच्छेद 325 हर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान करता है और केवल धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर बहिष्करण को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रावधान करता है; योग्यता आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी।
- मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा नियंत्रित होता है; धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को किसी भी समय सूची का विशेष पुनरीक्षण निर्देशित करने का अधिकार देती है।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति आरपीए, 1950 (RPA, 1950) की धारा 13B के तहत होती है; ईआरओ (ERO) के निर्णयों के विरुद्ध अपील जिला निर्वाचन अधिकारी और फिर धारा 24 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जाती है।
- सीईसी और अन्य ईसी अधिनियम, 2023 (CEC and Other ECs Act, 2023) के तहत निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री की समिति की सिफारिश पर होती है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी तरीके और आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है; अन्य निर्वाचन आयुक्तों को

केवल सीईसी (CEC) की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. एक निर्वाचन आयुक्त को नोटिस मिलना यह दिखाता है कि फिल्टर निष्पक्ष है, जो इसका बचाव भी है और इसका दोष भी** — आयोग तर्कसंगत रूप से कह सकता है कि जो प्रणाली अपने ही सदस्य और सीएजी (CAG) को चिह्नित करती है, वह किसी को निशाना नहीं बना रही; एल्गोरिथ्म की निष्पक्षता पक्षपाती छूटाई के आरोप का सबसे अच्छा जवाब है। लेकिन यही तथ्य यह भी साबित करता है कि मिलान नियम उन लोगों में भी बड़े पैमाने पर झूठे सकारात्मक परिणाम (false positives) देता है जिनकी पात्रता संदेह से परे है। यदि एक निर्वाचन आयुक्त का नाम-मिलान असफल हो सकता है, तो जिस प्रवासी मज़दूर का नाम तीन अलग-अलग तरीकों से लिप्यंतरित (transliterated) हुआ है, उसका तो निश्चित रूप से असफल होगा। वुटि दर समान है; जो अलग है वह है उसे ठीक कराने की कीमत।
- 2. असली बदलाव राज्य से नागरिक की ओर भार का स्थानांतरण है** — सामान्य सारांश पुनरीक्षण (summary revision) के तहत, प्रविष्टि हटाने का कारण राज्य को दिखाना पड़ता था। “नो मैपिंग” फ्लैग इसे उलट देता है: अब मतदाता को लगभग 24 वर्ष पहले तैयार सूची से जुड़ाव प्रदर्शित करना होगा। लाल बाबू हुसैन (Lal Babu Hussein) ने कहा कि केवल संदेह से नाम नहीं हटाया जा सकता, और दिल्ली सीईओ (CEO) का बयान इसे दोहराता है कि बिना सुनवाई कोई हटाव नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के लिए सवाल यह है कि क्या सुनवाई वास्तविक सुरक्षा-कवच है जब 33 लाख लोगों को लगभग दो महीने के भीतर, 30 अक्टूबर को दावे बंद होने से पहले, उपस्थित होना है।
- 3. मसौदा सूची में एक दिवंगत व्यक्ति का होना आयोग के अपने ही आधार के विरुद्ध जाता है** — एसआईआर (SIR) को शुद्धिकरण अभ्यास के रूप में उचित ठहराया जाता है, और दिल्ली की मसौदा सूची ने पहले ही 47.56 लाख नामों को मृत, स्थानांतरित या दोहरे के रूप में हटा दिया। फिर भी बिबेक देब्रॉय (Bibek Debroy), जिनकी नवंबर 2024 में मृत्यु राष्ट्रीय समाचार थी, इस सफाई से बच गए और केवल “नो मैपिंग” के लिए चिह्नित हुए। इसलिए हटाव चरण और सत्यापन चरण एक-दूसरे से संवाद नहीं कर रहे; मृत्यु पंजीकरण डेटा, जो राज्य के पास पहले से है, स्पष्ट रूप से सूची साफ करने के लिए उपयोग नहीं किया गया।
- 4. तीन अखबारों की भिन्न कुल संख्याएँ शासन का मुद्दा हैं, टिप्पणी मात्र नहीं** — द हिंदू ने 33.1 लाख नोटिस, द इकनॉमिक टाइम्स ने 33.13 लाख, और द इंडियन एक्सप्रेस ने 31.63 लाख बताए हैं। एक ऐसी प्रक्रिया के लिए जिसकी वैधता सटीकता पर टिकी है, सीईओ (CEO) से एक भी प्रकाशित, निर्वाचन-क्षेत्रवार आँकड़े का अभाव ठीक उसी संदेह को आमंत्रित करता है जिसे यह अभ्यास दूर करना चाहता है। श्रेणी के अनुसार — नो मैपिंग, स्व-नाम बेमेल, जनक-नाम बेमेल — आँकड़े प्रकाशित करने में कुछ खर्च नहीं होगा, और आधा राजनीतिक विवाद निपट जाएगा।
- 5. प्रति-तर्क को उसका पूरा वज़न मिलना चाहिए** — जो सूचियाँ मृत, स्थानांतरित और दोहरे नामों को ढोती हैं, वे स्वयं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा हैं, क्योंकि हर “भूत” प्रविष्टि एक संभावित झूठा वोट है। धारा 21(3) (Section 21(3)) स्पष्ट रूप से गहन पुनरीक्षण की अनुमति देती है, और भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। बचाव योग्य स्थिति यह नहीं है कि एसआईआर अवैध है, बल्कि यह है कि इसकी सत्यापन-रचना को राज्य के पास पहले से मौजूद डेटा पर अधिक और उन दस्तावेज़ों पर कम निर्भर होना चाहिए जो मतदाता को शायद कभी दिए ही न गए हों।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण ने पात्रता सिद्ध करने का भार राज्य से मतदाता पर स्थानांतरित कर दिया है।” अनुच्छेद 325 और 326 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के आलोक में इस कथन की परीक्षा कीजिए। ऐसे सुरक्षा-उपाय सुझाइए जो सूची की सटीकता और समावेशिता दोनों को सुरक्षित रखें। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका (Introduction)** — एसआईआर (SIR) को एक पंक्ति में आरपीए, 1950 (RPA, 1950) की धारा 21(3) के तहत घर-घर किए गए ताज़ा पुनर्सत्यापन के रूप में परिभाषित करें, और बताएं कि दिल्ली की मसौदा सूची ने एक निर्वाचन आयुक्त सहित 31-33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे हैं — यह एक उदाहरण समस्या को स्पष्ट करता है।
- 2. मुख्य भाग — संवैधानिक और वैधानिक ढाँचा** — आयोग की शक्ति के लिए अनुच्छेद 324, बिना बहिष्करण एक सूची के लिए अनुच्छेद 325, वयस्क मताधिकार के लिए अनुच्छेद 326; 1950 के अधिनियम की धाराएँ 16, 21, 22 और 24, तथा ईआरओ (ERO) का सुनवाई-कर्तव्य। संदेह हटाव को उचित नहीं ठहरा सकता, इस सिद्धांत के लिए लाल बाबू हुसैन (1995) का उल्लेख करें।
- 3. मुख्य भाग — भार कहाँ स्थानांतरित होता है** — ईसीआईनेट (ECINET) द्वारा उत्पन्न “नो मैपिंग” और “लॉजिकल डिसक्रेपेंसी” फ्लैग, लगभग 2002 की सूची से जुड़ाव की अपेक्षा, और

30 अक्टूबर तक की समय-सीमा की व्याख्या करें। एक वरिष्ठ अधिकारी को जितनी आसानी से मान्य किया जाता है, उसकी तुलना गरीब या प्रवासी मतदाता की कठिनाई से करें। सफाई चरण और सत्यापन चरण के असंबद्ध होने को दिखाने के लिए दिवंगत मतदाता के उदाहरण का उल्लेख करें।

4. मुख्य भाग — एसआईआर के पक्ष में तर्क — स्वीकार करें कि फूली हुई सूचियाँ चुनावी अखंडता के लिए खतरा हैं, कि यह शक्ति कानून में स्पष्ट है, और दिल्ली सीईओ (CEO) ने तर्कसंगत, अपीलयोग्य आदेशों की प्रतिबद्धता जताई है। संतुलित उत्तर एकपक्षीय उत्तर से अधिक अंक पाता है।

5. निष्कर्ष (Conclusion) — ठोस सुरक्षा-उपाय सुझाएँ: नोटिस जारी करने से पहले राज्य के पास मौजूद मृत्यु और प्रवासन डेटा का उपयोग, निर्वाचन क्षेत्रवार श्रेणी-वार आँकड़ों का प्रकाशन, बीएलओ (BLO) द्वारा द्वार-स्तरीय सत्यापन सहित सुनवाई के लिए लंबी खिड़की, और अयोग्यता के सकारात्मक प्रमाण के अभाव में पहले से सूची में मौजूद मतदाताओं के पक्ष में उपधारणा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप 1.5 लाख नोटिस वाले निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ (ERO) हैं और दावे बंद होने में छह सप्ताह बचे हैं। आप सुनवाई को औपचारिकता बनने से कैसे रोकेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): पहले नोटिसों की त्रिस्तरीय छँटाई (triage) करूँगा: स्व-नाम और जनक-नाम बेमेल आमतौर पर वर्तनी की समस्याएँ होती हैं जिन्हें बृथ स्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer) किसी एक पहचान दस्तावेज़ से द्वार पर ही हल कर सकता है, इसलिए इन्हें थोक में निपटाऊँगा। सच्चे “नो मैपिंग” मामलों के लिए औपचारिक सुनवाई सुरक्षित रखूँगा, और इन्हें एसएमएस सूचना के साथ इलाकावार निर्धारित करूँगा ताकि दिहाड़ी मजदूरों को बार-बार कतार में न लगना पड़े। हर आदेश में कारण दर्ज करूँगा, क्योंकि बिना कारण बताएँ हटाव अपील में रद्द हो जाएगा और इससे बचाएँ गए समय से अधिक समय बर्बाद होगा। बाधा समय-सीमा से पहले दिखाई दे, इसके लिए श्रेणीवार प्रगति रोज़ जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करूँगा।

प्रश्न 2. एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रविष्टि एक दिन में मान्य हो जाती है, जबकि एक झुग्गी निवासी का वही बेमेल अभी लंबित है। एक पत्रकार आपसे कारण पूछता है। आप क्या कहेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): इनकार करने के बजाय तथ्य स्वीकार करूँगा, क्योंकि समय-मुहूरें (timestamps) रिकॉर्ड पर हैं। बताऊँगा कि अधिकारी ने तुरंत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, और कार्यालय का कर्तव्य सबके लिए वही गति सुनिश्चित करना है, जो अभी तक हासिल नहीं हुई। फिर कार्रवाई करूँगा: उस सप्ताह निवासी के पास एक बीएलओ (BLO) भेजूँगा, और आंतरिक निर्देश जारी करूँगा कि किसी भी वर्ग के मतदाता को बारी से हटकर निपटान न मिले। सत्यापन अभियान में समान व्यवहार केवल निष्पक्षता नहीं है; यही एकमात्र चीज़ है जो पूरे अभ्यास को विश्वसनीय बनाए रखती है।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य के रूप में, क्या आप मतदाता सूचियों को स्वतः साफ करने के लिए आधार (Aadhaar) या मृत्यु-पंजीकरण डेटाबेस के उपयोग का समर्थन करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इनका उपयोग सुराग (leads) उत्पन्न करने के लिए करने का समर्थन करूँगा, नाम हटाने के लिए नहीं। देब्रॉय (Debroy) मामला दिखाता है कि राज्य के डेटाबेस उन त्रुटियों को पकड़ सकते हैं जिन्हें एसआईआर (SIR) ने चूक दिया, और किसी मतदाता से मेल खाता मृत्यु रिकॉर्ड फ़ील्ड जाँच को ट्रिगर करना चाहिए। लेकिन डेटाबेस मिलान पर स्वतः हटाव वर्तमान प्रक्रिया की उसी त्रुटि को दोहराएँगा — डेटा बेमेल को अयोग्यता का प्रमाण मानना। किसी नागरिक को सूची से हटाने का अंतिम कार्य एक तर्कसंगत, मानवीय और अपीलयोग्य निर्णय ही रहना चाहिए।

1.2 कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में तुलु को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया

समाचार (THE NEWS) मंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को मंगलुरु में हुई बैठक में तुलु — जो दक्षिण कन्नड़ जिले, उडुपी जिले के दक्षिणी हिस्सों और केरल के कासरगोड जिले के उत्तरी हिस्सों में आमतौर पर बोली जाती है — को अतिरिक्त राजभाषा (administrative language) का दर्जा देने का निर्णय लिया, द हिंदू के विश्लेषण के अनुसार। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि यह दर्जा दोनों कर्नाटक जिलों के प्रशासनिक मामलों पर लागू होगा, और सरकार अनुवाद, प्रशिक्षण और भाषा-उपयोग के उद्देश्यों के लिए सालाना ₹82 लाख जारी करेगी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages, CIIL), मैसूरु में शास्त्रीय कन्नड़ अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada) के पूर्व परियोजना निदेशक बी. शिवराम शेट्टी ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम सभाओं तथा ग्राम, तालुक और ज़िला पंचायत बैठकों में, और नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत जैसी शहरी स्थानीय निकाय बैठकों में तुलु में बोल सकेंगे; दोनों जिलों में सरकारी परिपत्र और आदेश भी तुलु में होने चाहिए, और लोग विभागों को तुलु में आवेदन जमा कर सकते हैं। 30 जनवरी, 2023 को तत्कालीन भाजपा सरकार के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री बी. सुनील कुमार ने अल्वा शिक्षा प्रतिष्ठान (Alva's Education Foundation), मुडबिद्री के अध्यक्ष एम. मोहन अल्वा के अधीन एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए एक समिति बनाई; 29 मार्च, 2023 को घोषित 2023 विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार

संहिता (model code of conduct) बीच में आ गई, और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस सरकार ने फिर कन्नड़ और संस्कृति निदेशक के एम. गायत्री के अधीन एक समिति बनाई यह अध्ययन करने के लिए कि आंध्र प्रदेश ने उर्दू को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा कैसे दिया; इसने 19 और 20 जनवरी, 2026 को आंध्र प्रदेश का दौरा किया और 4 मार्च को रिपोर्ट दी। मंत्रिमंडल का निर्णय स्वतः लागू (self-executing) नहीं है। कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963 (Karnataka Official Language Act, 1963) की धारा 2 (Section 2) कन्नड़ को राजभाषा के रूप में नामित करती है, और अखबार द्वारा उद्धृत कानूनी टिप्पणीकारों के अनुसार दोनों जिलों के लिए तुलु जोड़ने हेतु अधिनियम में संशोधन आवश्यक है, इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति और अधिसूचना — वहीं मार्ग जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने उर्दू के लिए अपनाया। तुलु 2010-11 से दोनों जिलों में कक्षा 6 से 10 तक तृतीय वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है; मंगलौर विश्वविद्यालय का दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जो 2018-19 में शुरू हुआ था, छात्रों की कमी के कारण 2024-25 से बंद कर दिया गया। महापंजीयक व जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner) तुलु को एक स्वतंत्र भाषा मानते हैं, लेकिन यह आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में नहीं है। पाठ्यक्रम से संबंध अनुच्छेद 343-351 (Articles 343-351), राजभाषाओं पर, है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

जनगणना द्वारा तुलु को एक अलग किंतु गैर-अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता → दशकों से राजभाषा और आठवीं अनुसूची के दर्जे की माँग → 2023 की समिति चुनावों से बाधित → 2026 की समिति आंध्र के उर्दू मॉडल का अध्ययन करती है → 18 सितंबर को मंत्रिमंडल का निर्णय → राजभाषा अधिनियम में संशोधन अभी भी आवश्यक

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. अनुच्छेद 345 भाषा चुनने की शक्ति मंत्रिमंडल को नहीं, राज्य विधानमंडल को देता है — अनुच्छेद 345 (Article 345) उपबंध करता है कि, अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं, या हिंदी को, राज्य के सभी या किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भाषा के रूप में अपना सकता है। महत्वपूर्ण शब्द “विधि द्वारा” (by law) हैं: केवल कार्यपालिका का निर्णय किसी भाषा को राजभाषा नहीं बना सकता। इसी कारण कर्नाटक को अपने राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Language Act, 1963) में संशोधन करना होगा। जब तक कानून नहीं बनता, संविधान से पहले जिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी उपयोग होती थी, उनके लिए यह जारी रहती है। 2. अनुच्छेद 347 राज्य के भीतर अल्पसंख्यक भाषा के लिए केंद्र का मार्ग है — अनुच्छेद 347 (Article 347) राष्ट्रपति को यह अनुमति देता है कि, माँग किए जाने पर, यदि संतुष्ट हों कि राज्य की जनसंख्या के किसी सारवान अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा को वे चाहते हैं, तो पूरे राज्य या उसके किसी भाग में उस भाषा को शासकीय मान्यता देने का निर्देश दें। अनुच्छेद 346 (Article 346) राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए भाषा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 350A (Article 350A) राज्यों को भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 350B (Article 350B) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। 3. आठवीं अनुसूची एक अलग सूची है जिसके अलग परिणाम हैं — आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) 22 भाषाओं की सूची देती है। सिंधी को 21वें संशोधन (1967) से जोड़ा गया; कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन (1992) से; और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन (2003) से। शामिल होने से कोई भाषा किसी राज्य की राजभाषा नहीं बनती; यह अनुच्छेद 344(1) और 351 (Articles 344(1) and 351), यानी राजभाषा आयोग और हिंदी के विकास, से संबंधित है, और कुछ परीक्षाओं में मान्यता तथा साहित्य अकादमी (Sahitya Akademi) द्वारा मान्यता जैसे व्यावहारिक लाभ देती है। तुलु अभी भी इसके बाहर है। 4. तुलु अपनी लिपि-परंपरा वाली एक द्रविड़ भाषा है — तुलु द्रविड़ परिवार की दक्षिण द्रविड़ शाखा से संबंधित है और मुख्यतः उस तटीय क्षेत्र में बोली जाती है जिसे ऐतिहासिक रूप से तुलु नाडु कहा जाता है। जनगणना ने इसे लंबे समय से कन्नड़ की बोली नहीं बल्कि एक अलग भाषा के रूप में दर्ज किया है। आज यह मुख्यतः कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है, हालाँकि एक ऐतिहासिक तुलु लिपि (तिगलारी, Tigalari) भी मौजूद है। कन्नड़ को केंद्र सरकार ने 2008 में शास्त्रीय भाषा (classical language) घोषित किया था।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. राजभाषाएँ एक प्रत्यक्ष प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) क्षेत्र हैं — अनुच्छेद 343 से 351 पाठ्यक्रम में “संविधान के प्रावधानों” के अंतर्गत आते हैं। यूपीएससी (UPSC) ने आठवीं अनुसूची, कौन-सी भाषाएँ शास्त्रीय हैं, और भाषायी अल्पसंख्यकों पर संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पूछा है। अनुच्छेद 345 के तहत राजभाषा और अनुसूचित भाषा के बीच का अंतर क्लासिक जाल है। 2. भाषा-राजनीति जीएस1 (GS1) और जीएस2 (GS2) दोनों में बार-बार आती है — राज्यों का भाषायी पुनर्गठन, क्षेत्रवाद और त्रिभाषा सूत्र जीएस1 समाज विषय हैं, जबकि आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग — तुलु, भोजपुरी, राजस्थानी, कुरमाली और अन्य — जीएस2 संघवाद विषय है। इस कार्ड में एक पंचायत आयाम भी है: ग्राम सभाओं में विचार-विमर्श की भाषा भागीदारी को सीधे प्रभावित करती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य	● अनुच्छेद 345 के तहत, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त एक या

(PRELIMS NUGGETS)

अधिक भाषाओं, या हिंदी को, अपनी राजभाषा के रूप में अपना सकता है; केवल कार्यकारी आदेश पर्याप्त नहीं है।

- अनुच्छेद 347 के तहत, राष्ट्रपति, माँग किए जाने पर, यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्य की जनसंख्या के सारवान अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य या उसके किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए।
- अनुच्छेद 350A राज्यों को भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने की अपेक्षा करता है; अनुच्छेद 350B राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
- आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं; 92वें संशोधन, 2003 ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा, और 71वें संशोधन, 1992 ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
- आठवीं अनुसूची में शामिल होने मात्र से कोई भाषा किसी राज्य की राजभाषा नहीं बन जाती।
- तुलु एक द्रविड़ भाषा है जिसे जनगणना में अलग दर्ज किया गया है परंतु यह आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपने राज्य राजभाषा कानूनों में संशोधन करके उर्दू को अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. ₹82 लाख का आँकड़ा बताता है कि सुधार तब तक प्रतीकात्मक है जब तक अधिनियम में संशोधन न हो — राजभाषा का दर्जा तभी मायने रखता है जब वह प्रवर्तनीय अधिकार बनाए: अपनी भाषा में आवेदन देने, उत्तर पाने या आदेश पढ़ने का अधिकार। ये अधिकार तभी मौजूद होंगे जब 1963 के अधिनियम की धारा 2 (Section 2) में संशोधन होगा, क्योंकि अनुच्छेद 345 एक कानून की अपेक्षा करता है। तब तक मंत्रिमंडल का निर्णय एक आशय-वक्तव्य (statement of intent) है। दो जिलों में सालाना ₹82 लाख का बजट मामूली पैमाने पर अनुवाद और प्रशिक्षण को वित्तपोषित करता है, जो यह संकेत देता है कि सरकार स्वयं क्रमिक, न कि तत्काल, बदलाव की अपेक्षा करती है।
2. जिला-सीमित राजभाषा दर्जा क्षेत्रीय भाषा के लिए सही रचना है — पूरे कर्नाटक में तुलु को राजभाषा घोषित करना कलबुर्गी में अर्थहीन और मैसूर में नाराज़गी भरा होता है; इसे दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तक सीमित रखना भाषा को उसके बोलने वालों से मिलाता है। यह अनुच्छेद 347 (Article 347) का ही तर्क है, जो “पूरे राज्य या उसके ऐसे भाग” में मान्यता की बात करता है। आंध्र और तेलंगाना का उर्दू उदाहरण दिखाता है कि यह मॉडल व्यावहारिक है। प्रति-तर्क यह है कि यह प्रशासनिक भाषाओं को बढ़ा देता है और कन्नड़ को एकीकरण-कारी राज्य भाषा के रूप में कमज़ोर कर सकता है — यह चिंता कर्नाटक की अपनी भाषायी राजनीति को वास्तविक बनाती है।
3. ग्राम सभा प्रावधान नीति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम चर्चित हिस्सा है — सदस्यों को ग्राम सभाओं और पंचायत बैठकों में तुलु बोलने की अनुमति देना ठीक उन्हीं लोगों के लिए भागीदारी की लागत घटाता है जिन्हें 73वें संशोधन (73rd Amendment) ने सशक्त बनाने का इरादा किया था। जिस भाषा में व्यक्ति सोचता है, उसमें विचार-विमर्श प्रतीकवाद से कहीं अधिक है; यह बदलता है कि कौन बोलता है। व्यावहारिक कठिनाई अधिकारी की है: जिले के बाहर से तैनात एक पंचायत विकास अधिकारी (Panchayat Development Officer) जो चर्चा को समझ नहीं पाता, वह दुभाषिये पर निर्भर होगा, और रिकॉर्ड फिर भी कन्नड़ में रखा जा सकता है।
4. राजभाषा दर्जा और आठवीं अनुसूची का दर्जा जनचर्चा में एक साथ मिलाए जा रहे हैं, जबकि इन्हें नहीं मिलाना चाहिए — तुलु आंदोलन की बड़ी माँग लेबे समय से आठवीं अनुसूची में शामिल होने की रही है, जिसे केवल संसद संवैधानिक संशोधन द्वारा दे सकती है। राज्य का निर्णय उसे सीधे आगे नहीं बढ़ाता। हालाँकि, यह प्रयोग का प्रशासनिक रिकॉर्ड — परिपत्र, आवेदन, कार्यवाहियाँ — ज़रूर बनाता है, जो अगली बार जब कोई समिति समावेशन के मानदंडों की जाँच करेगी तब मामले को मज़बूत करेगा, क्योंकि भारत ने आठवीं अनुसूची के लिए कभी वस्तुनिष्ठ मानदंड तय नहीं किए।
5. शिक्षा नीति का कमज़ोर पक्ष है — तुलु केवल कक्षा 6 से कक्षा 10 तक तृतीय वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, और मंगलूर विश्वविद्यालय ने बहुत कम नामांकन के कारण अपना स्नातकोत्तर कार्यक्रम 2024-25 से बंद कर दिया। जिस राजभाषा को युवा स्कूल के बाद पढ़ नहीं सकते, वह नीति को आवश्यक अनुवादक और अधिकारी देने में संघर्ष करेगी। प्रशिक्षित उपयोगकर्ताओं की श्रृंखला के बिना दर्जा औपचारिक भर बनकर रह जाने का जोखिम रखता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“किसी राज्य की अतिरिक्त राजभाषाओं के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़बूत करती है परंतु प्रशासन को जटिल बना देती है।” अनुच्छेद 345 और हाल की राज्य प्रथा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

- भूमिका (Introduction)** — कर्नाटक मंत्रिमंडल के 18 सितंबर के निर्णय से शुरू करें, जिसने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में तुलु को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया, और बताएं कि अनुच्छेद 345 के तहत यह तभी प्रभावी होगा जब राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन हो।
- मुख्य भाग — संवैधानिक ढाँचा** — अनुच्छेद 345, 346 और 347 की व्याख्या करें, और राजभाषा तथा आठवीं अनुसूची की भाषा के बीच का अंतर बताएं। भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 350A और 350B का उल्लेख करें, और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के उर्दू उदाहरण का।
- मुख्य भाग — भागीदारी का तर्क** — ग्राम सभा और पंचायत प्रावधानों, विभागों को तुलु में आवेदन, और तुलु में परिपत्रों का उपयोग यह तर्क देने के लिए करें कि राज्य की भाषा यह तय करती है कि कौन उससे जुड़ सकता है, और इसे 73वें व 74वें संशोधन से जोड़ें।
- मुख्य भाग — प्रशासनिक लागत** — भाषा न जानने वाले अधिकारी, अनुवाद-निर्भरता, दो भाषाओं में रिकॉर्ड-रखरखाव, मामूली ₹82 लाख का बजट, और मंगलूर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम बंद होने से स्पष्ट कमज़ोर शिक्षा पाइपलाइन।
- निष्कर्ष (Conclusion)** — कानून-समर्थित जिला-सीमित मान्यता, चरणबद्ध अनुवाद कैडर, और स्थानीय-सेवा भर्ती में भाषा के समावेश की वकालत करें, ताकि मान्यता एक कार्यशील अधिकार बने, केवल प्रतीक नहीं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप अधिनियम में संशोधन के बाद दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त हैं। आपके आधे तालुक-स्तरीय अधिकारी तुलु नहीं जानते। पहले तीन महीनों में आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): यह मानचित्रित करूँगा कि किन कार्यालयों में सबसे अधिक सार्वजनिक आवेदन आते हैं — राजस्व, पंचायत, पुलिस थाने — और पहले उन्हीं काउंटरो पर प्रशिक्षित अनुवादक या तुलु बोलने वाला कर्मचारी तैनात करूँगा। जिले के बाहर से तैनात अधिकारियों के लिए एक संक्षिप्त मौखिक-तुलु मॉड्यूल चलाऊँगा, जिसमें ₹82 लाख के बजट को प्रचार से पहले फ्रंटलाइन प्रशिक्षण को प्राथमिकता दूँगा। एक स्थायी निर्देश जारी करूँगा कि तुलु में होने के कारण कोई आवेदन वापस नहीं किया जाएगा, और सामान्य समय-सीमा के भीतर आवेदक की भाषा में उत्तर दिया जाएगा। हर महीने तुलु आवेदनों की संख्या ट्रैक करूँगा, क्योंकि यह डेटा सरकार को बताएगा कि अधिकार का उपयोग हो रहा है या नहीं।

प्रश्न 2. एक कन्नड़ संगठन विरोध करता है कि तुलु का दर्जा कन्नड़ को कमज़ोर करता है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): उनसे मिलूँगा और कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से समझाऊँगा: 1963 के अधिनियम के तहत कन्नड़ राज्य की राजभाषा बनी रहेगी, और तुलु केवल दो जिलों में प्रशासनिक उपयोग के लिए अतिरिक्त भाषा है। बताऊँगा कि निर्णय में किसी भी परिपत्र, आदेश या रिकॉर्ड से कन्नड़ को हटाने वाली कोई बात नहीं है। बातचीत को तथ्यात्मक रखूँगा, राजनीतिक निर्णय का बचाव करने के बजाय, क्योंकि वह अधिकारी की भूमिका नहीं है। यदि वे सरकार को प्रतिवेदन देना चाहें, तो उसे तुरंत आगे भेजूँगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड का प्रश्न: क्या भारत को आठवीं अनुसूची में भाषाओं के समावेश के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): हाँ, क्योंकि मानदंडों की वर्तमान अनुपस्थिति समावेशन को राजनीतिक सौदेबाज़ी का विषय बना देती है, और हर नया समावेशन दर्जनों नई माँगों को आमंत्रित करता है। मानदंडों में बोलने वालों की संख्या, लिखित साहित्य का भंडार, जनगणना द्वारा स्वतंत्र मान्यता, और शिक्षा में उपयोग शामिल हो सकते हैं। प्रति-तर्क यह है कि कोई भी सीमा छोटी परंतु सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं को बाहर कर देगी, इसलिए मानदंड आवश्यक तो हों पर पर्याप्त न हों। पारदर्शी मानदंड कम से कम इनकार को न्यायसंगत बनाएंगे।

1.3 ईडी (ED) टीएमसी के ₹5.22 करोड़ के अग्रिम भुगतान की जाँच कर रहा है जो अभी तक की गई उड़ानों के लिए नहीं थे, छह पार्टी खाते फ्रीज़

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress, TMC) द्वारा जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की विमानन सेवाओं के लिए किए गए कुल ₹5.22 करोड़ के अग्रिम भुगतानों की जाँच कर रहा है, भले ही एजेंसी के खाता विश्लेषण के समय संबंधित सेवाएँ प्राप्त ही नहीं की गई थीं, द इकनॉमिक टाइम्स ने जानकारी लोगों के हवाले से बताया। यह निष्कर्ष पार्टी के विमानन कंपनियों के साथ वित्तीय लेन-देन की ईडी (ED) की व्यापक जाँच का हिस्सा है, और केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Carewell Aviation India Pvt Ltd) के माध्यम से पार्टी निधियों की कथित रूटिंग और उपयोग की चल रही जाँच का भी। ईडी (ED) ने आरोप लगाया है कि टीएमसी (TMC) ने जुलाई 2021 से जून 2026 के बीच केयरवेल समूह (Carewell Group) की संस्थाओं को लगभग ₹162.09 करोड़ हस्तांतरित किए। अप्रैल 2023 में निष्पादित एक विमान चार्टर समझौते के तहत, टीएमसी ने ₹60 करोड़ की व्याज-मुक्त वापसी योग्य जमानत राशि (security deposit) दी; मार्च 2025 में निष्पादित

एक अलग हेलीकॉप्टर चार्टर समझौते में ₹28.5 करोड़ की एक और वापसी योग्य जमानत राशि शामिल थी, जिससे कुल जमा राशि ₹88.5 करोड़ हो गई। ईडी (ED) के खाता विश्लेषण में दर्ज है कि केयरवेल को मिले ₹133.84 करोड़ को बाद में परत-दर-परत (layered) — यानी क्रमिक लेन-देन के माध्यम से उसके स्रोत को छिपाने के लिए स्थानांतरित करते हुए — अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी (GIFT City) में नव-निगमित संबंधित संस्था केयरवेल फ्लाईजेट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (Carewell Flyjet IFSC Pvt Ltd) में अंतर-कॉर्पोरेट ऋण के रूप में एक एम्ब्रायर लीगेसी 600 (Embraer Legacy 600) विमान और एक अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू (Agusta 109 Grand New) हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए डाला गया। ईडी (ED) अन्य विमानन कंपनियों को किए गए भुगतानों की भी जाँच कर रहा है: एक मामले में, विंडबोर्न एविएशन (Windborne Aviation) से चार्टर किए गए फाल्कन 2000 (Falcon 2000) से जुड़े मामले में, टीएमसी 60 दिनों में न्यूनतम 150 घंटे की प्रतिबद्धता पर सहमत हुई थी लेकिन अंततः लगभग ₹9.09 करोड़ चुकाते हुए विमान का उपयोग केवल लगभग 11-12 घंटे ही किया। ईटी (ET) ने पिछले सप्ताह बताया था कि टीएमसी ने केयरवेल द्वारा संचालित विमान के लिए, कंपनी द्वारा अपने अन्य ग्राहकों से लिए जाने वाले औसत दर से काफी अधिक प्रति उड़ान-घंटा भुगतान किया। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) के प्रावधानों के तहत लगभग ₹440 करोड़ की कुल राशि वाले टीएमसी (TMC) के छह बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। टीएमसी ने ईडी (ED) की कार्रवाई को चुनौती दी है और आरोपों को विवादित बताया है; अखबार नोट करता है कि अग्रिम भुगतान सामान्य संविदात्मक व्यवस्थाओं से भी उत्पन्न हो सकते हैं, और जाँच अभी जारी है। पाठ्यक्रम से संबंध दोहरा है: पीएमएलए (PMLA) के तहत ईडी (ED) की शक्तियाँ, और राजनीतिक दल के वित्त का विनियमन, जहाँ भारत का कानून उम्मीदवार के खर्च की सीमा तो तय करता है पर पार्टी के खर्च की नहीं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

प्रचार विमानन पर पार्टी का खर्च अधिकांशतः उम्मीदवार व्यय सीमाओं से बाहर रहता है → चार्टर संचालक को बड़ी जमानत राशि और अग्रिम भुगतान → ईडी का खाता विश्लेषण गिफ्ट सिटी की संबंधित संस्था में परत-दर-परत डालने का आरोप लगाता है → लगभग ₹440 करोड़ के छह पार्टी खातों की पीएमएलए फ्रीजिंग → पार्टी चुनौती देती है, जाँच जारी

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. पीएमएलए (PMLA) लॉन्ड्रिंग को दंडित करता है, मूल अपराध को नहीं — मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) की धारा 3 (Section 3) के तहत अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना — जिसमें छिपाना, कब्जा, अर्जन या उपयोग, और उसे बेदाग बनाना शामिल है — अपराध बनाया गया है। “अपराध की आय” (proceeds of crime) अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी “अनुसूचित अपराध” (scheduled offence) से उत्पन्न होनी चाहिए, इसलिए पीएमएलए (PMLA) का मामला हमेशा किसी एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए एक मूल अपराध (predicate offence) पर टिका होता है। धारा 4 (Section 4) तीन से सात वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान करती है, जो एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत आने वाले मूल अपराध के मामले में दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
2. फ्रीजिंग और अटैचमेंट अलग-अलग जाँच-कवच वाली अलग शक्तियाँ हैं — धारा 5 (Section 5) अपराध की आय माने जाने वाली संपत्ति के अस्थायी कुर्की (provisional attachment) की 180 दिनों तक अनुमति देती है, जिसकी पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) से होनी चाहिए। धारा 17 (Section 17) तलाशी और जब्ती की अनुमति देती है, और जहाँ जब्ती व्यावहारिक न हो, बैंक खातों सहित संपत्ति पर फ्रीजिंग आदेश की, जिसे भी निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए। अपील अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal) और फिर उच्च न्यायालय को जाती है। विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (Vijay Madanlal Choudhary v. Union of India, 2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के मूल प्रावधानों को बरकरार रखा, जिसमें धारा 45 (Section 45) के तहत जमानत की दोहरी शर्तें शामिल हैं।
3. भारत उम्मीदवार के खर्च पर सीमा लगाता है, पार्टी के खर्च पर नहीं — जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 77 (Section 77) हर उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय के आचरण नियम, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961) में निर्धारित सीमाओं के भीतर चुनावी खर्च का हिसाब रखने की अपेक्षा करती है। धारा 77 की व्याख्या 1 (Explanation 1) पार्टी के कार्यक्रम के प्रचार के लिए, हवाई यात्रा सहित, पार्टी नेताओं द्वारा किए गए खर्च को बाहर रखती है। पार्टी के खर्च पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है। पार्टियाँ वार्षिक योगदान रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित खाते दाखिल करती हैं, और उनकी आय आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) की धारा 13A (Section 13A) के तहत, शर्तों के अधीन, आयकर से मुक्त है।
4. प्रवर्तन निदेशालय एक विभागीय एजेंसी है, वैधानिक निकाय नहीं — ईडी (ED) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (Department of Revenue, Ministry of Finance) के अधीन काम करता है, और पीएमएलए (PMLA), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) तथा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (Fugitive Economic Offenders Act, 2018) को लागू करता है। यह अपने स्वयं के किसी कानून द्वारा नहीं बनाया गया है; इसके अधिकारी उन्हीं अधिनियमों से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं जिन्हें वे प्रशासित करते हैं। इसके निदेशक का कार्यकाल केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (Central Vigilance Commission Act, 2003), यथासंशोधित, द्वारा शासित होता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों

1. चुनावी वित्त एक स्थायी जीएस2 (GS2) प्रश्न है — यूपीएससी (UPSC) ने चुनावों में धन-

पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

शक्ति की भूमिका, चुनावों के राज्य-वित्तपोषण और खर्च पर निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में पूछा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (Association for Democratic Reforms v. Union of India, 2024) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना (electoral bond scheme) को रद्द किए जाने के बाद, पार्टी वित्त की पारदर्शिता “चुनावी सुधार” पाठ्यक्रम विषय के केंद्र में लौट आई है।

2. राजनीतिक अभिकर्ताओं के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा का पसंदीदा विषय है — जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता, पीएमएलए (PMLA) के तहत निम्न दोषसिद्धि दर, और राज्य के दलों में केंद्रीय जाँच से उत्पन्न संघीय तनाव पर सवाल बार-बार आते हैं। संतुलित उत्तर पार्टी वित्त की जाँच की वैधता और चुनिंदा प्रवर्तन (selective enforcement) के खतरे — दोनों को स्वीकार करता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करती है; अपराध की आय अधिनियम में सूचीबद्ध किसी अनुसूचित अपराध से उत्पन्न होनी चाहिए।
- पीएमएलए (PMLA) की धारा 5 के तहत, संपत्ति की अस्थायी कुर्की 180 दिनों तक चल सकती है और इसकी पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण से होनी चाहिए।
- विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 45 के तहत दोहरी जमानत शर्तों सहित प्रमुख पीएमएलए प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, और पीएमएलए, फेमा (FEMA) तथा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को लागू करता है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 उम्मीदवारों को चुनावी व्यय खाते रखने की अपेक्षा करती है; व्याख्या 1 पार्टी कार्यक्रम के प्रचार के लिए पार्टी नेताओं के यात्रा व्यय को बाहर रखती है।
- पंजीकृत राजनीतिक दलों की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत, खातों के रखरखाव और लेखा-परीक्षा के अधीन, आयकर से मुक्त है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. कानूनी खाई पीएमएलए (PMLA) में नहीं, चुनाव कानून में है — एक पार्टी कानूनी रूप से विमान पर लगभग असीमित खर्च कर सकती है क्योंकि धारा 77 (Section 77) केवल उम्मीदवार के खर्च को सीमित करती है और नेताओं की यात्रा को स्पष्ट रूप से बाहर रखती है। इससे बड़े, हल्की निगरानी वाले पार्टी-खर्च की एक श्रेणी बनती है। चाहे ईडी (ED) के आरोप सही सिद्ध हों या न हों, यह मामला उजागर करता है कि पार्टी खर्च के स्वाभाविक नियामक — निर्वाचन आयोग — के पास लागू करने के लिए कोई वैधानिक सीमा नहीं है, जिससे यह क्षेत्र एक ऐसी एजेंसी के हवाले हो जाता है जिसका औज़ार अपराधिक कानून है।
2. अनुपयोगी सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान अपने आप में लॉन्ड्रिंग नहीं है — ईटी (ET) की रिपोर्ट में ही नोट किया गया है कि अग्रिम भुगतान सामान्य अनुबंधों से भी उत्पन्न हो सकते हैं, और चार्टर विमानन में न्यूनतम-घंटा प्रतिबद्धताएँ आम हैं। पीएमएलए (PMLA) का मामला बनाए रखने के लिए ईडी (ED) को धन को किसी अनुसूचित अपराध से जोड़ना होगा; अधिक भुगतान या कमज़ोर सौदेबाज़ी अपराध नहीं है। इसलिए अभियोजन का भार ₹133.84 करोड़ का कथित रूप से एक संबंधित गिफ्ट सिटी (GIFT City) संस्था में परत-दर-परत डालने पर टिकेगा, न कि उस ₹5.22 करोड़ के अग्रिम भुगतान पर जो सुखी बनाता है।
3. पार्टी के खाते फ्रीज़ करना किसी कंपनी के खाते फ्रीज़ करने से भारी क़दम है — छह खातों में लगभग ₹440 करोड़ एक राजनीतिक संगठन की कार्यशील पूँजी है। धारा 17 (Section 17) के तहत फ्रीज़िंग अंतरिम है और इसे निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जाना होता है, लेकिन व्यवहार में यह महीनों के लिए किसी पार्टी को निष्क्रिय कर सकता है। प्रति-दृष्टिकोण यह है कि पार्टियाँ मनी-लॉन्ड्रिंग कानून से छूट का दावा नहीं कर सकती, और सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के फैसले ने ईडी (ED) को व्यापक अधिकार दिया है। संतुलन गति में है: किसी राजनीतिक पार्टी पर फ्रीज़िंग को किसी निजी फर्म की तुलना में तेज़ निर्णय का सामना करना चाहिए।
4. चुनिंदा प्रवर्तन ऐसा हर मामला अब आमंत्रित करता है — जब केंद्रीय एजेंसियाँ विपक्षी दलों को जाँच करती हैं, तो सबूतों की परवाह किए बिना पक्षपात की धारणा उत्पन्न होती है। संस्थागत जवाब जाँच रोकना नहीं है, बल्कि परिणाम-डेटा — दोषसिद्धि दर, आरोप-पत्र तक का समय, पार्टी-वार मामलों की हिस्सेदारी — प्रकाशित करना है, ताकि निष्पक्षता का निर्णय बयानबाज़ी के बजाय रिकॉर्ड पर हो सके। पीएमएलए (PMLA) के तहत ऐतिहासिक रूप से कम

	दोषसिद्धि दर इस पारदर्शिता को कम नहीं, बल्कि अधिक आवश्यक बनाती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“राजनीतिक दल के खर्च पर सीमा के अभाव ने भारत में पार्टी वित्त को नियंत्रित करने के डिफॉल्ट साधन के रूप में आपराधिक जाँच को स्थापित कर दिया है।” जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका (Introduction) — अवसर के रूप में ईडी (ED) द्वारा टीएमसी (TMC) के ₹5.22 करोड़ के चार्टर-उड़ान अग्रिम की जाँच और लगभग ₹440 करोड़ के छह पार्टी खातों की फ्रीजिंग का उल्लेख करें, और नियामक शून्यता (regulatory vacuum) की थीसिस बताएं। 2. मुख्य भाग — कानूनी शून्यता — आरपीए, 1951 (RPA, 1951) की धारा 77, उम्मीदवार सीमा, नेताओं की यात्रा को बाहर रखने वाली व्याख्या 1, और किसी भी पार्टी-सीमा का अभाव; धारा 13A कर छूट; पारदर्शिता पर 2024 का चुनावी बॉन्ड फैसला। 3. मुख्य भाग — विकल्पी नियामक के रूप में पीएमएलए (PMLA) — धाराएँ 3, 5 और 17, अनुसूचित अपराध की आवश्यकता, निर्णायक प्राधिकरण, विजय मदनलाल चौधरी (2022)। समझाएँ कि अनुपयोगी चार्टर घंटों जैसे व्यावसायिक औचित्य के सवालों के लिए आपराधिक कानून एक कुंद औज़ार क्यों है। 4. मुख्य भाग — प्रति-दृष्टिकोण — पार्टियाँ कानून से ऊपर नहीं हैं; संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन को परत-दर-परत डालना ठीक वही है जिसे पकड़ने के लिए पीएमएलए (PMLA) बनाया गया है; पार्टियों की पारदर्शिता-विफलताओं ने जाँच को आमंत्रित किया है। 5. निष्कर्ष (Conclusion) — पार्टी खर्च की वैधानिक सीमा या कम से कम मदवार अनिवार्य प्रकटीकरण, निर्वाचन आयोग द्वारा सूचीबद्ध स्वतंत्र लेखा-परीक्षक से लेखा-परीक्षा, और किसी पार्टी के खातों पर किसी भी फ्रीज के समय-बद्ध निर्णय की सिफारिश करें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप किसी राजनीतिक दल के खातों पर फ्रीज की समीक्षा करने वाले निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) हैं। आप क्या देखेंगे? दृष्टिकोण (Approach): पहले, क्या ईडी (ED) ने एक अनुसूचित अपराध और यह लिखित रूप में दर्ज विश्वसनीय आधार पहचाना है कि फ्रीज की गई राशि अपराध की आय है; फ्रीज व्यावसायिक फिजूलखर्ची के संदेह पर आधारित नहीं हो सकता। दूसरा, क्या फ्रीज की गई राशि कथित आय के अनुपात में है, क्योंकि छोटी कथित राशि के विरुद्ध ₹440 करोड़ फ्रीज करना अत्यधिक होगा। तीसरा, क्या पार्टी को निगरानी में नियमित खर्च के लिए खाता संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। हर बिंदु को संबोधित करने वाले कारण दर्ज करेंगे, क्योंकि आदेश की परीक्षा अपील में होगी। प्रश्न 2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में, एक नागरिक पूछता है कि उम्मीदवार पर सीमा होने के बावजूद पार्टी विमानों पर करोड़ों कैसे खर्च कर सकती है। आप क्या कहेंगे? दृष्टिकोण (Approach): कानून को ईमानदारी से समझाऊँगा: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उम्मीदवार के खर्च को सीमित करता है और पार्टी प्रचार के लिए नेताओं की यात्रा को विशेष रूप से बाहर रखता है, और पार्टी खर्च पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है। बताऊँगा कि निर्वाचन आयोग पार्टियों से व्यय विवरण माँग सकता है परंतु वह सीमा लागू नहीं कर सकता जो संसद ने नहीं बनाई। नोट करूँगा कि आयोग ने अतीत में पार्टी वित्त में सुधार की सिफारिश की है। एक सार्वजनिक अधिकारी को कानून की खाई का बचाव इस तरह नहीं करना चाहिए मानो वह जानबूझकर की गई रचना हो। प्रश्न 3. साक्षात्कार में: क्या चुनाव नज़दीक होने पर विपक्षी पार्टी की जाँच को कभी निष्पक्ष माना जा सकता है? दृष्टिकोण (Approach): यह निष्पक्ष हो सकती है और फिर भी निष्पक्ष न दिखे, इसीलिए प्रक्रिया परिणाम जितनी ही मायने रखती है। एजेंसी को दस्तावेज़ी साक्ष्य पर कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ जाँच अनुमति दे वहाँ अभियान के अवसरों से मेल खाने वाले समय से बचना चाहिए, और आरोप-पत्र या समापन की ओर तेज़ी से बढ़ना चाहिए। न्यायालयों और निर्णायक प्राधिकरणों को ऐसे मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोकतंत्र में निष्पक्षता समय के साथ पार्टियों में सुसंगति से सिद्ध होती है, किसी एक मामले से नहीं।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की हर कहानी एक ऐसे नियम के बारे में है जो तब तक स्थिर लगता है जब तक कोई उसकी परीक्षा न ले। एक कंपनी की अपनी नियमावली की परीक्षा सदस्य-संख्या के मत (head-count vote) से हो रही है, मुद्रास्फीति लक्ष्य (inflation target) की परीक्षा एक ऐसी नीतिगत दर (policy rate) से हो रही है जो अब असर नहीं दिखा रही, आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) की परीक्षा लगातार बढ़ते आयात बिल से हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (critical-minerals mission) की परीक्षा उन ऑकड़ों से हो रही है जो उस बाज़ार को देख ही नहीं पाते जिसे वह बनाना चाहता है, और एक राज्य के औद्योगिक भूमि के वादे की परीक्षा उसके अपने इतिहास से हो रही है। हर मामले में दुर्लभ कारक धन नहीं, विश्वसनीयता (credibility) है — यह भरोसा कि आज लिखा गया नियम कल भी कायम रहेगा।

2.1 टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को शून्य घोषित किया, कहा — कास्टिंग वोट (casting vote) नामित-निदेशक वीटो (nominee-director veto) को निष्प्रभावी नहीं कर सकता

समाचार (THE NEWS) मुंबई। नोएल टाटा (Noel Tata) की अध्यक्षता वाला टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts), जो टाटा सन्स (Tata Sons) का लगभग 66% हिस्सेदारी वाला बहुसंख्यक स्वामी है, ने रविवार, 20 सितंबर को एक बयान में कहा कि टाटा सन्स बोर्ड का 17 सितंबर का वह प्रस्ताव, जिसमें एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) को अगले पांच वर्षों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था, “आरंभ से ही शून्य” (void ab initio) है — यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है शुरुआत से ही अमान्य, यानी कानून की दृष्टि में यह कार्य ऐसे माना जाता है मानो हुआ ही न हो। श्री चंद्रशेखरन ने अगस्त के आरंभ में घोषणा की थी कि जब उनका कार्यकाल 20 फरवरी, 2027 को समाप्त होगा तो वे अगला कार्यकाल नहीं लेंगे; 17 सितंबर की बैठक में उन्होंने पुनर्विचार के बोर्ड के अनुरोध को स्वीकार किया, और बोर्ड ने द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) की रिपोर्ट के अनुसार 4-1 के मत से उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। ट्रस्ट्स के बोर्ड में दो नामित निदेशक (nominee directors) हैं — यानी किसी शेयरधारक का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखे गए निदेशक — वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan), जिन्होंने पक्ष में मतदान किया, और नोएल टाटा, जिन्होंने विपक्ष में। ट्रस्ट्स टाटा सन्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association, AoA) — कंपनी का आंतरिक संविधान — के अनुच्छेद 121 (Article 121) का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार ट्रस्ट-नामित निदेशकों के बहुमत का समर्थन अनिवार्य है। बयान में कहा गया, “दो में बहुमत दो होता है, एक नहीं।” द हिंदू (The Hindu) की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव बैठक के अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक हरीश मनवानी (Harish Manwani) के कास्टिंग वोट (casting vote) — यानी बराबरी तोड़ने वाला अतिरिक्त मत — के आधार पर पारित हुए। ट्रस्ट्स ने कहा कि कास्टिंग वोट तभी उपलब्ध होता है जब समूचे बोर्ड स्तर पर मत बराबर हों: “मत का परिणाम 4:1 हो या कोई और आंकड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई शर्त या तो पूरी होती है या नहीं होती।” उन्होंने किसी गतिरोध (deadlock) से इनकार किया और याद दिलाया कि सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) मुकदमे में टाटा सन्स ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 104बी और 121 (Articles 104B and 121) का बचाव किया था, जब एनसीएलएटी (NCLAT) ने इन्हें उत्पीड़नकारी (oppressive) बताया था, और वह जीता भी था। द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) की रिपोर्ट है कि नोएल टाटा ने कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय (Suprakash Mukhopadhyay) को पत्र लिखकर सार्वजनिक सुधार (public correction) की मांग की है, और ट्रस्ट्स राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) या बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) जाने पर विचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) ने कानूनी राय दी है कि कास्टिंग वोट किसी अनुपस्थित बहुमत का स्थान नहीं ले सकता; वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Harish Salve) और अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने विपरीत पक्ष लिए हैं। उसी बैठक में लिस्टिंग (listing) आगे बढ़ाने का भी निर्णय हुआ, जिसका समर्थन शापूरजी पालोनजी समूह (Shapoorji Pallonji Group, लगभग 18% से कुछ अधिक हिस्सेदारी) करता है। पाठ्यक्रम संबंध: कॉर्पोरेट गवर्नेंस (corporate governance) और कंपनी कानून।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 104बी और 121 ट्रस्ट-नामित निदेशकों को सहमति-मत (affirmative vote) देते हैं → मिस्त्री मुकदमे में टाटा सन्स स्वयं इनका बचाव करता है और सुप्रीम कोर्ट इन्हें बरकरार रखता है → अगस्त में चंद्रशेखरन कहते हैं कि अगला कार्यकाल नहीं लेंगे, फिर बोर्ड का अनुरोध स्वीकार करते हैं → 17 सितंबर को बोर्ड 4-1 से मत देता है, दोनों ट्रस्ट-नामित निदेशक बंटे हुए और कास्टिंग वोट का प्रयोग होता है → ट्रस्ट्स प्रस्ताव को आरंभ से शून्य बताते हैं और एनसीएलएटी या बॉम्बे हाईकोर्ट पर विचार करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बाध्यकारी अनुबंध हैं, कोई आंतरिक ज्ञापन नहीं — कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 5 के तहत आर्टिकल्स (articles) में कंपनी के प्रबंधन संबंधी नियम होते हैं, और धारा 10 के तहत मेमोरेंडम (memorandum) और आर्टिकल्स कंपनी तथा उसके सदस्यों को इस तरह बाध्य करते हैं मानो हर सदस्य ने उन पर हस्ताक्षर किए हों। आर्टिकल्स में बदलाव धारा 14 के तहत केवल विशेष संकल्प (special resolution) — यानी कम-से-कम तीन-चौथाई डाले गए मतों — से ही किया जा सकता है। धारा 5(3) आगे एंट्रेंचमेंट (entrenchment) की अनुमति देती है, यानी किसी प्रावधान को केवल विशेष संकल्प से भी कठिन शर्तें पूरी होने पर ही बदला जा सकता है। यही वह कानूनी तंत्र है जिसके ज़रिए टाटा ट्रस्ट्स जैसा शेयरधारक ऐसा वीटो (veto) रख सकता है जिसे सामान्य बोर्ड मतदान हटा नहीं सकता।
2. कास्टिंग वोट आर्टिकल्स से मिलता है, और यह केवल बराबरी तोड़ता है — कंपनी अधिनियम स्वयं बोर्ड अध्यक्ष को कास्टिंग वोट नहीं देता। अनुसूची I (Schedule I) की टेबल एफ (Table F) के मॉडल आर्टिकल्स, जो किसी शेयर-सीमित कंपनी पर तब तक लागू होते हैं जब तक उसके

अपने आर्टिकल्स इन्हें बाहर न रखें या बदलें नहीं, यह व्यवस्था करते हैं कि मतों की बराबरी होने पर अध्यक्ष को दूसरा या कास्टिंग वोट मिलेगा। इसलिए कास्टिंग वोट डाले गए मतों की बराबरी तोड़ता है; यह किसी अलग शर्त द्वारा आवश्यक सहमति देने का साधन नहीं है। दो नामित निदेशकों के बीच का बंटवारा इस अर्थ में “बराबरी” है या नहीं — यही टाटा विवाद का सटीक कानूनी प्रश्न है।

3. प्रबंधकीय नियुक्तियों के लिए बोर्ड और शेयरधारक दोनों की ज़रूरत होती है — कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 प्रबंध निदेशक (managing director) या पूर्णकालिक निदेशक (whole-time director) की नियुक्ति को एक बार में अधिकतम पांच वर्ष तक सीमित करती है, और पुनर्नियुक्ति मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने से एक वर्ष पहले तक नहीं की जा सकती। बोर्ड द्वारा स्वीकृत नियुक्ति शेयरधारकों की अगली आम बैठक (general meeting) में संकल्प द्वारा मंजूरी के अधीन होती है। धारा 166 हर निदेशक — नामित निदेशक सहित — से यह अपेक्षा करती है कि वह सद्भावपूर्वक (good faith) कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय और पर्यावरण के सर्वोत्तम हित में कार्य करे।

4. उत्पीड़न और कुप्रबंधन (oppression and mismanagement) ही ऐसे विवादों का मार्ग बनता है — धारा 241 और 242 सदस्यों को एनसीएलटी (NCLT) में याचिका दायर करने की अनुमति देती हैं जब कंपनी के मामले उनके प्रति हानिकारक या उत्पीड़नकारी ढंग से चलाए जाएं, और धारा 244 पात्रता सीमा तय करती है, जैसे जारी शेयर पूंजी का एक-दसवां हिस्सा रखने वाले सदस्य। एनसीएलटी का गठन धारा 408 के तहत, एनसीएलएटी (NCLAT) का गठन धारा 410 के तहत होता है, और विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट में अपील धारा 423 के तहत होती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड बनाम सायरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (Tata Consultancy Services Ltd v. Cyrus Investments Pvt Ltd) मामले में, जिसका फैसला मार्च 2021 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के दिसंबर 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सायरस मिस्त्री को बहाल किया गया था, और यह निष्कर्ष भी अस्वीकार कर दिया कि ट्रस्ट्स के सहमति-अधिकार (affirmative rights) उत्पीड़नकारी थे।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस जीएस4 (GS4) पाठ्यक्रम में नामित है — एथिक्स प्रश्नपत्र (ethics paper) में लोक जीवन में सत्यनिष्ठा (probity in public life) के साथ “कॉर्पोरेट गवर्नेंस” भी सूचीबद्ध है, और जीएस3 (GS3) संसाधनों के जुटाव (mobilisation of resources) और निवेश माहौल को कवर करता है। बहुसंख्यक स्वामी और उसके द्वारा नामित बोर्ड के बीच विवाद दोनों का एक दुर्लभ जीवंत उदाहरण है, और इसका उपयोग स्वामित्व व नियंत्रण के पृथक्करण (separation of ownership and control), बोर्ड की स्वतंत्रता और न्यायाधिकरणों की भूमिका से जुड़े प्रश्नों में किया जा सकता है।

2. प्रीलिम्स ढांचे की परीक्षा लेता है, व्यक्तियों की नहीं — परीक्षक विशेष संकल्प, एनसीएलटी और एनसीएलएटी, प्रबंध निदेशकों की कार्यकाल-सीमा और लैटिन कानूनी शब्दों के अर्थ के बारे में पूछता है। आरंभ से शून्य (void ab initio), शून्यकरणीय (voidable) और अधिकारातीत (ultra vires) — ये सभी संभावित प्रश्न हैं, और यह कहानी इनके अंतर को याद रखने का संदर्भ देती है।

3. पहले से कवर की गई लिस्टिंग कहानी की अगली कड़ी — आरबीआई (RBI) द्वारा टाटा सन्स को अपर-लेयर एनबीएफसी (upper-layer NBFC) ढांचे से बाहर निकलने न देने की बात सप्ताह के पहले भाग में कवर की जा चुकी है; नया घटनाक्रम कास्टिंग वोट को दी गई चुनौती है। जो उत्तर इन दोनों धागों — आरबीआई का विनियमन और कंपनी के भीतर की गवर्नेंस — को अलग-अलग रखता है, वह विषय पर पकड़ दिखाता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत, पंजीकृत होने पर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी तथा उसके सदस्यों को इस सीमा तक बाध्य करते हैं मानो हर सदस्य ने उन पर हस्ताक्षर किए हों।
- आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है; धारा 5(3) एंट्रेंच्ड प्रावधानों (entrenched provisions) की अनुमति देती है जिन्हें केवल अधिक कठोर शर्तों पर ही बदला जा सकता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I की टेबल एफ यह व्यवस्था करती है कि बोर्ड बैठक में मतों की बराबरी होने पर अध्यक्ष को दूसरा या कास्टिंग वोट प्राप्त होगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 के तहत, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति एक बार में पांच वर्ष से अधिक के लिए नहीं की जा सकती, और पुनर्नियुक्ति कार्यकाल समाप्ति से एक वर्ष पहले तक नहीं की जा सकती।
- उत्पीड़न और कुप्रबंधन के विरुद्ध राहत हेतु आवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

विश्लेषण (ANALYSIS)

241-242 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के समक्ष किए जाते हैं।

- एनसीएलटी का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत और एनसीएलएटी का धारा 410 के तहत होता है; एनसीएलएटी से अपील विधि के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।
- आरंभ से शून्य (void ab initio) कार्य शुरुआत से ही अमान्य होता है और उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता, जबकि शून्यकरणीय (voidable) कार्य तब तक वैध रहता है जब तक उसे रद्द न किया जाए।

- 1. ट्रस्ट्स का सबसे मज़बूत हथियार टाटा सन्स की अपनी पुरानी दलील ही है — अनुच्छेद 121 का कानूनी पाठ उतना मायने नहीं रखता जितना यह तथ्य कि टाटा सन्स ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये अधिकार बहुसंख्यक शेयरधारक के लिए एक वैध सुरक्षा हैं।** अदालतें उस वादी को पसंद नहीं करतीं जो किसी खंड की तारीफ तब करे जब वह फायदा दे, और उसे नकार दे जब वह बाध्य करे — और ट्रस्ट्स ने अपना बयान ठीक इसी विसंगति के इर्द-गिर्द गढ़ा है। बोर्ड का सबसे अच्छा जवाब यह नहीं कि ये अधिकार मौजूद नहीं हैं, बल्कि यह कि अनुच्छेद 121 केवल निर्दिष्ट मामलों को कवर करता है और यह विशेष निर्णय उनके दायरे से बाहर है। समाचार पत्रों ने उन मामलों की सूची नहीं छपाई है, और पूरा विवाद शायद इसी पर टिका हो।
- 2. 4-1 का मत बराबरी नहीं है, तो कास्टिंग वोट कुछ और ही कर रहा था —** कास्टिंग वोट मतों की बराबरी तोड़ने के लिए होता है, और पांच निदेशकों के 4-1 से मतदान में कोई बराबरी नहीं थी। एकमात्र “बराबरी” दोनों ट्रस्ट-नामित निदेशकों के बीच एक-एक की थी, और उस बराबरी को तोड़ने के लिए अध्यक्ष के मत का उपयोग करना किसी शेयरधारक के पास मौजूद वोटो को ऐसे मामले में बदल देता है जिसे बोर्ड निष्प्रभावी कर सकता है। यह व्याख्या भारतीय कंपनी कानून के हर सहमति-मत (affirmative-vote) खंड को अर्थहीन बना देगी, इसीलिए ट्रस्ट्स ज़ोर देते हैं कि यह शर्त सिर-संख्या (head count) से अलग है। इसका प्रतिपक्ष गतिरोध (deadlock) की दलील है: किसी कंपनी को ठप्प नहीं होने दिया जा सकता, और अदालतें कभी-कभी आर्टिकल्स की ऐसी व्याख्या करती हैं ताकि प्रबंधन काम कर सके। लेकिन वोटो किसी निर्णय को रोकने के लिए बनाया जाता है; इसका प्रयोग पक्षाघात (paralysis) नहीं है।
- 3. आम बैठक अदालती लड़ाई को आंशिक रूप से अनावश्यक बना सकती है —** धारा 196 के तहत बोर्ड द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को अगली आम बैठक में मंजूरी मिलनी ज़रूरी है, और लगभग 66% शेयर रखने वाला शेयरधारक अकेले ही एक सामान्य संकल्प (ordinary resolution) को हरा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय को उम्मीद है कि दोनों निर्णय वार्षिक आम बैठक (annual general meeting) तक जाएंगे। इसलिए मुकदमेबाज़ी उतनी अंतिम परिणाम के बारे में नहीं जितनी इस बारे में है कि बीच की अवधि में कंपनी का नियंत्रण किसके पास है और आर्टिकल्स की किसकी व्याख्या मिसाल (precedent) बनती है। यही कारण है कि ट्रस्ट्स सार्वजनिक सुधार चाहते हैं: बोर्ड ने क्या तय किया, इसका रिकॉर्ड ही असली दांव है।
- 4. असली लड़ाई स्वामित्व और पेशेवर प्रबंधन के बीच है —** हरीश साल्वे की यह दलील कि एक वैश्विक संस्था तीन न्यासियों (trustees) द्वारा नहीं चलाई जा सकती, और अभिषेक मनु सिंघवी की यह दलील कि स्वामियों के अधिकारों को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता — ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सबसे पुराने प्रश्न के दो उत्तर हैं: ऐसी फर्म पर शासन कौन करे जिसके स्वामी उसके प्रबंधक नहीं हैं। भारतीय गवर्नेंस बहस आमतौर पर किसी प्रभावी प्रमोटर (promoter) द्वारा अल्पसंख्यक निवेशकों के उत्पीड़न से जुड़ी होती है; यहां बहुसंख्यक स्वामी अपने ही नियुक्त बोर्ड पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है। यहां लड़ाई पूंजी पर नहीं बल्कि उत्पादन के उद्यमशील कारक (entrepreneurial factor of production) — रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता — पर है। लिस्टिंग से ट्रस्ट्स का नियंत्रण कमज़ोर होगा, इसीलिए पुनर्नियुक्ति और लिस्टिंग दोनों पर एक साथ विवाद हुआ।
- 5. गवर्नेंस विवादों की कीमत पूंजी बाज़ार में चुकानी पड़ती है —** द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) बैंकों से लगभग 1 अरब पाउंड (£1 billion) मांग रहा है, जबकि ऋणदाता समूह के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता तौल रहे हैं, और आरबीआई ने बाम्बे हाईकोर्ट में कैविएट (caveat) दाखिल की है — यानी उसके विरुद्ध कोई भी आदेश पारित होने से पहले सुने जाने का अनुरोध — क्योंकि उसे अपने लिस्टिंग निर्देश को चुनौती मिलने की आशंका है। शापरजी पालोनजी समूह, जिसकी हिस्सेदारी गिरवी (pledged) है, को नकदीकरण (monetise) के लिए लिस्टिंग चाहिए। इसलिए विवाद के हर हफ्ते की कीमत ऋणदाताओं, अल्पसंख्यक हिस्सेदारों और उन परिचालन कंपनियों को चुकानी पड़ती है जिनका इसमें कोई मत ही नहीं था।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“एक बोर्ड संकल्प निदेशकों का बहुमत तो पा सकता है, फिर भी कंपनी के अपने आर्टिकल्स के तहत असफल हो सकता है।” टाटा ट्रस्ट्स और टाटा सन्स बोर्ड के बीच विवाद के संदर्भ में, भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नामित निदेशकों (nominee directors) और कास्टिंग वोट की भूमिका की जांच कीजिए। ऐसे सुरक्षा उपाय सुझाइए जो शेयरधारक संरक्षण और

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	प्रबंधकीय निरंतरता (managerial continuity) के बीच संतुलन बनाएं। (15 अंक, 250 शब्द) 1. प्रस्तावना — दो पंक्तियों में तथ्य बताइए: 17 सितंबर को बोर्ड का 4-1 मत जिसमें अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति हुई, दो ट्रस्ट-नामित निदेशकों में से एक का विरोध, कास्टिंग वोट का प्रयोग, और बहुसंख्यक शेयरधारक द्वारा अनुच्छेद 121 के तहत संकल्प को आरंभ से शून्य घोषित करना। 2. मुख्य भाग — कानूनी ढांचा — कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 5, 10 और 14 को समझाइए, जो आर्टिकल्स को बाध्यकारी अनुबंध और एंटेचमेंट के रूप में दर्शाती हैं; कास्टिंग वोट को टेबल एफ में मॉडल-आर्टिकल प्रावधान के रूप में बताइए जो केवल मतों की बराबरी पर लागू होता है; और धारा 196 की प्रबंधकीय नियुक्तियों के लिए शेयरधारक मंजूरी की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। 3. मुख्य भाग — दोनों पक्ष — ट्रस्ट्स की दलील दीजिए (अलग शर्त, मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टाटा सन्स का अपना रुख) और बोर्ड की दलील (निरंतरता, गतिरोध, एक वैश्विक समूह का पेशेवर प्रबंधन)। यह स्वीकार कीजिए कि सहमति-अधिकारों (affirmative rights) का दुरुपयोग वैध कारोबार को रोकने के लिए हो सकता है, और इनका दायरा स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध होना चाहिए। 4. मुख्य भाग — सुरक्षा उपाय — आर्टिकल्स में आरक्षित मामलों (reserved matters) का सटीक प्रारूपण, ऐसे अधिकारों का सभी शेयरधारकों को प्रकटीकरण, बंटवारे की स्थिति में समयबद्ध रूप से आम बैठक तक मामला ले जाना, बोर्ड संकल्पों की वैधता संबंधी विवादों के लिए तेज़-द्वैक एनसीएलटी सुनवाई, और धारा 166 के तहत नामित निदेशकों के न्यासीय कर्तव्य (fiduciary duty) पर स्पष्टता सुझाइए। 5. निष्कर्ष — इस सिद्धांत पर समापन कीजिए कि कंपनी के संविधान में लिखे नियम बुरे समय में भी उतने ही बाध्यकारी होने चाहिए जितने अच्छे समय में, क्योंकि भारतीय फर्मों में निवेशक विश्वास गवर्नेंस की पूर्वानुमेयता (predictability) पर निर्भर करता है, न कि किसी एक मत में कौन जीता इस पर।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक बड़ी होल्डिंग कंपनी के कंपनी सचिव (company secretary) हैं। एक विवादित बोर्ड मतदान के तुरंत बाद, बहुसंख्यक शेयरधारक आपको पत्र लिखकर मिनट्स (minutes) के सार्वजनिक सुधार की मांग करता है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): कंपनी सचिव का कर्तव्य यह है कि जो हुआ उसे सटीक रूप से दर्ज करें, यह तय करना नहीं कि कानूनी रूप से कौन सही है। मैं हर निदेशक का मत, कास्टिंग वोट पर अध्यक्ष का निर्णय और किसी भी असहमति को दर्ज करते हुए मिनट्स को ईमानदारी से तैयार करूंगा, और वैधानिक समय-सीमा के भीतर टिप्पणियों के लिए सभी निदेशकों को मौजूदा परिचालित करूंगा। मैं शेयरधारक का पत्र बोर्ड के समक्ष रखूंगा और वैधता के प्रश्न पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय देने के बजाय स्वतंत्र कानूनी सलाह लूंगा। सटीक मिनट्स हर पक्ष की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष प्राथमिक साक्ष्य (primary evidence) होंगे। प्रश्न 2. एनसीएलटी पीठ (bench) के सदस्य के रूप में, आपको एक बोर्ड संकल्प पर रोक लगाने की याचिका मिलती है, इस आधार पर कि यह आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है। आप अंतरिम राहत (interim relief) को किस तरह देखेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं यह जांचूंगा कि क्या आर्टिकल्स के पाठ पर प्रथम-दृष्ट्या मामला (prima facie case) बनता है, क्या सुविधा का संतुलन (balance of convenience) रोक के पक्ष में है, और क्या किसी भी तरफ से अपूरणीय क्षति (irreparable harm) होगी। चूंकि अध्यक्ष का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 तक है, प्रबंधन में तत्काल कोई रिक्तता नहीं है, जो विघटनकारी अंतरिम आदेशों के विरुद्ध जाता है। साथ ही, मैं यह निर्देश दे सकता हूं कि जब तक मामले की सुनवाई न हो, विवादित संकल्प के आधार पर कोई अपरिवर्तनीय कदम न उठाया जाए, और जल्द सुनवाई की तारीख तय करूंगा। कॉर्पोरेट विवादों में गति स्वयं ही न्याय का एक रूप है, क्योंकि अनिश्चितता कंपनी और उसके ऋणदाताओं को नुकसान पहुंचाती है। प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पछुता है: क्या किसी वाणिज्यिक समूह की बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखने वाले धर्मार्थ ट्रस्ट (charitable trust) के पास उसके व्यावसायिक निर्णयों पर वीटो शक्ति होनी चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): आमतौर पर स्वामित्व के साथ नियंत्रण भी आता है, और जो ट्रस्ट किसी कंपनी की दो-तिहाई हिस्सेदारी रखता है, उसका यह वैध हित है कि कंपनी कैसे चलाई जाए, खासकर इसलिए क्योंकि लाभांश (dividends) उसके परोपकारी कार्यों को वित्तपोषित करते हैं। जोखिम यह है कि न्यासियों (trustees) के पास वाणिज्यिक विशेषज्ञता की कमी हो सकती है और वीटो ट्रस्ट के हितों की रक्षा के बजाय व्यक्तिगत विवादों का हथियार बन सकता है। इसका उत्तर डिज़ाइन में है: वीटो स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध रणनीतिक मामलों तक सीमित हों, न्यासी

विवेकशीलता के कर्तव्यों (duties of prudence) से बंधे हों, और विवाद बोर्ड को पंगु बनाने के बजाय शेयरधारकों के पास भेजे जाएं। मौजूदा मामले में समस्या यह नहीं कि वीटो मौजूद है, बल्कि यह कि उसका दायरा विवादित है।

2.2 अगस्त सीपीआई मुद्रास्फीति (CPI inflation) 4.82% पर पहुंची, रेपो 5.25% पर बरकरार — वास्तविक नीतिगत दर (real policy rate) शून्य के करीब

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) द्वारा अपनी रेपो दर (repo rate) — वह दर जिस पर वह बैंकों को रातोंरात (overnight) ऋण देता है — को 5.25% पर बनाए रखने के बीच, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) मुद्रास्फीति जुलाई के 4.45% से बढ़कर अगस्त में 4.82% हो गई, जो आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर लगातार तीसरा महीना है, ऐसा मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (Madras School of Economics) के प्रोफेसर सौमित्र भादुड़ी (Saumitra Bhaduri) द हिंदू में लिखते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति 5.95% पर अधिक है, और कोर मुद्रास्फीति (core inflation) — यानी अस्थिर खाद्य व ईंधन मदों को छोड़कर मुद्रास्फीति — बढ़कर लगभग 4.2% हो गई है, जो दर्शाता है कि मूल्य दबाव फेल रहा है। वास्तविक नीतिगत दर (real policy rate) नीतिगत दर घटाकर अपेक्षित मुद्रास्फीति के बराबर होती है; लेखक का तर्क है कि यदि रेपो 5.25% पर रहती है जबकि मुद्रास्फीति अपेक्षाएं 5.25% की ओर बढ़ती हैं, तो एक्स-आंटे (ex-ante, यानी भविष्योन्मुखी) वास्तविक दर लगभग शून्य हो जाती है। अगस्त की नीति में आरबीआई ने तटस्थ रुख (neutral stance) बनाए रखा — यानी न नरमी और न सख्ती की ओर झुकाव का संकेत — और वित्त वर्ष 2026-27 की मुद्रास्फीति लगभग 5% अनुमानित की। उल्लिखित जोखिम मानसून और एक बाहरी झटका हैं: पश्चिम एशिया में फिर से संघर्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर जाने वाली शिपिंग को बाधित किया है और ब्रेंट क्रूड (Brent crude) को 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर, लगभग 110 डॉलर के करीब पहुंचा दिया है, जबकि रुपया कमजोर हुआ है। मांग मजबूत है: जीडीपी वृद्धि 7.8% पर चल रही है और अगस्त के अंत में बैंक ऋण साल-दर-साल 19.1% बढ़ा। जमा (deposits) 17.8% बढ़ीं, जो एक दशक में सबसे तेज़ है, लेकिन आंशिक रूप से आरबीआई की विशेष एफसीएनआर(बी) (FCNR(B)) योजना — यानी अनिवासी भारतीयों (non-resident Indians) की विदेशी मुद्रा जमाएं — के कारण, और ऋण-जमा अनुपात (credit-deposit ratio) लगभग 80.3% रहा। द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि बैंकों ने 31 अगस्त को डॉलर जुटाव (dollar mop-up) बंद होने तक तीन महीने से भी कम समय में एफसीएनआर(बी) जमाओं के ज़रिए 127.22 अरब डॉलर जुटाए, जिसमें आईसीआईआईसी बैंक (ICICI Bank) ने 17.88 अरब डॉलर और एचएसबीसी (HSBC) ने 14.5 अरब डॉलर जुटाए। लेखक 2010-2013 पर आरबीआई के शोध का हवाला देते हैं, जब बचत पर वास्तविक प्रतिफल (real returns) नकारात्मक हो गया था, घरेलू वित्तीय बचत कमजोर हुई थी और सोने की मांग बढ़ी थी, जिसमें सोने के आयात और घरेलू मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के बीच 0.83 का सहसंबंध (correlation) था। एक-वर्षीय ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वेप दर (overnight indexed swap rate) — एक बाज़ार अनुबंध जिसकी कीमत अपेक्षित अल्पकालिक दरें दर्शाती है — लगभग 6% है, जो अपेक्षित सख्ती का संकेत देती है। उनका निष्कर्ष: “एक समयोचित 25-आधार-अंक (basis-point) समायोजन अंततः विलंबित 50-आधार-अंक सुधार से कम खर्चीला हो सकता है” (एक आधार अंक प्रतिशत बिंदु का सौवां हिस्सा होता है)। पाठ्यक्रम संबंध: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति और घरेलू बचत का जुटाव — पूंजी उत्पादन के कारक के रूप में।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पश्चिम एशिया संघर्ष होर्मुज शिपिंग को बाधित करता है और ब्रेंट को 100 डॉलर से ऊपर पहुंचाता है → अगस्त में सीपीआई बढ़कर 4.82% होता है, 4% से ऊपर लगातार तीसरा महीना, कोर 4.2% पर → रेपो तटस्थ रुख के तहत 5.25% पर बनी रहती है → एक्स-आंटे वास्तविक नीतिगत दर शून्य के करीब पहुंचती है जबकि ऋण 19.1% बढ़ता है → बचतकर्ता जमाओं से सोने और बाज़ार परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं और जल्द 25-आधार-अंक बढ़ोतरी का तर्क मजबूत होता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) एक वैधानिक अधिदेश है, नीतिगत पसंद नहीं** — वित्त अधिनियम, 2016 (Finance Act, 2016) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 (RBI Act, 1934) में संशोधन कर धारा 45जेडए (Section 45ZA) जोड़ी, जिसके तहत केंद्र सरकार, आरबीआई के परामर्श से, हर पांच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है। 2016 में अधिसूचित लक्ष्य 2% से 6% की सहनशीलता सीमा (tolerance band) के साथ 4% सीपीआई मुद्रास्फीति है। धारा 45जेडएन (Section 45ZN) के तहत, यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक ऊपरी या निचली सहनशीलता सीमा से बाहर रहती है, तो आरबीआई को असफल माना जाता है, और उसे तब केंद्र को कारण और प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है।
- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) में छह सदस्य होते हैं और गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है** — आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडबी (Section 45ZB) छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की व्यवस्था करती है: अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक आरबीआई अधिकारी, और केंद्र सरकार द्वारा चार वर्ष के लिए नियुक्त तीन सदस्य जो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। कोरम (quorum) चार का है, निर्णय बहुमत से होते हैं, और बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या कास्टिंग वोट होता है। समिति को साल में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है, और मिनट्स प्रकाशित किए जाते हैं।
- वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के बाद धन की कीमत है** — नॉमिनल दर (nominal rate) वह दर है जो ऋण या जमा पर लिखी होती है; वास्तविक दर नॉमिनल दर घटाकर मुद्रास्फीति के

	बराबर होती है। एक्स-पोस्ट (ex-post) वास्तविक दर पहले ही हो चुकी मुद्रास्फीति का उपयोग करती है, जबकि एक्स-आंटे (ex-ante) वास्तविक दर अपेक्षित मुद्रास्फीति का उपयोग करती है, और बचत, उधार और निवेश के निर्णयों को आकार देने वाली एक्स-आंटे दर ही है। सकारात्मक वास्तविक दर बचत को प्रोत्साहित करती है और उधार को सीमित करती है; शून्य या नकारात्मक वास्तविक दर इसके विपरीत करती है, यही कारण है कि केंद्रीय बैंक केवल नामिनल दर के बजाय इसे देखते हैं। 4. एफसीएनआर(बी) जमाओं में विनिमय जोखिम बैंक पर होता है — फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक) [Foreign Currency Non-Resident (Bank)] जमाएं वे सावधि जमाएं (term deposits) हैं जो अनिवासी भारतीय भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा में, एक से पांच वर्ष की परिपक्वता (maturity) के लिए रखते हैं, और मूलधन व ब्याज दोनों उसी विदेशी मुद्रा में चुकाए जाते हैं। विनिमय-दर का जोखिम बैंक वहन करता है, इसीलिए आरबीआई की रियायती स्वेप विंडो (concessional swap window) — जिसके तहत बैंक डॉलर को तय लागत पर रुपये में बदलते हैं — जुटाव को आकर्षक बनाती है। भारत ने 2013 में टेपर टैंट्रम (taper tantrum) के बाद रुपये को स्थिर करने के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया था, जब लगभग 34 अरब डॉलर जुटाए गए थे।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति स्थायी जीएस3 (GS3) विषय हैं — पाठ्यक्रम में “भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों के जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे” नामित है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (flexible inflation targeting framework), एमपीसी (MPC) और ट्रांसमिशन (transmission) पर प्रश्न बार-बार आते हैं, और प्रीलिम्स नियमित रूप से रेपो, रिवर्स रेपो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (standing deposit facility) और नकद आरक्षित अनुपात (cash reserve ratio) जैसे साधनों की परीक्षा लेता है। 2. आपूर्ति झटके मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तर्क की परीक्षा लेते हैं — परीक्षक को यह प्रश्न पसंद है कि क्या किसी केंद्रीय बैंक को ऐसे तेल झटके पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिस पर उसका नियंत्रण नहीं है। यह कहानी पाठ्यपुस्तक वाला उत्तर देती है — अस्थायी आपूर्ति झटकों को नज़रअंदाज़ करें — और इसके विरुद्ध तर्क भी, जब मांग मजबूत हो और कोर मुद्रास्फीति बढ़ रही हो। 3. घरेलू बचत मौद्रिक नीति को पूंजी निर्माण से जोड़ती है — घरेलू बचत का बैंक जमाओं से सोने, म्यूचुअल फंड (mutual funds) और इक्विटी की ओर रुख वित्तीय समावेशन (financial inclusion), बचत के वित्तीयकरण (financialisation of savings) और निवेश के वित्तपोषण से जुड़े प्रश्नों के लिए सीधे प्रासंगिक है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडए, जिसे वित्त अधिनियम, 2016 ने जोड़ा, केंद्र सरकार को आरबीआई के परामर्श से हर पांच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करने का अधिकार देती है। ● 2016 में अधिसूचित मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% की निचली सहनशीलता सीमा और 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा के साथ 4% सीपीआई मुद्रास्फीति है। ● आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडबी के तहत मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन को केंद्र सरकार चार वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त करती है, बिना पुनर्नियुक्ति की पात्रता के। ● मौद्रिक नीति समिति में मतों की बराबरी होने पर आरबीआई गवर्नर के पास दूसरा या कास्टिंग वोट होता है। ● आरबीआई अधिनियम के तहत, मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा न कर पाने का अर्थ है लगातार तीन तिमाहियों तक औसत मुद्रास्फीति का ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर या निचली सीमा से नीचे रहना। ● कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सबसे अस्थिर घटकों — खाद्य और ईंधन — को छोड़कर कीमतों में बदलाव मापती है। ● एफसीएनआर(बी) जमाओं के तहत, अनिवासी भारतीय भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा में सावधि जमाएं रखते हैं, और विनिमय-दर का जोखिम बैंक वहन करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. आरबीआई ने सख्ती नहीं की, फिर भी बाज़ार पहले ही सख्त हो चुका है — 5.25% की रेपो के मुकाबले लगभग 6% की एक-वर्षीय ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वेप दर का अर्थ है कि मुद्रा बाज़ार दरों में वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है और पहले से ही उसके अनुसार ऋण व बॉन्ड की कीमत तय कर रहा है। इस अर्थ में लेखक जिस सख्ती की मांग कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा बाज़ार दरों के ज़रिए पहले से ही लागू है। प्रतिवाद दूसरी दिशा में जाता है: यदि आरबीआई बाज़ारों की अपेक्षाओं की पुष्टि नहीं करता, तो यह उच्च मुद्रास्फीति के प्रति सहनशीलता का संकेत देता है, और अपेक्षाएं — जो एक्स-आंटे वास्तविक दर तय करने वाला चर (variable) है — ऊपर की

ओर खिसक सकती हैं। केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता इस बात से मापी जाती है कि बाज़ारों की अपेक्षाएं सही साबित हुई या नहीं, केवल रेपो के स्तर से नहीं।

2. **तेल झटके को नज़रअंदाज़ करना तभी सही है जब मांग कमज़ोर हो** — मानक सिद्धांत कहता है कि केंद्रीय बैंक को उच्च कच्चे तेल की कीमतों जैसे आपूर्ति झटके को नज़रअंदाज़ करना चाहिए, क्योंकि दर बढ़ोतरी तेल पैदा नहीं करती और केवल मूल्य झटके में वृद्धि-हानि जोड़ देती है। यह सिद्धांत मानता है कि झटका ईंधन तक ही सीमित रहेगा। 7.8% पर बढ़ती जीडीपी, 19.1% पर ऋण और 4.2% तक बढ़ती कोर मुद्रास्फीति के साथ, दूसरे-दौर के प्रभावों — यानी अन्य वस्तुओं की मज़दूरी और कीमतों का ईंधन लागत के अनुसार समायोजन — की स्थितियां मौजूद हैं। ईमानदार प्रतिपक्ष यह है कि 4.82% अभी भी 2-6% के दायरे के भीतर है, जिसे ठीक इसीलिए डिज़ाइन किया गया था कि बिना किसी सहज (reflexive) दर प्रतिक्रिया के आपूर्ति झटकों को अवशोषित किया जा सके।
3. **जमा में उछाल काफी हद तक उधार लिया गया भरोसा है, घरेलू बचत नहीं** — 17.8% की जमा वृद्धि मज़बूत बचत जैसी दिखती है, लेकिन तीन महीने से भी कम समय में जुटाई गई 127.22 अरब डॉलर की एफसीएनआर(बी) आवक इसका अधिकांश हिस्सा है। यह धन विदेशी मुद्रा है, जिसे लागत पर रुपये में स्वैप किया गया, और एचएसबीसी के 19 गुना तक लीवरेज (leverage) के उदाहरण से पता चलता है कि इसका अधिकांश हिस्सा प्रतिफल (yield) के पीछे भागता उधार लिया गया धन था, न कि नई बचत। घरेलू परिवार, जमाओं पर लगभग-शून्य वास्तविक प्रतिफल का सामना करते हुए, म्यूचुअल फंड, इक्विटी और सोने की ओर बढ़ रहे हैं। पूंजी निर्माण के लिए यह मायने रखता है: सोना अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुत्पादक परिसंपत्ति (unproductive asset) है, और 2010-13 का प्रसंग, जिसमें सोने के आयात और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के बीच 0.83 का सहसंबंध था, चालू खाता संकट (current account crisis) में समाप्त हुआ था।
4. **शून्य वास्तविक दर चुपचाप बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं को आय स्थानांतरित करती है** — रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क (external benchmark) से जुड़े ऋण वाले उधारकर्ताओं की लागत नॉमिनल रूप में स्थिर रहती है जबकि मुद्रास्फीति उनके कर्ज के वास्तविक मूल्य को घटाती है। फिक्स्ड डिपॉज़िट (fixed deposits) रखने वाले बचतकर्ता — जो अक्सर पेंशनभोगी और बाज़ार-पहुंच से वंचित परिवार होते हैं — को ऐसा प्रतिफल मिलता है जो मुश्किल से कीमतों के साथ तालमेल बिठा पाता है। इसलिए दरों को स्थिर रखने का निर्णय अपने वितरणात्मक प्रभावों (distributional effects) में तटस्थ नहीं है, भले ही रुख को तटस्थ कहा जाए। जो उत्तर इसे नोट करता है वह मौद्रिक नीति को जीएस2 की कमज़ोर वर्गों संबंधी चिंता से जोड़ता है।
5. **समय भी एक साधन है, पर धैर्य भी** — लेखक का सबसे अच्छा तर्क यह है कि एक छोटा और जल्दी उठाया गया कदम विश्वसनीयता बचाता है और बाद में एक बड़े कदम को रोक सकता है। प्रतीक्षा करने का तर्क यह है कि पश्चिम एशिया का झटका जितनी तेज़ी से आया उतनी ही तेज़ी से पलट भी सकता है, और मानसून का नतीजा अभी पता नहीं है; ऐसी बढ़ोतरी जो आपूर्ति-प्रेरित मंदी के साथ मेल खाए, तेल की कीमतें घटाए बिना वृद्धि को नुकसान पहुंचाएगी। एमपीसी का निर्णय इस पर टिका होगा कि वह बढ़ती कोर मुद्रास्फीति को व्यापक-आधारित रुझान की शुरुआत मानती है या एक ऐसे पास-थ्रू (pass-through) के रूप में जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। वही निर्णय — फॉर्मूला नहीं — है जहां मौद्रिक नीति वास्तव में बनती है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“मुद्रास्फीति के नीतिगत दर की ओर बढ़ने के साथ, भारत को शून्य वास्तविक ब्याज दर वाले माहौल का जोखिम है, भले ही वृद्धि और ऋण मज़बूत बने हुए हों।” एक बाहरी आपूर्ति झटके के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जल्द मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **प्रस्तावना** — वास्तविक नीतिगत दर को परिभाषित कीजिए और आंकड़े बताइए: रेपो 5.25% पर, अगस्त में सीपीआई 4.82%, खाद्य 5.95%, कोर लगभग 4.2%, और 4% लक्ष्य से ऊपर लगातार तीसरा महीना।
2. **मुख्य भाग** — **सख्ती के पक्ष में तर्क** — मज़बूत मांग (जीडीपी 7.8%, ऋण 19.1%), फैलती कोर मुद्रास्फीति, लगभग 6% के एक-वर्षीय ओआईएस (OIS) से दिखती बाज़ार अपेक्षाएं, 2010-13 के प्रसंग से दिखता घरेलू बचत को जोखिम, और यह तर्क कि अभी 25-आधार-अंक का कदम बाद में 50-आधार-अंक के कदम को रोक सकता है।
3. **मुख्य भाग** — **धैर्य के पक्ष में तर्क** — मुद्रास्फीति अभी भी 2-6% के दायरे के भीतर है; झटका आपूर्ति-पक्षीय और बाहरी है (होमज में व्यवधान, ब्रेंट 100 डॉलर से ऊपर); दर बढ़ोतरी तेल की कीमतें कम नहीं कर सकती; मानसून का नतीजा अनिश्चित है; समय से पहले की बढ़ोतरी वृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती है।
4. **मुख्य भाग** — **संस्थागत ढांचा** — धारा 45 ज़ेडए और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे,

छह-सदस्यीय एमपीसी और तीन लगातार तिमाहियों की असफलता-शर्त का उल्लेख कीजिए, और स्पष्ट कीजिए कि यह ढांचा आपूर्ति झटकों के लिए लचीलापन देता है पर अपेक्षाओं को एंकर (anchor) करने की मांग भी करता है।

5. निष्कर्ष — तर्क दीजिए कि निर्णायक चर मुद्रास्फीति अपेक्षाएं हैं: यदि कोर मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है, तो एक नपा-तुला जल्दी कदम विश्वसनीयता और बचतकर्ताओं दोनों की रक्षा करता है; यदि यह स्थिर हो जाती है, तो धैर्य उचित है। दोनों ही स्थितियों में स्पष्टतर फॉरवर्ड गाइडेंस (forward guidance) को एक कम-लागत साधन के रूप में सुझाए।

प्रश्न 1. आप मौद्रिक नीति समिति के एक बाहरी सदस्य हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.82% है, जो दायरे के भीतर है, लेकिन कोर मुद्रास्फीति बढ़ रही है। सरकार वृद्धि को लेकर चिंतित है। आप कैसे मतदान करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): एक बाहरी सदस्य की नियुक्ति ठीक इसीलिए होती है कि वह एक स्वतंत्र दृष्टिकोण लाए, इसलिए मेरा मत मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर आधारित होना चाहिए, राजनीतिक पसंद पर नहीं। मैं यह जांचूंगा कि क्या कोर मुद्रास्फीति ईंधन लागत के पास-थ्रू के कारण बढ़ रही है या घरेलू मांग के दबाव के कारण, और घरेलू अपेक्षाओं के सर्वेक्षण क्या दिखाते हैं। यदि अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, तो मैं एक छोटी बढ़ोतरी के पक्ष में मतदान करूंगा और अपने प्रकाशित बयान में समझाऊंगा कि अभी एक मामूली कदम बाद में वृद्धि की रक्षा क्यों करता है। यदि नहीं, तो मैं दर बनाए रखने के पक्ष में मतदान करूंगा लेकिन एक स्पष्ट सख्ती-झुकाव दर्ज करूंगा, क्योंकि मिनट्स जनता के प्रति मेरी जवाबदेही हैं।

प्रश्न 2. एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुख के रूप में, आप देखते हैं कि एफसीएनआर(बी) आवक के कारण जमाएं तेजी से बढ़ रही हैं जबकि घरेलू खुदरा जमाएं स्थिर हैं। जोखिम क्या हैं और आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): विदेशी मुद्रा जमाएं उपयोगी हैं लेकिन अस्थिर हो सकती हैं; वे एक साथ परिपक्व होती हैं और उनकी लागत स्वैप व्यवस्था (swap arrangement) पर निर्भर करती है, इसलिए वे स्थिर घरेलू जमाओं का विकल्प नहीं हैं। मैं इस धन से उसकी परिपक्वता-रूपरेखा (maturity profile) से आगे तक दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषित करने से बचूंगा और परिपक्वता पर जमाएं निकाले जाने के परिदृश्य के लिए स्ट्रेस-टेस्ट (stress-test) करूंगा। साथ ही, मैं वरिष्ठ नागरिकों सहित प्रतिस्पर्धी वास्तविक प्रतिफल देने वाले खुदरा जमा उत्पादों पर काम करूंगा। 19% ऋण वृद्धि को सहारा देने के लिए एक बार की आवक पर निर्भर रहना अविवेकपूर्ण होगा।

प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: एक आम नागरिक को इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि वास्तविक ब्याज दर सकारात्मक है या शून्य?

दृष्टिकोण (Approach): क्योंकि यह तय करता है कि उसकी बचत, वह क्या खरीद सकती है इस लिहाज से, बढ़ रही है या घट रही है। शून्य वास्तविक दर पर, एक फिक्स्ड डिपॉजिट केवल कीमतों के साथ तालमेल बिठा पाती है, और कर के बाद उसका मूल्य घट जाता है, जो परिवारों को सोने या ऐसे अधिक जोखिम भरे निवेशों की ओर धकेलता है जिन्हें वे शायद न समझें। एक उधारकर्ता के लिए यही स्थिति अनुकूल है, इसीलिए समाज पर इसका असर इस पर निर्भर करता है कि कोई बचतकर्ता है या उधारकर्ता। यह अर्थव्यवस्था के लिए भी मायने रखता है, क्योंकि भारत में निवेश के लिए धन का मुख्य स्रोत घरेलू बचत ही है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

2.3 इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली (electronics assembly) से चीन पर भारत की निर्भरता गहरी होने के बीच चीन से आयात 71% बढ़ा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की 12 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात के बाद, भारत ने कहा कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की ज़रूरत रेखांकित की, जिसमें “संरचनात्मक व्यापार असंतुलन (structural trade imbalance) और आपूर्ति शृंखला (supply chain) के मुद्दे” शामिल हैं। द हिंदू में सुरेंद्र सिंह (Surender Singh) के एक डेटा प्वाइंट विश्लेषण (Data Point analysis) में बताया गया है कि यह असंतुलन क्या है। द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 167.6 अरब डॉलर तक पहुंचा। चीन को भारत का निर्यात 2021 और 2025 के बीच लगभग स्थिर रहा, जबकि चीन से आयात लगभग 71% बढ़कर 87.5 अरब डॉलर से 149.5 अरब डॉलर हो गया। भारत के चीन से आयात का लगभग 70% इंटरमीडिएट गुड्स (intermediate goods) — यानी पुर्जें, कलपुर्जों और अर्ध-प्रसंस्कृत सामग्री जैसे इनपुट जो अन्य उत्पादों में लगते हैं — हैं, और अन्य 22% कैपिटल गुड्स (capital goods) हैं, यानी वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनरी। लेखक का तर्क है कि यह दर्शाता है कि घाटा केवल भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा चीनी तैयार उत्पाद खरीदने का नहीं, बल्कि स्वयं भारतीय विनिर्माण (manufacturing) की एक संरचनात्मक निर्भरता का मामला है। शीर्ष पांच आयात श्रेणियों का संयुक्त मूल्य 2021 के 19 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 34.6 अरब डॉलर हो गया, जो चीन से कुल आयात का लगभग एक-चौथाई है, और इनमें टेलीकॉम उपकरण, लैपटॉप और इंटीग्रेटेड सर्किट (integrated circuits) शामिल बने हुए हैं। भारत मोबाइल फोन असेंबली (assembly) के लिए एक प्रमुख हब बनकर उभरा है, लेकिन आयात टोकरी (import basket) में आयातित पुर्जों और कलपुर्जों की हिस्सेदारी 2022 के 3.3% से बढ़कर 2025 में 10.1% हो गई है। लेखक इसे आत्मनिर्भरता का “असेंबली ट्रैप” (assembly trap) कहते हैं: यानी मेक इन इंडिया (Make in

India) और फेज्ड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम (Phased Manufacturing Programme) के बावजूद, विनिर्माण वृद्धि गहरे घरेलू कंपोनेंट पारितंत्र (component ecosystem) के बजाय डाउनस्ट्रीम असेंबली — यानी आयातित पुर्जों को जोड़ना — से संचालित हो रही है। उनका सुझाव है कि प्रोत्साहनों को असेंबली से हटाकर तकनीकी क्षमता, आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और कलपुर्जों की ओर मोड़ा जाए, और सामान्य प्रतिबंधों के बजाय पुर्जों व कलपुर्जों पर नपे-तुले शुल्क (calibrated tariffs) का उपयोग किया जाए। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भी बदल रहा है: द इंडियन एक्सप्रेस न्यूयॉर्क से रिपोर्ट करता है कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) और चीनी उप प्रधानमंत्री ही लाइफेंग (He Lifeng) ने ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन से पहले, 20 सितंबर को शुल्क, एआई (AI) और क्रिटिकल मिनरल्स (critical minerals) पर वार्ता शुरू की, जबकि अमेरिका-चीन व्यापार युद्धविराम (trade truce) 10 नवंबर को समाप्त होने वाला है। पाठ्यक्रम संबंध: औद्योगिक नीति, व्यापार और उत्पादन का पूंजी कारक — यानी भारत किन मशीनों, पुर्जों और तकनीकों का स्वामी है और किन्हें किराए पर लेता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई (PLI) आउटपुट और बिक्री को पुरस्कृत करते हैं → फर्में फोन, लैपटॉप और टेलीकॉम उपकरण की अंतिम असेंबली सबसे तेज़ी से बढ़ाती हैं → असेंबली के लिए आयातित चीनी कलपुर्जे और मशीनरी चाहिए → चीन से आयात 71% बढ़कर 149.5 अरब डॉलर हो जाता है जबकि निर्यात स्थिर रहता है → घाटा संरचनात्मक बन जाता है और 12 सितंबर की मोदी-शी बैठक में उठाया जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. फेज्ड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम (Phased Manufacturing Programme) ने कंपोनेंट उत्पादन को देश के भीतर खींचने के लिए शुल्कों का उपयोग किया — इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने 2017 में मोबाइल फोन के लिए फेज्ड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम अधिसूचित किया। इसने फोन पर मूल सीमा शुल्क (basic customs duty) बढ़ाया और फिर चरणबद्ध रूप से सब-असेंबली और बैटरी, चार्जर व डिस्प्ले जैसे कलपुर्जों पर, ताकि उत्पादन का हर चरण भारत में आयात की तुलना में सस्ता हो जाए। इसके पीछे का विचार यह है कि शुल्क एक संरक्षित घरेलू बाज़ार बनाते हैं जिसमें कंपोनेंट निर्माता पैमाना (scale) हासिल कर सकें।
2. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (Production Linked Incentives) बिक्री के लिए भुगतान करता है, मूल्यवर्धन (value added) के लिए नहीं — बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई (PLI) योजना अप्रैल 2020 में अधिसूचित हुई, जो आधार वर्ष (base year) की तुलना में भारत में बने माल की वृद्धिशील बिक्री (incremental sales) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन देती है। बाद में इसे केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित लगभग ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय (outlay) के साथ 14 क्षेत्रों तक बढ़ाया गया। चूंकि प्रोत्साहन घरेलू मूल्यवर्धन के बजाय बिक्री से जुड़ा है, यह आउटपुट के सबसे तेज़ रास्ते को पुरस्कृत करता है, जो अक्सर आयातित पुर्जों की असेंबली ही होती है; 2025 में स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम (Electronics Component Manufacturing Scheme) को कंपोनेंट अंतराल दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
3. प्रेस नोट 3, 2020 (Press Note 3 of 2020) चीनी निवेश को नियंत्रित करता है — उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) के प्रेस नोट 3 के तहत, अप्रैल 2020 से, भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले किसी भी देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) को स्वचालित मार्ग (automatic route) के बजाय सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह नियम महामारी के दौरान अवसरवादी अधिग्रहणों (opportunistic takeovers) को रोकने के लिए लाया गया था, और व्यवहार में यह मुख्यतः चीन पर लागू होता है। यह एक कारण है कि चीनी कंपोनेंट निर्माता भारत को निर्यात करने की तुलना में भारत में संयंत्र स्थापित करने में धीमे रहे हैं।
4. वैश्विक मूल्य शृंखला (global value chain) में मूल्य कहां जुड़ता है — वैश्विक मूल्य शृंखला विभिन्न देशों में फैले चरणों — डिज़ाइन, कलपुर्जे, असेंबली, ब्रांडिंग और वितरण — का क्रम है। हासिल किए गए मूल्य का हिस्सा आमतौर पर डिज़ाइन व कंपोनेंट सिरों और ब्रांड व सेवा सिरों पर अधिक होता है, और असेंबली में सबसे कम, एक ऐसा पैटर्न जिसे अक्सर स्माइल कर्व (smile curve) कहा जाता है। इसलिए कोई देश किसी तैयार उत्पाद के बढ़ते निर्यात दिखा सकता है जबकि उसके मूल्य का बहुत छोटा हिस्सा ही हासिल कर रहा हो, यही कारण है कि निर्यात के आयात-अंश (import content) का मायने निर्यात के आंकड़े से भी अधिक है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. औद्योगिक नीति और आत्मनिर्भरता बार-बार आने वाले मेन्स विषय हैं — जीएस3 “औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक वृद्धि पर उनके प्रभाव” तथा “अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव” को कवर करता है। प्रश्नों में पूछा गया है कि क्या मेक इन इंडिया ने अपने विनिर्माण लक्ष्य पूरे किए हैं, और यह कहानी असेंबली व क्षमता के बीच के अंतर के लिए सटीक साक्ष्य देती है।
2. भारत-चीन संबंध जीएस2 में आर्थिक नज़रिए से पूछे जाते हैं — चीन के साथ व्यापार घाटा द्विपक्षीय संबंध का एक स्थायी हिस्सा है, और “संरचनात्मक व्यापार असंतुलन” पर 12 सितंबर का बयान अर्थशास्त्र को कूटनीति से जोड़ता है। परीक्षक उन उम्मीदवारों को पुरस्कृत करता है

जो केवल कुल घाटे के बजाय व्यापार की संरचना (composition) का उपयोग कर सकें।

3. प्रीलिम्स योजनाओं और उनके मूल मंत्रालयों की परीक्षा लेता है — पीएलआई, फेज्ड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम, प्रेस नोट 3 और इंटरमीडिएट व कैपिटल गुड्स की परिभाषाएं संभावित प्रश्न हैं। इस वर्ष के घाटे जैसे क्षणिक आंकड़े नहीं, पर हर साधन का डिज़ाइन ज़रूर संभावित है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- मोबाइल फोन के लिए फेज्ड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2017 में अधिसूचित किया गया था, ताकि कलपुर्जों पर सीमा शुल्क की क्रमिक वृद्धि के ज़रिए घरेलू मूल्यवर्धन बढ़े।
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, जो अप्रैल 2020 में अधिसूचित हुई, आधार वर्ष की तुलना में भारत में निर्मित माल की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती है।
- प्रेस नोट 3, 2020 के तहत, भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी मार्ग (government route) से मंजूरी आवश्यक है।
- इंटरमीडिएट गुड्स वे वस्तुएं हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में इनपुट के रूप में उपयोग होती हैं, जबकि कैपिटल गुड्स मशीनरी जैसी टिकाऊ वस्तुएं हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होती हैं।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) मई 2020 में अर्थव्यवस्था, अवसंरचना (infrastructure), तंत्र (system), जनसांख्यिकी (demography) और मांग पर आधारित आत्मनिर्भरता की नीति के रूप में घोषित किया गया था।
- भारत के पास 2026 में ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता है, और इस समूह के सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ नए सदस्य भी शामिल हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. यह घाटा भारतीय कारखानों का तथ्य है, भारतीय खरीदारों का नहीं —** यदि चीन से आयात का लगभग 92% इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स है, तो अधिकांश घाटा भारतीय विनिर्माताओं द्वारा इनपुट खरीदने का ही है। इन आयातों को प्रतिबंधित करने से उन्हीं फर्मों की लागत बढ़ेगी जिन्हें भारत निर्यात करते देखना चाहता है। यही कारण है कि सामान्य उपाय उल्टा असर डालते हैं और लेखक नपे-तुले शुल्कों का सुझाव देते हैं। नपे-तुले शुल्कों में भी कठिनाई यह है कि भारत निर्यात असेंबली के लिए वियतनाम और मेक्सिको से प्रतिस्पर्धा करता है, और ये देश कंपोनेंट शुल्क कम रखते हैं; किसी पुर्जे पर लगा हर रुपया शुल्क निर्यातित फोन की कीमत में जुड़ जाने वाला रुपया है।
- 2. पीएलआई ने गलत चर मापा और वही पाया जो उसने मापा —** वृद्धिशील बिक्री से जुड़ा प्रोत्साहन बिक्री बढ़ाने के सबसे तेज़ तरीके को पुरस्कृत करता है, जो है कलपुर्जों आयात करके उन्हें जोड़ना। इसलिए 2022 के 3.3% से 2025 में 10.1% तक पुर्जों व कलपुर्जों की हिस्सेदारी की बढ़ोतरी योजना के क्रियान्वयन की विफलता नहीं, बल्कि उसके डिज़ाइन का परिणाम है। प्रतिपक्ष गंभीर है: चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम सभी ने असेंबली से शुरुआत की थी, और एक बार असेंबली आधार सुनिश्चित मांग प्रदान करता है तो कंपोनेंट निर्माता उसके पीछे आते हैं। प्रश्न यह है कि क्या भारत उस मार्ग पर है या पहले चरण में ही अटका हुआ है, और चार वर्षों के आंकड़े इसे तय नहीं करते।
- 3. द्विपक्षीय घाटा गलत मापदंड है पर सही चेतावनी है —** अर्थशास्त्री सही तर्क देते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार घाटा अपने आप में समस्या नहीं है: देश कुछ साझेदारों के साथ घाटे में और कुछ के साथ अधिशेष (surplus) में रहते हैं। चीन को लेकर चिंता एकाग्रता (concentration) और लाभ-उठाव (leverage) की है। जब इंडीपेंडेंट सर्किट, टेलीकॉम उपकरण और मशीनरी एक ही देश से आते हैं जिसने निर्यात प्रतिबंधित करने की इच्छा दिखाई है — जैसा उसने अप्रैल 2025 में रेयर-अर्थ मैग्नेट्स (rare-earth magnets) के साथ किया — तो घाटा एक लेखा-तथ्य (accounting fact) नहीं बल्कि एक रणनीतिक भेद्यता (strategic vulnerability) बन जाता है।
- 4. निवेश पर सुरक्षा नियम क्षमता की कीमत पर आते हैं —** प्रेस नोट 3 पूर्व मंजूरी के बिना चीनी पुंजी को भारतीय विनिर्माण से बाहर रखता है, जो सुरक्षा की सेवा करता है। लेकिन कलपुर्जों के लिए तकनीक चाहिए, और जिन फर्मों के पास वह तकनीक है वे अक्सर चीनी होती हैं। नतीजा यह है कि भारत चीनी संयंत्रों की मेज़बानी करने के बजाय चीनी पुर्जे आयात करता है, जबकि वे संयंत्र भारतीय श्रमिकों को रोज़गार दे सकते थे और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सकते थे। तकनीक-हस्तांतरण (technology transfer) और स्थानीय सोर्सिंग (local sourcing) की शर्तों के साथ कंपोनेंट में संयुक्त उद्यमों (joint ventures) के लिए एक चयनात्मक मंजूरी व्यवस्था आयात निर्भरता को उत्पादन आधार में बदल सकती है; जोखिम यह है कि इससे रणनीतिक एक्सपोज़र (exposure) गहरा हो सकता है।
- 5. अमेरिका-चीन वार्ता भारत की सौदेबाज़ी स्थिति बदलती है —** यदि वाशिंगटन और बीजिंग 10

	नवंबर से पहले नया युद्धविराम कर लेते हैं, तो वैश्विक फर्मों पर आपूर्ति शृंखलाएं चीन से बाहर ले जाने का दबाव कम हो सकता है, और एक विकल्प के रूप में भारत की पेशकश कमजोर होगी। यदि युद्धविराम टूट जाता है, तो भारत एक गंतव्य (destination) के रूप में लाभान्वित होगा लेकिन चीनी इनपुट के लिए अधिक लागत का सामना करेगा। किसी भी हाल में, भारत की आत्मनिर्भरता रणनीति एक ऐसी वाता से आकार ले रही है जिसका वह हिस्सा नहीं है, जो यह तर्क देता है कि वैश्विक विविधीकरण (diversification) की खिड़की खुली रहते हुए कंपोनेंट क्षमता बनाई जाए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत का विनिर्माण विस्तार चीन-केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं में जड़ा हुआ है, जिससे आत्मनिर्भरता का एक 'असेंबली ट्रेप' बनता है।” चीन से भारत के आयात की संरचना और भारत के औद्योगिक नीति साधनों के डिज़ाइन के आलोक में इस कथन की समालोचनात्मक जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — आंकड़ों का उपयोग कीजिए: चीन से आयात 2021 के 87.5 अरब डॉलर से लगभग 71% बढ़कर 2025 में 149.5 अरब डॉलर, निर्यात स्थिर, और “संरचनात्मक व्यापार असंतुलन” पर 12 सितंबर का मोदी-शी बयान। 2. मुख्य भाग — ट्रेप के प्रमाण — लगभग 70% इंटरमीडिएट और 22% कैपिटल गुड्स; शीर्ष पांच श्रृंखलाएं 19 अरब डॉलर से बढ़कर 34.6 अरब डॉलर; इनमें टेलीकॉम उपकरण, लैपटॉप और इंटीग्रेटेड सर्किट शामिल; आयात टोकरी में पुर्जों व कलपुर्जों की हिस्सेदारी 3.3% से बढ़कर 10.1%। 3. मुख्य भाग — यह क्यों हुआ — पीएलआई बिक्री को पुरस्कृत करती है, मूल्यवर्धन को नहीं; फेज्ड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम के शुल्कों ने निर्यात लागत बढ़ाई; कमजोर कंपोनेंट पारितंत्र; कलपुर्जों में चीनी निवेश को प्रतिबंधित करता प्रेस नोट 3; वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की स्माइल कर्व। 4. मुख्य भाग — प्रतिपक्ष — असेंबली ऐतिहासिक रूप से पहला कदम है (चीन, वियतनाम); कैपिटल गुड्स का आयात क्षमता को उन्नत कर सकता है; द्विपक्षीय घाटा अपने आप में हानिकारक नहीं है; इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम इस अंतराल को दूर करती है। 5. निष्कर्ष — प्रोत्साहनों को घरेलू मूल्यवर्धन की ओर मोड़ने, नपे-तुले शुल्कों, तकनीक-शर्तों के साथ चयनात्मक संयुक्त उद्यमों, और कौशल व अनुसंधान-विकास (R&D) में निवेश की सिफारिश कीजिए, ताकि निर्भरता रणनीतिक भेद्यता में न बदल जाए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना डिज़ाइन कर रहे संयुक्त सचिव (Joint Secretary) हैं। आप असेंबली ट्रेप से कैसे बचेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं प्रोत्साहन को केवल वृद्धिशील बिक्री के बजाय, सत्यापित बिल ऑफ मैटेरियल्स (bills of materials) के ज़रिए मापे गए घरेलू मूल्यवर्धन से जोड़ूंगा। मैं ऐसे क्रमिक लक्ष्य तय करूंगा जो योजना की अवधि में बढ़ते जाएं, ताकि जो फर्म असेंबली में ही रहें उन्हें घटता हुआ लाभ मिले। मैं प्रोत्साहनों को आपूर्तिकर्ता विकास (supplier development) से भी जोड़ूंगा, और उन फर्मों को पुरस्कृत करूंगा जो भारतीय कंपोनेंट निर्माताओं से सीसिंग करती हैं। अंत में, मैं मूल्यवर्धन पर वार्षिक आंकड़े प्रकाशित करूंगा ताकि योजना का आकलन उसी परिणाम पर हो सके जो वास्तव में मायने रखता है। प्रश्न 2. एक चीनी कंपोनेंट निर्माता आपके राज्य में संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहता है, लेकिन प्रस्ताव को प्रेस नोट 3 के तहत केंद्रीय मंजूरी चाहिए। राज्य के उद्योग सचिव के रूप में, आपकी भूमिका क्या है? दृष्टिकोण (Approach): मंजूरी का निर्णय केंद्र का है, और राज्य को इसके पीछे की सुरक्षा-चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। मेरी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्ताव पूर्ण हो, आर्थिक पक्ष — रोज़गार, आपूर्तिकर्ता विकास, तकनीक-हस्तांतरण — स्पष्ट रूप से रखा जाए, और केंद्रीय एजेंसियों को साइट व साझेदारों के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वह दी जाए। मैं निवेशक के साथ पहले से ही शर्तों पर चर्चा भी करूंगा, जैसे स्थानीय प्रबंधन, डेटा सुरक्षा उपाय और एक तकनीक-हस्तांतरण योजना। निवेश की पैरवी तभी वैध है जब वह जोखिमों के बारे में ईमानदार हो। प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: क्या चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा आर्थिक कमजोरी का संकेत है? दृष्टिकोण (Approach): जरूरी नहीं; घाटा इस तथ्य को दर्शा सकता है कि भारत अधिक उत्पादन और निर्यात के लिए इनपुट आयात कर रहा है। यह तब कमजोरी बनता है जब आयात एक ही देश की क्रिटिकल तकनीकों पर केंद्रित हों और उन खंडों (segments) में घरेलू क्षमता न बढ़

रही हो। इसलिए घाटे का आकार जितना नहीं, उसकी संरचना उतनी ही मायने रखती है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि रणनीतिक खंडों में निर्भरता घटाई जाए जबकि बाकी में व्यापार के लिए खुला रहा जाए।

2.4 एनसीईआर (NCAER) अर्थशास्त्रियों की चेतावनी — आयात ₹750-करोड़ के घरेलू अनुमान को बौना बनाते हुए, भारत का परमानेंट-मैग्नेट (permanent-magnet) बाज़ार आंकड़ों में अदृश्य

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (National Council of Applied Economic Research, NCAER) के तीन अर्थशास्त्री — सुवजित बनर्जी (Suvarjit Banerjee), सोविनी मंडल (Sovini Mondal) और संजीव पोहित (Sanjib Pohit), जो इसके कम्प्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग (Computable General Equilibrium modelling) अनुसंधान विंग से हैं — एक ऐसी पद्धति जो अनुकरण (simulate) करती है कि किसी एक क्षेत्र में बदलाव पूरी अर्थव्यवस्था में किस तरह फैलता है — द हिंदू में तर्क देते हैं कि भारत की क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति में यह देखने का दावा नहीं है कि उसकी निर्भरता वास्तव में कहां है। इलेक्ट्रिक-वाहन मोटर्स, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं (semiconductor fabrication facilities) और सटीक मशीनरी के केंद्र में उच्च-निष्पादन परमानेंट मैग्नेट (permanent magnet) है — ऐसा चुंबक जो बिजली की धारा के बिना भी अपना चुंबकत्व बनाए रखता है। फेराइट (Ferrite), एलनिको (Alnico) और समरियम-कोबाल्ट (Samarium-Cobalt) चुंबक अभी भी औद्योगिक उपयोगों की सेवा करते हैं, लेकिन नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (Neodymium-Iron-Boron, NdFeB) चुंबक ऊर्जा संक्रमण (energy transition) की रीढ़ बन गए हैं, क्योंकि कोई अन्य व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चुंबक इतनी अधिक शक्ति-भार अनुपात (power-to-weight ratio) के साथ तुलनीय ताकत नहीं जोड़ता। भारत ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission), विदेशी खनिज अधिग्रहण, विस्तारित भूवैज्ञानिक अन्वेषण (geological exploration) और पीएलआई योजनाओं के ज़रिए अपनी क्रिटिकल मिनरल्स व रेयर-अर्थ (rare-earth) रणनीति को मज़बूत करना शुरू किया है। लेखकों का कहना है कि अप्रैल 2025 में रेयर-अर्थ मैग्नेट्स और सामग्रियों पर चीन के कड़े निर्यात नियंत्रणों ने न केवल वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की भेद्यताओं को उजागर किया, बल्कि भारत की समझ की सीमाओं को भी। उनका केंद्रीय प्रमाण: भारत का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) घरेलू परमानेंट मैग्नेट बाज़ार का अनुमान लगभग ₹750 करोड़ लगाता है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आंकड़े इस पूरे रिपोर्ट किए गए बाज़ार से कई गुना अधिक आयात मूल्य दर्शाते हैं। यह अंतर सांख्यिकीय कवरेज, औद्योगिक वर्गीकरण या आपूर्ति-शृंखला लेखांकन (supply-chain accounting) के अंतर को दर्शा सकता है, लेकिन नीति-निर्माता आत्मविश्वास के साथ यह नहीं बता सकते कि ये चुंबक अर्थव्यवस्था में कहां प्रवेश करते हैं या इसके भीतर कैसे चलते हैं। एक चुंबक एक लंबी यात्रा से गुज़रता है — अन्वेषण, खनन, खनिज प्रसंस्करण, ऑक्साइड (oxides) में रासायनिक पृथक्करण (chemical separation), धातुओं में परिष्करण (refining), मिश्रधातुकरण (alloying), चुंबकीय सामग्रियों में इंजीनियरिंग और अंततः तैयार चुंबकों में विनिर्माण — और हर चरण में अलग ज्ञान और क्षमता चाहिए। लेखक एक इंटीग्रेटेड टेक्नो-इकोनॉमिक मैपिंग (Integrated Techno-Economic Mapping, ITEM) ढांचे का प्रस्ताव करते हैं जो इंजीनियरिंग और आर्थिक मापन को जोड़कर यह दिखाता है कि क्षमता कहां बनाई जानी चाहिए, साझेदारियां (partnerships) कहां अनिवार्य हैं, और घरेलू निवेश सबसे अधिक रणनीतिक प्रतिफल कहां देगा। दांव वैश्विक हैं: द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि चीनी रेयर-अर्थ मैग्नेट्स की आवक, जिसे अमेरिकी अधिकारी अपर्याप्त बताते हैं, 20 सितंबर को न्यूयॉर्क में शुरू हुई अमेरिका-चीन वार्ता के एजेंडे में है। पाठ्यक्रम संबंध: क्रिटिकल मिनरल्स, औद्योगिक नीति और विनिर्माण के पीछे की पूंजी व तकनीक।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ऊर्जा संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एनडीएफईबी (NdFeB) चुंबकों को अनिवार्य बनाते हैं → चीन प्रसंस्करण और चुंबक उत्पादन पर हावी है → चीन अप्रैल 2025 में रेयर-अर्थ मैग्नेट्स पर निर्यात नियंत्रण लगाता है → भारत खनिजों और अन्वेषण पर केंद्रित मिशन शुरू करता है → एनसीईआर अर्थशास्त्री दिखाते हैं कि आंकड़े यह नहीं बता पाते कि चुंबक अर्थव्यवस्था में कहां प्रवेश करते हैं और कैसे चलते हैं, इसलिए नीति असली बाधा को निशाना नहीं बना पाती

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. रेयर अर्थ सत्रह तत्व हैं, और समस्या मौजूदगी की नहीं, प्रसंस्करण की है — रेयर अर्थ तत्वों में पंद्रह लैंथेनाइड (lanthanides) और साथ में स्कैंडियम (scandium) व यिट्रियम (yttrium) शामिल हैं। ये पृथ्वी की पपड़ी (crust) में विशेष रूप से दुर्लभ नहीं हैं, पर सघन, आर्थिक रूप से निकाले जाने योग्य भंडारों में कम ही मिलते हैं, और इन्हें एक-दूसरे से अलग करना रासायनिक रूप से कठिन और प्रदूषणकारी है। भारत में मुख्य स्रोत तटीय समुद्र-तटीय रेत (coastal beach sands) में मोनाज़ाइट (monazite) है, जिसमें थोरियम (thorium) भी होता है; इसी कारण मोनाज़ाइट को परमाणु खनिज (atomic mineral) माना जाता है और इसका प्रसंस्करण परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड [IREL (India) Limited], संभालता है।
2. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission) नीतिगत ढांचा तय करता है — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी, जिसमें ₹16,300 करोड़ का व्यय और 2030-31 तक की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अनुमानित ₹18,000 करोड़ का निवेश शामिल है। यह अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण (recycling) और विदेश में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को कवर करता है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Limited, KABIL) — नाल्को (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर (Hindustan Copper) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (Mineral Exploration and Consultancy Limited) का एक संयुक्त उद्यम — विदेशी अधिग्रहणों का माध्यम है, और नवंबर 2025 में मंत्रिमंडल ने सिंटेड (sintered) रेयर-अर्थ

	परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। 3. एमएमडीआर संशोधन, 2023 (MMDR Amendment of 2023) ने क्रिटिकल मिनरल्स पर केंद्र को अधिकार दिया — खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023] ने प्रथम अनुसूची (First Schedule) में भाग डी (Part D) जोड़ा, जिसमें रेयर अर्थ सहित 24 क्रिटिकल व रणनीतिक खनिजों को सूचीबद्ध किया गया, जिनके लिए केवल केंद्र सरकार खनिज रियायतों (mineral concessions) की नीलामी करती है। इसने लिथियम (lithium) सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से भी हटा दिया, ताकि निजी कंपनियां उनका अन्वेषण कर सकें। 2023 में खान मंत्रालय ने भारत के लिए 30 क्रिटिकल खनिज पहचाने थे। 4. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) पंजीकृत कारखानों को माफता है, आपूर्ति शृंखलाओं को नहीं — वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office) द्वारा किया जाता है। यह कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) के तहत पंजीकृत कारखानों को कवर करता है और आउटपुट, इनपुट, रोज़गार व मूल्यवर्धन पर आंकड़े देता है। चूंकि यह इकाइयों को उनके प्रमुख उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत करता है और चरणों में कलपुर्जों का पता नहीं लगाता, इसलिए चुंबक जैसा उत्पाद, जो अक्सर मोटरों या सब-असेंबली के भीतर आयात होता है, कम गिना जा सकता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्रिटिकल मिनरल्स अब एक मानक जीएस3 और जीएस2 विषय है — पाठ्यक्रम जीएस1 में “विश्व भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण”, जीएस3 में “अवसररचना: ऊर्जा” और औद्योगिक नीति, और जीएस2 में द्विपक्षीय व वैश्विक समूहों को कवर करता है। क्रिटिकल मिनरल्स तीनों को जोड़ते हैं, और परीक्षक ने ऊर्जा संक्रमण के लिए आपूर्ति शृंखलाओं के बारे में तेज़ी से पूछना शुरू किया है। 2. प्रीलिम्स रेयर-अर्थ की मूल बातें और संस्थानों की परीक्षा लेता है — कौन से तत्व रेयर अर्थ हैं, मोनाज़ाइट में क्या होता है, कौन सी संस्था इसका प्रसंस्करण करती है, और एमएमडीआर अधिनियम के 2023 संशोधन ने क्या किया — ऐसे कथन ही प्रीलिम्स में आते हैं। 3. डेटा गुणवत्ता एक उभरता हुआ गवर्नैस विषय है — भारत की सांख्यिकीय प्रणाली — सर्वेक्षण कवरेज, आधार वर्ष (base years) और वर्गीकरण — पर बहस अपने आप में एक मेन्स विषय बन गई है। यह कहानी दिखाती है कि आंकड़े केवल अकादमिक क्यों नहीं हैं: इनके बिना, औद्योगिक नीति अधेरे में निशाना साधती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● रेयर अर्थ तत्व सत्रह तत्वों का एक समूह है: पंद्रह लैंथेनाइड तथा स्कैंडियम और यिट्रियम। ● नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) चुंबक सबसे मज़बूत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध परमानेंट मैग्नेट हैं और इलेक्ट्रिक-वाहन मोटरों व पवन टर्बाइनों (wind turbines) में उपयोग होते हैं। ● भारत के तटीय समुद्र-तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाज़ाइट रेयर अर्थ और थोरियम रखता है, और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड इसका प्रसंस्करण करती है। ● खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 प्रथम अनुसूची के भाग डी में 24 क्रिटिकल व रणनीतिक खनिजों को सूचीबद्ध करता है, जिनके लिए केंद्र सरकार नीलामी करती है। ● खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, जो विदेश में क्रिटिकल खनिज परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए है। ● वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है और कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों को कवर करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. जो बाधा दिखती ही नहीं, नीति उसे निशाना नहीं बना सकती — यदि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण घरेलू चुंबक बाज़ार को लगभग ₹750 करोड़ बताता है जबकि आयात कई गुना अधिक हैं, तो आधिकारिक तस्वीर अधिकांश बाज़ार को चूक जाती है। मोटरों, कंप्रेसरों (compressors) या इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली के भीतर आयातित चुंबक उन्हीं उत्पादों के तहत दर्ज होते हैं, इसलिए चीनी चुंबकों पर भारत की निर्भरता संभवतः कम आंकी गई है। उस आधाररेखा (baseline) पर नपी-तुली कोई भी प्रोत्साहन योजना क्षमता को कम आंकेगी और मांग का गलत अनुमान लगाएगी। इसलिए मापन नीति की तकनीकी पूर्व-शर्त नहीं, बल्कि उसकी सफलता की शर्त है।

2. **अयस्क (ore) का स्वामी होना शृंखला का स्वामी होने जैसा नहीं है** — लेखकों की यह बात कि कोई देश खनिज संसाधन सुरक्षित करके भी निर्भर रह सकता है, उद्योग की संरचना से समर्थित होती है: कठिन चरण पृथक्करण, धातु-निर्माण और मिश्रधातुकरण हैं, जहां चीन के पास दशकों का अनुभव और पैमाना है। भारत का मिशन अन्वेषण और विदेशी अधिग्रहण को भारी महत्व देता है, जो ज़रूरी तो है पर शृंखला के सबसे कम दुर्लभ हिस्से को संबोधित करता है। प्रतिपक्ष यह है कि बिना सुनिश्चित फीडस्टॉक (feedstock) के कोई प्रसंस्करण संयंत्र बैंक-वित्तपोषण-योग्य (bankable) नहीं होता; दोनों को साथ बनाना होगा, और ठीक इसीलिए एक चरण-दर-चरण नक्शा चाहिए ताकि उनका क्रम तय हो सके।
3. **चीन से मिली राहत विविधीकरण को खत्म कर सकती है** — जब चीन ने 2010 में जापान को रेयर-अर्थ निर्यात प्रतिबंधित किया, तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के लाइनस (Lynas) जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को वित्तपोषित करके और अपनी निर्भरता घटाकर प्रतिक्रिया दी। लेकिन कई अन्य देशों में, विविधीकरण प्रयास तब फीके पड़ गए जब चीनी आपूर्ति फिर से शुरू हुई और कीमतें गिरीं, क्योंकि घरेलू संयंत्र प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। चुंबक आवक पर अमेरिका-चीन वार्ता भारत के लिए वही जोखिम खड़ा करती है: यदि आपूर्ति सहज हो जाती है, तो भारतीय चुंबक संयंत्रों में निजी निवेश कम आकर्षक लगेगा। सस्ते आयातों के दौर में क्षमता को जीवित रखने के लिए दीर्घकालिक खरीद प्रतिबद्धताएं या सार्वजनिक खरीदारों से मूल्य समर्थन आवश्यक हो सकता है।
4. **एक और ढांचा एक और रिपोर्ट बनकर रह जाने का जोखिम रखता है** — इंटीग्रेटेड टेक्नो-इकोनॉमिक मैपिंग ढांचे का प्रस्ताव ठोस है, लेकिन भारत में मैपिंग अभ्यासों की उतनी कमी नहीं है जितनी उन संस्थानों की जो सीमा शुल्क, औद्योगिक, खनन और तकनीक आंकड़ों को जोड़ें और उन पर कार्रवाई के लिए जवाबदेह हों। इस ढांचे को एक स्पष्ट ठिकाना चाहिए — उदाहरण के लिए खान मंत्रालय, एमओएसपीआई (MoSPI), डीपीआईआईटी (DPIIT) और मैट्रिक्स (MeitY) के बीच एक साझा प्लेटफॉर्म — और फर्म-स्तरीय आंकड़े जुटाने का कानूनी अधिकार। इसके बिना, यह एक ऐसा नक्शा बनाएगा जिसका उपयोग कोई नहीं करेगा।
5. **चुंबक इस बात की परीक्षा है कि क्या भारत असेंबली से आगे बढ़ सकता है** — इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखा वही पैटर्न यहां भी लागू होता है: भारत आयातित चुंबकों से ईवी (EV) मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करता है, ठीक वैसे ही जैसे वह आयातित कलपुर्जों से फोन असेंबल करता है। चुंबक क्षमता बनाने के लिए हर चरण में पूंजी, तकनीक और प्रशिक्षित श्रम चाहिए, न कि केवल अंतिम चरण पर सब्सिडी। यहीं पर उत्पादन के चार कारक मिलते हैं: पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए भूमि, धातुकर्म (metallurgy) में कुशल श्रम, धैर्यवान पूंजी (patient capital), और स्थापित चीनी आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा करने को तैयार उद्यमी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“क्रिटिकल मिनरल्स में भारत की भेद्यता संसाधनों की कमी से उतनी नहीं है जितनी इस बात के ढांचे के अभाव से है कि मूल्य शृंखला में तकनीकी निर्भरता कहां जमा होती है।” रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट के संदर्भ में चर्चा कीजिए, और घरेलू क्षमता निर्माण के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **प्रस्तावना** — समझाइए कि एनडीएफईवी परमानेंट मैग्नेट ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए क्यों मायने रखते हैं, और अप्रैल 2025 में चीन के निर्यात नियंत्रणों का उल्लेख उस घटना के रूप में कीजिए जिसने भारत की निर्भरता उजागर की।
2. **मुख्य भाग — मापन का अंतराल** — एनसीईआर के निष्कर्ष का उपयोग कीजिए कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण घरेलू बाज़ार को लगभग ₹750 करोड़ बताता है जबकि आयात कई गुना अधिक हैं; समझाइए कि सब-असेंबली में जड़े चुंबक वर्गीकरण से कैसे बच जाते हैं और यह निर्भरता को कैसे कम आंकता है।
3. **मुख्य भाग — मूल्य शृंखला** — अन्वेषण से लेकर तैयार चुंबक तक के चरणों का वर्णन कीजिए; दिखाइए कि भारत की कमजोरी पृथक्करण, धातु-निर्माण और मिश्रधातुकरण में है; आईआरईएल, मोनाज़ाइट और एनसीएमएम (NCMM) का उल्लेख कीजिए।
4. **मुख्य भाग — उपाय** — स्पष्ट संस्थागत ठिकाने के साथ एक इंटीग्रेटेड टेक्नो-इकोनॉमिक मैपिंग ढांचा; मध्य-प्रवाह (mid-stream) प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन; दीर्घकालिक ऑफटेक अनुबंध (offtake contracts); काबिल (KABIL) के ज़रिए विदेशी साझेदारियां; जीवन-अवधि पूरी कर चुके उत्पादों से चुंबकों का पुनर्चक्रण; धातुकर्म में कौशल विकास।
5. **निष्कर्ष** — तर्क दीजिए कि क्रिटिकल मिनरल्स में रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) सबसे कठिन चरणों में क्षमता पर निर्भर करती है, केवल खनिज भंडार पर नहीं, और अच्छे आंकड़े ऐसी रणनीति की नींव हैं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण

प्रश्न 1. आप एक सांख्यिकी कार्यालय के महानिदेशक (Director General) हैं और पता चलता है

**(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)**

कि अधिकारिक आंकड़े एक रणनीतिक उत्पाद को बड़े अंतर से कम गिनते हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले डेटा स्रोतों — वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, विस्तृत टैरिफ-लाइन (tariff-line) स्तर पर सीमा शुल्क रिकॉर्ड और कंपनी फाइलिंग — का मिलान करूंगा ताकि अंतर का आकार व स्वरूप स्थापित हो सके। फिर मैं एक पूर्ण अनुमान की प्रतीक्षा करने के बजाय विसंगति को समझाती एक पद्धति-संबंधी टिप्पणी (methodological note) प्रकाशित करूंगा, क्योंकि नीति-निर्माताओं को मौजूदा आंकड़ों की सीमाएं जाननी ज़रूरी हैं। दीर्घकाल में, मैं रणनीतिक क्षेत्रों के लिए उत्पाद-स्तरीय पूरक सर्वेक्षण (supplementary surveys) और सीमा शुल्क व उद्योग मंत्रालयों के साथ डेटा-साझाकरण समझौतों का प्रस्ताव रखूंगा। अधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता उनकी कमियों को खुले तौर पर स्वीकार करने पर निर्भर करती है।

प्रश्न 2. मोनाज़ाइट-युक्त रेत वाले एक तटीय ज़िले में ज़िला कलेक्टर (District Collector) के रूप में, आपको नई प्रसंस्करण इकाइयों के प्रस्ताव मिलते हैं। आप किन चिंताओं को तौलेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मोनाज़ाइट में थोरियम होता है, जिससे विकिरण सुरक्षा (radiation safety) और अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रीय चिंताएं बन जाती हैं, और इसका प्रबंधन परमाणु ऊर्जा ढांचे के तहत विनियमित है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी भी भूमि आवंटन से पहले परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board) से मंजूरी और पर्यावरणीय स्वीकृतियां मौजूद हों। मैं तटीय पारिस्थितिकी (ecology) और मछुआरा समुदायों पर प्रभाव पर भी विचार करूंगा, और सार्वजनिक परामर्श आयोजित करूंगा। औद्योगिक विकास स्वागत योग्य है, पर तभी जब उसमें विश्वसनीय सुरक्षा उपाय हों जिन्हें स्थानीय लोग देख और उन पर भरोसा कर सकें।

प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: क्या भारत को घरेलू चुंबक उत्पादन को सब्सिडी देनी चाहिए, भले ही चीनी चुंबक सस्ते हों?

दृष्टिकोण (Approach): ऐसे रणनीतिक इनपुट के लिए, जिसकी आपूर्ति काटी जा सकती है, कुछ लागत व्यवधान के विरुद्ध एक बीमा प्रीमियम (insurance premium) के रूप में उचित है। हालांकि, सब्सिडी समयबद्ध होनी चाहिए, सीखने और लागत में कमी से जुड़ी होनी चाहिए, और उन चरणों पर केंद्रित होनी चाहिए जहां निर्भरता सबसे अधिक है। बिना मापन के अंधाधुंध सब्सिडी सार्वजनिक धन बर्बाद करेगी। लक्ष्य सभी आयातों को बदलना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत किसी संकट में क्रिटिकल आपूर्ति बनाए रख सके।

2.5 पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने 33 उद्योगों के लिए भूमि स्वीकृत की, अधिग्रहण की जगह भूमि पूलिंग (land pooling) पर विचार

समाचार (THE NEWS) पश्चिम बंगाल। एक नई भाजपा (BJP) सरकार के तहत, पश्चिम बंगाल एक बार फिर यह बहस कर रहा है कि उद्योग के लिए भूमि कैसे जुटाई जाए, द इकॉनॉमिक टाइम्स के स्तंभ “दास कैपिटल फॉर्मेशन” (Das Kapital Formation) में सुभमय मैत्रा (Subhamoy Maitra) लिखते हैं। यह बहस तीन अलग-अलग तंत्रों का उपयोग करती है। अधिग्रहण (acquisition) एक वैधानिक ढांचे के तहत राज्य द्वारा अनिवार्य खरीद है, जिसमें मालिक की सहमति निर्णायक नहीं होती। नेगोशिएटेड परचेज़ (negotiated purchase) भूमि-मालिक और खरीदार के बीच स्वैच्छिक समझौते पर निर्भर करता है। भूमि पूलिंग (land pooling) मालिकों को अपनी भूमि एक विकास योजना में योगदान करने और बदले में एक छोटा लेकिन सर्विस्ड (serviced) — यानी सड़कों, पानी और बिजली से युक्त — और संभावित रूप से अधिक मूल्यवान भूखंड वापस पाने की अनुमति देती है। स्तंभ के अनुसार, राज्य ने भूमि पूलिंग, औद्योगिक पार्कों और भूमि-धारण व भूमि-उपयोग नियमों में बदलावों की जांच शुरू कर दी है, और व्यक्तिगत कृषि भूखंडों को सीधे अधिग्रहित किए बिना बड़े सटे हुए (contiguous) भूखंड उपलब्ध कराने के तरीकों पर विचार कर रहा है। सरकार ने 33 उद्योगों के लिए भूमि स्वीकृत कर दी है, और भूमि दुर्गा पूजा से पहले सौंपी जानी है; लेखक कहते हैं कि असली परीक्षा यह होगी कि क्या ये आवंटन समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन, रोज़गार और निरंतर निजी निवेश में बदलते हैं। बंगाल की समस्या केवल भूमि की कमी नहीं बल्कि बड़े, सटे हुए और कानूनी रूप से उपयोग-योग्य भूखंडों की कमी है: बंटी हुई भूधृतियां (fragmented holdings), आपस में टकराते दावे (overlapping claims) और भूमि-उपयोग पर प्रतिबंध एक स्पष्ट रूप से सरल परियोजना को असाधारण रूप से जटिल बना सकते हैं। निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र भूमि से भूमि बैंक (land banks) बनाने के पहले के प्रयास ठीक इसी समस्या में उलझ गए थे, क्योंकि उपलब्ध भूखंड अक्सर बड़े निवेशकों के लिए बहुत छोटे या बंटे हुए थे। लेखक याद दिलाते हैं कि दो दशक पहले बंगाल के राजनीतिक वर्ग के बड़े हिस्सों ने सिंगूर (Singur) और नंदीग्राम (Nandigram) में औद्योगिक परियोजनाओं के विरुद्ध लामबंदी की थी, और उन में से कई अब नए राजनीतिक तंत्र का हिस्सा हैं या अन्य दलों में चले गए हैं; वाम मोर्चा (Left Front) 1977 में भूमिहीनों के लिए भूमि सुधार को आगे बढ़ाने के स्पष्ट इरादे के साथ सत्ता में आया था। उनका तर्क है कि आवश्यक कानूनी साधनों में से कई पहले से मौजूद हैं, और नए कानूनों का एक सेट अपने आप राज्य के औद्योगिक भूमि बैंक को फिर से नहीं बना देगा। बड़े प्रमुख शहरों के निकट बड़े भूखंड शायद ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए उद्योग को और दूर जाना पड़ सकता है, जहां भूमि विवाद और अवसंरचना अंतराल अधिक हो सकते हैं, और औद्योगीकरण को स्थानीय समुदायों के लिए एक हिस्सेदारी (stake) बनानी होगी। उनकी केंद्रीय पंक्ति: भूमि को विधान (legislation), बातचीत या योजना के ज़रिए जुटाया जा सकता है, पर पूंजी को केवल भरोसे से आकर्षित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम संबंध: उत्पादन के कारक के रूप में भूमि और वह संस्थागत विश्वसनीयता जो निवेश तय करती है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1977 के बाद भूमि सुधार कई छोटी भूधृतियां और दर्ज बटाईदारी (tenancies) बनाता है → 2000 के दशक के सिंगूर और नंदीग्राम विरोध उद्योग के लिए अधिग्रहण को रोक देते हैं → बाद में निष्क्रिय सार्वजनिक भूमि से बने भूमि बैंक बड़े निवेशकों के लिए बहुत छोटे और बंटे हुए साबित होते हैं → 2026 में एक नई सरकार 33 उद्योगों के लिए भूमि स्वीकृत करती है और भूमि पूलिंग की जांच करती है → अब सफलता संस्थागत विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, किसी नए कानून पर नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. भूमि एक राज्य विषय है, पर अधिग्रहण समवर्ती (concurrent) है — सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) के तहत, “भूमि” — जिसमें भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि-धारण (land tenures) और कृषि भूमि का हस्तांतरण व अन्य-संक्रमण (alienation) शामिल है — राज्य सूची (State List) की प्रविष्टि 18 (Entry 18) है। “संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण-प्रयोजन (requisitioning)” समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टि 42 है, इसलिए इस पर संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों कानून बना सकती हैं। संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संशोधन (44th Amendment) द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था और अब अनुच्छेद 300ए (Article 300A) के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, जो कहता है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
2. 2013 के अधिनियम ने डिज़ाइन के तौर पर ही अधिग्रहण को धीमा और महंगा बनाया — उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 [Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013] ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) का स्थान लिया। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण हेतु कम-से-कम 80% प्रभावित परिवारों की सहमति और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (public-private partnership) परियोजनाओं के लिए 70% सहमति चाहिए, अधिकांश परियोजनाओं के लिए एक सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment), और ऐसा प्रतिकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में गुणक (multiplier) व सांत्वना राशि (solatium) लागू होने पर बाज़ार मूल्य के चार गुने तक पहुंच सकता है। यह भूमि पर निर्भर लोगों, जिनमें भूमिहीन श्रमिक भी शामिल हैं, के लिए पुनर्वास व पुनर्स्थापन को भी अनिवार्य बनाता है।
3. भूमि पूलिंग एक योजना-साधन है जिसका भारत में लंबा इतिहास है — भूमि पूलिंग के तहत, मालिक अपनी भूमि एक प्राधिकरण (authority) को सौंपते हैं, जो सड़कें और सेवाएं बिछाता है और उनके योगदान के अनुपात में विकसित भूमि का एक हिस्सा उन्हें लौटाता है, जबकि बाकी हिस्सा अवसंरचना और लागत वसूलने के लिए बिक्री हेतु रखता है। गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, 1976 (Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976) के तहत गुजरात की टाउन प्लानिंग स्कीमें (Town Planning Schemes) भारत का क्लासिक मॉडल हैं। आंध्र प्रदेश ने अमरावती (Amaravati) के लिए भूमि जुटाने हेतु 2015 में भूमि पूलिंग का उपयोग किया, और दिल्ली ने 2018 में एक भूमि पूलिंग नीति अधिसूचित की; नतीजे इस पर निर्भर रहे हैं कि क्या प्राधिकरण ने वास्तव में विकसित भूखंड सौंपे।
4. सिंगूर और नंदीग्राम ने भारत में भूमि की राजनीति बदल दी — 2006 में पश्चिम बंगाल सरकार ने टाटा नैनो (Tata Nano) कार संयंत्र के लिए सिंगूर में लगभग 997 एकड़ भूमि अधिग्रहित की; विरोधों के बाद टाटा मोटर्स ने 2008 में परियोजना गुजरात के सानंद (Sanand) स्थानांतरित कर दी। मार्च 2007 में, नंदीग्राम में — जहां एक रासायनिक हब (chemical hub) के लिए भूमि मांगी गई थी — पुलिस गोलीबारी में प्रदर्शनकारी मारे गए, जिसने जबरन अधिग्रहण के खिलाफ जनमत मोड़ दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर अधिग्रहण को अवैध घोषित किया और भूमि लौटाने का आदेश दिया। इन घटनाओं ने 2013 के अधिनियम और निजी उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य की बाद की अनिच्छा को आकार दिया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. भूमि अधिग्रहण एक सतत जीएस3 विषय है — पाठ्यक्रम जीएस3 में “भारत में भूमि सुधार” और “निवेश मॉडल” नामित करता है। भूमि अधिग्रहण, 2013 के अधिनियम और औद्योगीकरण पर इसके प्रभाव संबंधी प्रश्न बार-बार आते हैं, और भूमि पूलिंग एक तेज़ी से आम पूछा जाने वाला विकल्प है।
2. भूमि राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज को जोड़ती है — सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 300ए और पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) की सुरक्षाएं भूमि को एक जीएस2 मुद्दा बनाती हैं; कृषि संकट (agrarian distress) और विस्थापन में इसकी भूमिका इसे जीएस1 और जीएस3 मुद्दा बनाती है। जो उत्तर इन आयामों को जोड़ते हैं वे अच्छे अंक पाते हैं।
3. संस्थागत विश्वसनीयता निवेश संबंधी प्रश्नों का नया ढांचा है — परीक्षक तेज़ी से यह पृष्ठता है कि सुधार निवेश आकर्षित करने में विफल क्यों होते हैं। यह कहानी एक स्पष्ट तर्क देती है: पूंजी की लागत प्रोत्साहनों से नहीं बल्कि नियमों से तय होती है, और पलटवों (reversals) का इतिहास वह लागत बढ़ा देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- “भूमि” सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 18 है, जबकि “संपत्ति का अधिग्रहण

और अधिग्रहण-प्रयोजन” समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 है।

- संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, जब से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 [44th Constitutional Amendment Act, 1978] ने इसे भाग III (Part III) से हटाया।
- आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के तहत निजी कंपनियों हेतु अधिग्रहण के लिए 80% प्रभावित परिवारों और सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनाओं के लिए 70% की सहमति आवश्यक है।
- आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 अधिकांश परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण से पहले एक सामाजिक प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाता है।
- भूमि पूलिंग में, भूमि-मालिक एक विकास प्राधिकरण को भूमि का योगदान देते हैं और बदले में एक विकसित भूखंड पाते हैं, जो मूल भूखंड से छोटा पर अवसंरचना से युक्त होता है।
- ऑपरेशन बर्गा (Operation Barga), जो पश्चिम बंगाल में 1978 में शुरू किया गया, ने बटाईदारों (bargadars) के नाम दर्ज किए ताकि उनके काश्तकारी अधिकारों (tenancy rights) की रक्षा हो सके।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. भूमि पूलिंग सहमति की समस्या हल करती है पर कई दावेदारों की समस्या नहीं** — पश्चिम बंगाल में, भूमि सुधार ने बटाईदारों — यानी वंशानुगत काश्तकारी (heritable tenancy) वाले बटाईदार — के अधिकार दर्ज किए, जिसका अर्थ है कि एक ही भूखंड का एक मालिक और एक दर्ज कृषक हो सकता है, साथ ही बिना दर्ज श्रमिक भी। भूमि पूलिंग एक भूखंड मालिक को लौटाती है, लेकिन जब तक योजना काश्तकारों और श्रमिकों को भी प्रतिकर न दे, तब तक भूमि पर काम करने वाले लोग बिना कोई भूखंड पाए अपनी आजीविका खो देते हैं। यही ठीक वह फॉल्ट लाइन (fault line) है जिसने सिंगूर को संकट में बदला। इसलिए केवल हकदारों (title-holders) के लिए डिज़ाइन की गई पूलिंग योजना पुराने टकराव को नए रूप में दोहराएगी।
- 2. पूल किए गए भूखंड का मूल्य पूरी तरह राज्य क्षमता पर निर्भर करता है** — मालिक एक छोटा भूखंड केवल इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि विकसित होने के बाद यह अधिक मूल्यवान होगा। यह उम्मीद इस पर निर्भर करती है कि सरकार समय पर सड़कें, नालियां और बिजली लाइनें बनाए और सरकार बदलने के बावजूद अपने वादे निभाए। अमरावती जोखिम दिखाता है: आंध्र प्रदेश में 2019 के सत्ता-परिवर्तन और राजधानी को विभाजित करने के प्रस्ताव के बाद, जिन किसानों ने अपनी भूमि पूल की थी वे विकसित भूखंडों का इंतज़ार करते रह गए। इसलिए भूमि पूलिंग किसानों से राज्य को दिया गया एक ऋण है, जो केवल राज्य की विश्वसनीयता से सुरक्षित है।
- 3. विश्वसनीयता नियमों से बनती है, घोषणाओं से नहीं** — दुर्गा पूजा से पहले 33 उद्योगों के लिए भूमि स्वीकृत करना एक मज़बूत संकेत है, पर निवेशक पूछेंगे कि क्या शर्तें राजनीतिक मिज़ाज बदलने पर भी कायम रहेंगी। जैसा लेखक बताते हैं, निवेशक एक अनौपचारिक लागत की कीमत तय कर सकते हैं, पर बदलते नियमों और प्रशासनिक विवेकाधिकार (administrative discretion) की कीमत तय करना कहीं अधिक कठिन है। प्रकाशित मानदंडों, तय समय-सीमाओं और एक स्वतंत्र शिकायत तंत्र वाली पारदर्शी, नियम-आधारित आवंटन नीति तेज़ विवेकाधीन आवंटनों की तुलना में निवेश के लिए अधिक करेगी।
- 4. विपक्षी राजनीति आंदोलन को पुरस्कृत करती है; शासन निवेश को** — स्तंभ का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि सिंगूर और नंदीग्राम का विरोध करने वाले कई लोग अब सरकार में हैं। उन पर असंगति (inconsistency) का आरोप लगाने के बजाय, यह नोट करना अधिक उपयोगी है कि पद के साथ प्रोत्साहन बदलते हैं। संस्थागत डिज़ाइन के लिए सबक यह है कि भूमि पर नीति को विधान और द्विदलीय (bipartisan) ढाँचों के ज़रिए चुनावी चक्रों से अलग रखा जाना चाहिए, ताकि हर सरकार-परिवर्तन इस सवाल को फिर से न खोले कि औद्योगिक भूमि जुटाई जा सकती है या नहीं।
- 5. उद्योग को शहरों से दूर ले जाना बोझ अवसंरचना पर डालता है** — बड़े भूखंड मुख्यतः कोलकाता और अन्य शहरों से दूर उपलब्ध हैं, जहां संपर्क (connectivity), आवास और सेवाएं कमज़ोर हैं। इससे आवश्यक सार्वजनिक निवेश बढ़ जाता है और भूमि उद्योग को आकर्षित करने की लागत का केवल एक हिस्सा बनकर रह जाती है। इसका अर्थ यह भी है कि भूमि छोड़ने वाले स्थानीय समुदाय उन शहरी नौकरियों से दूर रह जाते हैं जो उद्योग पैदा करता है, जब तक कि परियोजनाएं उन्हें रोज़गार देने और प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन न की जाएं। समुदायों को हिस्सेदारी देने का विचार — इक्विटी (equity), नौकरियों या वार्षिकी (annuities) के ज़रिए — दान नहीं बल्कि भूमि जुटाव को राजनीतिक रूप से टिकाऊ बनाने का एक तरीका है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“भूमि को विधान, बातचीत या योजना के ज़रिए जुटाया जा सकता है, पर पूंजी को केवल भरोसे से

(POSSIBLE MAINS QUESTION)	आकर्षित किया जा सकता है।" पश्चिम बंगाल के अनुभव के संदर्भ में, भारत में औद्योगीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण, नेगोशिऐटेड परचेज़ और भूमि पूलिंग के सापेक्ष गुणों की जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — वर्तमान घटनाक्रम बताइए: पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार का 33 उद्योगों के लिए भूमि स्वीकृत करना और भूमि पूलिंग की जांच करना, सिंगूर व नंदीग्राम की पृष्ठभूमि में। 2. मुख्य भाग — तीन तंत्र — आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 (सहमति सीमाएं, एसआईए (SIA), प्रतिकर) के तहत अधिग्रहण, नेगोशिऐटेड परचेज़ और भूमि पूलिंग को परिभाषित कीजिए; गुजरात की टाउन प्लानिंग स्कीमों और अमरावती जैसे उदाहरण दीजिए। 3. मुख्य भाग — गुण और सीमाएं — अधिग्रहण निश्चित है पर धीमा, महंगा और विवादास्पद; नेगोशिऐटेड परचेज़ स्वैच्छिक है पर होल्ड-आउट (hold-outs) और बंटे हुए हक़ (fragmented titles) के प्रति संवेदनशील; भूमि पूलिंग मालिकों के साथ लाभ साझा करती है पर राज्य क्षमता पर निर्भर करती है और इसमें काश्तकार व श्रमिक भी शामिल होने चाहिए। 4. मुख्य भाग — बंगाल का संदर्भ — भूमि सुधार के बाद बंटी हुई भूधृतियां, दर्ज बटाईदार, पहले के भूमि बैंकों की विफलता, और विश्वसनीयता व नियम-आधारित आवंटन की ज़रूरत; शहरों से दूर बड़े भूखंडों की अवस्थिति (location) समस्या। 5. निष्कर्ष — परियोजना के अनुरूप एक मिश्रण के लिए तर्क दीजिए, जिसे स्पष्ट भूमि अभिलेख (land records), पारदर्शी नियम, सामुदायिक हिस्सेदारी और समयबद्ध अवसंरचना वितरण का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि अंततः नियमों में भरोसा ही पूंजी को आकर्षित करता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक ऐसे ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) हैं जहां एक औद्योगिक पार्क के लिए भूमि पूलिंग योजना प्रस्तावित है। कई कृषक बटाईदार हैं, मालिक नहीं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं भूमि अभिलेखों का एक सटीक सर्वेक्षण करके शुरुआत करूंगा, जिसमें दर्ज बटाईदार और वे लोग शामिल होंगे जो वास्तव में भूमि पर खेती करते हैं, क्योंकि यदि योजना उन्हें नज़रअंदाज़ करती है तो वह विफल होगी। मैं सुझाव दूंगा कि योजना काश्तकारों को लौटाए गए भूखंड का एक निश्चित हिस्सा या एक अलग वार्षिकी (annuity) और नौकरियों व कौशल में प्राथमिकता दे। मैं गांव-स्तरीय परामर्श आयोजित करूंगा और किसी भी सहमति मांगे जाने से पहले शर्तों को स्थानीय भाषा में प्रकाशित करूंगा। मालिकों के लिए कागज़ पर उचित पर काश्तकारों के प्रति अंधी योजना उन गलतियों को दोहराएगी जिन्होंने बंगाल में भूमि को एक राजनीतिक फ्लैशपॉइंट (flashpoint) बनाया था। प्रश्न 2. उद्योग सचिव के रूप में, आपने एक त्योहार की समय-सीमा से पहले 33 परियोजनाओं के लिए भूमि सौंपने का वादा किया है। कुछ भूखंडों पर हक़ के अनसुलझे विवाद हैं। क्या आप समय-सीमा पूरी करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): विवादित भूमि सौंपकर समय-सीमा पूरी करना ऐसी मुकदमेबाज़ी पैदा करेगा जो एक छोटे विलंब से कहीं अधिक लंबे समय तक परियोजनाओं को रोक देगी। मैं स्पष्ट हक़ वाले भूखंड समय पर सौंपूंगा और बाकी के लिए विलंब को एक ठोस संशोधित समय-सीमा के साथ सार्वजनिक रूप से समझाऊंगा। मैं विवाद सुलझाने के लिए एक समर्पित टीम भी बनाऊंगा, जहां संभव हो वहां दावेदारों के साथ समझौते के ज़रिए। विश्वसनीयता ईमानदार वादे निभाने से बनती है, प्रतीकात्मक समय-सीमाएं पूरी करने से नहीं। प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: सिंगूर और अमरावती में जो हुआ उसके बाद एक किसान को अपनी भूमि के मामले में सरकार पर भरोसा क्यों करना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): उसे केवल विश्वास के आधार पर भरोसा करने को नहीं कहा जाना चाहिए; योजना को उसे कानूनी गारंटी देनी चाहिए। इसका अर्थ है एक पंजीकृत समझौता जो यह निर्दिष्ट करे कि उसे कौन सा भूखंड मिलेगा, विकास की समय-सीमा, समय-सीमा चूकने पर प्रतिकर या वार्षिकी, और एक स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण। जहां संभव हो, लौटाया गया भूखंड विकास के बाद के बजाय उससे पहले या साथ में आवंटित किया जाना चाहिए। भरोसा प्रवर्तनीय (enforceable) नियमों से आता है, और भूमि चाहने वाली सरकार को अपनी विश्वसनीयता साबित करने का बोझ स्वीकार करना होगा।

3. कृषि और खाद्य (Agriculture & Food)

दोनों खबरें उन इनपुट्स के बारे में हैं जिन पर भारत का नियंत्रण नहीं है। फॉस्फेटिक उर्वरक (phosphatic fertiliser) की निर्भरता सल्फर (sulphur) पर है, जो दूसरे देशों की रिफाइनरियों से आता है और अब वे रिफाइनरियां बमबारी की चपेट में हैं; इथेनॉल ब्लेंडिंग (ethanol blending) की निर्भरता उस अनाज और गन्ने पर है जो लोगों, पशुओं और मुर्गीपालन को भी भोजन देता है, और उस पानी पर भी जो घटता जा रहा है। आज खाद्य सुरक्षा (food security) का फैसला खेत में उतना नहीं होता, जितना उसके पीछे की आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) में होता है।

3.1 एक साल में सल्फर की आयात कीमतें तिगुनी, भारत की DAP और SSP उर्वरक आपूर्ति पर खतरा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। भारत ने पर्याप्त यूरिया (urea) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (liquefied natural gas) का आयात करके उच्च-नाइट्रोजन उर्वरक (high-nitrogen fertiliser) का घरेलू उत्पादन संभव बनाते हुए एक संभावित खाद्य संकट को टाल दिया है, लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण वस्तु — सल्फर (sulphur) — की कीमतों में तेज उछाल अब डाई-अमोनियम फॉस्फेट (di-ammonium phosphate, DAP), सिंगल सुपर फॉस्फेट (single super phosphate, SSP) और अन्य प्रमुख कॉम्प्लेक्स उर्वरकों (complex fertilisers) की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) ने 21 सितंबर को रिपोर्ट किया। इस साल की शुरुआत से भारत में आयातित सल्फर की लैंडेड कीमत (यानी लागत जमा समुद्री माल भाड़ा) दोगुनी होकर \$1,050-1,100 प्रति टन हो गई है; मुख्य शीर्षक इस बढ़त को एक साल में तिगुना बताता है। इसका मुख्य कारण रूसी तेल रिफाइनरियों और गैस परिसरों पर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमले हैं, साथ ही ईरान द्वारा सऊदी अरामको (Saudi Aramco), कतर एनर्जी (QatarEnergy) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (Abu Dhabi National Oil Company) के ऊर्जा ढांचे को इसी तरह निशाना बनाया जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के सल्फर का केवल दसवां हिस्सा खनन से निकलता है; बाकी पेट्रोलियम रिफाइनिंग (56%) और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण (34%) का उप-उत्पाद (by-product) है, जिसे पर्यावरण नियमों के तहत निकाला जाता है क्योंकि स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए कच्चे तेल और कच्ची गैस से सल्फर हटाना अनिवार्य है। उर्वरक क्षेत्र दुनिया भर में हर साल खपत होने वाले 70 मिलियन टन सल्फर का करीब 60% इस्तेमाल करता है। इसका अधिकांश हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड (sulphuric acid) में बदला जाता है, जो रॉक फॉस्फेट (rock phosphate) को पौधों द्वारा सोखे जा सकने वाले जल-घुलनशील रूप में तोड़ने के लिए जरूरी है। एक उद्योग अधिकारी ने कहा, “सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के बिना न तो DAP, न SSP और न ही 20:20:0:13, 10:26:26 और 12:32:16 जैसे लोकप्रिय कॉम्प्लेक्स उर्वरक बन सकते हैं।” भारत हर साल 3.8-3.9 मिलियन टन सल्फर की खपत करता है, जिसमें से उर्वरक उद्योग 2-2.1 मिलियन टन लेता है। कीमतें, जो 2019 और 2020 के कई महीनों में \$100 प्रति टन से भी कम थीं, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद मार्च-जून 2022 के दौरान \$400-500 तक पहुंच गईं, फिर 2022 के अंत से 2025 की शुरुआत तक \$200 से नीचे रहीं, और जब यूक्रेन ने अगस्त 2025 के आसपास से रूसी रिफाइनरियों पर हमले तेज किए तो दोबारा बढ़नी शुरू हुई, दिसंबर तक \$500 पार कर गईं और अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद और चढ़ गईं। सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड की आयात कीमतें अभी करीब \$1,070 और \$330-350 प्रति टन हैं, जबकि दो महीने पहले ये क्रमशः \$1,150 और \$420 तक पहुंच गई थीं। रूस ने सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के निर्यात पर, और चीन ने सल्फ्यूरिक एसिड के निर्यात पर रोक लगाई है। मांग भी बढ़ रही है: इलेक्ट्रिक-वाहन (electric-vehicle) बैटरियों के लिए निकल (nickel) निकालने में इस्तेमाल होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका अधिकांश इस्तेमाल इंडोनेशिया में होता है, 2021 के 3.5 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 16 मिलियन टन हो गया। इफको (Iffco), कोरोमंडल इंटरनेशनल (Coromandel International) और पारादीप फॉस्फेट्स (Paradeep Phosphates) ने जॉर्डन, सेनेगल और मोरक्को में गठजोड़ के जरिये रॉक फॉस्फेट सुरक्षित किया है। भारत की करीब 2.2 मिलियन टन फॉस्फोरिक एसिड (phosphoric acid) क्षमता उसकी 4.3-4.5 मिलियन टन जरूरत का आधा हिस्सा पूरा करती है, जो 15-16 मिलियन टन फॉस्फेटिक उर्वरक उत्पादन को सहारा देती है। पाठ्यक्रम संबंध: कृषि इनपुट, सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा, GS3।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

स्वच्छ ईंधन नियम रिफाइनरियों को सल्फर का मुख्य स्रोत बनाते हैं → यूक्रेन और ईरान रूसी व खाडी की रिफाइनरियों और गैस संयंत्रों पर हमला करते हैं → रूस और चीन निर्यात पर रोक लगाते हैं जबकि EV निकल प्रसंस्करण एसिड सोख लेता है → लैंडेड सल्फर कीमत लगभग \$1,070 प्रति टन तक पहुंचती है → भारतीय DAP, SSP और कॉम्प्लेक्स उर्वरक उत्पादन पर दबाव बढ़ता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. फॉस्फेटिक उर्वरक नियंत्रण-मुक्त हैं और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy) के तहत सब्सिडी पाते हैं — 1 अप्रैल 2010 से फॉस्फेटिक और पोटैशियम उर्वरक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy, NBS) योजना के दायरे में हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फर के लिए प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है, और सिद्धांत रूप में कंपनियां खुदरा कीमत खुद तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। यूरिया NBS के दायरे से बाहर रहता है, जिसकी खुदरा कीमत कानूनी रूप से नियंत्रित है और अंतर की भरपाई सब्सिडी से होती है। जब इनपुट लागत तेजी से बढ़ती है, तो या तो NBS दरें बढ़ानी पड़ती हैं या खुदरा कीमतें बढ़ जाती हैं, यही वजह है कि सल्फर का झटका जल्दी ही एक राजकोषीय या राजनीतिक सवाल बन जाता है।
2. सल्फर विनिर्माण इनपुट भी है और पौधों का पोषक तत्व भी — सल्फर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम के बाद चौथा प्रमुख पोषक तत्व है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी है और तिलहन व दलहन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है; यही वजह है कि 20:20:0:13 जैसे ग्रेड में चौथा अंक सल्फर को दर्शाता है। SSP में फॉस्फोरस और सल्फर दोनों साथ होते हैं, और DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस पेंटाक्साइड होता है। इस तरह यही तत्व उर्वरक बनाने वाला एसिड भी है और उसके भीतर मौजूद पोषक तत्व भी।

	3. नियामक ढांचा आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) है — उर्वरक को आवश्यक वस्तु (essential commodity) घोषित किया गया है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 की धारा 3 के तहत जारी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (Fertiliser (Control) Order), 1985 गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण, वितरण और डीलर पंजीकरण को नियंत्रित करता है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के अंतर्गत उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers) सब्सिडी का प्रशासन करता है, और कृषि विभाग (Department of Agriculture) राज्यवार मौसमी जरूरतों का आकलन करता है। 4. भारत की फॉस्फेट श्रृंखला हर चरण में आयात पर निर्भर है — भारत के पास रॉक फॉस्फेट (rock phosphate) के सीमित भंडार हैं, और वह रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, तैयार DAP और अब सल्फर भी आयात करता है। रिपोर्ट का यह आंकड़ा कि करीब 2.2 मिलियन टन की घरेलू फॉस्फोरिक एसिड क्षमता जरूरत का केवल आधा हिस्सा पूरा करती है, दिखाता है कि घरेलू विनिर्माण भी आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं (intermediates) पर टिका है। जॉर्डन, सेनेगल और मोरक्को में रॉक फॉस्फेट के लिए विदेशी संयुक्त उद्यम (joint ventures) एक इनपुट तो सुरक्षित करते हैं, लेकिन उसे प्रोसेस करने के लिए जरूरी सल्फर नहीं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. उर्वरक सब्सिडी और असंतुलन GS3 के बार-बार आने वाले विषय हैं — UPSC न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना, सस्ते यूरिया से पैदा होने वाली विकृति और उससे N:P:K अनुपात में आने वाले असंतुलन, और उर्वरक सब्सिडी के राजकोषीय बोझ के बारे में पूछ चुका है। फॉस्फेटिक उर्वरक में आपूर्ति का झटका एक नया आयाम जोड़ता है: आयात निर्भरता और भू-राजनीति (geopolitics), जो कृषि पाठ्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जोड़ता है। 2. महत्वपूर्ण इनपुट्स की भू-राजनीति एक नया पसंदीदा विषय है — हाल के प्रश्नपत्र आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती (supply-chain resilience) की ओर बढ़े हैं — रेयर अर्थ (rare earths), सेमीकंडक्टर, ऊर्जा। सल्फर एक साधारण-सी वस्तु का अच्छा उदाहरण है जिसकी आपूर्ति दूर के संघर्षों पर निर्भर करती है, और यह अभ्यर्थी को यह दिखाने का मौका देता है कि खाद्य सुरक्षा का एक बाहरी आयाम भी है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy) योजना, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है, फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को कवर करती है और N, P, K तथा S के प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है; यूरिया इसके दायरे से बाहर है। ● उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (Fertiliser (Control) Order), 1985 आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। ● डाई-अमोनियम फॉस्फेट (Di-ammonium phosphate, DAP) का पोषक ग्रेड 18:46:0 (N:P2O5:K2O) है। ● सिंगल सुपर फॉस्फेट (Single super phosphate) मिट्टी को फॉस्फोरस और सल्फर दोनों प्रदान करता है। ● दुनिया का अधिकांश सल्फर सीधे खनन से नहीं, बल्कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के उप-उत्पाद (by-product) के रूप में प्राप्त होता है। ● रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड से उपचारित करना जरूरी है ताकि पौधों के लिए उपयोगी जल-घुलनशील फॉस्फोरस बन सके। ● उर्वरक सब्सिडी का प्रशासन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के अंतर्गत उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers) करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव ने चुपचाप उर्वरक को तेल का बंधक बना दिया — क्योंकि डीसल्फराइजेशन (desulphurisation) नियमों ने रिफाइनरियों को दुनिया की सल्फर खदानें बना दिया, एक कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था की फॉस्फेट आपूर्ति अब तेल और गैस ढांचे की सेहत पर निर्भर हो गई है। यह जुड़ाव तब अदृश्य था जब सल्फर \$100 प्रति टन से भी कम कीमत पर बिकने वाला एक सस्ता अपशिष्ट उत्पाद था। यह तभी दिखाई देता है जब रिफाइनरियों पर बमबारी होती है। खाद्य सुरक्षा पर किसी भी गंभीर उत्तर को यह मानना चाहिए कि ऊर्जा सुरक्षा और उर्वरक सुरक्षा अब दो नहीं, एक ही समस्या हैं। 2. NBS की बनावट झटके को या तो किसान पर डालती है या बजट पर, और दोनों महंगे हैं — NBS के तहत, जो कंपनी सल्फर के लिए तिगुना भुगतान करती है, उसे या तो खुदरा कीमत बढ़ानी होगी या सरकार द्वारा प्रति किलोग्राम सब्सिडी बढ़ाए जाने का इंतजार करना होगा। अगर खुदरा कीमतें बढ़ती हैं, तो किसान सस्ते यूरिया का उपयोग जारी रखते हुए फॉस्फेट और पोटाश का इस्तेमाल घटा देते हैं, जिससे पहले से बिगड़ा हुआ पोषक अनुपात और बिगड़ता है। अगर सब्सिडी बढ़ती है, तो पहले से ऊंची ऊर्जा कीमतों के बोझ तले दबे साल में राजकोषीय लागत और चढ़ जाती है। इसके विपरीत तर्क यह है कि कुछ कीमत-संकेत (price signal) स्वस्थ

	होता है, क्योंकि यह कुशल इस्तेमाल को बढ़ावा देता है; लेकिन बुवाई के मौसम में यह संकेत व्यवहार बदलने के लिए बहुत देर से पहुंचता है और बस पैदावार घटा देता है। 3. विदेश में रॉक फॉस्फेट सुरक्षित करना समस्या के गलत आधे हिस्से का समाधान था — भारतीय कंपनियों ने जॉर्डन, सेनेगल और मोरक्को में रॉक फॉस्फेट के लिए संयुक्त उद्यम बनाए हैं, जो कि जाहिर कमजोरी थी। उद्योग की अपनी चेतावनी यही है कि सल्फर के बिना रॉक फॉस्फेट उर्वरक नहीं बन सकता। जो लचीलापन योजना (resilience planning) कच्चा अयस्क तो सुरक्षित करती है पर प्रसंस्करण रसायन नहीं, वह अधूरी है, और यह सबक अन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी लागू होता है: निर्भरता अक्सर मध्यवर्ती चरण में छिपी होती है। 4. EV की तेजी उसी एसिड के लिए भोजन से होड़ करती है — निकल प्रसंस्करण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की मांग 2021 के 3.5 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 16 मिलियन टन हो गई। यह युद्ध का कोई अस्थायी असर नहीं है; यह बैटरी मांग से प्रेरित एक संरचनात्मक बदलाव है। संघर्ष खत्म होने पर भी उर्वरक निर्माता एसिड के लिए बैटरी-सामग्री उत्पादकों से होड़ करते रहेंगे। इसलिए नीति को \$200 से कम कीमतों वाले वर्षों की वापसी का इंतजार करने के बजाय, टिकाऊ रूप से ऊंची कीमतों की योजना बनानी चाहिए। 5. घरेलू विकल्प सीमित हैं लेकिन वास्तविक हैं — भारत की अपनी रिफाइनरियां और हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) व बिड़ला कॉपर (Birla Copper) के स्मेल्टर पहले से ही कुछ सल्फर और एसिड की आपूर्ति करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि घरेलू उप-उत्पाद सल्फर और एसिड उर्वरक संयंत्रों तक पहुंचें, जहां भंडारण जोखिम प्रबंधित किए जा सकें वहां रणनीतिक भंडार (strategic reserves) बनाना, और जहां प्रमाण साथ दें वहां नैनो व जैविक फॉस्फेट विकल्पों को बढ़ावा देना — ये सभी व्यावहारिक कदम हैं। इनमें से कोई भी आयात निर्भरता को जल्दी खत्म नहीं करता, यही वजह है कि तात्कालिक लीवर अब भी सब्सिडी दर ही बनी हुई है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत की उर्वरक सुरक्षा अब तेजी से उन संघर्षों से तय हो रही है जो उसके खेतों से बहुत दूर हैं।” हाल के सल्फर मूल्य झटके के परिप्रेक्ष्य में इस कथन की जांच कीजिए और भारत की फॉस्फेटिक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाने के उपाय सुझाइए।
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — एक पंक्ति में रसायन विज्ञान से शुरुआत करें — सल्फ्यूरिक एसिड नहीं तो DAP या SSP भी नहीं — और कीमत की चाल बताएं: सल्फर अब करीब \$1,070 प्रति टन है, जबकि 2022 से पहले और 2022 के अंत से 2025 की शुरुआत तक यह \$200 से कम स्तर पर था। 2. मुख्य भाग — कारण — सल्फर की उप-उत्पाद प्रकृति (रिफाइनिंग से 56%, गैस से 34%) समझाएं, रूसी और खाड़ी के ऊर्जा ढांचे पर हुए हमले, रूस व चीन द्वारा निर्यात प्रतिबंध, और EV बैटरियों के लिए निकल प्रसंस्करण से आने वाली संरचनात्मक मांग का उल्लेख करें। 3. मुख्य भाग — भारत के लिए परिणाम — सल्फर, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड के लिए आयात निर्भरता; NBS के जरिये भार आगे बढ़ने (pass-through) की समस्या; N:P:K संतुलन को खतरा; राजकोषीय दबाव; और सल्फर व फॉस्फोरस पर निर्भर तिलहन-दलहन पर असर। 4. मुख्य भाग — उपाय — घरेलू रिफाइनरी और स्मेल्टर के उप-उत्पादों को उर्वरक उपयोग की ओर मोड़ना, दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध, रॉक फॉस्फेट के साथ-साथ सल्फर के लिए भी विदेशी परिसंपत्तियां, संतुलित NBS संशोधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (soil health card) आधारित संतुलित उर्वरक उपयोग, और विकल्पों पर शोध। 5. निष्कर्ष — यह निष्कर्ष निकालें कि खाद्य सुरक्षा को अब एक ऐसी इनपुट रणनीति चाहिए जो केवल कृषि नीति का नहीं, बल्कि विदेश और ऊर्जा नीति का भी हिस्सा हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप रबी सीजन से पहले किसी राज्य के कृषि निदेशक हैं। डीलर DAP की कमी की शिकायत कर रहे हैं और किसान कतार में खड़े हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): उर्वरक निगरानी प्रणाली से जिलावार स्टॉक स्थिति लेकर उसकी तुलना बुवाई योजना से करें, ताकि आवंटन दबाव के बजाय जरूरत के हिसाब से हो। जमाखोरी और डीलर स्तर पर डायवर्जन (diversion) जांचने के लिए फील्ड स्टाफ तैनात करें, और डायवर्जन मिलने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के तहत कार्रवाई करें। साथ ही, विस्तार कर्मचारियों (extension staff) के जरिये किसानों को नाइट्रोजन स्रोतों के साथ SSP जैसे विकल्पों और मृदा-परीक्षण आधारित खुराक की सलाह दें, ताकि दुर्लभ DAP का अत्यधिक इस्तेमाल न हो। आंकड़ों के साथ यह कमी जल्दी केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आवंटन के फैसले केंद्रीय स्तर पर होते हैं। प्रश्न 2. उर्वरक विभाग के सचिव के रूप में आपको यह तय करना है कि सीजन के बीच में फॉस्फोरस के लिए NBS दर बढ़ाई जाए या नहीं। वित्त मंत्रालय कहता है कि बजट इसका बोझ

नहीं उठा सकता। आप क्या सलाह देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): समझौते (trade-off) को रिकॉर्ड पर रखें: संशोधन के बिना, कंपनियां या तो उत्पादन घटाएंगी या खुदरा कीमतें बढ़ाएंगी, और दोनों ही स्थितियों में बुवाई के दौरान फॉस्फेट का इस्तेमाल घटेगा, जिसके बाद पैदावार और खाद्य महंगाई पर असर पड़ेगा। देखी गई इनपुट कीमत से जुड़ा, समयबद्ध और आंशिक संशोधन प्रस्तावित करें, साथ ही सल्फर कीमतें गिरने पर समीक्षा की शर्त रखें। यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल की ओर डायवर्जन पर सख्त नियंत्रण जैसे संतुलनकारी उपाय सुझाएं। फैसला मंत्री और कैबिनेट लेते हैं; सचिव का काम हर विकल्प की लागत स्पष्ट रूप से दिखाना है।

प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या भारत को अपने पेट्रोलियम भंडार की तरह सल्फर का रणनीतिक भंडार बनाना चाहिए? आपकी राय?

दृष्टिकोण (Approach): इस विचार में दम है क्योंकि यह झटका बार-बार आ रहा है, लेकिन जैसा रिपोर्ट बताती है, सल्फर ज्वलनशील है और इसे लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, इसलिए भंडार के लिए विशेष भंडारण और उर्वरक संयंत्रों के जरिये चक्रीकरण (rotation) की जरूरत होगी। एक अधिक व्यावहारिक पहला कदम दीर्घकालिक अनुबंध और सुनिश्चित घरेलू उप-उत्पाद आपूर्ति है, साथ ही प्रमुख उर्वरक परिसरों में एक मामूली बफर। मैं तत्काल भंडार के बजाय एक व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility study) का समर्थन करूंगा।

3.2 चीनी की बढ़ती कीमतों ने भारत के इथेनॉल फीडस्टॉक मिश्रण में खाद्य बनाम ईंधन के सवाल को फिर जगाया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। चीनी की कीमत चीनी उत्पादन से जुड़े एक सामान्य चक्र के तहत बढ़ी है, लेकिन यह ऐसे समय आया है जब कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, और चूंकि गन्ना भी एक महत्वपूर्ण इथेनॉल फीडस्टॉक (feedstock) है, इसलिए यह वृद्धि यह सवाल उठाती है कि क्या इथेनॉल फसल आपूर्ति पर दबाव डालेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस (Madan Sabnavis) ने 21 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) में लिखा। फीडस्टॉक वह कच्चा माल है जिससे ईंधन बनाया जाता है। भारत में इथेनॉल मक्का, चावल और गन्ने से बने उत्पादों से बनाया जाता है: करीब 45% मक्के से, 20-25% चावल से, और बाकी चीनी-आधारित स्रोतों से आता है। एक टन मक्के से 380-400 लीटर इथेनॉल मिलता है, चावल से 370-385 लीटर और गन्ने से 220-280 लीटर। मक्का सबसे सस्ता भी है, करीब ₹20,000-21,000 प्रति टन, जबकि चावल की कीमत करीब ₹38,000-39,000 और चीनी की लगभग ₹37,000 प्रति टन है, इसलिए कंपनियां इसे प्राथमिकता देती हैं। लेकिन तीनों ही पानी की अधिक खपत वाले हैं: एक किलोग्राम उत्पादन के लिए मक्के में 500-900 लीटर, गन्ने में 1,500-2,500 लीटर और चावल में 2,000-3,500 लीटर पानी लगता है, जो अधिक मक्के को इथेनॉल की ओर मोड़ने के पक्ष में तर्क देता है। लेकिन मक्के की मांग के पहले से तीन स्रोत हैं: घरेलू उपभोग, जिसका हिस्सा छोटा है; पशु और मुर्गीपालन चारा, जहां मक्का कुल चारे का 60% बनाता है; और स्टार्च के लिए औद्योगिक उपयोग। इथेनॉल अब चौथा स्रोत है। चूंकि आनुवंशिक रूप से संशोधित (genetically modified, GM) मक्के के बीज की अनुमति नहीं है, इसलिए अधिक उत्पादन मौजूदा घरेलू बीजों से ही आना होगा, जो एक समस्या बन सकता है क्योंकि E20 — पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण — को अनिवार्य किए जाने के साथ इथेनॉल की मांग बढ़ रही है। अधिक मांग मक्के की कीमतें बढ़ा सकती है, जिसका असर डेयरी, मांस और संबंधित उत्पादों तक पहुंचेगा। श्री सबनवीस ने लिखा कि एक लुभावना समाधान यह होगा कि केवल इथेनॉल के लिए उगाए जाने वाले मक्के के लिए GM बीजों की अनुमति दी जाए। भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) द्वारा पहले खरीदे गए अतिरिक्त चावल भंडार को बाजार में बेचा गया है; चूंकि उनकी गुणवत्ता कम थी, इसलिए उन्हें बेचना उचित था, लेकिन भविष्य में इथेनॉल फीडस्टॉक के लिए यह रणनीति नहीं अपनाई जा सकती। चावल और गन्ने की अधिक पानी खपत के कारण मक्के को प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन मक्के के अतिरिक्त उत्पादन से भी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, साथ ही बड़ी मात्रा में बिजली और पानी खपत करने वाले डेटा सेंटरों (data centres) को बढ़ावा दिए जाने से भी। अलग से, अखबार ने बताया कि चीनी की कीमतों के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के बावजूद FMCG कंपनियां त्योहारी सीजन में कीमतें स्थिर रखने की योजना बना रही हैं। पाठ्यक्रम संबंध: खाद्य सुरक्षा, फसल पैटर्न, जल और ऊर्जा, GS3।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कच्चे तेल का आयात बिल इथेनॉल ब्लेंडिंग को गति देता है → E20 अनिवार्य होने से फीडस्टॉक की मांग बढ़ती है → मक्का सबसे सस्ता और सबसे कुशल स्रोत बनता है लेकिन पहले से चारे और स्टार्च में इस्तेमाल हो रहा है → चीनी की कीमतें बढ़ती हैं और FCI का अतिरिक्त चावल भंडार खत्म होता जाता है → भोजन, चारा, ईंधन और पानी एक ही खेतों के लिए होड़ करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Biofuels) ब्लेंडिंग का रास्ता तय करती है — जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Biofuels), 2018, जिसमें 2022 में संशोधन हुआ, ने गन्ने के रस, बी-हैवी मोलासेस (B-heavy molasses), क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, FCI के पास मौजूद अतिरिक्त चावल, मक्का और अन्य फीडस्टॉक से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, और 20% ब्लेंडिंग लक्ष्य को 2030 से आगे बढ़ाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 कर दिया। तेल विपणन कंपनियां (oil marketing companies) फीडस्टॉक के अनुसार अलग-अलग प्रशासित कीमतों पर इथेनॉल खरीदती हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ब्लेंडिंग के लिए नोडल मंत्रालय है, जबकि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) चीनी-आधारित इथेनॉल को संभालता है।

	2. आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को GEAC की मंजूरी चाहिए — आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (genetically modified organisms) के प्रसार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (Environment (Protection) Act), 1986 के तहत बने खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण से जुड़े नियम (Rules), 1989 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) के अंतर्गत आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee, GEAC) प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। बीटी कपास (Bt cotton) भारत में व्यावसायिक खेती में एकमात्र GM फसल बनी हुई है; GM सरसों के पर्यावरणीय विमोचन को 2022 में मंजूरी मिली थी लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है। GM मक्के की अनुमति नहीं है, जो लेख द्वारा बताई गई बाधा है। 3. FCI का अतिरिक्त भंडार और खुला बाजार बिक्री योजना (Open Market Sale Scheme) — खाद्य निगम अधिनियम (Food Corporations Act), 1964 के तहत स्थापित भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) और बफर स्टॉक (buffer stocks) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर अनाज खरीदता है। बफर मानदंडों से ऊपर के स्टॉक को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (Open Market Sale Scheme (Domestic)) के जरिये बेचा जाता है, कभी-कभी इथेनॉल के लिए डिस्टिलरियों को भी। इससे अतिरिक्त चावल केवल तभी इथेनॉल फीडस्टॉक बनता है जब अधिशेष मौजूद हो, यही वजह है कि यह स्थायी स्रोत नहीं हो सकता। 4. गन्ने की कीमत केंद्र तय करता है, राज्य इसमें अतिरिक्त जोड़ते हैं — केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश (Sugarcane (Control) Order), 1966 के अंतर्गत, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices) की सिफारिश पर गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price) तय करती है। कुछ राज्य इससे ऊंचा राज्य सलाहकार मूल्य (State Advised Price) घोषित करते हैं। गन्ने को इथेनॉल की ओर मोड़ने से मिलों के लिए किसानों को अधिक भरोसेमंद तरीके से भुगतान करना संभव होता है, लेकिन इससे कमजोर वर्ष में चीनी उत्पादन भी घट जाता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. खाद्य बनाम ईंधन GS3 की एक क्लासिक बहस है — UPSC इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा और पानी पर इसके असर, और भूजल की कमी में गन्ने की भूमिका के बारे में पूछ चुका है। E20 अनिवार्य होने के साथ, सवाल यह नहीं रह गया कि ब्लेंड करें या नहीं, बल्कि यह है कि किससे ब्लेंड करें, और यही कोण यह लेख प्रदान करता है। 2. फसलों के जल पदचिह्न (water footprint) की जांच बढ़ती जा रही है — धान और गन्ने से हटकर फसल विविधीकरण (crop diversification), आभासी पानी (virtual water) और पंजाब, हरियाणा व महाराष्ट्र में भूजल तनाव पर सवाल नियमित रूप से आते हैं। यहां दिए गए लीटर-प्रति-किलोग्राम आंकड़े अभ्यर्थी को ठोस तुलना का आधार देते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 में 2022 में संशोधन कर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को आगे बढ़ाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 कर दिया गया। ● भारत में इथेनॉल गन्ना-आधारित फीडस्टॉक (रस और मोलासेस) से, और मक्का तथा अतिरिक्त या क्षतिग्रस्त चावल जैसे अनाजों से बनाया जाता है। ● आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है; बीटी कपास भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली एकमात्र GM फसल है। ● गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य केंद्र सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत, CACP की सिफारिश पर तय किया जाता है। ● भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत हुई थी। ● FCI का अतिरिक्त अनाज खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के जरिये खुले बाजार में बेचा जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. मक्का हर इथेनॉल पैमाने पर आगे है, लेकिन उस पैमाने पर पिछड़ा जाता है जो पशुधन के लिए मायने रखता है — लेख के आंकड़े उपज, लागत और पानी के मामले में निर्णायक हैं: मक्का गन्ने से प्रति टन अधिक इथेनॉल देता है, चावल से लगभग आधी लागत पर आता है, और दोनों से कम पानी खपत करता है। लेकिन मक्का पशु चारे का 60% है। इसलिए मक्का-इथेनॉल की ओर बदलाव ईंधन नीति का असर दूध, अंडे और चिकन की कीमतों पर डालता है, जो कई परिवारों के लिए प्रोटीन के सबसे सस्ते स्रोत हैं। यह समझौता (trade-off) अमूर्त रूप से खाद्य बनाम ईंधन का नहीं है; यह प्रोटीन की सामर्थ्य (affordability) बनाम कच्चे तेल के आयात-प्रतिस्थापन का

है।

2. **इथेनॉल के लिए GM वाला विचार दिखने से कहीं कमजोर है** — केवल इथेनॉल के लिए GM मक्के की अनुमति देना सुनने में साफ-सुथरा लगता है लेकिन लागू करना मुश्किल है: अनाज बाजारों से होकर गुजरता है, और बड़े पैमाने पर GM को गैर-GM मक्के से अलग करने के लिए पहचान-संरक्षण प्रणालियों (identity preservation systems) की जरूरत होगी, जो भारत के पास नहीं हैं। अगर GM मक्के की अनुमति देनी ही है, तो यह फैसला उसकी जैव-सुरक्षा (biosafety) और सभी उपयोगों के लिए उसकी गुणवत्ता के आधार पर, GEAC के जरिये होना चाहिए, न कि केवल ईंधन के लिए छूट के रास्ते से, जो टिकेगी नहीं।
3. **अधिशेष-आधारित फीडस्टॉक एक अस्थायी सहारा है** — कम गुणवत्ता वाले FCI चावल को डिस्टिलरियों को बेचना निपटान का समझदारी भरा तरीका था। लेकिन ब्लेंडिंग अनिवार्यता स्थायी है, जबकि चावल का अधिशेष खरीद नीति और मानसून पर निर्भर करता है। जो नीति अधिशेष पर निर्भर है, वह कमी वाले वर्ष में अनिवार्यता और अनाज बाजार के बीच चुनने को मजबूर होगी। खराब वर्षों में अनिवार्यता को लचीला बनाना, या इथेनॉल भंडार रखना, अधिक विवेकपूर्ण है।
4. **पानी सबसे बड़ी बाधा है, और डेटा सेंटर नए प्रतिस्पर्धी हैं** — हर फीडस्टॉक पानी की अधिक खपत वाला है, और अतिरिक्त उत्पादन भूजल तनाव को और बढ़ाएगा। लेख का डेटा सेंटरों का जिक्र महत्वपूर्ण है: जो देश एक साथ ईंधन के लिए पानी-भूखी फसलों और कंप्यूटिंग के लिए पानी-भूखे ढांचे का विस्तार कर रहा है, उसे अलग-अलग क्षेत्रीय लक्ष्यों की नहीं, बल्कि एक जल बजट (water budget) की जरूरत है। इसके विपरीत यह तर्क है कि इथेनॉल कच्चे तेल के आयात को घटाता है और किसानों की आय को सहारा देता है; जवाब यह है कि इन लाभों को पानी की लागत के मुकाबले तोला जाए, न कि किसी एक पक्ष को नजरअंदाज किया जाए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

अब जब 20% इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य हो गया है, सवाल यह नहीं रहा कि भारत को ब्लेंड करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि किससे ब्लेंड करना चाहिए। भारत के इथेनॉल फीडस्टॉक चयन में खाद्य, चारा, ईंधन और पानी के बीच के समझौतों (trade-offs) की समालोचनात्मक जांच की जाए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **प्रस्तावना** — ब्लेंडिंग का उद्देश्य — कच्चे तेल के आयात को घटाना — और रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान फीडस्टॉक मिश्रण, जिसमें करीब 45% मक्का, 20-25% चावल और बाकी चीनी-आधारित है, बताएं।
2. **मुख्य भाग** — **हर फीडस्टॉक की अर्थव्यवस्था** — लेख के आंकड़ों का उपयोग करते हुए मक्का, चावल और गन्ने के बीच प्रति टन इथेनॉल उपज, प्रति टन लागत और प्रति किलोग्राम पानी की तुलना करें, ताकि यह दिखाया जा सके कि मक्के को प्राथमिकता क्यों मिलती है।
3. **मुख्य भाग** — **समझौते (trade-offs)** — पशु चारे में मक्के की भूमिका और डेयरी व मांस की कीमतों तक इसका असर; चीनी की कीमतें और गन्ने का डायवर्जन; FCI के अतिरिक्त चावल की सीमित प्रकृति; GM बीज की बाधा; और डेटा सेंटरों से आने वाली प्रतिस्पर्धी मांग सहित कुल जल बोझ।
4. **मुख्य भाग** — **आगे का रास्ता** — फसल अवशेष से द्वितीय-पीढ़ी का इथेनॉल (second-generation ethanol), कमी वाले वर्षों में लचीली ब्लेंडिंग, बेहतर संकर किस्मों (hybrids) और सिंचाई दक्षता से मक्के की उपज सुधार, GEAC द्वारा GM मक्के का गुणवत्ता-आधारित मूल्यांकन, और बेसिन स्तर पर फसल-जल लेखांकन (crop-water accounting)।
5. **निष्कर्ष** — यह निष्कर्ष निकालें कि इथेनॉल को आयात, किसान आय, खाद्य कीमतों और पानी पर उसके समय शुद्ध प्रभाव के आधार पर परखा जाना चाहिए, और द्वितीय-पीढ़ी के फीडस्टॉक ही इस समझौते से बचने का एकमात्र रास्ता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. मक्का उगाने वाले एक जिले के जिलाधिकारी (District Collector) के रूप में, आप पाते हैं कि मुर्गीपालन करने वाले किसान शिकायत कर रहे हैं कि डिस्टिलरियां मक्के के लिए उनसे ऊंची बोली लगा रही हैं। आप क्या कर सकते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): खुले बाजार में कीमत को लेकर प्रतिस्पर्धा जायज है, इसलिए प्रशासन को बिक्री रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं जो कर सकता हूँ वह है आपूर्ति सुधारना: कृषि विभाग के जरिये अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों और बेहतर फसल-पशुचात भंडारण (post-harvest storage) को बढ़ावा देना, फॉरवर्ड अनुबंधों (forward contracts) के लिए मुर्गीपालन सहकारी समितियों को किसान उत्पादक संगठनों (farmer producer organisations) से जोड़ना, और बाजार का डेटा साझा करना ताकि कोई भी पक्ष चोँके नहीं। मैं कीमत के इस दबाव को ऊपर तक भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि चारे की लागत की यह समस्या राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक नीतिगत संकेत है।

प्रश्न 2. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या भारत को इथेनॉल की मांग पूरी करने के लिए GM मक्के की अनुमति देनी चाहिए। आपका उत्तर क्या है?

दृष्टिकोण (Approach): यह फैसला जैव-सुरक्षा प्रमाणों और एक पारदर्शी GEAC प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, इथेनॉल लक्ष्य पर नहीं। ईंधन-मात्र छूट लागू करना मुश्किल होगा क्योंकि अनाज साझा बाजारों में प्रवेश करता है। अगर प्रमाण GM मक्के के पक्ष में हों, तो इसे लेबलिंग और निगरानी के साथ सभी उपयोगों के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए; अगर नहीं, तो जवाब यह है कि गैर-GM संकर किस्मों से उपज बढ़ाई जाए और द्वितीय-पीढ़ी के इथेनॉल में निवेश किया जाए।

प्रश्न 3. खाद्य सचिव के रूप में, आपसे कहा जाता है कि कमजोर मानसून वाले वर्ष में डिस्टिलरियों को अधिक FCI चावल आवंटित करें। आप क्या सलाह देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। FCI के भंडार पर पहला दावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर मानदंडों का है, और कमजोर मानसून खरीद को घटा सकता है। मैं केवल बफर जरूरत से ऊपर के स्टॉक को आवंटित करने की सिफारिश करूंगा, साथ ही खरीफ खरीद अनुमान के बाद समीक्षा की शर्त रखूंगा, और सुझाव दूंगा कि तब तक तेल विपणन कंपनियां अन्य फीडस्टॉक से अधिक स्रोत जुटाएं। कानून के तहत खाद्य सुरक्षा के दायित्व ब्लेंडिंग लक्ष्यों से पहले आते हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

पांच खबरें, एक सबक: आज किसी रिश्ते को सबसे मजबूती से बांधने वाली चीज भाषण नहीं, बल्कि उसके नियम हैं। वाशिंगटन ने एक टैरिफ धमकी को कानून में बदल दिया है; ब्रसेल्स कॉपीराइट और बाल-सुरक्षा के ऐसे नियम लिख रहा है जिन्हें भारत को अपनाना या उनका जवाब देना पड़ सकता है; लीक हुए कागजात दिखाते हैं कि मुंबई में एक चीनी सरकारी बैंक डोकलाम के दौरान पार्टी से आदेश ले रहा था; और काठमांडू 2009 की व्यापार संधि को फिर से लिखवाना चाहता है। हर मामले में, इसके इर्द-गिर्द की कूटनीतिक भाषा से ज्यादा फैसला कानून, संधि या आंतरिक ज्ञापन (memo) के पाठ से होता है।

4.1 ट्रंप ने ग्राहम प्रतिबंध अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, खुद को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत दी

समाचार (THE NEWS) वाशिंगटन / नई दिल्ली — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act) पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया, द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) ने रिपोर्ट किया, जिससे राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस का बड़ी मात्रा में आयात करने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया। सीनेट द्वारा पिछले महीने पारित किए जाने के बाद, प्रतिनिधि सभा (House) ने पिछले बुधवार इसे 262-159 से मंजूरी दी थी। द हिंदू (The Hindu) के संपादकीय ने इस कानून को “एक नई और काफी अलग किस्म की वृद्धि (escalation)” बताया: पिछले साल का 50% टैरिफ एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर टिका था, जिसे उसी तरह वापस लिया जा सकता था, जबकि कांग्रेस का यह अधिनियम “कानूनी स्थायित्व का एक ऊंचा दर्जा” रखता है, और श्री ट्रंप को दी जाने वाली किसी भी छूट (waiver) को कांग्रेस के सामने लिखित रूप से उचित ठहराना होगा। सीधे शब्दों में, छूट राष्ट्रपति का यह फैसला है कि किसी खास देश पर दंड लागू न किया जाए। नए टैरिफ 10% “जबरन श्रम” (forced labour) टैरिफ और इस्पात व एल्युमिनियम पर 50% धारा 232 (Section 232) टैरिफ के ऊपर लगेंगे; अमेरिका भारत के माल निर्यात का करीब 20% लेता है, और टैरिफ लगाए जाने से पहले 30 दिन का समय है। ET की स्तंभकार सीमा सिरोही ने बताया कि छूट की कोई समय-सीमा नहीं है, जबकि कानून में पांच साल की समाप्ति-शर्त (sunset clause) है; 152 डेमोक्रेट्स ने इसके विरोध में मतदान किया। जुलाई में भारत के तेल आयात का 51% से अधिक हिस्सा रूस ने दिया (द हिंदू); द इकोनॉमिक टाइम्स ने अगस्त में भारत की खरीद 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन बताई, जो 45% हिस्सेदारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ET को बताया कि “भारत को अमेरिकी विदेश नीति की असफलताओं का निशाना बनाना उल्टा असर करेगा”, और कहा कि लाल सागर (Red Sea) में हूथी (Houthi) नाकेबंदी, होर्मुज नाकेबंदी के ऊपर, सऊदी कच्चे तेल की आपूर्ति भी रोक रही है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत विविध स्रोतों के जरिये अपने 1.4 बिलियन लोगों की ऊर्जा सुरक्षा (energy security) के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जो 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के 81वें सत्र को संबोधित करने वाले हैं, न्यूयॉर्क में यह मुद्दा उठा सकते हैं; वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सरकार से व्यापार समझौते को रोकने का आग्रह किया, इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि \$4 बिलियन से अधिक मूल्य के रूसी यूरेनियम और उर्वरकों के अमेरिकी आयात को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस (Indian Express) के एक विचार-लेख (op-ed) ने पांच सबसे बड़े खरीदारों के रूप में चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान का नाम लिया; श्री शर्मा ने कहा कि नाटो (NATO) सदस्य तुर्की, हंगरी और स्लोवाकिया को छूट मिलेगी — अखबार इस बारे में असहमत हैं कि असल में किसे खतरा है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-ईरान तनाव तेल आपूर्ति को संकुचित करते हैं → भारत रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी अपने आयात के आधे से ऊपर बढ़ाता है → कांग्रेस कार्यकारी टैरिफ धमकी को ग्राहम अधिनियम में बदल देती है → अब छूट के लिए कांग्रेस को लिखित औचित्य देना जरूरी है → भारत को 30 दिन के भीतर सस्ते तेल और अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार के बीच चुनना होगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- कार्यकारी आदेश और कांग्रेस का अधिनियम एक जैसे हथियार नहीं हैं — अमेरिकी संविधान के तहत, अनुच्छेद I (Article I) कांग्रेस को शुल्क लगाने की शक्ति देता है; राष्ट्रपति टैरिफ पर तभी कार्रवाई करते हैं जब कांग्रेस ने शक्तियां सौंपी हों, जैसे व्यापार विस्तार अधिनियम (Trade Expansion Act), 1962 की धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) और व्यापार अधिनियम (Trade Act), 1974 की धारा 301 (अनुचित व्यापार प्रथाएं)। सौंपी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत कार्यकारी आदेश से लगाया गया टैरिफ किसी दूसरे आदेश से वापस लिया जा सकता है और अदालती चुनौती के लिए खुला रहता है। किसी विशिष्ट कानून में दर्ज टैरिफ अधिकार को चुनौती देना और मोल-भाव में छोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल है, यही वजह है कि द हिंदू इसे एक गुणात्मक वृद्धि (qualitative escalation) बताता है।
- द्वितीयक प्रतिबंध लक्ष्य को नहीं, खरीदार को दंडित करते हैं — प्राथमिक प्रतिबंध (primary sanctions) किसी देश के अपने नागरिकों को लक्ष्य राष्ट्र (target state) के साथ लेन-देन करने से रोकते हैं। द्वितीयक प्रतिबंध (secondary sanctions) उन तीसरे देशों को दंडित करते हैं जो उस लक्ष्य के साथ लेन-देन जारी रखते हैं — यहां, रूसी तेल और गैस के खरीदार। भारत को रूस से S-400 खरीद को लेकर अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), 2017 (CAATSA) के तहत इसी उपकरण का सामना करना पड़ा था। भारत का घोषित रुख है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मान्यता देता है।
- WTO का तर्क वास्तविक है लेकिन व्यवहार में कमजोर — गैट (GATT), 1994 का अनुच्छेद I

	सबसे-तरजीही-राष्ट्र व्यवहार (most-favoured-nation treatment) अनिवार्य करता है, यानी किसी एक सदस्य पर लगाया गया टैरिफ सभी पर लागू होना चाहिए। देश-विशिष्ट दंडात्मक टैरिफ इसके साथ सहज नहीं बैठते, और अनुच्छेद XXI केवल आवश्यक सुरक्षा हितों के लिए अपवाद देता है। WTO की अपीलीय निकाय (Appellate Body) दिसंबर 2019 से निष्क्रिय है क्योंकि अमेरिका ने नियुक्तियों को रोक रखा है, इसलिए भारत के पक्ष में दिया गया कोई पैनल फैसला 'शून्य में' अपील किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत मुकदमेबाजी के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाता है। 4. सामरिक स्वायत्तता एक सिद्धांत है, संधि नहीं — सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy) भारत का लंबे समय से चला आ रहा वह रुख है कि वह हर मुद्दे पर अलग-अलग साझेदार चुनेगा और ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगा जो उसके विकल्पों को सीमित करे — यह गुटनिरपेक्षता (non-alignment) की ही अगली कड़ी है। इसका कोई कानूनी रूप नहीं है; इसकी परीक्षा तभी होती है जब कोई साझेदार कीमत थोपता है। ऊर्जा सबसे कठिन परीक्षा है क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का चार-पांचवें हिस्से से अधिक आयात करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 सीधे भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव के बारे में पूछता है — GS2 पाठ्यक्रम की यह पंक्ति ठीक ऐसी ही खबरों के लिए लिखी गई थी। UPSC ने 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों (CAATSA) और रूस से भारत की रक्षा खरीद के बारे में पूछा था, और 2019 में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका की वापसी के भारत के ऊर्जा और संपर्क (connectivity) हितों पर प्रभाव के बारे में पूछा था। 2. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अब मुख्य परीक्षा (Mains) का नियमित विषय बन गया है — GSP वापसी, टैरिफ और 'पारस्परिक' (reciprocal) व्यापार एजेंडे पर सवाल GS2 और GS3 दोनों में आ चुके हैं। जो उम्मीदवार यह समझा सके कि कोई कानून कार्यकारी आदेश से किस तरह अलग है, और WTO का रास्ता क्यों कमजोर है, वह शिकायतों की सूची गिनाने वाले उम्मीदवार से बेहतर उत्तर लिखेगा।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को उन आयातों पर टैरिफ लगाने की अनुमति देती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हों; इसका इस्तेमाल इस्पात और एल्युमिनियम टैरिफ के लिए किया गया था। ● अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 किसी व्यापारिक साझेदार की उन प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देती है जिन्हें अमेरिकी वाणिज्य के लिए अनुचित या भेदभावपूर्ण माना जाता है। ● CAATSA — काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट — अमेरिका ने 2017 में लागू किया था और यह द्वितीयक प्रतिबंधों सहित प्रतिबंधों के जरिये रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को लक्षित करता है। ● गैट, 1994 के अनुच्छेद I के तहत, WTO सदस्यों को सभी अन्य सदस्यों को सबसे-तरजीही-राष्ट्र व्यवहार देना जरूरी है; अनुच्छेद XXI सुरक्षा अपवाद प्रदान करता है। ● WTO की अपीलीय निकाय के पास दिसंबर 2019 से कोरम (quorum) नहीं है क्योंकि इसमें नियुक्तियों को रोक दिया गया है। ● सामान्यीकृत तरजीही व्यवस्था (Generalised System of Preferences, GSP) एक एकपक्षीय योजना है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों से आयात पर कम शुल्क देते हैं; अमेरिका ने 2019 में भारत के GSP लाभ समाप्त कर दिए थे।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. अधिनियम की असली ताकत 100% में नहीं, विवेकाधिकार (discretion) में है — '100% तक' का मतलब है कि राष्ट्रपति कोई भी दर चुन सकते हैं, चाहे कम ही क्यों न हो, और पूरी तरह छूट भी दे सकते हैं। इससे यह कानून स्वचालित दंड के बजाय एक सौदेबाजी का हथियार (bargaining chip) बन जाता है: इसका मकसद व्यापार समझौते और तेल की खरीद पर रियायतें हासिल करना है, जैसा इंडियन एक्सप्रेस के विचार-लेख ने पहले ही अनुमान लगाया था। भारत के लिए इसका दोहरा असर है। इससे कम दर पर बातचीत की गुंजाइश बनती है, जैसा द हिंदू सुझाता है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि अगले पांच साल में हर टकराव बिंदु पर यह धमकी फिर उठाई जा सकती है। जो दंड तय हो उसकी कीमत लगाई जा सकती है; जो विवेकाधीन हो वह हर बातचीत पर मंडराता रहता है। 2. भारत का प्रभाव (leverage) 2025 की तुलना में अब कमजोर है — पिछले साल व्यापार वार्ता आगे बढ़ने के साथ 25% तेल दंड वापस ले लिया गया था, जिससे लगा कि भारत बाजार पहुंच के बदले राहत हासिल कर सकता है। इस बार होर्मुज और लाल सागर में हुई बाधाएं रूसी कच्चे तेल के विकल्पों को दुर्लभ और महंगा बना रही हैं, जबकि तेल की कीमतें \$100 प्रति बैरल से ऊपर हैं। सीमा सिरोही की बात साफ है: चीन पहले के दबाव से इसलिए बच निकला क्योंकि

उसके पास दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earths) पर नियंत्रण है जिनकी अमेरिका को जरूरत है, जबकि भारत के पास ऐसा कोई तुलनीय दबाव-बिंदु (chokepoint) नहीं है। भारत का प्रभाव उसके बाजार आकार और अमेरिका की इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) रणनीति में उसकी भूमिका में निहित है, और दोनों धीरे-धीरे असर दिखाते हैं।

3. इतिहास बताता है कि भारत चाहे जो कहे, चुपचाप रूसी आयात घटा देगा — द हिंदू का संपादकीय दर्ज करता है कि भारत आमतौर पर खास देशों से तेल आयात घटाने के अमेरिकी दबाव का पालन करता रहा है, “सामरिक स्वायत्तता के मुखर दावों के बावजूद”। ईरान और वेनेजुएला (Venezuela) इसकी मिसालें हैं। इसलिए संभावित नतीजा अवज्ञा नहीं, बल्कि रूसी हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी होगी, जिसे बाजार-प्रेरित विविधीकरण (market-driven diversification) का रूप दिया जाएगा — जो ठीक वही भाषा है जो विदेश मंत्रालय पहले ही अपना चुका है। इसके विपरीत तर्क यह है कि रूसी आपूर्ति का पैमाना, जो आयात के आधे से ऊपर है, घरेलू कीमत झटके के बिना जल्दी बदलने के लिए बहुत बड़ा है।
4. दोहरे मापदंड का आरोप राजनीतिक रूप से मजबूत है लेकिन कानूनी रूप से अप्रासंगिक — कांग्रेस का तर्क है कि अमेरिका खुद \$4 बिलियन से अधिक मूल्य को रूसी यूरेनियम और उर्वरक खरीदता है और यूरोपीय खरीदारों को छूट देता है। यह असंगति (inconsistency) का एक वाजिब आरोप है, और घरेलू राजनीति में यह अच्छा असर डालता है। लेकिन द्वितीयक प्रतिबंध हमेशा से चुनिंदा रहे हैं; अमेरिका ही तय करता है कि किसे दंडित करना है। उपयोगी जवाब असंगति पर विरोध जताना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है: रूसी गैस ‘घटाने’ वाले देशों को दी गई छूट दिखाती है कि छूट की कीमत एक विश्वसनीय कमी-पथ (reduction path) है।
5. रिफाइनर जिस लागत से बचता है, उसका बोझ MSME निर्यातक उठाता है — सस्ता रूसी कच्चा तेल रिफाइनरों को और परोक्ष रूप से राजकोषीय (fiscal) व महंगाई की स्थिति को फायदा पहुंचाता है। इसके विपरीत, 100% टैरिफ का बोझ परिधान (garment), चमड़ा, रत्न-आभूषण (gems) और इंजीनियरिंग निर्यातकों पर पड़ेगा, जिनमें अधिकांश छोटी फर्म हैं, जो, जैसा द हिंदू बताता है, यह लागत खरीदारों के साथ साझा नहीं कर सकतीं। इसलिए यह समझौता भारत बनाम अमेरिका नहीं, बल्कि एक भारतीय तबके का दूसरे के मुकाबले है, और एक प्रशासक को इसे इसी तरह देखना चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“टैरिफ की धमकी को कानून में बदलना भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक गुणात्मक बदलाव को दर्शाता है।” अमेरिका के सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (Sanctioning Russia and Iran Act) के आलोक में, भारत के पास अपनी ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात हितों दोनों की रक्षा के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. प्रस्तावना — घटनाक्रम को सटीक रूप से बताएं: यह अधिनियम रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, छूट के लिए कांग्रेस को लिखित औचित्य देना जरूरी बनाता है, और पिछले साल के कार्यकारी आदेश-आधारित दंड के बाद आया है। एक वाक्य में बताएं कि कोई कानून वापस लेना क्यों ज्यादा मुश्किल है।
2. मुख्य भाग — दोनों तरफ का दांव — ऊर्जा: जुलाई में तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी आधे से ऊपर, होर्मुज और लाल सागर में बाधाएं, तेल की कीमत \$100 से ऊपर। निर्यात: अमेरिका माल निर्यात का करीब 20% लेता है; मौजूदा 10% और धारा 232 टैरिफ के ऊपर 100% शुल्क को MSME निर्यातक झेल नहीं सकते।
3. मुख्य भाग — भारत के विकल्प — द हिंदू के संपादकीय से तीन विकल्प: रूसी आयात घटाना, उन्हें बनाए रखते हुए टैरिफ सहना, या कम दर या छूट पर बातचीत करना। आपूर्तिकर्ता विविधीकरण (ओमान के वैकल्पिक बंदरगाह, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप), WTO का रास्ता और उसकी सीमाएं, और लंबित व्यापार समझौते से जुड़ाव भी जोड़ें।
4. मुख्य भाग — रणनीतिक ढांचा — कीमत के जरिये सामरिक स्वायत्तता की परीक्षा; अमेरिका और चीन दोनों से पूर्ण अलगाव (decoupling) के बजाय जोखिम-न्यूनीकरण (de-risking), जैसा इंडियन एक्सप्रेस के विचार-लेख में तर्क दिया गया है; ईरान और वेनेजुएला पर पालन की मिसाल।
5. निष्कर्ष — एक संतुलित रास्ते की वकालत करें: दृश्यमान, क्रमिक विविधीकरण जो छूट दिलाए, साथ ही व्यापार वार्ता का इस्तेमाल कम दर सुनिश्चित करने के लिए करें — अगर भारत 30-दिन की खिड़की बंद होने से पहले बातचीत करता है, तो ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात पहुंच के बीच शून्य-योग (zero-sum) चुनाव जरूरी नहीं है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S)

प्रश्न 1. आप वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। निर्यातक संगठन चाहते हैं कि सरकार सार्वजनिक रूप से कहे कि टैरिफ लगाए जाने पर भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। आप क्या सलाह

BRAINSTORM — Q & APPROACH

देंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं दर तय होने से पहले सार्वजनिक रूप से जवाबी कार्रवाई की प्रतिबद्धता जताने के खिलाफ सलाह दूंगा, क्योंकि अधिनियम 100% तक कुछ भी लगाने की अनुमति देता है और पहले से दी गई धमकी कम दर पर बातचीत की गुंजाइश घटा देती है। इसके बजाय, उत्पाद श्रेणी और राज्य के हिसाब से टैरिफ-प्रभाव आकलन (tariff-impact assessment) तैयार करूंगा, ताकि वार्ता दल को पता हो कि कौन-सा क्षेत्र कितना झेल सकता है। निर्यातकों को निजी तौर पर और नियमित रूप से जानकारी दूंगा ताकि चुप्पी को निष्क्रियता न समझा जाए। जवाबी कार्रवाई के विकल्प कागज पर तैयार रहने चाहिए, लेकिन इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में हो।

प्रश्न 2. वाशिंगटन में एक भारतीय राजनयिक के रूप में, आप इस तथ्य का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि 152 डेमोक्रेट्स ने इस अधिनियम के खिलाफ मतदान किया ?

दृष्टिकोण (Approach): यह दिखाता है कि यह अधिनियम भारत के खिलाफ द्विदलीय (bipartisan) सहमति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रपति को दी गई विवादित शक्ति है। इससे कांग्रेस के उन सदस्यों तक पहुंच का रास्ता खुलता है जो कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित हैं। मैं उन्हें आंकड़ों के साथ भारत के विविधीकरण कदमों की जानकारी दूंगा, क्योंकि छूट को कांग्रेस के सामने उचित ठहराना जरूरी है और इसलिए कांग्रेस एक ऐसा श्रोता-वर्ग है जिसे साधना जरूरी है। मकसद छूट को राजनीतिक रूप से उचित ठहराना आसान बनाना है।

प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: “क्या युद्ध के दौरान रूसी तेल खरीदना सीधे तौर पर गलत नहीं है?”

दृष्टिकोण (Approach): भारत का रुख यह है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानता है, एकपक्षीय प्रतिबंधों को नहीं, और उसे 1.4 बिलियन लोगों के लिए किफायती ऊर्जा सुनिश्चित करनी है। यूरोपीय देशों ने भी रूसी ऊर्जा का आयात जारी रखा, जिससे यह नैतिक तर्क कमजोर पड़ जाता है जब इसे केवल भारत पर लागू किया जाए। साथ ही, भारत युद्ध खत्म करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान करता रहा है, और उसका इसका जल्द खत्म होने में हित भी है। ईमानदार जवाब दोनों बातों को साथ रखता है: भारत अपने हित में काम करता है और शांति की वकालत भी करता है, और यह दिखावा नहीं करता कि दोनों बातें कभी टकराती नहीं।

4.2 भारत-EU FTA के मसौदा कॉपीराइट अध्याय से ISP, छात्रों और पुस्तकालयों के लिए सेफ हार्बर खतरे में

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली — यूरोपीय आयोग (European Commission) ने औपचारिक रूप से EU सदस्य देशों से भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement, FTA) पर हस्ताक्षर और उसे अंतिम रूप देने की मंजूरी मांगी है, और मसौदा बौद्धिक संपदा अध्याय (Intellectual Property Chapter) का ब्योरा सार्वजनिक हो गया है। द हिंदू में, बंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के IPR चेयर जाकिर थॉमस, और पूर्व में JNU में IPR चेयर प्रोफेसर रहे बिस्वजीत धर का तर्क है कि कॉपीराइट प्रावधानों के लिए भारत के कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act), 1957 में संशोधन करना पड़ेगा। उनका मुख्य बिंदु राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) खंड (अनुच्छेद 10.8) से जुड़ा है। राष्ट्रीय व्यवहार का मतलब है कि हर साझेदार को दूसरे के अधिकार-धारकों (rightsholders) को वही सुरक्षा देनी होगी जो वह अपने खुद के अधिकार-धारकों को देता है। मसौदा दोनों पक्षों की WIPO कॉपीराइट संधि (WIPO Copyright Treaty, WCT) और TRIPS के प्रति प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करता है, लेकिन इस खंड से WCT को छोड़ देता है — जबकि अनुच्छेद 10.8(1) का फुटनोट 1, ‘सुरक्षा’ को तकनीकी संरक्षण उपायों (technological protection measures, TPM) (अनुच्छेद 10.18) के उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन और अधिकार प्रबंधन सूचना (rights management information) (अनुच्छेद 10.19) तक बढ़ा देता है। परिणाम यह है, उनके अनुसार, कि भारत WCT के प्रवर्तन आदेशों को तो बनाए रखता है लेकिन डिजिटल कृतियों के लिए WCT के अपवादों (इसका अनुच्छेद 10) को खो देता है। FTA के तहत सीमाएं और अपवाद (अनुच्छेद 10.21) EU के कॉपीराइट कानूनों से उधार लिए गए एक संकीर्ण ‘तीन-चरणीय परीक्षण’ (three-step test) का पालन करते हैं, इसलिए विदेशी अधिकार-धारक धारा 52 के तहत भारत के फेयर-डालिंग (fair-dealing) अपवादों को चुनौती दे सकते हैं। तीन समूहों का नाम लिया गया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (Internet service providers, ISP) को धारा 52(1)(b) और (c) के तहत, नियमित डेटा रूटिंग के दौरान RAM और सर्वर केश में बनाई गई अस्थायी प्रतियों के लिए संरक्षण मिलता है, और कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 75 की सूचना-और-हटाओ (notice-and-takedown) व्यवस्था इन्हीं सेफ हार्बर (safe harbours) पर टिकी है; मसौदा अनुच्छेद 10.11(a) के तहत सभी “अस्थायी या स्थायी” पुनरुत्पादन (reproductions) पर एक निरपवाद अधिकार देता है, जो WCT के अनुच्छेद 8 और 10 के सहमत वक्तव्यों (Agreed Statements) के विपरीत है। छात्र और सुरक्षा शोधकर्ता धारा 52(1)(ab) और (ac) के तहत कानूनी रूप से सॉफ्टवेयर की रिवर्स-इंजीनियरिंग (reverse-engineer) और परीक्षण कर सकते हैं, और धारा 65A(2) उन्हें किसी वैध उद्देश्य के लिए बिना अपराधिक दायित्व के डिजिटल लॉक (digital lock) को पार करने देती है; एक सख्त परिपथ-भंजन-रोधी (anti-circumvention) व्यवस्था उन्हें अपराधी बना सकती है। पुस्तकालय और अभिलेखागार (archives), जो अप्रचलित (out-of-print) कृतियों को नए प्रारूप में बदलते हैं, यह अधिकार खो सकते हैं। लेखकों का कहना है कि वार्ताकार “भारतीय संसद के जनादेश से आगे निकल गए लगते हैं”, वे DU फोटोकॉपी मामले (DU Photocopy case) का हवाला देते हैं, और उनसे राष्ट्रीय व्यवहार खंड में WCT को फिर से शामिल करने का आग्रह करते हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत-EU FTA वार्ता समापन के करीब → EU अपने ही कॉपीराइट कानून पर आधारित एक विस्तृत IP अध्याय हासिल करता है → WCT प्रवर्तन के लिए रखा जाता है लेकिन राष्ट्रीय व्यवहार से हटा दिया जाता है → भारत की धारा 52 और 65A(2) के अपवाद चुनौती-योग्य बन जाते हैं → संसद को व्यापार संधि के अनुरूप कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन करना पड़ सकता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. भारत का कॉपीराइट अधिनियम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा उतनी ही जानबूझकर करता है जितनी मालिकों की — कॉपीराइट अधिनियम, 1957 लेखकों को विशेष अधिकार देता है, लेकिन धारा 52 उन कार्यों को सूचीबद्ध करती है जो उल्लंघन नहीं माने जाते, जिनमें निजी इस्तेमाल, शोध, आलोचना और रिपोर्टिंग के लिए फेयर-डीलिंग, शैक्षणिक इस्तेमाल, और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के दौरान अस्थायी भंडारण (transient storage) शामिल हैं। धारा 52(1)(b) और (c) मध्यस्थों (intermediaries) द्वारा अस्थायी और आनुषंगिक भंडारण को कवर करती हैं, और धारा 52(1)(ab) और (ac) अंतर-संचालनीयता (interoperability) और किसी प्रोग्राम का अवलोकन या परीक्षण करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की अनुमति देती हैं। 2012 के संशोधन ने तकनीकी संरक्षण उपायों पर धारा 65A और अधिकार प्रबंधन सूचना पर धारा 65B जोड़ी। 2. WCT इंटरनेट-युग की कॉपीराइट संधि है, और भारत 2018 में इसमें शामिल हुआ — WIPO कॉपीराइट संधि, 1996 कॉपीराइट को डिजिटल परिवेश तक बढ़ाती है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस शामिल हैं, और सदस्यों को TPM व अधिकार प्रबंधन सूचना की सुरक्षा करने के लिए बाध्य करती है। इसका अनुच्छेद 10 सीमाओं और अपवादों की अनुमति देता है, और सहमत वक्तव्य स्पष्ट करते हैं कि इन्हें डिजिटल परिवेश तक बढ़ाया जा सकता है। भारत 2018 में WCT और WIPO प्रदर्शन और ध्वनि-मुद्रण संधि (WIPO Performances and Phonograms Treaty) में शामिल हुआ था। 3. तीन-चरणीय परीक्षण तय करता है कि अपवाद कितने व्यापक हो सकते हैं — बर्न कन्वेंशन (Berne Convention) के अनुच्छेद 9(2) में पहली बार तय और TRIPS के अनुच्छेद 13 में दोहराया गया यह परीक्षण अपवादों को केवल कुछ खास मामलों में अनुमति देता है जो कृति के सामान्य उपयोग से न टकराएं और अधिकार-धारक के वैध हितों को अनुचित रूप से नुकसान न पहुंचाएं। इसे कितनी सख्ती से पढ़ा जाता है, यह तय करता है कि भारत जैसे व्यापक शैक्षणिक अपवाद बचे रहेंगे या नहीं। एक संकीर्ण व्याख्या, जैसा लेखकों को आशंका है, अधिकार-धारकों के पक्ष में जाती है। 4. 'TRIPS-plus' शब्द WTO की न्यूनतम सीमा से आगे की प्रतिबद्धताओं के लिए है — TRIPS सभी WTO सदस्यों के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा के न्यूनतम मानक तय करता है। मुक्त व्यापार समझौते अक्सर इससे ज्यादा सख्त दायित्व जोड़ते हैं, जिन्हें TRIPS-plus प्रावधान कहा जाता है, जैसे लंबी अवधि, मजबूत प्रवर्तन या संकीर्ण अपवाद। भारत ऐतिहासिक रूप से TRIPS-plus प्रतिबद्धताओं का विरोध करता रहा है, जो सबसे स्पष्ट रूप से पेटेंट अधिनियम (Patents Act) की धारा 3(d) के तहत औषधि पेटेंट (pharmaceutical patents) पर दिखा है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यापार समझौते GS2 और GS3 दोनों में बार-बार आते हैं — GS3 पाठ्यक्रम में 'बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दे' सूचीबद्ध हैं, और GS2 भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौतों को कवर करता है। UPSC TRIPS की लचीलेपन-सुविधाओं (flexibilities) और राष्ट्रीय IPR नीति के बारे में पूछ चुका है; किसी व्यापार समझौते का IP अध्याय दोनों को जोड़ देता है। 2. प्रारंभिक परीक्षा संधियों के नाम और कानूनी धाराओं की परीक्षा लेती है — WIPO संधियों, बर्न कन्वेंशन और कॉपीराइट अधिनियम के दायरे पर सवाल प्रारंभिक परीक्षा में आ चुके हैं। भारत-EU FTA के चलते WCT और धारा 52 संभावित सामग्री बन जाते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का प्रशासन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) करता है; धारा 52 उन कार्यों को सूचीबद्ध करती है जो उल्लंघन नहीं माने जाते। ● कॉपीराइट अधिनियम की धारा 65A, जो 2012 के संशोधन से जोड़ी गई, तकनीकी संरक्षण उपायों की सुरक्षा से संबंधित है; धारा 65B अधिकार प्रबंधन सूचना से संबंधित है। ● WIPO कॉपीराइट संधि 1996 में अपनाई गई थी और भारत 2018 में WIPO प्रदर्शन और ध्वनि-मुद्रण संधि के साथ इसमें शामिल हुआ। ● कॉपीराइट अपवादों के लिए तीन-चरणीय परीक्षण बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 9(2) से आता है और यह TRIPS समझौते के अनुच्छेद 13 में भी मिलता है। ● राष्ट्रीय व्यवहार के तहत किसी संधि पक्ष को अन्य पक्षों के नागरिकों को वही सुरक्षा देनी होती है जो वह अपने नागरिकों को देता है। ● कॉपीराइट नियम, 2013 का नियम 75 उन मध्यस्थों के लिए सूचना-और-हटाओ प्रक्रिया

	प्रदान करता है जो उल्लंघनकारी प्रतियां अस्थायी रूप से संग्रहीत करते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. असंतुलन (asymmetry) ही पूरी समस्या है — किसी संधि के दायित्व रखते हुए उसकी लचीलेपन-सुविधाओं को बाहर रखना तटस्थ मसौदा-निर्माण नहीं है; यह संतुलन को एक दिशा में मोड़ देता है। WCT खुद लेखकों और जनता के बीच एक समझौता था, जिसमें एक तरफ प्रवर्तन और दूसरी तरफ अपवाद थे। जो FTA केवल पहला आधा हिस्सा आयात करता है, वह दोनों पक्षों के बहुपक्षीय (multilateral) स्तर पर स्वीकार किए गए से ज्यादा सख्त व्यवस्था बना देता है। अगर लेखकों की व्याख्या सही है, तो भारत एक द्विपक्षीय समझौते में वह स्वीकार करेगा जो वह WIPO में कभी स्वीकार नहीं करता। 2. व्यापार संधियां पिछले दरवाजे से घरेलू कानून बदल सकती हैं — लेखकों का सबसे तीखा दावा यह है कि वार्ताकार संसद के जनादेश से आगे निकल गए। अनुच्छेद 253 के तहत, संसद को संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन कार्यपालिका (executive) इनकी बातचीत और हस्ताक्षर संसद की पूर्व मंजूरी के बिना करती है। एक बार हस्ताक्षर हो जाने पर, जिस संधि के लिए कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन जरूरी हो, वह संसद के सामने कानून बदलने या भारत को उल्लंघन (breach) की स्थिति में डालने का विकल्प छोड़ देती है। यह हस्ताक्षर से पहले, बाद में नहीं, व्यापार पाठों की संसदीय जांच का तर्क है। 3. ISP सेफ हार्बर पूरी इंटरनेट अर्थव्यवस्था के लिए मायने रखता है — हर वेब पेज, स्ट्रीम या डाउनलोड मेमोरी और कैश में अस्थायी प्रतियां बनाता है। अगर उन प्रतियों के लिए अनुमति जरूरी हो जाए, तो मध्यस्थों को सामान्य रूटिंग के लिए भी दायित्व का सामना करना पड़ेगा, और सूचना-और-हटाओ व्यवस्था अव्यवहारिक हो जाएगी। यह सिर्फ छात्रों की चिंता नहीं, बल्कि दूरसंचार परिचालकों, क्लाउड प्रदाताओं और प्लेटफॉर्मों को प्रभावित करने वाली एक अवसंरचना (infrastructure) संबंधी चिंता है। यह आलोचना का वह हिस्सा है जिसे भारत के उद्योग जगत में समर्थन मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। 4. विपरीत दृष्टिकोण: मजबूत IP यूरोपीय सामग्री और निवेश को आकर्षित कर सकता है — यूरोपीय वार्ताकारों का तर्क होगा कि मजबूत प्रवर्तन रचनात्मक उद्योगों (creative industries) की रक्षा करता है, और यह कि FTA भारतीय वस्त्र, चमड़ा और औषधि उद्योगों के लिए टैरिफ लाभ लाता है जो किसी भी कॉपीराइट लागत से कहीं अधिक हैं। संधि में यह सामान्य भाषा भी हो सकती है जो हर पक्ष के अपवादों के इस्तेमाल के अधिकार की पुष्टि करती हो। सवाल यह है कि क्या लेखकों द्वारा सुझाए गए विशिष्ट मसौदा-सुधार समझौते को फिर से खोले बिना हासिल किए जा सकते हैं। लक्षित संशोधन (targeted revisions) अस्वीकृति से कहीं अधिक यथार्थवादी हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	व्यापार समझौते तेजी से घरेलू बौद्धिक संपदा कानून को आकार दे रहे हैं। मसौदा भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते में कॉपीराइट प्रावधानों के संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि भारत शिक्षा, शोध और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपने नीतिगत क्षेत्र (policy space) की रक्षा कैसे कर सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — बताएं कि EU आयोग ने FTA पर हस्ताक्षर के लिए सदस्य देशों की मंजूरी मांगी है और इसका IP अध्याय सार्वजनिक हो गया है; एक वाक्य में TRIPS-plus को परिभाषित करें। 2. मुख्य भाग — मसौदा क्या करता है — राष्ट्रीय व्यवहार (अनुच्छेद 10.8), TPM और RMI प्रवर्तन बरकरार रखते हुए WCT को छोड़ना, अनुच्छेद 10.21 में तीन-चरणीय परीक्षण, और अनुच्छेद 10.11(a) में पुनरुत्पादन अधिकार समझाएं। 3. मुख्य भाग — कौन प्रभावित होगा — धारा 52(1)(b) और (c) तथा नियम 75 के तहत ISP; धारा 52(1)(ab), (ac) और 65A(2) के तहत छात्र और शोधकर्ता; पुस्तकालय और अभिलेखागार; शैक्षणिक फेयर यूज (fair use) के न्यायिक वक्तव्य के रूप में DU फोटोकॉपी मामला। 4. मुख्य भाग — संतुलनकारी दृष्टिकोण — FTA से बाजार पहुंच के लाभ; प्रवर्तन में EU की रुचि; साइड लेटर (side letters) या व्याख्यात्मक टिप्पणियों (interpretive notes) की संभावना। 5. निष्कर्ष — राष्ट्रीय व्यवहार में WCT को फिर से शामिल करने, धारा 52 को स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखने, और हस्ताक्षर से पहले व्यापार पाठों की संसदीय समीक्षा बनाने की सिफारिश करें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. DPIIT सचिव के रूप में, आपसे पूछा जाता है कि क्या हस्ताक्षर के बाद कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन करना जरूरी है। आपका जवाब क्या है? दृष्टिकोण (Approach): मैं वार्ताकारों के आश्वासन या आलोचकों की व्याख्या पर भरोसा करने के बजाय, सबसे पहले अंतिम पाठ की धारा 52, 65A और 65B के साथ खंड-दर-खंड कानूनी तुलना

करवाऊंगा। अगर संशोधन जरूरी हों, तो मंत्रिमंडल (Cabinet) को हस्ताक्षर से पहले पता होना चाहिए, बाद में नहीं। मैं मौजूदा अपवादों को सुरक्षित रखने वाले व्याख्यात्मक नोट या साइड लेटर का प्रस्ताव रखूंगा। सबसे खराब नतीजा एक ऐसी हस्ताक्षरित संधि है जो संसद को चौंका दे।

प्रश्न 2. एक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (librarian) आपको लिखता है कि उसे डर है कि पुरानी कृतियों को नए प्रारूप में बदलना गैरकानूनी हो जाएगा। आप कैसे जवाब देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): समझाऊंगा कि संधि अभी लागू नहीं हुई है और भारतीय कानून, जिसमें धारा 52 और धारा 65A(2) शामिल हैं, तब तक लागू रहेगा जब तक संसद उसे नहीं बदलती। ईमानदारी से बताऊंगा कि यह चिंता उठाई जा चुकी है और उस पर विचार हो रहा है। पुस्तकालय संघ को विशिष्ट उपयोग-मामले (use cases) भेजने के लिए आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ठोस उदाहरण बातचीत में वजन रखते हैं। झूठा आश्वासन नहीं दूंगा।

प्रश्न 3. क्या व्यापार वार्ताकारों को IP अध्याय पर सहमत होने से पहले विश्वविद्यालयों और ISP से सलाह लेनी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): हां, संरचित और गोपनीय परामर्श (consultation) के जरिये। वार्ताकार नियमित रूप से निर्यातकों से सलाह लेते हैं; कॉपीराइट के उपयोगकर्ता भी उतने ही प्रभावित हितधारक (stakeholders) हैं। परामर्श पाठ की गुणवत्ता सुधारता है और घरेलू प्रतिक्रिया (backlash) के जोखिम को घटाता है। मसौदा पाठ बांटने के बजाय मुद्दों पर सलाह लेकर गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है।

4.3 लीक हुई ICBC फाइलें दिखाती हैं कि मुंबई में एक चीनी सरकारी बैंक ने डोकलाम के दौरान \$185 मिलियन रोक दिए थे

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली / मुंबई — जब 2017 में डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिक आमने-सामने थे, तब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC) की मुंबई शाखा ने “सक्रिय रूप से अपने ऋण और निवेश जोखिम एक्सपोजर को घटाया और \$185 मिलियन के कुल 11 स्वीकृत लेकिन अवितरित ऋणों और बॉन्ड निवेशों का वितरण रोक दिया”, द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) ने रिपोर्ट किया (रितु सरिन), जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) की अगुवाई वाली वैश्विक जांच चाइना कैपिटल (China Capital) में देखे गए आंतरिक दस्तावेजों पर आधारित थी। वही दस्तावेज कहता है कि शाखा ने “सभी विभागों में पार्टी सदस्यों को अपने पदों पर बने रहने के लिए संगठित किया, दूतावास और वाणिज्य दूतावास के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखते हुए”। ये संदर्भ जनवरी 2018 की 178 पन्नों की एक कार्य-सारांश रिपोर्ट में मिलते हैं, जो ICBC की 42 विदेशी शाखाओं की है और “गोपनीय” व “बाहरी वितरण के लिए नहीं” चिह्नित है; इसमें कहा गया है कि सीमा स्थिति के कारण मुंबई बीजिंग द्वारा तय शुद्ध लाभ लक्ष्य का केवल 57.7% ही हासिल कर पाई; इस रोक से परिचालन राजस्व (operating revenue) में करीब \$6.36 मिलियन की कमी आई। शाखा ने “तनावपूर्ण अवधि” के दौरान CEO चाय-सत्र (tea sessions) और स्थानीय कर्मचारियों के साथ एक-एक बैठकें भी कीं। \$8 ट्रिलियन से अधिक संपत्ति वाला ICBC चीन का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है; चीनी सरकार के पास इसका 70% से अधिक हिस्सा है। चाइना कैपिटल के 4.8 मिलियन दस्तावेजों वाले डेटासेट, जो 2005 से 2024 तक के हैं, ICBC की लंदन शाखा से आए; इन्हें सबसे पहले हैकिंग समूह हंटर्स इंटरनेशनल (Hunters International) ने हासिल किया और ICIJ को लीक किया, जिसने इन्हें 24 देशों के 24 मीडिया साझेदारों और 75 पत्रकारों के साथ साझा किया। 2024 के एंजेंडा दिखाते हैं कि बैंक की एक ‘पार्टी समिति’ (Party Committee) प्रमुख कर्मियों को जिम्मेदारियां सौंपती है। ICBC की मुंबई शाखा 18 सितंबर, 2011 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (Bandra Kurla Complex) में मुख्य-भूमि चीन के पहले बैंक की शाखा के रूप में खुली थी; इसकी संपत्ति 2015 के 1,386 करोड़ रुपये के स्तर से लगभग पांच गुना हो चुकी है, और 2025-26 में इसके शीर्ष 20 कर्जदारों का हिस्सा 2,203 करोड़ रुपये, यानी अग्रिमों (advances) का 58.14%, है। जून 2018 में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने प्रस्तावित दूसरी शाखा पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि स्वीकृत संख्या से अधिक चीनी नागरिक नियुक्त हैं; अब तक कोई नहीं खुली है। एक अलग रिपोर्ट (जय मजूमदार और श्यामलाल यादव) के अनुसार ICBC ने 2016 में साइप्रस-आधारित वेदान्ता (Vedanta) की सहायक कंपनी वेल्टर ट्रेडिंग (Welter Trading) को \$500 मिलियन के सिंडिकेटेड ऋण (syndicated loan) को लेकर अपनी निगरानी सूची (watchlist) में डाला था, जिसमें ICBC का एक्सपोजर करीब \$65 मिलियन था; यह 2017 में पूरी तरह चुका दिया गया। ICBC ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत-भूटान-चीन त्रि-जंक्शन पर स्थित डोकलाम में 73 दिन का गतिरोध चला था जो अगस्त 2017 में समाप्त हुआ।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

चीन का राज्य अपने बड़े बैंकों का मालिक है और पार्टी उन्हें निर्देशित करती है → ICBC 2011 में मुंबई में एक वाणिज्यिक पुल के रूप में खुलता है → 2017 का डोकलाम गतिरोध एक बैंक शाखा को राजनीतिक चौकी में बदल देता है → ऋण रोकें जाते हैं और पार्टी कार्यकर्ता दूतावास को रिपोर्ट करते हैं → भारत 2026 में जानता है कि संकट में एक विदेशी सरकारी बैंक कैसा व्यवहार करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- डोकलाम भूटान-चीन विवाद है जिसमें भारत सिलिगुड़ी गलियारे की रक्षा के लिए कूदा — डोकलाम भारत, भूटान और चीन के त्रि-जंक्शन पर स्थित एक पठार है। जून 2017 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army) ने भूटान द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में एक सड़क बढ़ाने की कोशिश की; भारतीय सैनिकों ने हस्तक्षेप किया क्योंकि वहां चीनी मौजूदगी सिलिगुड़ी

	गलियारे (Siliguri corridor) पर नज़र रख सकती थी, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाली संकरी पट्टी है। यह गतिरोध 73 दिन बाद अगस्त 2017 में आपसी वापसी (mutual disengagement) के साथ समाप्त हुआ। भारत और भूटान का विशेष संबंध 1949 की मैत्री संधि (Treaty of Friendship) पर टिका है, जिसे 2007 में संशोधित किया गया। 2. भारत में विदेशी बैंक RBI के लाइसेंस और निगरानी में काम करते हैं — बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), 1949 के तहत, किसी विदेशी बैंक को शाखाएं खोलने के लिए RBI का लाइसेंस चाहिए, और RBI उसके परिचालन की निगरानी अन्य किसी भी बैंक की तरह करता है। 2013 से RBI नए विदेशी प्रवेशकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (wholly owned subsidiaries) के रूप में स्थापित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे भारतीय नियामकों को पूंजी और शासन पर अधिक नियंत्रण मिलता है। शाखा विस्तार के लिए RBI की मंजूरी जरूरी है, और गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी (security clearance) भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। 3. भारत 2020 से चीनी पूंजी की जांच करता है — 2020 का प्रेस नोट 3 (Press Note 3) भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले किसी भी देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य बनाता है, जिसका व्यवहार में मतलब चीन है। इसे महामारी के दौरान अवसरवादी अधिग्रहणों (opportunistic takeovers) को रोकने के लिए अप्रैल 2020 में जारी किया गया था। जून 2020 के गलवान संघर्ष के बाद, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत कई चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया। 4. ICLJ सीमा-पार खोजी पत्रकारिता का मॉडल है — वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स साझा लीक हुए डेटासेट पर विभिन्न देशों के पत्रकारों के बीच समन्वय करता है। इसकी पहले की जांचों में पनामा पेपर्स (Panama Papers, 2016), पैराडाइज पेपर्स (Paradise Papers, 2017) और पंडोरा पेपर्स (Pandora Papers, 2021) शामिल हैं, जिनमें से हर एक ने भारत में कर और नियामक जांच शुरू करवाई।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. भारत-चीन संबंधों पर लगभग हर साल सवाल पूछा जाता है — GS2 पाठ्यक्रम में 'भारत और उसका पड़ोस' तथा 'भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह' शामिल हैं। UPSC चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China-Pakistan Economic Corridor) और चीन के उभार के प्रति भारत की रणनीति के बारे में पूछ चुका है; डोकलाम खुद एक प्रारंभिक परीक्षा का स्थान (Prelims location) है। 2. आर्थिक सुरक्षा अब GS3 का विषय है — GS3 में 'विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध' और 'सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन' शामिल हैं, और हाल के सवालों ने आर्थिक दबाव (economic coercion) और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षा मामलों के रूप में देखा है। यह खबर इस दृष्टिकोण का प्रमाण है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- डोकलाम पठार भारत, भूटान और चीन के त्रि-जंक्शन पर, चुम्बी घाटी (Chumbi valley) के निकट स्थित है। - सिलिगुड़ी गलियारा, जिसे अक्सर 'चिकन नेक' (Chicken's Neck) कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष देश से जोड़ता है। - प्रेस नोट 3 (2020) भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से FDI के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी अनिवार्य बनाता है। - विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं संचालित करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RBI का लाइसेंस चाहिए। - भारत-भूटान मैत्री संधि 1949 में हुई थी और 2007 में इसे संशोधित किया गया। - इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने पनामा पेपर्स (2016) और पंडोरा पेपर्स (2021) जांचों का समन्वय किया था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. विदेश में सरकारी बैंक संकट के समय राज्य का एक औजार बन जाता है — दस्तावेज दिखाते हैं कि ICBC ने वह किया जो सीमा संकट में कोई भी सावधान बैंक कर सकता है — एक्सपोजर घटाना — लेकिन वह भी किया जो किसी वाणिज्यिक बैंक को नहीं करना चाहिए: पार्टी सदस्यों को दूतावास के संपर्क में रहने के लिए संगठित करना। पहला जोखिम प्रबंधन (risk management) है; दूसरा राजनीतिक लामबंदी (political mobilisation) है। यह अंतर मायने रखता है क्योंकि चीन का 2017 का राष्ट्रीय खुफिया कानून (National Intelligence Law) संगठनों और नागरिकों को राज्य की खुफिया गतिविधियों में सहयोग देने के लिए बाध्य करता है, और ये फाइलें बताती हैं कि यह दायित्व सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि निभाया भी जाता है। 2. रोक रकम में छोटी थी लेकिन संकेत में बड़ी — \$8 ट्रिलियन के बैंक के लिए \$185 मिलियन मामूली रकम है। इसका महत्व इस मिसाल में है: भारत में चीनी वित्तीय एक्सपोजर को एक

	राजनीतिक संकेत पर वापस लिया जा सकता है। शाखा पर निर्भर भारतीय कर्जदारों को पता चला कि 2,000 किलोमीटर दूर सीमा पर होने वाली घटनाओं से कर्ज बाधित हो सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए, किसी एक विदेशी राज्य-संबद्ध ऋणदाता (lender) के साथ कर्ज का संकेंद्रण (concentration) एक रणनीतिक जोखिम है। 3. भारत के नियामकों को पहले से समस्या का आभास था — गृह मंत्रालय की 2018 की आपत्ति, जो अतिरिक्त चीनी नागरिकों के आधार पर दूसरी शाखा पर थी, दिखाती है कि सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखे हुए थीं। यह लीक उस सतर्कता को समर्थन देती है, किसी असफलता को नहीं। कठिन सवाल यह है कि क्या RBI के पास संकट में विदेशी सरकारी बैंकों को निजी बैंकों से अलग तरीके से देखने का कोई ढांचा है। यह निगरानी की एक नई श्रेणी होगी। 4. विपरीत दृष्टिकोण : जुड़ाव (engagement) अब भी फायदेमंद है — चीनी पूंजी भारतीय व्यापार को वित्तपोषित करती है, और शाखा की प्रोफाइल — कॉर्पोरेट बैंकिंग, व्यापार वित्त (trade finance) और आयात-निर्यात कारोबार — चीन से आयात करने वाली भारतीय कंपनियों की सेवा करती है। एक व्यापक बहिष्करण (blanket exclusion) चीनी इनपुट पर निर्भर भारतीय निर्माताओं की लागत बढ़ा देगा। तर्क बंदी का नहीं, बल्कि निगरानी और संकेंद्रण पर सीमा लगाने का है। 5. लीक का तरीका खुद अपने सवाल खड़े करता है — दस्तावेज पहले एक हैकिंग समूह ने हासिल किए थे। जनहित में पत्रकारिता चुराई गई सामग्री का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सरकारों को इस पर कार्रवाई करते समय सावधान रहना चाहिए। लीक से मिला सबूत निगरानी को दिशा दे सकता है; नियामक कार्रवाई का आधार बनने से पहले इसकी पुष्टि होनी चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“हथियारीकृत परस्पर-निर्भरता (weaponised interdependence) के युग में, एक विदेशी सरकारी बैंक रणनीति का एक औजार बन सकता है।” डोकलाम गतिरोध के दौरान एक चीनी बैंक की भारत शाखा के आचरण पर हाल के खुलासों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — हथियारीकृत परस्पर-निर्भरता को एक पंक्ति में परिभाषित करें और निष्कर्ष बताएं: डोकलाम के दौरान \$185 मिलियन के ऋण रोकें गए और पार्टी सदस्यों को लामबंद किया गया। 2. मुख्य भाग — राज्य की पूंजी कैसे व्यवहार करती है — ICBC में 70% से अधिक चीनी सरकारी स्वामित्व; बैंकों में पार्टी समितियां; राष्ट्रीय खुफिया कानून, 2017। 3. मुख्य भाग — भारत के मौजूदा सुरक्षा उपाय — RBI लाइसेंसिंग, गृह मंत्रालय की सुरक्षा मंजूरी (दूसरी शाखा पर 2018 की आपत्ति), 2020 का प्रेस नोट 3, गलवान के बाद ऐप प्रतिबंध। 4. मुख्य भाग — संतुलन — चीनी वित्त उस व्यापार को समर्थन देता है जिस पर भारत निर्भर है; संकेंद्रण सीमा, विदेशी सरकारी बैंकों के लिए संकट-परिदृश्य तनाव परीक्षण (stress tests) और प्रकटीकरण (disclosure) आवश्यकताओं की वकालत करें। 5. निष्कर्ष — आर्थिक सुरक्षा के लिए पूर्ण अलगाव (decoupling) के बजाय जोखिम-न्यूनीकरण (de-risking) चाहिए; भारत को पहले से पता होना चाहिए कि हर विदेशी राज्य-संबद्ध संस्था संकट में कैसा व्यवहार करेगी।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं निगरानी विभाग (supervisory department) से शाखा के कर्ज संकेंद्रण की समीक्षा करने और यह जांचने के लिए कहूंगा कि क्या 2017 की रोक ने कर्जदारों के प्रति किसी प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया। मैं विदेशी सरकारी बैंकों से संकट आकस्मिकता योजनाएं (crisis contingency plans) मांगने पर विचार करूंगा। कोई भी कार्रवाई RBI के अपने सत्यापित आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए, सिर्फ लीक हुए दस्तावेजों पर नहीं। मकसद प्रतिशोध नहीं, बल्कि लचीलापन (resilience) है। प्रश्न 2. एक भारतीय कंपनी कहती है कि उसने 2017 में बिना किसी स्पष्टीकरण के एक स्वीकृत ऋण खो दिया। उसके पास क्या उपाय है? दृष्टिकोण (Approach): अगर स्वीकृति पत्र (sanction letter) से बाध्यकारी प्रतिबद्धता बनी थी, तो कंपनी के पास संविदात्मक दावा (contractual claim) हो सकता है। वह RBI के शिकायत निवारण तंत्र (grievance mechanisms) और, जरूरत पड़ने पर, अदालतों का रुख कर सकती है। एक अधिकारी के रूप में, मैं सुनिश्चित करूंगा कि शिकायत की जांच हो और बैंक अपना स्पष्टीकरण दे। यह यह भी दिखाता है कि फर्मों को अपने ऋणदाताओं में विविधता क्यों लानी चाहिए। प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या भारत को चीनी बैंकों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना

चाहिए।

दृष्टिकोण (Approach): पूर्ण प्रतिबंध भारतीय आयातकों को नुकसान पहुंचाएगा और यह संकेत देगा कि भारत खुद को पूंजी के लिए बंद कर रहा है। बेहतर रास्ता संतुलित नियंत्रण (calibrated control) है: एक्सपोजर पर सीमा, करीबी निगरानी और कर्मचारियों की सुरक्षा जांच (security vetting)। भारत को चीनी सरकारी बैंकों पर वही सिद्धांत लागू करना चाहिए जो वह 2020 से चीनी निवेश पर लागू करता है — जांच, प्रतिबंध नहीं। प्रतिक्रिया आनुपातिक (proportionate) होनी चाहिए।

4.4 नेपाल के वित्त मंत्री ने भारत-विरोधी 'जिंगोइज्म' को खत्म घोषित किया, नई व्यापार संधि और ओवरफ्लाइट की मांग की

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली — नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, जो एक अर्थशास्त्री और पूर्व UNDP अधिकारी हैं, ने शनिवार को तीन दिन की यात्रा के अंत में द हिंदू (The Hindu) (सुहासिनी हैदर) को बताया कि “जिंगोइज्म का पुराना दौर और नेपाली राष्ट्रवाद को भारत-विरोध के बराबर मानने का दौर खत्म हो चुका है”। उन्होंने कहा कि मार्च से सत्ता में आई नई बालेन शाह (Balen Shah) सरकार भारत के साथ एक “रीसेट” (reset) और 2009 की व्यापार संधि के पुनरीक्षण की इच्छुक है, जो उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के सामने उठाई। नेपाल “बड़ा संपर्क लेकिन पतली सीमाएं” चाहता है — जिसे उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशियाई मॉडल बताया जो अभी दक्षिण एशिया में नहीं अपनाया गया है — ताकि वह भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) के साथ जुड़ सके। भोटेकोशी बाढ़ (Bhotekoshi floods) पर उन्होंने कहा कि नेपाल का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Risk Reduction and Management Authority) करीब \$1.8 बिलियन का प्रत्यक्ष नुकसान और प्रतिस्थापन मूल्य (replacement value) पर करीब \$900 मिलियन की क्षति आंकता है, और पुनर्निर्माण की जरूरत तीन से पांच साल में \$4.7-5 बिलियन है क्योंकि नेपाल लचीलेपन (resilience) के लिए “बेहतर तरीके से फिर से बनाएगा” (build back)। द हिंदू के डेटा डेस्क ने बताया कि 1,400 से अधिक लोगों की जान लेने वाली बाढ़ के लगभग चार सप्ताह बाद भी करीब 6,000 लोगों का कोई पता नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 के भूकंप के बाद भारत ने करीब \$250 मिलियन अनुदान (grants) और \$750 मिलियन ऋण की रखाएं (lines of credit, LoC — परियोजनाओं से जुड़ा एक रियायती ऋण) दी थीं, और कहा कि ऊर्जा अवसंरचना का पुनर्निर्माण रियायती ऋण के जरिये होना चाहिए, जबकि सड़कों, पुलों और सार्वजनिक आवास को अनुदान से फायदा होगा। भारत, चीन और अमेरिका पर नेपाल का जलवायु हर्जाना (climate reparations) बकाया है या नहीं, जैसा विदेश मंत्री ने सुझाया था, इस पर श्री वाग्ले ने फिलहाल उस बात को “बहुत मददगार नहीं” बताया, हालांकि यह नवंबर में तुर्की (Turkiye) में होने वाले अगले COP में उठेगा। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद पर “रचनात्मक तरीके से” चर्चा होगी। भैरहवा (Bhairahawa) और पोखरा (Pokhara) हवाई अड्डों के लिए ओवरफ्लाइट अधिकारों पर — जिन्हें नई दिल्ली ने एक दशक से सुरक्षा कारणों से अस्वीकार किया है — उन्होंने कहा कि एक द्विपक्षीय तंत्र फिर सक्रिय किया गया है और इसमें रक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे, जबकि उन्होंने गोरखपुर एयरबेस (Gorakhpur airbase) के कारण भैरहवा मार्ग को लेकर “संवेदनशीलताओं” को स्वीकार भी किया। चीन-निर्मित परियोजनाओं पर, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल उन क्षेत्रों में आपत्ति करता है जहां से वह बिजली खरीदता है। प्रधानमंत्री शाह 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, और उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा साल खत्म होने से पहले भारत की होगी।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सीमा-मानचित्र विवाद और नाकेबंदी (blockade) की यादें भारत-विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देती हैं → RSP-समर्थित नई बालेन शाह सरकार रीसेट चाहती है → विनाशकारी बाढ़ \$5 बिलियन की पुनर्निर्माण जरूरत पैदा करती है → नेपाल भारत से मदद, नई व्यापार संधि और ओवरफ्लाइट मांगता है → भारत की प्रतिक्रिया नेबरहुड फर्स्ट (Neighbourhood First) की परीक्षा लेगी

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भारत-नेपाल संबंध 1950 की एक संधि और अलग व्यापार व पारगमन संधियों पर टिके हैं — शांति और मैत्री संधि (Treaty of Peace and Friendship), 1950 खुली सीमा और निवास, संपत्ति व रोजगार में एक-दूसरे के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार (national treatment) की व्यवस्था करती है। व्यापार और पारगमन (transit) अलग संधियों से शासित होते हैं: व्यापार संधि (Treaty of Trade), जिसे 2009 में संशोधित किया गया, और पारगमन संधि (Treaty of Transit), जो स्थलरुद्ध (landlocked) नेपाल को भारतीय बंदरगाहों के जरिये समुद्र तक पहुंच देती है। व्यापार संधि मूल-नियमों (rules of origin) के अधीन नेपाली विनिर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुंच देती है।
2. सीमा विवाद कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर केंद्रित है — 2020 में नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन कर एक नया राजनीतिक मानचित्र अपनाया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल हैं — ये क्षेत्र भारत के प्रशासन में हैं। यह विवाद भारत द्वारा कैलाश मानसरोवर (Kailash Mansarovar) के मार्ग पर लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क खोलने के बाद उठा। दोनों पक्ष 1816 की सुगौली संधि (Treaty of Sugauli) का हवाला देते हैं, लेकिन सीमा बनाने वाली काली नदी के उद्गम को लेकर असहमत हैं।
3. ओवरफ्लाइट हवाई क्षेत्र पर एक संप्रभु अधिकार है — शिकागो कन्वेंशन (Chicago Convention), 1944 के तहत, हर राज्य को अपने क्षेत्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता (complete and exclusive sovereignty) प्राप्त है। नेपाल के नए हवाई अड्डों भैरहवा

	(गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) और पोखरा के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भारतीय हवाई क्षेत्र के ऊपर से मार्ग चाहिए, और भारत की मंजूरी उसके हवाई यातायात और रक्षा संबंधी विचारों पर निर्भर करती है। यही वजह है कि नेपाल के तंत्र में अब रक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। 4. नेबरहुड फर्स्ट भारत की घोषित क्षेत्रीय नीति है — नेबरहुड फर्स्ट (Neighbourhood First) दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संपर्क, विकास सहायता और जन-से-जन संबंधों (people-to-people ties) को प्राथमिकता देती है। भारत अक्सर एक्जिम बैंक (EXIM Bank) के जरिये अनुदान और ऋण-रेखाओं से नेपाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। आलोचकों का तर्क है कि भारत का तरीका कभी-कभी सख्त (heavy-handed) माना जाता है, और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road Initiative) नेपाल को एक विकल्प देती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. भारत-नेपाल संबंध GS2 का स्थायी विषय हैं — UPSC खुली सीमा, सीमा विवाद और नेपाल में चीन के प्रभाव के बारे में पूछ चुका है। प्रारंभिक परीक्षा काली नदी, लिपुलेख और 1950 की संधि की परीक्षा ले चुकी है। 2. आपदा कूटनीति (disaster diplomacy) और जलवायु न्याय (climate justice) उभरते विषय हैं — सवाल जलवायु परिवर्तन को विदेश नीति से जोड़ते जा रहे हैं, जिसमें नुकसान व क्षति कोष (loss and damage funds) और मानवीय सहायता (humanitarian assistance) शामिल हैं। नेपाल की बाढ़ और हजाने पर उसका रुख इसी पैटर्न में फिट बैठता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 में हस्ताक्षरित हुई थी। ● कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को 2020 के एक संवैधानिक संशोधन के जरिये नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया गया। ● ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1816 की सुगौली संधि ने काली (महाकाली) नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाया। ● गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल के लुंबिनी (Lumbini) के निकट भैरहवा में स्थित है। ● शिकागो कन्वेंशन, 1944 के तहत, हर राज्य को अपने क्षेत्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता प्राप्त है। ● भारत-नेपाल व्यापार, पारगमन संधि से अलग एक व्यापार संधि (2009 में संशोधित) से शासित होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. 'रीसेट' एक राजनीतिक प्रस्ताव है जिसे भारत को अपनी शर्तों पर स्वीकार करना चाहिए — श्री वागले का यह बयान कि भारत-विरोध अब नेपाली राष्ट्रवाद को परिभाषित नहीं करेगा, किसी नेपाली मंत्री द्वारा रिकॉर्ड पर कही गई असामान्य बात है। यह दिखाने का एक न्योता है कि टकराव से बेहतर सहयोग है। सबसे अच्छी परीक्षा किसी ऐसी चीज पर त्वरित फैसला है जिसे नेपाल देख सके, जैसे किसी एक हवाई अड्डे के लिए ओवरफ्लाइट या पुनर्निर्माण सहायता का तेज वितरण। देरी होने पर पुरानी कथा वापस लौट सकती है। 2. ओवरफ्लाइट वह बिंदु है जहां सुरक्षा और सद्भावना टकराते हैं — भारत ने एक दशक से सुरक्षा का हवाला देकर मार्ग अस्वीकार किए हैं, और श्री वागले भी मानते हैं कि गोरखपुर एयरबेस एक संवेदनशील मुद्दा है। तंत्र में रक्षा अधिकारियों को शामिल करना सही कदम है क्योंकि आपत्ति सैन्य है, वाणिज्यिक नहीं। एक आंशिक समाधान — पहले पोखरा के लिए मार्ग, या तय ऊंचाइयां — भारत को अपने एयरबेस की रक्षा करते हुए शिकायत खत्म करने देगा। भारतीय हवाई क्षेत्र तक कुछ पहुंच के बिना नेपाल के हवाई अड्डे व्यवहार्य नहीं हो सकते। 3. चीन नीति अब ज्यादा स्पष्ट हुई है और इसलिए ज्यादा व्यावहारिक भी — यह बयान कि भारत केवल उन क्षेत्रों में चीनी भागीदारी पर आपत्ति करता है जहां से वह बिजली खरीदता है, एक स्पष्ट नियम तय करता है। भारत को नेपाल का जलविद्युत निर्यात भारत के सीमा-पार बिजली नियमों पर निर्भर करता है, जो उन देशों की संस्थाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं से बिजली को प्रतिबंधित करते हैं जो भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं और जिनका भारत के साथ बिजली-व्यापार समझौता नहीं है। एक स्पष्ट रेखा नेपाल को योजना बनाने देती है; एक अस्पष्ट रेखा दोनों तरफ संदेह पैदा करती है। 4. मदद भी एक प्रतिस्पर्धा है — नेपाल भारत के साथ-साथ AIIB, IMF और विश्व बैंक (World Bank) से भी धन मांगेगा। 2015 के बाद भारत की पिछली प्रतिबद्धताओं का वितरण धीमा रहा था, जो नेपाल की एक आम शिकायत है। अगर भारत चाहता है कि उसकी मदद संबंधों को आकार दे, तो उसे प्रतिद्वंद्वियों से तेज डिलीवर करना होगा। विपरीत दृष्टिकोण यह है कि भारत को चीन से डॉलर-दर-डॉलर होड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि संपर्क और उन बाजारों पर ध्यान

	देना चाहिए जहां उसे स्वाभाविक बढ़त हासिल है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भूगोल भारत को नेपाल के लिए अपरिहार्य (indispensable) बनाता है, लेकिन राजनीति अक्सर भारत को वहां अलोकप्रिय बना देती है।” नेपाल सरकार की ‘रीसेट’ की मांग के संदर्भ में, भरोसा फिर से बनाने के लिए भारत जो कदम उठा सकता है, उनकी जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — श्री वागले का संदेश बताएं: राष्ट्रवाद को भारत-विरोध के बराबर मानने का दौर खत्म हो चुका है, और \$4.7-5 बिलियन की जरूरत वाली बाढ़ के बाद नेपाल नई व्यापार संधि और ओवरफ्लाइट चाहता है। 2. मुख्य भाग — अविश्वास के स्रोत — 2020 का मानचित्र विवाद, 2015 की नाकेबंदी की याद, विलंबित परियोजनाएं और ओवरफ्लाइट का अस्वीकार। 3. मुख्य भाग — भारत क्या दे सकता है — तेज पुनर्निर्माण सहायता, 2009 की व्यापार संधि का पुनरीक्षण, रक्षा-समावेशी तंत्र के जरिये ओवरफ्लाइट, सीमा-पार ऊर्जा व्यापार, ‘पतली सीमाओं’ (thin borders) की संपर्कता। 4. मुख्य भाग — चीन आयाम — बिजली व्यापार में चीनी परियोजनाओं पर स्पष्ट नियम; AIIB और BRI वित्तपोषण से प्रतिस्पर्धा। 5. निष्कर्ष — भरोसा डिलीवरी से बढ़ता है; भारत को प्रधानमंत्री शाह की द्विपक्षीय यात्रा से पहले, एक साल के भीतर रीसेट को दिखने वाले लाभों में बदलना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. विदेश मंत्रालय में नेपाल के लिए संयुक्त सचिव के रूप में, आप ओवरफ्लाइट अनुरोध को कैसे संभालेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं गोरखपुर एयरबेस की रक्षा करने वाले विकल्प तलाशने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वायुसेना और विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority) को बुलाऊंगा। विकल्पों में निश्चित गलियारे (fixed corridors), ऊंचाई की सीमाएं, या पोखरा से शुरू होकर चरणबद्ध मंजूरी शामिल हैं। मैं सुरक्षा संबंधी तर्क नेपाल के साथ निजी तौर पर साझा करूंगा, ताकि इनकार को राजनीतिक न समझा जाए। लक्ष्य एक फैसला है, अनिश्चितकालीन समीक्षा नहीं। प्रश्न 2. भारत की बाढ़ सहायता को कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): इसे नेपाल के अपने जरूरत-आकलन (needs assessment) का पालन करना चाहिए, जिसमें आवास, सड़कों और पुलों के लिए अनुदान और ऊर्जा के लिए रियायती ऋण हो, जैसा श्री वागले ने सुझाया। वितरण तेज होना चाहिए, स्पष्ट मील के पथरों (milestones) और सार्वजनिक रिपोर्टिंग के साथ। नेपाली एजेंसियों के साथ संयुक्त निगरानी (joint monitoring) देरी की शिकायतें कम करेगी। भारत-वित्तपोषित पुनर्निर्माण की दृश्यता (visibility) भी जनमत के लिए मायने रखती है। प्रश्न 3. एक नेपाली पत्रकार कहता है कि भारत अपने पड़ोसियों पर दबदबा (bully) दिखाता है। एक भारतीय राजनयिक के रूप में आप कैसे जवाब देंगे? दृष्टिकोण (Approach): पहले सुनूंगा, फिर ठोस सहयोग की ओर इशारा करूंगा: खुली सीमाएं, नेपाली नागरिकों के लिए रोजगार, 2015 के बाद और अभी की मदद। स्वीकार करूंगा कि कुछ परियोजनाएं धीमी रही हैं और भारत इसे ठीक करने पर काम कर रहा है। भाषण देने से बचूंगा। एक सम्मानजनक लहजा उपलब्धियों की सूची से ज्यादा असर डालता है।

4.5 EU का प्रस्तावित किड्स एक्ट 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और AI पर अभिभावक-नियंत्रित द्वार के पीछे रखेगा

समाचार (THE NEWS) ब्रसेल्स — यूरोपीय संघ (European Union) आयु-आधारित नियमों पर विचार कर रहा है जो बच्चों की सोशल मीडिया, वीडियो-साझाकरण मंचों, AI चैटबॉट (AI chatbots) और ऑनलाइन गेम्स तक पहुंच को सीमित करेंगे, द हिंदू (जॉन जेवियर) ने रॉयटर्स (Reuters) के हवाले से रिपोर्ट किया। यूरोपीय आयोग (European Commission) द्वारा तैयार किया जा रहा यह प्रस्ताव EU किड्स एक्ट (EU Kids Act) का हिस्सा है, जिसका मकसद बच्चों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुरक्षित बनाना है। हर बच्चे के लिए एक जैसा नियम बनाने के बजाय, यह पहुंच के स्तर (tiers) बनाएगा। 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे अपने खुद के खाते बना सकेंगे। 13 और 14 वर्ष की उम्र वालों के लिए, सोशल मीडिया और वीडियो-साझाकरण मंचों तक पहुंच के लिए अभिभावक की भागीदारी जरूरी होगी: अभिभावक संपर्कों और बिताए गए समय पर सीमाओं के साथ ‘परिचयात्मक खाते’ (introductory accounts) बना सकेंगे। 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, खाते पूरी तरह अभिभावकों के नियंत्रण में होंगे और केवल उन सेवाओं तक सीमित होंगे जिन्हें बच्चों के लिए उपयुक्त माना जाता है और जो मजबूत सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं। यह प्रस्ताव 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल मंचों तक पहुंच पर रोक लगा सकता है। ये नियम फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), टिकटॉक (TikTok) और यूट्यूब (YouTube)

से आगे बढ़कर AI चैटबॉट और ऑनलाइन गेमिंग मंचों को भी कवर करेंगे, इस आधार पर कि बच्चों का इंटरनेट इस्तेमाल अब केवल सोशल फीड (social feeds) तक सीमित नहीं रहा। मंचों को सहभागिता (engagement) बढ़ाने के लिए बनाई गई विशेषताओं को घटाने और हानिकारक अनुशंसा फीड (recommendation feeds) — यानी वे एल्गोरिदम जो तय करते हैं कि उपयोगकर्ता आगे क्या देखेगा — के संपर्क को सीमित करने, अनुचित सामग्री की रिपोर्टिंग को आसान बनाने, और अभिभावकों को सामग्री व समय पर मजबूत नियंत्रण देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आयु सत्यापन (age verification) — यानी स्वयं-घोषित उम्र मान लेने के बजाय उपयोगकर्ता की वास्तविक उम्र जांचना — नया खाता बनाते समय अनिवार्य हो सकता है, और गेमिंग मंचों को बच्चों द्वारा गेम डाउनलोड करने से पहले उम्र जांचनी होगी। तकनीकी कंपनियों से प्रवर्तन को वित्तपोषित करने के लिए निगरानी शुल्क (supervisory fee) देने की भी अपेक्षा की जा सकती है। मंचों का तर्क है कि उनके पास पहले से सुरक्षा उपाय हैं, क्योंकि प्रमुख ऐप्स ने न्यूनतम साइन-अप उम्र 13 वर्ष तय कर रखी है; आलोचकों का कहना है कि अगर मंच उपयोगकर्ताओं की उम्र भरोसेमंद ढंग से तय नहीं कर सकते तो कागज पर उम्र सीमाएं काफी नहीं हैं। सटीक नियम बदल सकते हैं: आयोग को अभी भी सदस्य देशों और यूरोपीय संसद (European Parliament) के साथ इस योजना पर बातचीत करनी है, और अंतिम नियम मौजूदा मसौदे से अलग दिख सकते हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुशंसा एल्गोरिदम (recommendation algorithms) सहभागिता के लिए अनुकूलित (optimise) होते हैं → बच्चों के कल्याण को नुकसान के प्रमाण बढ़ते हैं → 13 वर्ष की स्वयं-घोषित उम्र सीमा लागू करना असंभव साबित होता है → EU स्तरीय आयु नियम और अनिवार्य आयु सत्यापन प्रस्तावित करता है → मंचों और भारत सहित अन्य नियामकों को एक नया वैश्विक मानदंड (benchmark) मिलता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. EU परतदार नियम-पुस्तिका (rulebook) के जरिये मंचों को नियंत्रित करता है — सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation, GDPR), 2018 व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करता है और सूचना समाज सेवाओं (information society services) के लिए सहमति की डिफॉल्ट उम्र 16 वर्ष तय करता है, जिसे सदस्य देश घटाकर 13 वर्ष कर सकते हैं। डिजिटल सेवा अधिनियम (Digital Services Act), 2022 मंचों को प्रणालीगत जोखिमों (systemic risks) का आकलन कर उन्हें घटाने के लिए बाध्य करता है और नाबालिगों को प्रोफाइलिंग (profiling) के आधार पर लक्षित विज्ञापन (targeted advertising) पर रोक लगाता है। एक किड्स एक्ट इस ढांचे में आयु-विशिष्ट पहुंच नियम जोड़ देगा। EU के नियम अक्सर वैश्विक मानदंड बन जाते हैं क्योंकि कंपनियां उन्हें दुनिया भर में लागू करती हैं, इस असर को 'ब्रसेल्स प्रभाव' (Brussels Effect) कहा जाता है।
2. भारत का DPDP अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के हर व्यक्ति को बच्चा मानता है — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act, DPDP), 2023 बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। धारा 9 किसी बच्चे का डेटा संसाधित करने से पहले सत्यापन-योग्य अभिभावकीय सहमति (verifiable parental consent) अनिवार्य बनाती है और बच्चों को लक्षित ट्रेकिंग, व्यवहार निगरानी (behavioural monitoring) और लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाती है। DPDP नियम, 2025 बताते हैं कि सत्यापन-योग्य सहमति कैसे ली जाए। यह अधिनियम डेटा प्रसंस्करण (data processing) को नियंत्रित करता है, मंचों तक पहुंच को नहीं, जो EU प्रस्ताव से इसका मुख्य अंतर है।
3. भारत में मध्यस्थ दायित्व (intermediary liability) IT अधिनियम की धारा 79 पर टिका है — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए दायित्व से एक सेफ हार्बर (safe harbour) देती है, बशर्ते वे सम्यक तत्परता (due diligence) बरतें। IT (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules) उस सम्यक तत्परता को तय करते हैं, जिसमें शिकायत अधिकारी (grievance officers) और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए अतिरिक्त दायित्व शामिल है। बाल सुरक्षा दायित्व इन्हीं नियमों के जरिये जोड़े जा सकते हैं।
4. बच्चों के अधिकारों का एक अंतरराष्ट्रीय चार्टर मौजूद है — बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of the Child), 1989, जिसकी पुष्टि भारत ने 1992 में की थी, बच्चों के सुरक्षा, सूचना और भागीदारी के अधिकारों को मान्यता देता है। बाल अधिकार समिति (UN Committee on the Rights of the Child) की सामान्य टिप्पणी संख्या 25 (2021) इन अधिकारों को डिजिटल परिवेश पर लागू करती है। इसलिए नियमन को सुरक्षा और पहुंच के बीच संतुलन बनाना होगा।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. सोशल मीडिया नियमन और बच्चे GS2 और निबंध पत्र (Essay paper) में आते हैं — UPSC समाज और शासन पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में पूछ चुका है, और निबंध विषयों ने प्रौद्योगिकी व मानव कल्याण (human well-being) को संबोधित किया है। EU का प्रस्ताव एक तुलनात्मक मॉडल देता है।
2. डेटा संरक्षण GS3 का बार-बार आने वाला विषय है — निजता के अधिकार (right to privacy) और डेटा संरक्षण पर सवाल पुट्टस्वामी फैसले (Puttaswamy judgment) और DPDP अधिनियम के बाद आए हैं। जो उम्मीदवार भारत के सहमति-आधारित मॉडल की तुलना EU के पहुंच-

	आधारित प्रस्ताव से करे, वह अपने उत्तर में गहराई जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। ● DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 9 बच्चों का डेटा संसाधित करने के लिए सत्यापन-योग्य अभिभावकीय सहमति अनिवार्य बनाती है और बच्चों को लक्षित ट्रेकिंग, व्यवहार निगरानी और लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाती है। ● EU का डिजिटल सेवा अधिनियम, 2022 नाबालिगों को प्रोफाइलिंग के आधार पर लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाता है। ● EU के GDPR के तहत, डिजिटल सहमति की डिफॉल्ट उम्र 16 वर्ष है, जिसे सदस्य देश 13 वर्ष से कम नहीं घटा सकते। ● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 सम्यक तत्परता के अधीन मध्यस्थों को सेफ हार्वर प्रदान करती है। ● भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की पुष्टि की थी।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. सामग्री नियमों से डिजाइन नियमों की ओर बदलाव ही असली नवाचार है — पहले के नियमन मंचों से हानिकारक सामग्री हटाने के लिए कहते थे। यह प्रस्ताव डिजाइन को निशाना बनाता है: सहभागिता विशेषताएं, अनुशंसा फीड और खाता संरचनाएं। यह ज्यादा असरदार है क्योंकि नुकसान अक्सर इस बात से होता है कि सामग्री कैसे पहुंचाई जाती है, अकेले पोस्ट से नहीं। यह जिम्मेदारी अकेले अभिभावकों पर नहीं, बल्कि कंपनियों पर भी डालता है। 2. आयु सत्यापन कमजोर कड़ी और निजता का जोखिम है — उम्र को भरोसेमंद तरीके से सत्यापित करने के लिए आमतौर पर पहचान दस्तावेजों या जैविक अनुमान (biometric estimation) की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब है बच्चों के बारे में और अधिक व्यक्तिगत डेटा जुटाना। इसलिए बच्चों की रक्षा के लिए बना नियम संवेदनशील डेटा के बड़े नए डेटाबेस बना सकता है। डिजाइन चुनौती निजता-संरक्षी सत्यापन (privacy-preserving verification) की है, जैसे आयु टोकन (age tokens) जो पहचान उजागर किए बिना उम्र का दायरा पुष्ट करें। इसके बिना, इलाज खुद अपना नुकसान पैदा कर सकता है। 3. भारत का तरीका कागज पर सख्त है लेकिन व्यवहार में कमजोर — DPDP अधिनियम बच्चे की उम्र 18 वर्ष तय करता है, जो EU की 15 वर्ष की सीमा से ऊंची है, और अभिभावकीय सहमति की मांग करता है। लेकिन यह डेटा प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है, पहुंच को नहीं, और भारत में बड़े पैमाने पर सत्यापन-योग्य सहमति अभी अपरीक्षित (untested) है। 17 वर्ष के व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसा 7 वर्ष के व्यक्ति के साथ। EU का स्तरीय (tiered) मॉडल ज्यादा यथार्थवादी है; भारत को अपने नियमों में आयु-वर्ग (age bands) की जरूरत पड़ सकती है। 4. विपरीत दृष्टिकोण: प्रतिबंध बच्चों को कम सुरक्षित जगहों में धकेलते हैं — आलोचकों का तर्क है कि प्रतिबंध बच्चों को उम्र के बारे में झूठ बोलने, अभिभावकों के खाते इस्तेमाल करने या अनियमित मंचों की ओर जाने पर मजबूर करते हैं। डिजिटल साक्षरता (digital literacy) और अभिभावकीय भागीदारी प्रतिबंधों से ज्यादा मायने रख सकती है। एक पहुंच का सवाल भी है: कई भारतीय बच्चों के लिए, एक साझा फोन ही सीखने का इकलौता द्वार है। नियमन को नुकसान के साथ-साथ फायदे भी न छीनने का ध्यान रखना चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए केवल सामग्री नहीं, बल्कि मंच के डिजाइन को नियंत्रित करना जरूरी है।” यूरोपीय संघ के प्रस्तावित आयु-आधारित नियमों के आलोक में इस कथन की जांच की जाए, और भारत के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण सुझाए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — EU के प्रस्ताव का सारांश दें: 15, 13-14 और 3-12 के स्तर, AI चैटबॉट व गेम्स का समावेश, और अनिवार्य आयु सत्यापन। 2. मुख्य भाग — डिजाइन नियमन क्यों — सहभागिता विशेषताएं और अनुशंसा फीड; 13 वर्ष की स्वयं-घोषित उम्र की सीमाएं; मंचों पर बोझ का स्थानांतरण और निगरानी शुल्क। 3. मुख्य भाग — भारत का ढांचा — DPDP अधिनियम की धारा 9, आयु 18, सत्यापन-योग्य सहमति; IT अधिनियम की धारा 79 और 2021 के नियम; पहुंच नियमन में अंतराल। 4. मुख्य भाग — चिंताएं — आयु सत्यापन की निजता, बचाव के रास्ते (circumvention), डिजिटल खाई (digital divide), और UNCRC के तहत सूचना का बच्चों का अधिकार। 5. निष्कर्ष — आयु-वर्ग आधारित नियम, निजता-संरक्षी सत्यापन, और IT नियमों के तहत

डिजाइन दायित्व सुझाएं, साथ में डिजिटल साक्षरता भी।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. MeitY सचिव के रूप में, क्या आप EU-शैली की आयु पाबंदी अपनाएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं EU मॉडल का अध्ययन करूंगा लेकिन इसे भारत के अनुरूप ढालूंगा, जहां उपकरण अक्सर साझा किए जाते हैं और पहचान सत्यापन संवेदनशील है। पहला कदम मंचों पर डिजाइन दायित्व होगा — डिफॉल्ट निजता सेटिंग्स, नाबालिगों के लिए सहभागिता विशेषताओं पर सीमाएं — जिन्हें मौजूदा नियमों के तहत लागू किया जा सकता है। आयु सत्यापन निजता-संरक्षी होना चाहिए और अनिवार्य करने से पहले पायलट (piloted) किया जाना चाहिए। अभिभावकों, स्कूलों और बाल-अधिकार विशेषज्ञों से परामर्श जरूरी है।

प्रश्न 2. एक जिला कलेक्टर को स्कूली बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत की शिकायतें मिलती हैं। वह क्या कर सकती है?

दृष्टिकोण (Approach): वह अभिभावकों और छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर सकती है। स्कूलों को परामर्श सहायता (counselling support) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वह गैरकानूनी गेमिंग या सट्टेबाजी मंचों (betting platforms) की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को दे सकती है। स्थानीय कार्रवाई राष्ट्रीय नियमन की जगह नहीं ले सकती, लेकिन नुकसान घटा सकती है।

प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या बच्चों की सुरक्षा ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (free speech) को सीमित करने का औचित्य देती है।

दृष्टिकोण (Approach): बच्चों की सुरक्षा एक वैध लक्ष्य है, और इसके लिए अनुच्छेद 19(2) और बाल-सुरक्षा कानूनों के तहत उचित प्रतिबंध मौजूद हैं। लेकिन प्रतिबंध आनुपातिक होने चाहिए और उन्हें व्यापक रूप से पहुंच सीमित करने के बजाय विशिष्ट नुकसानों को निशाना बनाना चाहिए। पुट्टस्वामी आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) सही ढांचा है। सबसे अच्छा तरीका सूचना और सीखने तक पहुंच बनाए रखते हुए हानिकारक डिजाइन को सीमित करना है।

5. पर्यावरण और पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

तीन खबरें एक ही सवाल की परीक्षा लेती हैं: जब लोगों की आजीविका तराजू के दूसरे पलड़े पर हो, तब प्रकृति की आवाज़ कौन बनेगा। कर्नाटक दिल्ली में बने संरक्षण नक्शे का विरोध करने के लिए अपने सभी दलों को एक साथ ला रहा है, सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश कहती हैं कि अदालत अब मनुष्य-केंद्रित नहीं बल्कि पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण अपना रही है, और एक पुनर्स्थापित शिकारी प्रजाति को दूसरे घर में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि पहला घर उसे संभाल नहीं पाया। भारत में संरक्षण अब 'करें या न करें' का मसला नहीं रहा, बल्कि 'किसकी सहमति से' का मसला बन गया है।

5.1 कर्नाटक ने विशेष सत्र बुलाया, पश्चिमी घाट ईएसए मसौदे के विरुद्ध प्रधानमंत्री को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना (Karnataka Opens Special Session, Plans All-Party Delegation to PM Against Western Ghats ESA Draft)

समाचार (THE NEWS) बंगलुरु। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Area, ESA) घोषित करने के विरुद्ध राज्य की कड़ी आपत्तियाँ बताने के लिए सांसदों और विधायकों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाने की योजना बना रही है। ईएसए वह भूभाग है जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण कानून के तहत अधिसूचित करती है, जिसमें कुछ निर्दिष्ट गतिविधियाँ प्रतिबंधित या विनियमित होती हैं ताकि नाजुक भूदृश्य क्षरित न हो; यह राष्ट्रीय उद्यान (national park) जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग रहते और खेती करते रहते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की दैनिक सूचना के अनुसार, यह कदम कर्नाटक विधानमंडल के तीन-दिवसीय विशेष सत्र से पहले उठाया गया है, जो सोमवार, 21 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें राज्य कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर केंद्र के नवीनतम मसौदा अधिसूचना पर अपनी प्रतिक्रिया तैयार करेगा और सूखे की स्थिति की भी समीक्षा करेगा। केंद्र ने राज्यों से 27 सितंबर तक प्रतिक्रिया मांगी है। नवीनतम मसौदे के तहत, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के 10 जिलों में 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने का प्रस्ताव रखा है; पहले की अधिसूचना में कहा गया था कि इससे 39 तालुकों के 1,449 गांव प्रभावित होंगे। कर्नाटक लगातार प्रस्तावित ईएसए टैग का विरोध करता रहा है, यह चेतावनी देते हुए कि इससे आजीविका, बागान, किसान समुदाय और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सत्र से पहले, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पश्चिमी घाट के प्रमुख जिलों का दौरा किया, जिसमें हासन के कॉफी उत्पादक क्षेत्र सकलेशपुर भी शामिल है, ताकि स्थानीय निवासियों, किसानों और विधायकों से बातचीत की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, “सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम पहले लोगों और किसानों की भावनाओं के साथ-साथ वन क्षेत्रों के निकट रहने वालों की स्थिति को समझेगे।” पत्र ने याद दिलाया कि कस्तूरीरंगन समिति ने संरक्षण और विकास में संतुलन बनाने के लिए पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिस्सों को ईएसए नामित करने की सिफारिश की थी; जहाँ मसौदा ढांचा खेती और बागान गतिविधियों को छूट देता है, वहीं यह खनन, उत्खनन और बड़े निर्माण या औद्योगिक प्रोजेक्ट पर रोक या प्रतिबंध लगाना चाहता है। सत्र के एजेंडे में सूखे का हिस्सा भी उतना ही बड़ा है: द हिंदू ने बताया कि उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के अनुसार, कर्नाटक भर के 200 से अधिक तालुकों को सूखा-प्रभावित सूची में शामिल किए जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार निर्धारित मानदंडों और जमीनी सत्यापन के आधार पर चरणबद्ध ढंग से उनका आकलन कर रही है। पाठ्यक्रम संबंध: संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (environmental impact assessment) और केंद्र-राज्य संबंध, GS3 और GS2 में।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गाडगिल समिति का व्यापक क्षेत्रीकरण राज्यों द्वारा अस्वीकृत → कस्तूरीरंगन समिति ने ईएसए को नाजुक हिस्सों तक सीमित किया → लगातार मसौदा अधिसूचनाएं बिना अंतिम रूप लिए समाप्त होती रहीं → नवीनतम मसौदे में कर्नाटक के 10 जिलों में 20,668 वर्ग किमी का प्रस्ताव, प्रतिक्रिया की समय सीमा 27 सितंबर → राज्य ने विशेष सत्र बुलाया और प्रधानमंत्री को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. ईएसए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) की उपज है — केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (Section 3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (Environment (Protection) Rules, 1986) के नियम 5 (Rule 5) के साथ पढ़ते हुए, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित करती है, जो उसे किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में उद्योगों और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने की अनुमति देती है। अधिसूचना पहले मसौदे के रूप में जारी होती है, आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, और तभी अंतिम अधिसूचना जारी होती है। चूंकि यह शक्ति केंद्र की है, इसलिए राज्य का विरोध कानूनी रूप से एक प्रतिवेदन (representation) है, वीटो नहीं, यही कारण है कि कर्नाटक की प्रतिक्रिया एक कानून के बजाय प्रतिनिधिमंडल का रूप लेती है।
2. गाडगिल और कस्तूरीरंगन का मतभेद दायरे पर था, संरक्षण की आवश्यकता पर नहीं — माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (Western Ghats Ecology Expert Panel) ने 2011 में रिपोर्ट दी और पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मानने का प्रस्ताव रखा, जिसे घटते प्रतिबंध वाले तीन क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें ग्राम सभाओं की मजबूत भूमिका थी। राज्यों ने आपत्ति जताई, और के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले उच्च-स्तरीय कार्य समूह (High-Level Working Group) ने 2013 में रिपोर्ट दी, जिसमें बस्तियों और बागानों वाले सांस्कृतिक भूदृश्य को प्राकृतिक भूदृश्य से अलग किया गया, और लगभग 37% घाट क्षेत्र, यानी करीब 60,000 वर्ग किमी, को ईएसए अधिसूचित करने की

सिफारिश की गई। उस क्षेत्र के भीतर खनन, उत्खनन, रेत खनन, तापीय बिजली संयंत्र, लाल-श्रेणी के उद्योग और बड़े टाउनशिप वर्जित किए जाने थे।

3. **पश्चिमी घाट एक विरासत स्थल भी है और एक हॉटस्पॉट भी** — यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी तट के समानांतर छह राज्यों — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु — से होकर गुजरती है। इसे 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची (UNESCO World Heritage list) में एक सीरियल साइट के रूप में शामिल किया गया, और श्रीलंका के साथ मिलकर यह विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक बनाती है। यह गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत है, इसीलिए इसका वन आवरण उन किसानों के लिए भी मायने रखता है जो इसे कभी देखेंगे भी नहीं, पर बहुत दूर पूर्व में रहते हैं।
4. **सूखे की घोषणा एक केंद्रीय मैनुअल के तहत राज्य का निर्णय है** — कोई राज्य केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा 2016 में जारी और बाद में संशोधित सूखा प्रबंधन मैनुअल (Manual for Drought Management) का अनुसरण करते हुए सूखा घोषित करता है। मैनुअल वर्षा की कमी और शुष्क अवधि को अनिवार्य ट्रिगर के रूप में उपयोग करता है, और फिर वनस्पति सूचकांक, फसल बुआई, मृदा नमी और जल उपलब्धता जैसे प्रभाव संकेतकों को, जिसके बाद फसल क्षति का जमीनी सत्यापन (ground-truthing) आवश्यक है। घोषणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund) से राहत खोलती है और, गंभीर सूखे के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund) से सहायता का अनुरोध।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन एक स्थायी मुख्य परीक्षा (Mains) ढांचा है** — GS3 पाठ्यक्रम में संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सूचीबद्ध हैं। पश्चिमी घाट विवाद एक दशक से अधिक समय से संरक्षण बनाम आजीविका का क्लासिक भारतीय मामला रहा है, और 2018 तथा 2024 की केरल बाढ़ और भूस्खलनों ने हर बार इसे पुनर्जीवित किया। जो उम्मीदवार यह बताने में सक्षम हैं कि हर पैराल ने वास्तव में क्या सिफारिश की थी, वे उन उम्मीदवारों पर अंक बढ़ाते हैं जो दोनों नामों को केवल नारों की तरह इस्तेमाल करते हैं।
2. **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) भूगोल और कानूनी स्रोत पृच्छती है** — पश्चिमी घाट किन राज्यों से गुजरता है, कौन-सा अधिनियम ईएसए अधिसूचना को अधिकार देता है, और ईएसए तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (eco-sensitive zones) के बीच अंतर पर प्रश्न मानक हैं। 2011 के दिशानिर्देशों के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास डिफॉल्ट 10 किमी बफर, पश्चिमी घाट ईएसए से अलग है, और परीक्षक जानबूझकर दोनों को मिला देता है।
3. **संघवाद (Federalism) नई धुरी है** — किसी केंद्रीय पर्यावरणीय अधिसूचना के विरुद्ध किसी राज्य का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक पारिस्थितिक प्रश्न को केंद्र-राज्य प्रश्न में बदल देता है। सहकारी संघवाद (cooperative federalism) पर GS2 प्रश्न नदी जल, वन मंजूरी और तटीय क्षेत्रीकरण जैसे पर्यावरणीय उदाहरणों का सहारा तेजी से ले रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचित किए जाते हैं।
- पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (2011) की अध्यक्षता माधव गाडगिल ने की थी; पश्चिमी घाट पर उच्च-स्तरीय कार्य समूह (2013) की अध्यक्षता के. कस्तूरीरंगन ने की थी।
- कस्तूरीरंगन समूह ने पश्चिमी घाट को सांस्कृतिक भूदृश्य और प्राकृतिक भूदृश्य में बांटा और लगभग 37% क्षेत्र को ईएसए अधिसूचना के लिए सिफारिश की।
- पश्चिमी घाट छह राज्यों — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु — से होकर गुजरता है, और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (eco-sensitive zones), जो 2011 के MoEFCC दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं, पश्चिमी घाट ईएसए से अलग श्रेणी हैं।
- सूखे की घोषणा राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सूखा प्रबंधन मैनुअल का पालन करते हुए की जाती है, जिसमें फसल क्षति का जमीनी सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है।
- सूखे सहित अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलती है और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से पूरक

होती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- केंद्र के पास शक्ति है पर सहमति नहीं, इसीलिए अधिसूचना कभी अंतिम नहीं बन पाती** — कानूनी रूप से केंद्र सरकार कल ही ईएसए को अंतिम रूप दे सकती है; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम को राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के बाद से हर मसौदा समाप्त होकर फिर से जारी किया गया है, क्योंकि ईएसए का क्रियान्वयन राज्य के राजस्व अधिकारियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य पुलिस पर निर्भर करता है। जिस अधिसूचना को राज्य लागू नहीं करेगा, वह केवल कागज है। कर्नाटक का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इसलिए किसी कानून के विरुद्ध विरोध नहीं है, बल्कि यह प्रदर्शन है कि क्रियान्वयन करने वाली सरकार इसके साथ नहीं है, जो कहीं अधिक प्रभावी संदेश है।
- खेती और बागानों को छूट राज्य के सबसे मजबूत तर्कों को कमजोर करती है** — कर्नाटक की कहीं गई चिंता आजीविका, बागान और खेती को लेकर है। फिर भी, जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया, मसौदा खेती और बागान गतिविधियों को छूट देता है और खनन, उत्खनन तथा बड़े निर्माण या औद्योगिक प्रोजेक्ट को निशाना बनाता है। यदि छूट वास्तविक है, तो प्रभावित आजीविका किसान की कम, उत्खनन मालिक और बिल्डर की अधिक है। प्रति-तर्क यह है कि ग्रामीणों को डर है कि प्रतिबंधात्मक व्यवस्था समय के साथ सड़कों, आवास और छोटे उद्यमों पर क्या असर डालेगी, और वन नौकरशाही पर अविश्वास अर्जित है। दोनों सच हो सकते हैं, पर उत्तर को दोनों हितों को मिलाने के बजाय अलग करना चाहिए।
- दायरा विवादित चर है, और 1,449 गांव एक राजनीतिक संख्या है** — 10 जिलों में 20,668 वर्ग किमी राज्य के वनाच्छादित पश्चिम का बड़ा हिस्सा है। जब कोई अधिसूचना 39 तालुकों के 1,449 गांवों को छूती है, तो क्षेत्र के हर विधायक के मतदाता इसके भीतर हैं, जो बताता है कि प्रतिक्रिया दलगत नहीं बल्कि सर्वदलीय क्यों है। इमानदार नीतिगत सवाल यह नहीं है कि घाट की रक्षा करनी है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या सीमाएं ग्राम-स्तरीय सत्यापन के साथ खींची गई थीं। जहां वे केवल उपग्रह चित्रों से खींची गईं, वहां राज्य की शिकायत वाजिब है और जमीनी सत्यापन की मांग उचित है।
- एक ही सत्र में ईएसए को सूखे के साथ जोड़ना बहुत कुछ बताता है** — वही सत्र 200 से अधिक तालुकों को कवर करने वाले संभावित सूखे की समीक्षा करेगा। ऐसे राज्य में सूखा जिसकी नदियां घाट में उगती हैं, ईएसए के विरुद्ध नहीं बल्कि पक्ष में तर्क है, क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र में वन आवरण ही शुष्क मौसम के प्रवाह को नियंत्रित करता है जिस पर निचले इलाकों के किसान निर्भर हैं। दोनों मुद्दे एक ही एजेंडे पर होकर विपरीत दिशाओं में गढ़े जाना इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि पर्यावरण और कृषि नीति अलग-अलग खानों में कैसे बनाई जाती है।
- गाडगिल का स्थानीय सहमति वाला रास्ता अब भी अनछुआ है** — गाडगिल ने प्रस्तावित किया था कि ग्राम सभाओं की क्षेत्रीकरण में निर्णायक आवाज हो। इसे अव्यावहारिक मानकर अस्वीकार किया गया, और परिणाम एक दशक के ऐसे ऊपर-से-नीचे मसौदे हैं जिन्होंने न तो क्षेत्र की रक्षा की है और न विवाद सुलझाया है। प्रति-तर्क यह है कि ग्राम सभाओं पर भी उत्खनन और रियल-एस्टेट हितों का कब्जा हो सकता है। एक मध्य मार्ग यह होगा कि ग्राम सभाएं एक निश्चित पारिस्थितिक न्यूनतम सीमा के भीतर सीमा-सुधार प्रस्तावित कर सकें, जो स्वयं परक्राम्य न हो।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के एक दशक बाद भी, पश्चिमी घाट किसी अंतिम अधिसूचना के बजाय लगातार मसौदा अधिसूचनाओं से शासित होता रहा है।” जांच करें कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ढांचा संरक्षण और आजीविका के बीच के टकराव को सुलझाने में क्यों विफल रहा है, और आगे बढ़ने का एक व्यावहारिक रास्ता सुझाएं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- परिचय (Introduction)** — पश्चिमी घाट को एक वाक्य में रखें — छह राज्य, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत — और फिर खबर बताएं: कर्नाटक के 10 जिलों में 20,668 वर्ग किमी को कवर करने वाला नवीनतम मसौदा और 27 सितंबर की समय सीमा के भीतर इसका जवाब देने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र।
- मुख्य भाग — दो पैरल और कानूनी साधन** — गाडगिल के तीन-क्षेत्र, ग्राम-सभा-नेतृत्व वाले मॉडल की तुलना कस्तूरीरंगन के सांस्कृतिक और प्राकृतिक भूदृश्य विभाजन और लगभग 37% ईएसए से करें। बताएं कि अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 और उसके नियमों के नियम 5 के तहत जारी होती है, और कानूनी रूप से केंद्र को राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- मुख्य भाग — यह क्यों सुलझा नहीं** — क्रियान्वयन राज्यों पर निर्भर है; बिना ग्राम-स्तरीय सत्यापन के खींची गई सीमाएं; वन नौकरशाही पर अविश्वास; किसानों की चिंता के पीछे छिपा खनन और निर्माण लॉबी; और 1,449 गांवों का चुनावी वजन। ध्यान दें कि मसौदा खेती और बागानों को छूट देता है, जो वास्तविक टकराव को संकुचित करता है।

4. **मुख्य भाग — आगे का रास्ता** — प्राकृतिक भूदृश्य के लिए एक गैर-परक्राम्य पारिस्थितिक न्यूनतम सीमा, उसके भीतर ग्राम-सभा-नेतृत्व वाले सीमा-सुधार, अंतिम रूप देने से पहले जमीनी सत्यापन, प्रतिबंध झेलने वाले गांवों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (payment for ecosystem services), और ईएसए को उन नदी बेसिनों के सूखा-रोधन से जोड़ना जिन्हें यह पोषित करता है।
5. **निष्कर्ष (Conclusion)** — इस बिंदु पर समाप्त करें कि जिस अधिसूचना को राज्य लागू नहीं करेंगे वह कुछ भी संरक्षित नहीं करती, इसलिए किसी अंतिम अधिसूचना की कसौटी यह नहीं है कि वह कितना क्षेत्र कवर करती है, बल्कि यह है कि क्या उसे लागू करने वाली सरकार इसे अपना मानती है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप हासन जिले के उपायुक्त (Deputy Commissioner) हैं। सकलेशपुर के कॉफी उत्पादकों को स्थानीय नेता बता रहे हैं कि ईएसए उन्हें अपनी एस्टेट सड़कें और घर मरम्मत करने से रोकेगा। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): पहले यह स्थापित करें कि मसौदा वास्तव में क्या कहता है, क्योंकि इसके बारे में दावों से भय फैलाया जा रहा है। एक संक्षिप्त कन्नड नोट तैयार करें जिसमें बताया जाए कि क्या प्रतिबंधित या नियंत्रित है और क्या छूट प्राप्त है, स्वयं मसौदे का हवाला देते हुए, और प्रभावित गांवों की ग्राम सभाओं में इसे पढ़वाएं। लिखित आपत्तियां आमंत्रित करें और उन्हें सारांश सहित राज्य को भेजें, क्योंकि प्रतिक्रिया की समय सीमा वास्तविक है और जो ग्रामीण इसे चूक जाते हैं वे अपनी आवाज खो देते हैं। जहां मसौदा सीमा में बस्तियां या बागान गलती से शामिल दिखें, वहां राजस्व सर्वेक्षण संख्याओं के साथ इसे दर्ज करें ताकि राज्य का प्रतिवेदन बयानबाजी के बजाय विशिष्ट हो।

प्रश्न 2. कर्नाटक में पर्यावरण सचिव (Secretary, Environment) के रूप में, आप मानते हैं कि ईएसए वैज्ञानिक रूप से सही है परंतु मंत्रिमंडल एक कड़ा अस्वीकार चाहता है। आप क्या सलाह देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मंत्रिमंडल को फाइल पर स्पष्ट रूप से सलाह दें कि पूर्ण अस्वीकृति से संभवतः राज्य के पास अंतिम पाठ पर कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा, क्योंकि शक्ति केंद्र के पास है। इसके बजाय एक ऐसे प्रतिवेदन की सिफारिश करें जो पारिस्थितिक तर्कों को स्वीकार करे, जमीनी सत्यापन के बाद विशिष्ट बस्तियों को बाहर करने की मांग करे, और प्रभावित गांवों के लिए मुआवजा तंत्र की मांग करे। एक बार मंत्रिमंडल निर्णय ले, तो उसे ईमानदारी से लागू करें; सिविल सेवक का कर्तव्य साक्ष्य को दर्ज पर रखना है, निर्वाचित सरकार के फैसले की जगह अपना निर्णय थोपना नहीं है।

प्रश्न 3. आपके जिले में ईएसए के लिए प्रस्तावित तालुक भी हैं और सूखा-प्रभावित घोषित किए जाने की संभावना वाले तालुक भी। एक विधायक कहता है कि ईएसए सूखे के साल में गरीबी और बढ़ा देगा। समीक्षा बैठक में आप कैसे जवाब देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): स्वीकार करें कि समय कठिन है और सूखा राहत को ईएसए बहस का इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर जिले में जलग्रहण वन आवरण और शुष्क-मौसम धारा प्रवाह के आंकड़े पेश करें, क्योंकि सूखा आंशिक रूप से एक जल समस्या है जिसे वन प्रभावित करते हैं। प्रस्ताव दें कि मनरेगा (MGNREGA) के तहत सूखा राहत कार्य उन्हीं जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण पर केंद्रित किए जाएं, जो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। लक्ष्य चर्चा को एक व्यापार-समझौते (trade-off) से क्रम (sequence) की ओर ले जाना है।

5.2 न्यायमूर्ति नागरत्ना का कहना: सुप्रीम कोर्ट मनुष्य-केंद्रित से पारिस्थितिकी-केंद्रित पर्यावरण कानून की ओर बढ़ रहा है (Justice Nagarathna Says Supreme Court Is Shifting From Anthropocentric to Ecocentric Environmental Law)

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक डिस्पैच के हवाले से बताया कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने रविवार, 20 सितंबर को कहा कि शीर्ष अदालत अब पर्यावरण के मामलों में मनुष्य-केंद्रित (anthropocentric) से पारिस्थितिकी-केंद्रित (ecocentric) दृष्टिकोण की ओर बदलाव के लिए जोर दे रही है। वे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा आयोजित “पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य” (The Future of Environment and Climate Dynamics) विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही थीं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं। मनुष्य-केंद्रित दृष्टिकोण मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्रीय या सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है, जबकि पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण केवल मनुष्य के बजाय प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नैतिक विचार के केंद्र में रखता है। सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (environmental jurisprudence) में योगदान को “भारी और महत्वपूर्ण” बताते हुए, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “पर्यावरणीय निर्णय दूरदर्शिता (foresight) का अभ्यास है, जिसमें अदालतों को भविष्य की सजग चेतना के साथ वर्तमान का शासन करना होता है।” उन्होंने कहा कि पर्यावरण कानून को प्रकृति को संपत्ति, वस्तु या संसाधन मानने से दूर हटना होगा। इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि मानवीय हित केवल मानवीय होने के कारण गैर-मानवीय दुनिया के हितों पर स्वतः प्राथमिकता नहीं पाते; बल्कि,

मनुष्यों पर गैर-मानवीय जीवन के प्रति ऐसे दायित्व हैं जो उनके उपयोगिता-मूल्य से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “हाल के वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट सहित कई न्यायक्षेत्रों की अदालतें पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा को टोस अर्थ देने में केंद्रीय भूमिका निभाने लगी हैं। यह पर्यावरण संरक्षण को सारवान समानता (substantive equality) के साथ जोड़ता है, यह जोर देते हुए कि पर्यावरणीय शासन को केवल समग्र परिणामों का नहीं बल्कि उनके विभेदित सामाजिक प्रभावों का भी हिसाब रखना चाहिए।” राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को चुनौतियों की पहचान से आगे बढ़कर ऐसे कानून, संस्थाएं और साझेदारियां बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो उभरते खतरों का जवाब दे सकें: “जिनके पास संसाधन कम हैं, उन्हें अक्सर सबसे बड़ा जोखिम झेलना पड़ता है। इसलिए जलवायु कार्रवाई समावेशी, न्यायसंगत और कमजोर समुदायों तथा भावी पीढ़ियों के प्रति सजग होनी चाहिए।” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान अब किसी एक संस्था या अनुशासन से संभव नहीं है और इसके लिए कानून, शासन, विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। द इंडियन एक्सप्रेस ने अलग से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उसी सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए सौर क्षमता और उत्सर्जन के आंकड़े गिनाए और उपस्थित वकीलों से कहा कि ये आंकड़े किसी दिन काम आ सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंध: पर्यावरणीय न्यायशास्त्र, अनुच्छेद 21 और न्यायपालिका की भूमिका, GS2 और GS3।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 21 को स्वस्थ पर्यावरण शामिल करने के लिए व्याख्यायित किया गया → अदालतें एहतियाती और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत आयात करती हैं → 2010 में विशेष मंच के रूप में NGT बना → जलवायु परिवर्तन को अधिकार का मुद्दा माना गया → सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश NGT सम्मेलन में पारिस्थितिकी-केंद्रित मोड़ बताती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 की व्याख्या है, कोई कथित अधिकार नहीं** — संविधान में पर्यावरण का कोई स्पष्ट मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 (Article 21) के जीवन के अधिकार में पढ़ा, विशेष रूप से सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (Subhash Kumar v. State of Bihar, 1991) में, यह मानते हुए कि जीवन में प्रदूषण-रहित पानी और हवा का आनंद शामिल है। अनुच्छेद 48A (Article 48A), जो एक नीति निर्देशक तत्व है, और अनुच्छेद 51A(g) (Article 51A(g)), जो एक मौलिक कर्तव्य है, दोनों संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 (Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976) द्वारा जोड़े गए थे और क्रमशः राज्य और नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के लिए बाध्य करते हैं।
- तीन न्यायिक-निर्मित सिद्धांत भारतीय पर्यावरण कानून का अधिकांश भार उठाते हैं** — वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, 1996) में अदालत ने एहतियाती सिद्धांत (precautionary principle) और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (polluter pays principle) को सतत विकास (sustainable development) के तत्वों के रूप में देश के कानून का हिस्सा घोषित किया। एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (M.C. Mehta v. Kamal Nath, 1997) में इसने लोक न्यास सिद्धांत (public trust doctrine) अपनाया, जिसके तहत राज्य नदियों, जंगलों और समुद्र तटों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को जनता के लिए न्यास में रखता है और उन्हें निजी उपयोग के लिए नहीं सौंप सकता। ये तीन सिद्धांत किसी भी पारिस्थितिकी-केंद्रित दावे के पीछे के कार्यशील उपकरण हैं।
- पारिस्थितिकी-केंद्रित मोड़ की पहले से एक न्यायिक शृंखला है** — सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ, WWF-इंडिया बनाम भारत संघ (Centre for Environmental Law, WWF-India v. Union of India, 2013), एशियाई शेर स्थानांतरण मामले में, अदालत ने कहा कि पर्यावरणीय न्याय केवल मनुष्य-केंद्रित से पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़कर ही प्राप्त किया जा सकता है और किसी प्रजाति के अस्तित्व का आंतरिक मूल्य है। एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (M.K. Ranjitsinh v. Union of India, 2024), महान भारतीय बस्टर्ड मामले में, अदालत ने अनुच्छेद 14 और 21 से उपजने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी। न्यायमूर्ति नागरत्ना की टिप्पणियां इस शृंखला पर टिकी हैं, इसे नया गढ़ नहीं रहीं।
- NGT एक निर्धारित अधिदेश वाला सांविधिक अधिकरण है** — राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (National Green Tribunal Act, 2010) के तहत पर्यावरण संरक्षण, जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी। अधिनियम की धारा 20 (Section 20) इसे सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत लागू करने का निर्देश देती है। इसकी अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश या उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है, और इसके विरुद्ध अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- पर्यावरणीय न्यायशास्त्र GS2 और GS3 दोनों में निर्धारित है** — UPSC ने पर्यावरणीय शासन में न्यायपालिका की भूमिका, NGT की शक्तियों और न्यायिक सक्रियता तथा कार्यपालिका नीति के बीच तनाव के बारे में पूछा है। एक पदस्थ न्यायाधीश का भाषण स्वयं कोई फैसला नहीं है, पर यह तर्क की दिशा संकेतित करता है, और परीक्षक उन उम्मीदवारों को पुरस्कृत करता है जो उन मामलों के नाम बता सकें जिन पर तर्क टिका है।

	2. नैतिकता प्रश्नपत्र सीधे पारिस्थितिकी-केंद्रितता (ecocentrism) का उपयोग करते हैं — GS4 में पर्यावरणीय नैतिकता और गैर-मानवीय जीवन की नैतिक स्थिति के बारे में पूछा गया है। इस रिपोर्ट में परिभाषित मनुष्य-केंद्रित-पारिस्थितिकी-केंद्रित अंतर वही शब्दावली है जिसकी उन प्रश्नों को अपेक्षा होती है, और यह गहरी पारिस्थितिकी (deep ecology) तथा प्रकृति के प्रति श्रद्धा की भारतीय परंपराओं के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। 3. प्रकृति के अधिकार एक बार-बार आने वाला निबंध विषय है — उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में गंगा और यमुना को सजीव इकाई घोषित करने, जिस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तथा विदेशों में हुए ऐसे ही कदम, प्रकृति की कानूनी व्यक्तित्व (legal personhood) को एक जीवंत निबंध और साक्षात्कार विषय बनाते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनुच्छेद 48A (नीति निदेशक तत्व) और अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य) संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ● सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में प्रदूषण-रहित पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में पढ़ा। ● वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) में एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत को भारतीय कानून का हिस्सा माना गया। ● लोक न्यास सिद्धांत (public trust doctrine) को सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) में अपनाया। ● राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई; धारा 20 इसे सतत विकास, एहतियाती और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत लागू करने की अपेक्षा करती है। ● राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ● मनुष्य-केंद्रित दृष्टिकोण मनुष्य को नैतिक चिंता का केंद्रीय तत्व मानता है; पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक पर्यावरण को केंद्र में रखता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. पारिस्थितिकी-केंद्रित सिद्धांत बताना आसान है, गरीब देश में लागू करना कठिन — यदि मनुष्यों को गैर-मानवीय दुनिया पर स्वतः प्राथमिकता नहीं है, तो किसी बांध, खदान या राजमार्ग को तौलती अदालत को ऐसी प्रजातियों और आवासों को वजन देना होगा जो बोल नहीं सकते। यह सुसंगत दर्शन है। व्यावहारिक कठिनाई यह है कि ऐसे तौल-परिणाम में विस्थापित या बेरोजगार होने वाले लोग आमतौर पर सबसे गरीब होते हैं, जो अदालत तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। न्यायमूर्ति नागरत्ना का पर्यावरणीय न्याय को सारवान समानता से जोड़ना ही आवश्यक सुधार है: एक पारिस्थितिकी-केंद्रित कानून जो विभेदित सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज करे, संरक्षण की लागत को केवल कमजोर वर्ग पर स्थानांतरित कर देगा। 2. अदालतें विधायिका से आगे रही हैं, और यह ताकत भी है, जोखिम भी — भारतीय पर्यावरण कानून का लगभग हर मूल सिद्धांत कानूनों के बजाय फैसलों से आया है। इसने एक वास्तविक शून्य भरा, पर इसका यह भी अर्थ है कि नियम पीठों के साथ बदलते हैं और निरंतर जनादेश (continuing mandamus) के जरिये लागू होते हैं, संस्थाओं के जरिये नहीं। प्रति-तर्क यह है कि न्यायिक दबाव के बिना न ताज ट्रैपेज़ियम होता, न दिल्ली की बसों में CNG, न कोई सम्मानजनक वन संरक्षण व्यवस्था। बेहतर निष्कर्ष यह है कि न्यायिक सिद्धांत को अब विधायी संहिताकरण (legislative codification) की जरूरत है, ताकि पारिस्थितिकी-केंद्रित मानक यह निर्भर न करे कि मामला किस न्यायाधीश के सामने आता है। 3. 'दूरदर्शिता' (foresight) भाषण का सबसे उपयोगी शब्द है — निर्णय को भविष्य की चेतना के साथ वर्तमान का शासन बताना अंतर-पीढ़ीगत समानता (inter-generational equity) का संकेत है, जो अदालतों के लिए उतना आसान नहीं जितना लगता है: भावी पीढ़ियां पक्षकार नहीं हैं, और नुकसान संभाव्य है। महान भारतीय बस्टर्ड मामले ने यह तनाव दिखाया, जब अदालत ने पहले बड़े क्षेत्र में बिजली लाइनों को भूमिगत करने का आदेश दिया और फिर नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर लागत स्पष्ट होने पर आदेश संशोधित किया। व्यवहार में दूरदर्शिता का अर्थ है एक भविष्य के लाभ को दूसरे के मुकाबले तौलना, केवल भविष्य को वर्तमान के मुकाबले नहीं। 4. सरकार और न्यायपालिका ने एक ही आयोजन में अलग-अलग स्वर में बात की — प्रधानमंत्री के मुख्य भाषण में सौर क्षमता पर जोर था और उत्सर्जन से परहेज था; न्यायाधीश ने प्रकृति की नैतिक स्थिति की बात की। ये परस्पर विरोधी नहीं हैं, पर ये पर्यावरणीय नीति के दो सिद्धांतों को दर्शाते हैं — एक स्वच्छ बनाए गए विकास का, दूसरा सीमाओं का। भारत का अधिकांश भविष्य का पर्यावरणीय मुकदमेबाजी, घास के मैदानों पर सौर पार्क से लेकर हिमालय में जलविद्युत तक, ठीक उसी बिंदु पर होगी जहां ये दोनों सिद्धांत टकराते हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“सुप्रीम कोर्ट पर्यावरणीय मामलों में मनुष्य-केंद्रित से पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव के लिए जोर दे रहा है।” भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विकास की चर्चा करें और जांचें कि क्या पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण को गरीबों की विकास आवश्यकताओं के साथ मेल बिठाया जा सकता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	परिचय (Introduction) — रिपोर्ट में जैसा है ठीक वैसे ही दोनों दृष्टिकोणों को परिभाषित करें और यह कथन NGT के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना को दें, यह बताते हुए कि यह एक फैसले के बजाय न्यायिक तर्क का संकेत है। मुख्य भाग — विकास क्रम — अनुच्छेद 21 (सुभाष कुमार, 1991), एहतियाती और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (वेल्लोर, 1996), लोक न्यास सिद्धांत (कमल नाथ, 1997), NGT अधिनियम 2010 और धारा 20, शेर स्थानांतरण मामले (2013) में पारिस्थितिकी-केंद्रित कथन, और एम.के. रणजीतसिंह (2024) में जलवायु-अधिकार मान्यता का क्रम बताएं। मुख्य भाग — विकास के साथ तनाव — बताएं कि संरक्षण की लागत वन-निवासियों, मछुआरों और किसानों पर असमान रूप से कैसे पड़ती है, न्यायाधीश के सारवान समानता और विभेदित प्रभावों वाले बिंदु का उपयोग करें, और एक ऐसा उदाहरण दें जहां अदालत ने अन्य सार्वजनिक हितों पर लागत स्पष्ट होने पर आदेश संशोधित किया हो। मुख्य भाग — सामंजस्य — न्यायिक सिद्धांतों का कानून में संहिताकरण, प्रभावित समुदायों के साथ मुआवजा और लाभ-साझाकरण, वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) की मान्यता को संरक्षण के सहयोगी के रूप में, और नियामकों को मजबूत करना ताकि अदालतें पहली प्रतिक्रियादाता न रहें। निष्कर्ष (Conclusion) — तर्क दें कि पारिस्थितिकी-केंद्रितता और समानता तभी संगत हैं जब प्रकृति की रक्षा की कीमत लाभान्वित समाज द्वारा चुकाई जाए, न कि उसके निकटतम रहने वाले समुदायों द्वारा।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board) के सदस्य सचिव के रूप में, आपको NGT का एक आदेश मिलता है जो पारिस्थितिकी-केंद्रित तर्क के आधार पर कई हजार श्रमिकों को रोजगार देने वाली छोटी इकाइयों के समूह को बंद करने का निर्देश देता है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): बिना देरी के आदेश का अनुपालन करें, क्योंकि किसी अधिकरण का निर्देश बाध्यकारी है और आंशिक अनुपालन अवमानना को आमंत्रित करता है। साथ ही, एक तथ्यात्मक अनुपालन योजना तैयार करें जिसमें दिखाया जाए कि कौन-सी इकाइयां किन विशिष्ट निवेशों और कितने समय में मानकों को पूरा कर सकती हैं, और इसे अधिकरण के सामने अनुपालक इकाइयों के चरणबद्ध पुनः खुलने के अनुरोध के साथ रखें। श्रमिकों के बकाया और अंतरिम सहायता पर श्रम विभाग से समन्वय करें। उद्देश्य आदेश का पालन करते हुए अधिकरण को वह जानकारी देना है जिससे वह उसे परिष्कृत कर सके। प्रश्न 2. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है कि क्या किसी नदी या जंगल के अपने कानूनी अधिकार होने चाहिए। आपकी क्या राय है? दृष्टिकोण (Approach): प्रकृति के लिए कानूनी व्यक्तित्व एक उपयोगी विचार है क्योंकि यह उन हितों को अधिकारिता (standing) देता है जिनका अन्यथा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। पर स्पष्ट संरक्षक, बजट और प्रवर्तन तंत्र के बिना व्यक्तित्व प्रतीकात्मक रह जाने का जोखिम है, जैसा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के गंगा-यमुना आदेश पर रोक ने दिखाया। मैं मौजूदा उपकरणों — लोक न्यास सिद्धांत, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और NGT — को मजबूत करना पसंद करूंगा, साथ ही विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए संरक्षकत्व (guardianship) के साथ प्रयोग करूंगा जहां कोई जिम्मेदार निकाय नामित किया जा सके। प्रश्न 3. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, आपको किसी ऐसे वन्यजीव गलियारे (wildlife corridor) के पास उत्खनन पट्टे पर निर्णय लेना है जिसे कोई औपचारिक संरक्षित दर्जा नहीं मिला है। आवेदक हर कानूनी आवश्यकता पूरी करता है। आप न्यायाधीश द्वारा चर्चित सिद्धांत कैसे लागू करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): वैधता न्यूनतम है, पूरा निर्णय नहीं। मैं वन विभाग से गलियारे और मौजूदा उत्खननों के संघर्ष प्रभाव का लिखित आकलन मांगूंगा, और यदि नुकसान का साक्ष्य विश्वसनीय है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त एहतियाती सिद्धांत का आह्वान करूंगा। यदि मैं इनकार करने या शर्तें लगाने का निर्णय लेता हूं, तो कारणों को एक बोलते आदेश (speaking order) में दर्ज करूंगा ताकि वह अपील में टिक सके। दस्तावेजी पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित निर्णय बचाव-योग्य है; व्यक्तिगत पसंद पर आधारित नहीं।

5.3 बोत्सवाना चीता CCB-2 गांधी सागर में छोड़ा गया, कुनो में जन्म से भारत का आंकड़ा 56 पहुंचा (Botswana Cheetah CCB-2 Released at Gandhi Sagar as Kuno Births Take India's Count to 56)

समाचार (THE NEWS) भोपाल। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार, 20 सितंबर को बोत्सवाना से भारत लाई गई एक मादा चीता CCB-2 को गांधी सागर में छोड़ा। लगभग तीन वर्ष की CCB-2 को राज्य के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (Kuno National Park) से स्थानांतरित किया गया था। उसके आगमन के साथ गांधी सागर में अब चार चीते हैं, दो नर और दो मादा। वन्यजीव अधिकारियों को उम्मीद है कि CCB-2 चीतों के एक नए परिवार की शुरुआत में मदद करेगी, क्योंकि वहां की मौजूदा मादा अब तक दोनों नर के साथ प्रजनन में असफल रही है। मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर मंदसौर-नीमच क्षेत्र में फैला गांधी सागर देश का दूसरा चीता आवास बना जब अप्रैल 2025 में दो नर चीते, पवन (Pawak) और प्रभास (Prabhas), कुनो से यहां लाए गए थे। पत्र इस स्थल को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, दोनों बताता है। रिहाई के बाद बोलते हुए, श्री यादव ने कहा कि यह स्थानांतरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah) के तहत चीता संरक्षण मजबूत करने के राज्य के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जो भारत में विलुप्त हो चुकी एक बड़ी बिल्ली प्रजाति को वापस लाने का कार्यक्रम है। उन्होंने इस कार्यक्रम को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि एशिया के लिए महत्वपूर्ण बताया, यह बताते हुए कि चीता एशियाई भूदृश्य से गायब हो गया था और भारत में भी विलुप्त हो चुका था। राज्य सरकार के बयान के अनुसार उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि चीते फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं,” और यह जोड़ा कि इस प्रजाति की वापसी राज्य के ‘जियो और जीने दो’ (live and let live) के लोकाचार को दर्शाती है। यह रिहाई परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के दो दिन बाद हुई: 18 सितंबर को भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने कुनो में चार शावकों को जन्म दिया। यह जन्म इसलिए उल्लेखनीय था क्योंकि KGP12 स्वयं दक्षिण अफ्रीका से लाई गई एक चीता से भारत में जन्मी थी, जिससे उसके शावक भारतीय धरती पर जन्मी दूसरी पीढ़ी का हिस्सा बन गए। वन अधिकारियों और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के हवाले से रिपोर्टों के अनुसार, नवीनतम जन्मों ने भारत की कुल चीता आबादी को 56 तक पहुंचा दिया। पाठ्यक्रम संबंध: प्रजाति पुनर्स्थापन, संरक्षित-क्षेत्र प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण, GS3।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बीसवीं सदी के मध्य तक शिकार से भारत में चीता विलुप्त → प्रोजेक्ट चीता 2022 से अफ्रीकी चीतों को कुनो लाता है → कुनो की जगह और शिकार की सीमाएं दूसरे स्थल की आवश्यकता बनाती हैं → अप्रैल 2025 में नर चीते गांधी सागर भेजे गए → कुनो में दूसरी पीढ़ी के जन्म और 56 की गिनती के साथ एक बोत्सवाना मादा जोड़ी गई

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. चीता आजादी के बाद भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा स्तनपायी है — चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, क्योंकि इसका शिकार और शिकार-प्रतियोगिता (coursing) के लिए पकड़ा जाना, तथा इसका घास के मैदान वाला आवास खो जाना इसकी वजह थी। एशियाई उप-प्रजाति केवल ईरान में बची है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त (critically endangered) है, यही कारण है कि भारत ने अफ्रीकी चीतों का रख रखा। यह प्रजाति समग्र रूप से IUCN रेड लिस्ट (IUCN Red List) में सुभेद्य (Vulnerable) सूचीबद्ध है और भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) की अनुसूची I (Schedule I) के तहत संरक्षित है।
2. प्रोजेक्ट चीता सितंबर 2022 में कुनो में शुरू हुआ था — भारत में चीता प्रवेश की कार्य योजना (Action Plan for Introduction of Cheetah in India) के तहत, नामीबिया से आठ चीतों को 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से बारह चीते लाए गए। परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) और राज्य वन विभाग के साथ लागू की जा रही है। कुनो को 2018 में वन्यजीव अभयारण्य से राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया गया था।
3. NTCA एक सांविधिक निकाय है — राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38L (Section 38L) के तहत हुआ, जिसे 2006 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं। प्रोजेक्ट चीता में इसकी भूमिका, यद्यपि चीता कोई बाघ नहीं है, भारत की प्रमुख बड़ी-बिल्ली प्रबंधन एजेंसी के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती है।
4. गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित है — गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary) मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में राजस्थान की सीमा पर, चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के जलाशय के आसपास स्थित है। इसका खुले घास के मैदान और शुष्क जंगल का मिश्रण इसे दूसरे चीता स्थल के रूप में चुने जाने का एक कारण था, और परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले एक कुनो-गांधी सागर भूदृश्य की परिकल्पना की गई है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. प्रोजेक्ट चीता एक प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) का नियमित विषय है — स्रोत देशों, रिहाई स्थल, विलुप्त के वर्ष, IUCN दर्जे और उप-प्रजाति भेद पर प्रश्न नियमित रूप से आते हैं। उम्मीदवार एशियाई शेर के लिए कुनो की पहले प्रस्तावित भूमिका को चीते के लिए उसकी वर्तमान भूमिका के साथ भ्रमित करते हैं, और परीक्षक इसका फायदा उठाता है।

	2. मुख्य परीक्षा (Mains) पुनर्स्थापन को एक संरक्षण उपकरण के रूप में पूछती है — GS3 में 'संरक्षण' के तहत, किसी प्रजाति को दूसरे महाद्वीप से स्थानांतरित करने के गुण-दोष पर प्रश्न पाठ्यक्रम के भीतर ही है। शुरुआती वर्षों में मृत्यु दर, शिकार और स्थान की पर्याप्तता, और कुनो में शेरों के लंबे समय से लंबित स्थानांतरण की तुलना में चीता चुने जाने का विषय एक संतुलित उत्तर के लिए सामग्री देते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● चीते को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। ● एशियाई चीता (<i>Acinonyx jubatus venaticus</i>) केवल ईरान में जंगली अवस्था में बचा है; प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए चीते अफ्रीकी हैं। ● प्रोजेक्ट चीता के तहत, नामीबिया से चीतों को 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से एक समूह लाया गया। ● प्रोजेक्ट चीता को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38L के तहत एक सांविधिक निकाय है। ● मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर, कुनो के बाद भारत का दूसरा चीता आवास है। ● चीता IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) सूचीबद्ध है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दूसरा स्थल केवल सफलता का नहीं, पहले स्थल की सीमाओं का भी संकेत है — गांधी सागर में चीतों को भेजना विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर यह कुनो में दिखी एक समस्या का भी जवाब है: एक सीमित आकार वाला बिना बाड़ वाला उद्यान एक व्यापक-विचरण वाले शिकारी की बढ़ती आबादी को बिना जानवरों के गांवों में भटकने के नहीं संभाल सकता। दूसरा स्थल बीमारी या आपदा से जोखिम को फैलाता है। तर्क ठोस है, पर उत्तर को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि स्थलों का एक नेटवर्क परियोजना के लिए एक आवश्यकता है, कोई अलंकरण नहीं। 2. दूसरी पीढ़ी के जन्म परियोजना की पहली वास्तविक परीक्षा है जिसमें वह पास हुई है — आयातित वयस्कों का जीवित रहना एक पालन-पोषण की उपलब्धि है; भारत में जन्मी मां से पैदा शावक दिखाते हैं कि जानवर यहाँ अपना जीवन-चक्र पूरा कर सकते हैं। इसलिए KGP12 के चार शावक 56 की मुख्य संख्या से अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रति-तर्क यह है कि शावकों का वयस्कता तक जीवित रहना, और बिना पूरक आहार या गहन निगरानी के प्रजनन, अभी भी अप्रमाणित है, और युवा शावकों को शामिल करने वाली गिनती नाजुक है। 3. गांधी सागर में प्रजनन विफलता दिखाती है कि छोटी संख्याएं प्रबंधन को कितना हस्तक्षेप बनाती हैं — मौजूदा मादा दोनों नर के साथ प्रजनन नहीं कर पाई, इसलिए एक नई मादा लाई गई है। चार जानवरों के साथ, हर व्यक्ति मायने रखता है और हर रिश्ता प्रबंधित किया जाता है। यह संस्थापक चरण (founder stage) में अपरिहार्य है, पर इसका अर्थ है कि आबादी अभी भी एक प्रबंधित संग्रह है, जंगली आबादी नहीं। एक दशक में सफलता का मापदंड यह होगा कि इसे कितना कम हस्तक्षेप चाहिए। 4. चीते का मामला बिल्ली से ज्यादा घास के मैदानों पर टिका है — परियोजना के पक्ष में सबसे अच्छा तर्क यह है कि यह खुले घास के मैदानों और सवाना को राजनीतिक ध्यान देती है, जिन्हें भारत के वन कानून ने ऐतिहासिक रूप से बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया है और बागानों, सौर पार्कों और उद्योग के लिए मोड़ दिया है। यदि चीता उस पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है, तो इसकी लागत उचित है; यदि यह घेराबंदियों का प्रतीक बन जाता है जबकि अन्यत्र घास के मैदान नष्ट होते रहते हैं, तो नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत में अफ्रीकी चीते के पुनर्स्थापन के पारिस्थितिक तर्क और जोखिमों की जांच करें। क्या गांधी सागर में दूसरे आवास की स्थापना ने कार्यक्रम के पक्ष को मजबूत किया है?
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. परिचय (Introduction) — 1952 की विलुप्ति, सितंबर 2022 में कुनो में शुरुआत, और आज की स्थिति बताएं: गांधी सागर में चार चीते और दूसरी पीढ़ी के जन्मों के बाद राष्ट्रीय आंकड़ा 56। 2. मुख्य भाग — तर्काधार — किसी खोई हुई प्रजाति की पुनर्स्थापना, घास के मैदान संरक्षण, पारिस्थितिकी-पर्यटन (ecotourism) और आजीविका, और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना के साथ वैश्विक संरक्षण कूटनीति। 3. मुख्य भाग — जोखिम — अफ्रीकी जानवरों का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन, मृत्यु दर, कुनो में सीमित स्थान और शिकार, जानवरों के भटकने पर मानव-वन्यजीव संघर्ष, लागत, और शेरों के लंबित स्थानांतरण की अवसर लागत।

4. मुख्य भाग — गांधी सागर का महत्व — जोखिम फैलाव, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैली एक मेटा-आबादी, और नए स्थल पर विफल जोड़ी-निर्माण से दिखी कठिनाई। प्रजनन-क्षमता के साक्ष्य के रूप में KGP12 के जन्मों से जोड़ें।

5. निष्कर्ष (Conclusion) — निष्कर्ष दें कि कार्यक्रम की सफलता को स्वयं-निर्भर जंगली प्रजनन और संरक्षित घास के मैदान क्षेत्र से मापा जाना चाहिए, न कि केवल गिनती से।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप गांधी सागर के प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) हैं। एक चीता खेत में भटक जाता है और ग्रामीण लाठियां लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। पहले घंटे में आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): प्रतिक्रिया दल और पशुचिकित्सक को मौके पर भेजें और स्थानीय पुलिस से भीड़ को दूर रखने को कहें, क्योंकि जानवर और ग्रामीण दोनों जोखिम में हैं। ग्रामीणों से सीधे बात करें, समझाएं कि चीता शायद ही लोगों पर हमला करता है और दल इसे हटा देगा, और बुजुर्गों से भीड़ को रोकने में मदद मांगें। जानवर के सुरक्षित होने के बाद, किसी पशुधन हानि को दर्ज करें और मुआवजे को जल्दी संसाधित करें, क्योंकि त्वरित भुगतान ही ग्रामीणों को अगली भटकन सहने के लिए तैयार रखता है।

प्रश्न 2. एक साक्षात्कारकर्ता कहता है कि प्रोजेक्ट चीता पर खर्च की गई राशि एशियाई शेर या महान भारतीय बस्टर्ड पर बेहतर खर्च होती। आप कैसे जवाब देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): प्राथमिकताओं का बिंदु उचित है; संरक्षण बजट सीमित हैं, और गिर में शेर का एकल-आबादी जोखिम तथा बस्टर्ड का पतन गंभीर हैं। पर विकल्प पूरी तरह से प्रतिस्थापन-योग्य नहीं हैं, क्योंकि चीता परियोजना उन घास के मैदानों में ध्यान और धन लाती है जो बस्टर्ड और अन्य प्रजातियों का भी आवास हैं। मैं परियोजना का मूल्यांकन इस आधार पर करने का तर्क दूंगा कि क्या यह घास के मैदान आवास की रक्षा करती है और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं को समय पर बनाए रखती है, न कि उसकी अपनी गिनती पर।

प्रश्न 3. मध्य प्रदेश में वन सचिव (Secretary, Forests) के रूप में, आपसे अगले पर्यटन सत्र से पहले तीसरा चीता स्थल घोषित करने को कहा गया है। वैज्ञानिक आकलन अधूरा है। आपकी क्या सलाह है?

दृष्टिकोण (Approach): सलाह दें कि घोषणा केवल एक प्रस्ताव के रूप में की जा सकती है, जो शिकार आधार, स्थान और सामुदायिक परामर्श के आकलन के अधीन हो। किसी अतैयार स्थल में जानवरों को छोड़ना ऐसी मौतों का जोखिम उठाएगा जो पूरे कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाएंगी। सरकार को घोषित करने योग्य मील के पथरों के साथ एक यथार्थवादी समयरेखा दें, जो समय से पहले रिहाई की प्रतिबद्धता के बिना राजनीतिक आवश्यकता को पूरा करती है।

6. स्वास्थ्य और जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

तीन खबरें उन बीमारियों के बारे में हैं जो अब भारतीय अस्पतालों को भर रही हैं — संक्रमण नहीं बल्कि उच्च रक्तचाप (hypertension), हृदय रोग और डिमेंशिया (dementia) — और उन कीमतों तथा प्रणालियों के बारे में हैं जो मरीज और इलाज के बीच खड़ी हैं। एक राज्य यह बदलने की कोशिश कर रहा है कि खाने की हांडी में क्या जाता है; एक उद्योग निकाय पेसमेकर (pacemaker) के मूल्य टैग पर क्या लिखा हो यह बदलना चाहता है; और एक वृद्धावस्था-रोग विशेषज्ञ (geriatrician) तर्क देते हैं कि डिमेंशिया की देखभाल न्यूरोलॉजिस्ट (neurologist) तक पहुंचने से बहुत पहले घर से शुरू होनी चाहिए। साझा सबक यह है कि दीर्घकालिक रोग अस्पताल के बाहर जीते या हारे जाते हैं।

6.1 तमिलनाडु उच्च रक्तचाप रोकने के लिए पहला राज्यव्यापी मूत्र सर्वेक्षण और सरकारी रसोई में नमक कटौती की योजना बना रहा (Tamil Nadu Plans First Statewide Urine Survey and Salt Cut in Government Kitchens to Curb Hypertension)

समाचार (THE NEWS) चेन्नई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने विधानसभा में राज्य में नमक की खपत घटाने के लिए एक बहु-आयामी मिशन की योजना की घोषणा की, द हिंदू ने 21 सितंबर को रम्या कन्नन के विश्लेषण में रिपोर्ट किया। पहली बार, मूत्र नमूनों का उपयोग करते हुए एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण वैज्ञानिक रूप से यह मापेगा कि लोग वास्तव में कितना नमक खाते हैं; मूत्र में उत्सर्जित सोडियम मापना लोगों से पृच्छने की तुलना में अधिक विश्वसनीय है कि वे क्या खाते हैं। पोषाहार कार्यक्रम (Nutritious Meal Programme), आईसीडीएस (ICDS) केंद्रों, सरकारी अस्पतालों और छात्रावासों सहित सरकार द्वारा संचालित रसोई में नमक धीरे-धीरे घटाया जाएगा। कम-सोडियम नमक विकल्प शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी। इसे पैकेजों पर लेबल पढ़ने, नमक डालने से पहले भोजन चखने और प्राकृतिक स्वाद बढ़ाने वाली चीजों के उपयोग पर एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समर्थन मिलेगा। राज्य अपने सामुदायिक स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम मक्कलाई थेडी मारुथुवम (Makkalai Thedi Maruthuvam) और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के जरिए उच्च रक्तचाप नियंत्रण को भी बढ़ाना चाहता है; उच्च रक्तचाप से पीड़ित पाए गए लोगों को व्यवस्थित परामर्श और उच्च-रक्तचाप-रोधी दवाएं दी जाएंगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research, ICMR) के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में पुरुष औसतन प्रतिदिन 8.9 ग्राम नमक और महिलाएं लगभग 7.1 ग्राम नमक खाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization, WHO) खपत को प्रतिदिन 5 ग्राम से कम रखने की सिफारिश करता है और जनवरी 2025 में उसने कम-सोडियम नमक विकल्पों की सिफारिश करने वाले दिशानिर्देश जारी किए। तमिलनाडु में उच्च रक्तचाप एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है: सेल्वाविनायगम टी.एस. और अन्य के 2024 के एक अध्ययन में वयस्कों में उच्च रक्तचाप की व्यापकता लगभग 33.9% पाई गई, जो राष्ट्रीय औसत 28.5% से काफी अधिक है। अधिक नमक शरीर में पानी रोक लेता है, जिससे रक्त की मात्रा और धमनी की दीवारों पर दबाव बढ़ता है, जो नैदानिक उच्च रक्तचाप की ओर ले जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (American Journal of Clinical Nutrition) में 2021 में प्रकाशित एक यादृच्छिक, दोहरे-अंध, नियंत्रित परीक्षण (randomised, double-blind, controlled trial) के शोधकर्ताओं ने लिखा कि नमक को कम-सोडियम, अधिक-पोटेशियम वाले विकल्प से बदलना ग्रामीण भारत में उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों में सिस्टोलिक रक्तचाप घटाने का एक स्वीकार्य और प्रभावी तरीका था। सेपियंस हेल्थ फाउंडेशन (Sapiens Health Foundation) ने अभियान का स्वागत किया; इसके संस्थापक राजन रविचंद्रन ने याद दिलाया कि वर्ल्ड एक्शन ऑन साल्ट, शुगर एंड हेल्थ (World Action on Salt, Sugar and Health) के ग्राहम मैकग्रेगर द्वारा 2005 में शुरू किए गए एक अभियान से यूके में ब्रेड में नमक की रिपोर्ट की गई 30% कमी आई थी। अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जी. सेंगोदुवेलु ने कहा कि अधिक नमक उच्च रक्तचाप, हृदयाघात (heart attack) और लकवाघात (stroke) में सबसे महत्वपूर्ण और रोके जा सकने वाले कारकों में से एक है, और भारतीयों की नमकीन भोजन की पसंद काफी हद तक एक अर्जित आदत है, जिसे नमक धीरे-धीरे कम करने पर जीभ भूल सकती है। पाठ्यक्रम संबंध: गैर-संचारी रोग (non-communicable diseases) और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, GS2 में।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बचपन में अर्जित नमक की आदत → भारतीय पुरुष औसतन 8.9 ग्राम और महिलाएं 7.1 ग्राम प्रतिदिन नमक खाती हैं, WHO के 5 ग्राम के मुकाबले → पानी रुकने से रक्तचाप बढ़ता है → तमिलनाडु में वयस्क उच्च रक्तचाप लगभग 33.9% → राज्य ने मूत्र सर्वेक्षण, सार्वजनिक रसोई में नमक कटौती और कम-सोडियम विकल्पों की योजना बनाई

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. गैर-संचारी रोग अब भारत के सबसे बड़े हत्यारे हैं (Non-communicable diseases are now India's main killer) — हृदय-संबंधी रोग (cardiovascular disease), कैंसर, दीर्घकालिक श्वसन रोग (chronic respiratory disease) और मधुमेह (diabetes) भारत में अधिकांश मौतों के कारण हैं। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और लकवाघात की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke), जो 2010 में शुरू हुआ था, का नाम 2023 में बदलकर गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases) कर दिया गया। 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर के लिए जनसंख्या-आधारित जांच आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (Ayushman Arogya Mandirs), यानी नया नाम दिए गए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, के जरिए की जाती है।
2. WHO का नमक मानक और वैश्विक लक्ष्य (The WHO salt benchmark and global target) — WHO सिफारिश करता है कि वयस्क प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खाएं, जो 2 ग्राम से कम सोडियम के बराबर है। 2013 में अपनाए गए गैर-संचारी रोगों के लिए वैश्विक निगरानी

	ढांचे (Global Monitoring Framework for NCDs) के तहत, सदस्य देशों ने औसत जनसंख्या नमक खपत में 30% सापेक्ष कमी लाने की प्रतिबद्धता जताई। 24-घंटे मूत्र सोडियम परीक्षण (24-hour urinary sodium test) को खपत मापने का स्वर्ण मानक (gold standard) माना जाता है क्योंकि खाया गया अधिकांश नमक मूत्र के जरिए उत्सर्जित होता है। 3. भारत ने उच्च रक्तचाप नियंत्रण का एक ढांचा बनाया है (India has built a hypertension control architecture) — 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, WHO इंडिया और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (India Hypertension Control Initiative) मानक उपचार प्रोटोकॉल, दवा आपूर्ति और मरीज अनुवर्ती (follow-up) को बढ़ावा देती है। सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.4, 2030 तक गैर-संचारी रोगों से समय-पूर्व मृत्यु दर को एक-तिहाई घटाने की मांग करता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI), खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत, ईट राइट इंडिया (Eat Right India) आंदोलन चलाता है, जिसमें नमक, चीनी और वसा घटाने का संदेश शामिल है। 4. सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, और तमिलनाडु ने उस गुंजाइश का उपयोग किया है (Public health is a State subject, and Tamil Nadu has used that space) — सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) की राज्य सूची (State List) में प्रविष्टि 6 के रूप में दर्ज हैं, जबकि अनुच्छेद 47 (Article 47) राज्य को पोषण स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश देता है। 2021 में शुरू हुआ तमिलनाडु का मक्कलाई थेडी मारुथुवम लोगों के घरों तक गैर-संचारी रोग जांच और दवाएं पहुंचाता है, और इसका पोषाहार कार्यक्रम देश की सबसे पुरानी स्कूल भोजन योजनाओं में से एक है, जो राज्य को नमक अभियान के लिए तैयार माध्यम देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 में गैर-संचारी रोग और निवारक स्वास्थ्य पूछे जाते हैं (NCDs and preventive health are asked under GS2) — पाठ्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को शामिल करता है। UPSC बढ़ते गैर-संचारी रोग बोझ, जीवनशैली रोगों और उपचारात्मक से निवारक देखभाल की ओर बदलाव के बारे में पूछता रहा है। राज्य-स्तरीय नमक अभियान जनसंख्या-स्तरीय रोकथाम का एक ठोस उदाहरण है जिसे उम्मीदवार उद्धृत कर सकते हैं। 2. नज (nudge) और व्यवहारगत नीति एक बार-बार आने वाला विषय है (Nudges and behavioural policy are a recurring theme) — सार्वजनिक नीति में व्यवहारगत अर्थशास्त्र (behavioural economics) और पुनर्गठन एवं लेबलिंग के जरिए खान-पान की आदतें बदलने पर प्रश्न GS2 और निबंध पेपर, दोनों में आ चुके हैं। सार्वजनिक रसोई में डिफॉल्ट बदलना एक पाठ्यपुस्तकीय नज है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● WHO वयस्कों के लिए प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खपत की सिफारिश करता है, जो 2 ग्राम से कम सोडियम के बराबर है। ● कैसर, मधुमेह, हृदय रोग और लकवाघात की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (2010) का नाम 2023 में बदलकर गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। ● भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, WHO इंडिया और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई थी। ● SDG लक्ष्य 3.4, 2030 तक गैर-संचारी रोगों से समय-पूर्व मृत्यु दर में एक-तिहाई कमी चाहता है। ● मक्कलाई थेडी मारुथुवम तमिलनाडु का गैर-संचारी रोगों की जांच और उपचार के लिए द्वार-द्वार स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ● सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि 6 है। ● भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत एक सांविधिक निकाय है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. कार्रवाई से पहले मापना योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है (Measuring before acting is the most important part of the plan) — अधिकांश भारतीय नमक आंकड़े आहार स्मरण (dietary recall) पर आधारित हैं, जो खपत को कम आंकते हैं क्योंकि लोग अचार, पापड़ और पैकेज्ड नाश्ते में नमक की गिनती नहीं कर सकते। मूत्र-आधारित राज्यव्यापी सर्वेक्षण एक आधार रेखा (baseline) देता है जिसे दोबारा मापा जा सकता है, और यही जानने का एकमात्र तरीका है कि अभियान काम कर रहा है या नहीं। जो कार्यक्रम आधार रेखा को छोड़ देते हैं, वे

	अंततः परिणामों के बजाय गतिविधियों की रिपोर्ट देते हैं। इस डिज़ाइन विकल्प को जागरूकता अभियान से अधिक ध्यान मिलना चाहिए। 2. सार्वजनिक रसोई में डिफॉल्ट बदलना उन लोगों तक पहुंचता है जो कभी लेबल नहीं पढ़ते (Changing the default in public kitchens reaches people who never read labels) — लेबल पढ़ने वाले अभियान साक्षर, शहरी, पैकेज्ड-भोजन उपभोक्ताओं के साथ सबसे बेहतर काम करते हैं। पोषाहार कार्यक्रम, ICDS केंद्रों, अस्पतालों और छात्रावासों में नमक घटाना लाखों लोगों के खाने को बिना उन्हें कुछ भी तय करने की आवश्यकता के बदल देता है, और बच्चों की जीभ को जल्दी ढालता है — जो महत्वपूर्ण है अगर, जैसा कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, नमक का स्वाद बचपन में अर्जित होता है। प्रति-चिंता स्वीकार्यता की है: यदि भोजन फीका हो जाता है और बच्चे कम खाते हैं, तो पोषण को नुकसान होता है। योजना के अनुसार क्रमिक कमी ही सही तरीका है। 3. नमक विकल्पों में एक वास्तविक पर संभालने योग्य जोखिम है (Salt substitutes carry a real but manageable risk) — कम-सोडियम, अधिक-पोटेशियम वाला नमक रक्तचाप घटाता है, जैसा ग्रामीण भारत के परीक्षण में पाया गया। पर अतिरिक्त पोटेशियम उन्नत गुर्दा रोग (kidney disease) वाले या कुछ दवाएं ले रहे लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए राज्य का इसे सीधे लागू करने के बजाय व्यवहार्यता जांचना सही है। एक समझदार तरीका होगा कि सार्वजनिक रसोई और बाजारों में स्पष्ट लेबलिंग के साथ विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, जबकि गुर्दा देखभाल पर रहने वाले लोगों को चिकित्सकीय सलाह मिलना सुनिश्चित किया जाए। 4. बड़ा लीवर उद्योग पुनर्गठन (reformulation) है, जिसे कोई राज्य पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता (The bigger lever is industry reformulation, which a State cannot fully control) — उद्धृत यूके का उदाहरण ब्रेड में नमक की कमी था, जो निर्माताओं के साथ काम करके हासिल किया गया। भारत में अधिकांश नमक घर की रसोई से आता है, पर देश भर में बिकने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से आने वाला हिस्सा बढ़ रहा है। कोई राज्य अपनी रसोई और अभियान बदल सकता है; पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में नमक की सीमा और पैकेट के सामने चेतावनी लेबल के लिए FSSAI की जरूरत है। इसलिए तमिलनाडु का अभियान आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं, और यह राष्ट्रीय मानकों के पक्ष को मजबूत करता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत में उच्च रक्तचाप एक आदत की बीमारी है, और आदत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य लीवर है।” तमिलनाडु की हाल की पहल के संदर्भ में, गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण में जनसंख्या-स्तरीय नमक कमी की भूमिका की जांच करें।
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. परिचय (Introduction) — बोझ बताएं: WHO की 5 ग्राम सीमा के मुकाबले ICMR के अनुसार पुरुषों के लिए औसतन 8.9 ग्राम और महिलाओं के लिए 7.1 ग्राम नमक, और राष्ट्रीय 28.5% के मुकाबले तमिलनाडु में वयस्क उच्च रक्तचाप लगभग 33.9%। 2. मुख्य भाग — तंत्र और साक्ष्य (Body — the mechanism and evidence) — बताएं कि अतिरिक्त सोडियम रक्तचाप कैसे बढ़ाता है, पोटेशियम-समृद्ध विकल्पों पर ग्रामीण भारत के परीक्षण और यूके के ब्रेड पुनर्गठन को इस प्रमाण के तौर पर उद्धृत करें कि जनसंख्या-स्तरीय उपाय काम करते हैं। 3. मुख्य भाग — तमिलनाडु की योजना (Body — the Tamil Nadu design) — मूत्र-आधारित आधार रेखा सर्वेक्षण, सरकारी रसोई में क्रमिक नमक कमी, कम-सोडियम विकल्पों की जांच, लेबल-पठन जागरूकता, और मक्कलाई थेंडी मारुथुवम के जरिए उपचार से जुड़ाव। 4. मुख्य भाग — कमियां और राष्ट्रीय भूमिका (Body — gaps and national role) — FSSAI के जरिए प्रसंस्कृत-खाद्य पुनर्गठन और पैकेट के सामने लेबलिंग, गुर्दा रोगियों के लिए पोटेशियम को लेकर सावधानी, NP-NCD और भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के साथ एकीकरण, और पुनः मापन की आवश्यकता। 5. निष्कर्ष (Conclusion) — तर्क दें कि बदले हुए डिफॉल्ट के जरिए रोकथाम जीवनभर के उपचार से सस्ती और अधिक न्यायसंगत है, और तमिलनाडु मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है यदि वह परिणामों को ईमानदारी से मापे।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. जिला कलेक्टर (District Collector) के रूप में, आपसे पोषाहार कार्यक्रम में नमक घटाने को कहा गया है, पर रसोइये और अभिभावक शिकायत करते हैं कि खाना फीका लगता है और बच्चे भोजन छोड़ रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): दिशा बनाए रखें पर गति समायोजित करें। नमक को छोटे-छोटे चरणों में घटाएं ताकि जीभ ढल सके, और रसोइयों को नींबू, जड़ी-बूटियों और मसालों जैसे प्राकृतिक स्वाद बढ़ाने वाली चीजों का प्रशिक्षण दें, जिनकी सिफारिश अभियान स्वयं करता है। कुछ नमूना स्कूलों में थाली में बचा खाना (plate waste) निगरानी करें, क्योंकि खपत में गिरावट पोषण के

उद्देश्य को विफल कर देगी। अभिभावक-शिक्षक समितियों को शामिल करें ताकि बदलाव थोपा जाने के बजाय समझाया जाए।

प्रश्न 2. आपके राज्य में एक पैकेज्ड-नाश्ता निर्माता कहता है कि नमक अभियान बिक्री को नुकसान पहुंचा रहा है और सरकार से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का नाम लेना बंद करने का अनुरोध करता है। स्वास्थ्य सचिव (Health Secretary) के रूप में आप कैसे जवाब देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश को इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता कि यह बिक्री को प्रभावित करता है। पर मैं उद्योग के साथ रचनात्मक ढंग से जुड़ूंगा: निर्माताओं को स्वैच्छिक, समय-सीमा वाली नमक कमी के लिए प्रतिबद्ध होने का न्योता दूँ, और जो ऐसा करें उन्हें सार्वजनिक मान्यता दूँ। जहाँ कोई कंपनी पुनर्गठन करे, अभियान इसे बता सकता है। जुड़ाव अक्सर टकराव से अधिक हासिल करता है, पर नमक पर संदेश सटीक बना रहना चाहिए।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है कि क्या राज्य सरकार को भोजन में नमक की मात्रा नियमित करनी चाहिए। आपकी राय क्या है?

दृष्टिकोण (Approach): खाद्य मानक राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत FSSAI द्वारा तय किए जाते हैं, इसलिए राज्य को अलग उत्पाद मानक नहीं बनाने चाहिए जो बाजार को खंडित करें। इसकी ताकत उसमें है जिसे वह सीधे नियंत्रित करता है — सार्वजनिक रसोई, स्वास्थ्य आउटरीच और जागरूकता — और अपने आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय नियामक पर दबाव बनाने में। मैं राज्य को उदाहरण और साक्ष्य से नेतृत्व करने, और उत्पाद विनियमन FSSAI पर छोड़ने की सलाह दूंगा।

6.2 पेसमेकर और वाल्व पर MRP लागत से 10-30 गुना अधिक होने पर डिवाइस निर्माता व्यापार-मार्जिन सीमा की मांग कर रहे (Device Makers Seek Trade-Margin Caps as MRPs Run 10-30 Times Above Cost on Pacemakers and Valves)

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। भारत को दवाओं से अलग, चिकित्सा उपकरणों की कीमत तय करने के लिए तत्काल एक अलग नियामक ढाँचे की जरूरत है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (Association of Indian Medical Device Industry, AiMeD) के फोरम समन्वयक राजीव नाथ ने द इंडियन एक्सप्रेस में 21 सितंबर को तर्क दिया। उन्होंने यह महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा हाल ही में चिकित्सा उपकरणों में शोषणकारी मार्जिन को चिह्नित किए जाने के बाद लिखा। दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश (Drugs (Prices Control) Order, DPCO), वह सरकारी आदेश जो दवाओं की कीमतें तय या सीमित करने के लिए इस्तेमाल होता है, के तहत वर्तमान दवा-केंद्रित दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है, नैतिक निर्माताओं को दंडित करता है और मरीजों को फुलाई गई अधिकतम खुदरा कीमतों (Maximum Retail Prices) के रहमोकरम पर छोड़ देता है, उन्होंने लिखा। चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 (Medical Devices Rules, 2017) ने उपकरणों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए एक समर्पित नियामक ढाँचे के अंतर्गत लाया, पर मूल्य निर्धारण अब भी काफी हद तक दवाओं के लिए बनाए गए तंत्रों के जरिए किया जाता है, हालांकि उपकरण बाजार बहुत भिन्न तकनीकों, लागतों, जीवन-चक्रों और आपूर्ति शृंखलाओं वाले हजारों उत्पादों तक फैला है। क्योंकि मरीज मोलभाव या उपकरण चुन नहीं सकते और अस्पताल निर्णय लेते हैं, जो अक्सर मुनाफे के मार्जिन से निर्देशित होते हैं, MRP वास्तविक लागत से 10-30 गुना फुला दी जाती है, लेख के अनुसार: ₹25,000 में आयातित एक पेसमेकर मरीजों को ₹2 लाख से अधिक में बिल किया जाता है; फैक्टरी गेट पर ₹3 की सिरिज ₹30 में बेची जाती है; ₹4 लाख में आयातित हृदय वाल्व को ₹26 लाख तक बढ़ा दिया गया है। कम मार्जिन पर चलने वाले नैतिक भारतीय निर्माता उन आयातकों से पिछड़ जाते हैं जो कृत्रिम रूप से ऊँची MRP तय करने के लिए खामियों का फायदा उठाते हैं। लेख ने याद दिलाया कि 2017 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority, NPPA) ने स्टेट की कीमतें सीमित कीं, जिससे बिना किसी आपूर्ति की कमी के लागत 70 से 85% तक घट गई, और घुटना प्रत्यारोपण (knee implant) की कीमतें 69% तक गिर गईं। AiMeD ने GST ट्रिगर बिंदु पर व्यापार-मार्जिन-आधारित सीमा प्रस्तावित की है, यानी पहला बिक्री बिंदु जहाँ पारदर्शिता सबसे अधिक होती है: आयात के लिए लैंडिंग कीमत और भारतीय निर्माताओं के लिए फैक्टरी मूल्य। व्यापार मार्जिन (trade margin) उस पहली कीमत और मरीज द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का अंतर है। मार्जिन को मूल्य बैंड के अनुसार सीमित किया जाएगा: ₹1 लाख से अधिक के उपकरणों जैसे हृदय वाल्व के लिए 50%, ₹1,000 से ₹1 लाख के बीच के उपकरणों जैसे पेसमेकर और कैथेटर के लिए 66%, और ₹1,000 से कम के उपकरणों जैसे सिरिज और IV सेट के लिए 75%। लेख के अनुसार, पहले बिक्री बिंदु पर GST आंकड़े आसान निगरानी की अनुमति देंगे। AiMeD छह उपकरण श्रेणियों को कवर करते हुए 12-18 महीने के पायलट की मांग करता है: पेसमेकर, हृदय वाल्व, कार्डियक कैथेटर, सिरिज, IV सेट और इंट्रा-ऑक्युलर लेंस। यह लेख एक उद्योग निकाय की पैरवी है, सरकारी प्रस्ताव नहीं। पाठ्यक्रम संबंध: स्वास्थ्य वित्तपोषण (health financing), विनियमन और चिकित्सा तकनीक में मेक इन इंडिया (Make in India), GS2 और GS3 में।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

उपकरण दवाओं की तरह विनियमित और DPCO के तहत मूल्य निर्धारित → अस्पताल मरीज कल्याण नहीं बल्कि मार्जिन के आधार पर उपकरण चुनते हैं → MRP लागत से 10-30 गुना, आयातक ऊँची MRP तय करते हैं → 2017 के स्टेट और घुटना-प्रत्यारोपण सीमा से पता चलता है कि मूल्य नियंत्रण काम कर सकता है → उद्योग पहले बिक्री बिंदु पर मार्जिन सीमा का प्रस्ताव रखता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध

1. उपकरण दवा कानून के जरिए विनियमित होते हैं (Devices are regulated through the

(STATIC SYLLABUS LINKAGE)	drug law) — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) केंद्र सरकार को उपकरणों को दवा के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति देता है। चिकित्सा उपकरण नियम, 2017, जो 1 जनवरी 2018 से लागू हुए, उपकरणों को जोखिम वर्ग A से D में बांटते हैं और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं तय करते हैं, जिसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO) केंद्रीय नियामक है। 1 अप्रैल 2020 से सभी चिकित्सा उपकरणों को चरणबद्ध ढंग से विनियमन के अंतर्गत लाया गया, जिससे पूरा बाजार दवा कानून के ढांचे में आ गया। 2. DPCO और NPPA मूल्य निर्धारण का काम करते हैं (DPCO and the NPPA do the price work) — दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की धारा 3 के तहत जारी किया जाता है। 1997 में औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) के तहत स्थापित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (National List of Essential Medicines) की अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के लिए अधिकतम कीमतें तय करता है और गैर-अनुसूचित उत्पादों की कीमतों की निगरानी करता है, जिनकी MRP सामान्यतः एक वर्ष में 10% से अधिक नहीं बढ़ सकती। DPCO का पैराग्राफ 19 सरकार को सार्वजनिक हित में असाधारण परिस्थितियों में कीमतें तय करने की अनुमति देता है। 3. स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण पूर्व उदाहरण हैं (Stents and knee implants are the precedents) — कोरोनरी स्टेंट को 2016 में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में जोड़ा गया, और NPPA ने फरवरी 2017 में इनके लिए अधिकतम कीमतें तय कीं। घुटना प्रत्यारोपण की कीमतें अगस्त 2017 में पैराग्राफ 19 की असाधारण शक्तियों के तहत सीमित की गईं। दोनों को इस प्रमाण के तौर पर उद्धृत किया जाता है कि उपकरणों में मूल्य नियंत्रण आपूर्ति बाधित किए बिना किया जा सकता है, हालांकि उद्योग ने उस समय तर्क दिया था कि इससे नई तकनीकों की शुरुआत हतोत्साहित होती है। 4. व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (rationalisation) पहले भी आजमाया जा चुका है (Trade margin rationalisation has been tried before) — 2019 में NPPA ने गैर-अनुसूचित कैसर-रोधी दवाओं की एक सूची पर व्यापार मार्जिन को 30% पर सीमित किया, जिससे MRP में तेज गिरावट आई। 2021 में, महामारी के दौरान, इसने पल्स ऑक्सीमीटर और ग्लूकोमीटर सहित पांच उपकरणों पर वितरक स्तर पर व्यापार मार्जिन को 70% पर सीमित किया। AiMeD का प्रस्ताव इस औजार को मूल्य बैंड के जरिए उपकरणों तक व्यापक रूप से विस्तारित करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. स्वास्थ्य वित्तपोषण और जेब से खर्च (out-of-pocket spending) मानक GS2 विषय हैं (Health financing and out-of-pocket spending are standard GS2 themes) — भारत के उच्च जेब-से स्वास्थ्य व्यय के बारे में बार-बार पूछा गया है। उपकरण मूल्य-वृद्धि सर्जरी के दौरान विनाशकारी खर्च का एक छिपा हुआ कारक है, और स्टेंट सीमा एक जाना-पहचाना उदाहरण है जिसे वहनीयता (affordability) पर उत्तरों में उद्धृत किया जा सकता है। 2. औषधियों और उपकरणों का विनियमन बार-बार आता है (Regulation of pharmaceuticals and devices recurs) — UPSC ने NPPA, NLEM और मूल्य नियंत्रण के बारे में, तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग नियामक की आवश्यकता के बारे में पूछा है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 (National Medical Devices Policy, 2023) और स्वतंत्र उपकरण कानून पर बहस इसे प्रासंगिक बनाती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● चिकित्सा उपकरण नियम, 2017, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए हैं, 1 जनवरी 2018 से लागू हुए और उपकरणों को जोखिम वर्ग A, B, C और D में बांटते हैं। ● दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया जाता है। ● राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुई थी और यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के औषध विभाग के तहत कार्य करता है। ● DPCO, 2013 का पैराग्राफ 19 सरकार को सार्वजनिक हित में असाधारण परिस्थितियों में किसी भी दवा की कीमत तय करने का अधिकार देता है। ● NPPA ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल किए जाने के बाद फरवरी 2017 में कोरोनरी स्टेंट की अधिकतम कीमतें तय कीं। ● DPCO के तहत, किसी गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन की MRP सामान्यतः एक वर्ष में 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. बाजार विफलता अस्पताल में है, फैक्टरी में नहीं (The market failure is at the hospital, not the factory)** — लेख की मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा है, पर उस बिंदु पर नहीं जहां मरीज भुगतान करता है। अस्पताल उपकरण चुनता है, और ऊंची MRP बड़ा मार्जिन देती है, इसलिए ऊंची MRP तय करने वाला आयातक सस्ते भारतीय निर्माता पर अस्पताल का कारोबार जीत सकता है। यह एक प्रधान-अभिकर्ता समस्या (principal-agent problem) है: चुनने वाले अभिकर्ता को प्रधान की अधिक लागत के लिए पुरस्कृत किया जाता है। कौन चुनता है इसे नज़रअंदाज़ करने वाला मूल्य नियंत्रण इसे ठीक नहीं करेगा।
- 2. पहले बिक्री बिंदु पर मार्जिन सीमा, अधिकतम कीमतों से अधिक चतुर है (Margin caps at the first point of sale are cleverer than ceiling prices)** — हजारों उपकरणों के लिए अधिकतम कीमतें तय करने में ऐसे आंकड़ों और तकनीकी समझ की जरूरत होगी जो NPPA के पास नहीं है। GST चालानों से सत्यापित लैंडिंग या फैक्टरी कीमत से जुड़ी एक मार्जिन सीमा, मार्कअप सीमित करते हुए बाजार को आधार कीमत तय करने देती है। प्रति-दृष्टिकोण यह है कि आयातक संबंधित-पक्ष लेनदेन (related-party transactions) के जरिए घोषित लैंडिंग कीमत को फुला सकते हैं, इसलिए सीमा शुल्क मूल्यांकन जांच की जरूरत होगी। यह विचार व्यावहारिक है पर स्वतः लागू होने वाला नहीं।
- 3. लेखक के हित का नाम लिया जाना चाहिए, और यह तर्क को अयोग्य नहीं ठहराता (The author's interest should be named, and it does not disqualify the argument)** — AiMeD घरेलू निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें उस नियम से फायदा होता है जो आयातकों को ऊंची MRP तय करने का लाभ हटा दे। यह हित स्पष्ट है और उम्मीदवार को इसे बताना चाहिए। पर यहां मरीज का हित भी उसी दिशा में है, और स्टेंट व घटना प्रत्यारोपण के पूर्व उदाहरण इस दावे का समर्थन करते हैं कि सीमाओं ने कमी पैदा नहीं की। जहां उद्योग हित और सार्वजनिक हित मिलते हैं, वहां तर्क को उसके साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है।
- 4. एक अलग उपकरण कानून तार्किक अंतिम बिंदु है (A separate device law is the logical end point)** — उपकरण जीवन-चक्र, प्रशिक्षण एवं सर्विसिंग की जरूरत, और तेज बदलाव में दवाओं से भिन्न होते हैं। उन्हें 1940 में बने दवा कानून के तहत विनियमित करना हमेशा से एक अंतरिम व्यवस्था थी। जब तक उपकरणों का अपना कानून और नियामक नहीं होगा जो मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता और बाजार-पश्चात निगरानी (post-market surveillance) को एक छत के नीचे लाए, मूल्य सुधार टुकड़ों में ही रहेगा। छह श्रेणियों पर पायलट एक समझदार शुरुआत है, पर इसे उस बड़े सुधार में शामिल होना चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

जांच करें कि मौजूदा मूल्य-नियंत्रण तंत्रों के बावजूद भारत में चिकित्सा उपकरणों पर मूल्य-वृद्धि उनकी लागत से इतनी अधिक क्यों बनी हुई है। उपकरण मूल्य निर्धारण के लिए व्यापार-मार्जिन-आधारित दृष्टिकोण और मरीजों तथा घरेलू निर्माताओं के लिए इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करें।

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. परिचय (Introduction)** — रिपोर्ट किए गए उदाहरणों से शुरुआत करें — ₹25,000 में आयातित पेसमेकर ₹2 लाख से अधिक में बिल किया जाना, ₹4 लाख से ₹26 लाख तक बढ़ाए गए हृदय वाल्व — और इन्हें AiMeD के लेख का श्रेय दें।
- 2. मुख्य भाग — मूल्य-वृद्धि क्यों बनी रहती है (Body — why mark-ups persist)** — बताएं कि उपकरणों की कीमत दवा-उन्मुख DPCO के तहत तय होती है, कि मरीजों के बजाय अस्पताल उपकरण चुनते हैं, कि MRP आयातकों द्वारा स्वतंत्र रूप से तय की जाती है, और NPPA के पास हजारों उत्पादों के लिए उपकरण नहीं है।
- 3. मुख्य भाग — व्यापार-मार्जिन दृष्टिकोण (Body — the trade-margin approach)** — प्रस्ताव का वर्णन करें: GST आंकड़ों का उपयोग करते हुए पहले बिक्री बिंदु पर सीमा, 50%, 66% और 75% के बैंड, और छह श्रेणियों पर 12-18 महीने का पायलट। 2017 की स्टेंट और घटना सीमाओं तथा पूर्व व्यापार मार्जिन युक्तिकरण को पूर्व उदाहरणों के तौर पर उद्धृत करें।
- 4. मुख्य भाग — निहितार्थ (Body — implications)** — मरीजों और आयात प्रतिस्पर्धा झेल रहे घरेलू निर्माताओं को लाभ; आयातकों द्वारा स्थानांतरण मूल्य निर्धारण (transfer pricing), नए उपकरणों की घटी उपलब्धता, और प्रवर्तन में कमियों के जोखिम; एक अलग उपकरण कानून की आवश्यकता।
- 5. निष्कर्ष (Conclusion)** — मौजूदा टुकड़ों में बंटी व्यवस्था और एक स्वतंत्र चिकित्सा उपकरण नियामक ढांचे के बीच सेतु के रूप में कठोर मूल्यांकन वाले पायलट के लिए तर्क दें।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं

प्रश्न 1. राज्य औषधि नियंत्रक (State Drugs Controller) के रूप में, आपको शिकायतें मिलती हैं

दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

कि एक निजी अस्पताल सिरिज को उसकी फैक्टरी कीमत से दस गुना अधिक बिल कर रहा है। मौजूदा कानून के तहत आप क्या कर सकते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): यह जांचें कि क्या उत्पाद पर छुपी MRP का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि MRP से अधिक बेचना अपराध है, और क्या MRP स्वयं उत्पाद पर किसी NPPA अधिसूचना के अनुरूप है। यदि अस्पताल MRP के भीतर बेचता है, तो मेरी कानूनी शक्ति सीमित है, इसलिए मैं लैडिंग और बिल की गई कीमतें दिखाने वाले चालानों के साथ मामला NPPA को भेजूंगा, जो कार्रवाई के लिए जरूरी साक्ष्य है। मैं मरीज के उपकरण विवरण सहित बिल पाने के अधिकार का प्रचार भी करूंगा, क्योंकि पारदर्शिता स्वयं मूल्य-वृद्धि को सीमित करती है।

प्रश्न 2. औषध विभाग में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के रूप में, आपसे AiMeD के पायलट प्रस्ताव पर टिप्पणी करने को कहा जाता है। आपका नोट क्या कहेंगा?

दृष्टिकोण (Approach): इस निदान को स्वीकार करूंगा कि उपकरण मूल्य निर्धारण को एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है, और पायलट का समर्थन करूंगा क्योंकि यह देशव्यापी नियम से पहले साक्ष्य उत्पन्न करता है। जोखिमों की ओर इशारा करूंगा: आयातक लैडिंग कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बता सकते हैं, इसलिए सीमा शुल्क मूल्यांकन आंकड़ों को GST आंकड़ों से मिलाना जरूरी है; और अस्पताल लागत को प्रक्रिया शुल्क में स्थानांतरित कर सकते हैं। सिफारिश करूंगा कि पायलट को कीमतों, उपलब्धता और अस्पताल बिलिंग के स्वतंत्र मूल्यांकन के साथ डिजाइन किया जाए, और परामर्श में केवल निर्माता नहीं बल्कि अस्पताल व मरीज समूह भी शामिल हों।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है कि क्या उपकरणों पर मूल्य सीमा भारत में नवाचार और नई तकनीक को हतोत्साहित करेगी। आपकी राय?

दृष्टिकोण (Approach): यह चिंता वास्तविक है, और स्टैंड सीमा के बाद कुछ कंपनियों ने वाकई नए संस्करण लॉन्च करने में हिचकिचाहट दिखाई। पर वास्तविक लागत पर आधारित मार्जिन सीमा एक महंगे नए उपकरण को अधिक कीमत रखने देती है, इसलिए यह उस तरह नवाचार को दंडित नहीं करती जैसे एकल अधिकतम सीमा करती है। बेहतर सुरक्षा उपाय नए उपकरणों के अपने साक्ष्य पर मूल्य निर्धारण की स्पष्ट प्रक्रिया है। वहनीयता और नवाचार तब संगत हैं जब नियम तकनीक की लागत के बजाय अतिरिक्त मार्जिन को लक्षित करें।

6.3 LASI आंकड़ों के अनुसार 88 लाख वृद्ध भारतीय डिमेंशिया से पीड़ित, वृद्धावस्था-रोग विशेषज्ञ जल्द, घर-आधारित देखभाल पर जोर दे रहे (LASI Data Put Dementia at 8.8 Million Older Indians as Geriatricians Push Early, Home-Based Care)

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। भारत संज्ञानात्मक गिरावट (cognitive decline) की एक “वृद्धावस्था महामारी (old age pandemic)” की ओर देख रहा है, वृद्धावस्था-रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रसून चटर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस को रिक्त घोष की 21 सितंबर की एक स्वास्थ्य फीचर में बताया, जिसमें तर्क दिया गया कि डिमेंशिया की देखभाल शीघ्र पहचान से शुरू होकर घर पर जारी रहनी चाहिए। डॉ. चटर्जी WHO की स्वस्थ वृद्धावस्था (Healthy Ageing) के लिए तकनीकी सलाहकार समूह (Technical Advisory Group) के सदस्य, भारतीय वृद्धावस्था-रोग अकादमी (Indian Academy of Geriatrics) के अध्यक्ष और अपोलो अस्पताल, दिल्ली में वृद्धावस्था चिकित्सा (geriatric medicine) एवं दीर्घायु विज्ञान (longevity science) के समूह नैदानिक प्रमुख (group clinical lead) हैं। उन्होंने बताया कि अल्जाइमर रोग (Alzheimer's disease) एक न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार (neurodegenerative disorder) है जिसमें एमिलॉयड प्लाक (amyloid plaques) और टाऊ टैंगल (tau tangles) नामक असामान्य प्रोटीन के गुच्छे, मस्तिष्क में जमा होकर स्मृति, सोच और दैनिक कार्य करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। यह डिमेंशिया का सबसे सामान्य कारण है, पर दोनों शब्द परस्पर बदले नहीं जा सकते: डिमेंशिया स्मृति, सोच, व्यवहार या अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं में इतनी गंभीर गिरावट है कि यह रोजमर्रा के जीवन में बाधा डाले, जबकि अल्जाइमर एक विशिष्ट बीमारी है जो इसका कारण बनती है। भारत में दीर्घकालिक वृद्धावस्था अध्ययन (Longitudinal Ageing Study in India, LASI), एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण, ने अनुमान लगाया कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 7.4% भारतीय — करीब 88 लाख लोग — डिमेंशिया के साथ जी रहे थे, यह अनुमान 2017-2020 में एकत्र आंकड़ों पर आधारित है। अधिक विस्तृत LASI-DAD शोध ने प्रमुख न्यूरोकॉग्निटिव विकार (major neurocognitive disorder) की व्यापकता 7.2% और हल्के न्यूरोकॉग्निटिव विकार (mild neurocognitive disorder) की 17.6% आंकी; 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों में, प्रमुख न्यूरोकॉग्निटिव विकार 15.2% था। हल्की संज्ञानात्मक अशक्तता (mild cognitive impairment) वह चरण है जिसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं घटनी शुरू हो चुकी होती हैं पर पर्याप्त स्वतंत्रता अब भी बनी रहती है, और डॉ. चटर्जी ने कहा कि इसका निदान हस्तक्षेप के लिए एक अवसर खोलता है। एक 78 वर्षीय मरीज का संज्ञानात्मक परीक्षण स्कोर घर पर तीन महीने के संज्ञानात्मक प्रशिक्षण (cognitive training) और परिवार-नेतृत्व वाली गतिविधियों के बाद 67/100 से बढ़कर 87/100 हो गया। नई दिल्ली स्थित AIIMS में उनके MISC पायलट परीक्षण में, जिसमें व्यक्तिपरक संज्ञानात्मक अशक्तता (subjective cognitive impairment) वाले 60 वृद्ध वयस्क शामिल थे, छह महीने बाद ध्यान, एकाग्रता, स्मरण और धारणा में सुधार पाया गया, जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षण को भूमध्यसागरीय-समकक्ष आहार (Mediterranean-equivalent diet) और व्यायाम के साथ मिलाने वाले समूह में सबसे अधिक था। उन्होंने जिन परिवर्तनीय जोखिम कारकों (modifiable risk factors) को सूचीबद्ध किया उनमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, नींद की कमी, धूम्रपान, हानिकारक शराब सेवन, श्रवण हानि, अवसाद (depression) और सामाजिक अलगाव शामिल हैं; उन्होंने 75 के बजाय 65 वर्ष की उम्र में संज्ञानात्मक मूल्यांकन की सलाह दी। नई दवाओं पर, फीचर ने बताया कि एमिलॉयड-रोधी उपचार (anti-amyloid therapies) समान पहुंच के सवाल उठाते हैं: एली लिली (Eli Lilly) द्वारा लोर्माइजी (Lorazepam) नाम से पेश किया गया डोनानेमैब (donanemab) भारत में प्रति 350 मिलीग्राम शीशी ₹91,688 का पड़ता है। “भारत को एक ऐसी प्रणाली चाहिए जो मरीज के न्यूरोलॉजिस्ट तक पहुंचने

से पहले शुरू हो जाए,” डॉ. चटर्जी ने कहा। पाठ्यक्रम संबंध: वृद्धजनों का स्वास्थ्य, कमजोर वर्ग और सामाजिक क्षेत्र सेवाएं, GS1 और GS2 में।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बढ़ती जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से अधिक की आबादी बढ़ा रही है → LASI ने पाया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के 7.4% लोग डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं → स्मृति हानि को सामान्य वृद्धावस्था मानकर खारिज करने से निदान में देरी होती है → विशेषज्ञ देखभाल दुर्लभ और नई दवाएं महंगी → शीघ्र जांच और परिवार-आधारित देखभाल को भारत के व्यावहारिक रास्ते के रूप में प्रस्तावित किया गया

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- 1. LASI भारत का आधिकारिक वृद्धावस्था सर्वेक्षण है (LASI is India's official ageing survey)** — भारत में दीर्घकालिक वृद्धावस्था अध्ययन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences), मुंबई के जरिए, हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Harvard T.H. Chan School of Public Health) और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (University of Southern California) के साथ संचालित किया जाता है। वेब 1 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 72,000 से अधिक वयस्कों और उनके जीवनसाथियों को शामिल किया गया, और यह 2021 में जारी हुआ। LASI-DAD, यानी डिमेंशिया का हार्मोनाइज्ड नैदानिक मूल्यांकन (Harmonized Diagnostic Assessment of Dementia), एक उप-अध्ययन है जो चिकित्सकीय रूप से विस्तृत डिमेंशिया अनुमान देता है।
- 2. वृद्धजनों के लिए कानूनी ढांचा कई कानूनों में बंटा है (The legal framework for older persons is split across laws)** — माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) बच्चों और रिश्तेदारों को वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य करता है और अधिकरणों (tribunals) व वृद्धाश्रमों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 (Article 41) राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) व्यक्ति को अग्रिम निर्देश (advance directive) बनाने और नामित प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो उन लोगों के लिए सीधे प्रासंगिक है जो बाद में निर्णय लेने की क्षमता खो सकते हैं।
- 3. राष्ट्रीय कार्यक्रम मौजूद हैं पर डिमेंशिया उसका एक छोटा हिस्सा है (National programmes exist but dementia is a small part)** — 2010 में शुरू हुआ वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Health Care of the Elderly) जिला अस्पतालों और उससे ऊपर वृद्धावस्था-रोग सेवाएं, तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में क्षेत्रीय वृद्धावस्था-रोग केंद्र उपलब्ध कराता है। WHO की डिमेंशिया पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के लिए वैश्विक कार्य योजना 2017-2025 (Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017-2025) ने देशों से राष्ट्रीय डिमेंशिया योजनाएं अपनाने का आग्रह किया; भारत के पास अब तक स्वतंत्र राष्ट्रीय डिमेंशिया नीति नहीं है। विश्व अल्जाइमर दिवस (World Alzheimer's Day) हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है।
- 4. नई दवाएं एमिलॉयड को लक्षित करती हैं, पर सीमाओं के साथ (The new drugs target amyloid, with limits)** — लेकानेमैब (lecanemab) और डोनानेमैब जैसी एमिलॉयड-रोधी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज (monoclonal antibodies) एमिलॉयड प्लाक को साफ करती हैं और परीक्षणों में शुरूआती अल्जाइमर रोग में गिरावट को मामूली रूप से धीमा करती दिखाई दी हैं। इनके लिए स्कैन या परीक्षणों से एमिलॉयड की पुष्टि, नियमित इन्फ्यूजन (infusions) और मस्तिष्क की सूजन या रक्तस्राव के लिए MRI निगरानी की जरूरत होती है। इनकी लागत और बुनियादी ढांचे की जरूरतें इन्हें निम्न- और मध्यम-आय वाले देशों में अधिकांश मरीजों की पहुंच से बाहर रखती हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. जनसंख्या वृद्धावस्था GS1 और GS2 का विषय है (Population ageing is a GS1 and GS2 theme)** — पाठ्यक्रम में जनसंख्या और संबंधित मुद्दे तथा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। UPSC ने भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण (demographic transition), वृद्ध होती आबादी की चुनौतियों और वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्तता के बारे में पूछा है। डिमेंशिया दीर्घकालिक देखभाल का आयाम जोड़ता है, जो आमतौर पर उत्तरों में गायब रहता है।
- 2. देखभाल अर्थव्यवस्था (care economy) का महत्व बढ़ रहा है (The care economy is rising in importance)** — अवैतनिक देखभाल कार्य (unpaid care work), जो अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, और देखभाल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर प्रश्न GS1 और निबंधों में आ चुके हैं। जैसा फीचर बताता है, परिवारों पर पड़ने वाली डिमेंशिया देखभाल स्वास्थ्य को

	लैंगिक और श्रम मुद्दों से जोड़ती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत में दीर्घकालिक वृद्धावस्था अध्ययन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के जरिए संचालित किया जाता है। ● अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे सामान्य कारण है और यह मस्तिष्क में एमिलॉयड प्लाक और टाऊ टेंगल से जुड़ा है। ● वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2010 में शुरू किया गया था। ● माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण अधिकरणों का प्रावधान करता है। ● मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 अग्रिम निर्देशों और नामित प्रतिनिधियों का प्रावधान करता है। ● विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ● संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था के मामलों में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. आंकड़े एक देखभाल समस्या की ओर इशारा करते हैं, केवल चिकित्सकीय समस्या की ओर नहीं (The numbers point to a care problem, not only a medical one) — 88 लाख डिमेंशिया-पीड़ित लोगों, और हल्की अशक्तता वाले एक कहीं बड़े समूह को, विशेषज्ञों के जरिए नहीं संभाला जा सकता; भारत के पास इस पैमाने के मुकाबले बहुत कम वृद्धावस्था-रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इसलिए परिवार-नेतृत्व वाली संज्ञानात्मक गतिविधि पर फीचर का जोर चिकित्सा का कोई नरम विकल्प नहीं बल्कि एकमात्र मॉडल है जो अधिकांश मरीजों तक पहुंच सकता है। नीति को देखभालकर्ताओं (caregivers) को एक निजी मामले के बजाय स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा मानना चाहिए, प्रशिक्षण, राहत और सहायता के साथ। 2. परिवार बोझ उठाते हैं, और वह बोझ लैंगिक है (Families carry the burden, and that burden is gendered) — डॉ. चटर्जी बताते हैं कि भारत में अधिकांश डिमेंशिया देखभाल परिवार करते हैं। व्यवहार में यह काफी हद तक महिलाओं — बेटियों, बहुओं और पत्नियों — पर पड़ता है, अक्सर वेतनभोगी काम की कीमत पर। प्रति-दृष्टिकोण यह है कि पारिवारिक देखभाल गरिमा और आत्मीयता बनाए रखती है, जो फीचर दिखाता है कि मरीज की मदद कर सकती है। दोनों सच हैं; नीतिगत काम यह है कि पारिवारिक देखभाल को यह मानते हुए कि यह मुफ्त नहीं है, समर्थन दिया जाए। 3. महंगी नई दवाएं असमानता बढ़ाएंगी जब तक नीति सावधान न हो (Expensive new drugs will widen inequality unless policy is careful) — ₹91,688 प्रति शीशी पर, एमिलॉयड-रोधी उपचार लगभग सभी की पहुंच से बाहर है, और इसे ऐसे स्कैन और निगरानी की भी जरूरत होती है जो केवल बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। यदि यह डिमेंशिया उपचार की सार्वजनिक छवि बन जाए, तो यह व्यापक लाभ वाले सस्ते उपायों — रक्तचाप नियंत्रण, श्रवण हानि का उपचार, शीघ्र जांच — से ध्यान हटा सकता है। सार्वजनिक खर्च को बाद वाले को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि बीमा और मूल्य वार्ता समय के साथ पहले वाले तक पहुंच को संबोधित करें। 4. रोकथाम भारत के पहले से मौजूद NCD कार्यक्रम से होकर गुजरती है (Prevention runs through the NCD programme India already has) — सूचीबद्ध कई जोखिम कारक — उच्च रक्तचाप, मधुमेह, निष्क्रियता, धूम्रपान, शराब — ठीक वही हैं जिन्हें NCD कार्यक्रम लक्षित करता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मौजूदा NCD जांच में 65 वर्ष की उम्र में एक संक्षिप्त संज्ञानात्मक जांच जोड़ना हल्की अशक्तता पकड़ने का एक कम लागत वाला तरीका होगा। MISCI पायलट का साक्ष्य छोटा है, केवल 60 लोग, इसलिए दावे संयमित होने चाहिए, पर शीघ्र पहचान की लागत कम है और यह परिवारों को योजना बनाने में मदद करती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत दीर्घकालिक देखभाल की प्रणाली बनाने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है।” भारत में डिमेंशिया के बढ़ते बोझ से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें और शीघ्र पहचान एवं देखभाल के लिए एक ढांचा सुझाएं।
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. परिचय (Introduction) — LASI के इस अनुमान को उद्धृत करें कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 7.4%, यानी करीब 88 लाख लोग, डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं, और LASI-DAD के इस आंकड़े को कि 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों में प्रमुख न्यूरोकॉग्निटिव विकार की व्यापकता 15.2% है। 2. मुख्य भाग — चुनौतियां (Body — the challenges) — स्मृति हानि को वृद्धावस्था मानकर खारिज करने से देर से निदान, वृद्धावस्था-रोग विशेषज्ञों की कमी, पारिवारिक व लैंगिक देखभाल

बोझ, स्कैन और निगरानी की जरूरत वाली महंगी एमिलॉयड-रोधी दवाएं, और राष्ट्रीय डिमेंशिया योजना का अभाव।

3. **मुख्य भाग — शीघ्र पहचान (Body — early detection)** — NCD जांच के भीतर 65 वर्ष की उम्र में संज्ञानात्मक जांच, चेतावनी संकेत पहचानने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, और वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जिला वृद्धावस्था-रोग सेवाओं से जुड़ाव।
4. **मुख्य भाग — देखभाल और रोकथाम (Body — care and prevention)** — NCD कार्यक्रम के जरिए परिवर्तनीय जोखिम कारकों का नियंत्रण, देखभालकर्ता प्रशिक्षण और राहत, डे-केयर केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के अग्रिम निर्देश का उपयोग, और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत सहायता।
5. **निष्कर्ष (Conclusion)** — तर्क दें कि व्यावहारिक भारतीय मॉडल रोकथाम, शीघ्र पहचान और समर्थित पारिवारिक देखभाल को जोड़ता है, जिसमें महंगी दवाएं नीति का केंद्र होने के बजाय बाद में जुड़ने वाला एक लक्षित जोड़ हों।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. जिला स्वास्थ्य अधिकारी (District Health Officer) के रूप में, बिना नए स्टाफ या बजट के आप डिमेंशिया जांच प्रयास कैसे शुरू करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मौजूदा NCD जांच में शामिल करूंगा: सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं (ASHAs) को प्रशिक्षित करूंगा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से मिलने के दौरान स्मृति और दैनिक कामकाज पर कुछ मानक प्रश्न पूछें। सकारात्मक जांच को वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल के वृद्धावस्था-रोग क्लिनिक में भेजूंगा। संख्याओं का हिसाब रखूंगा, क्योंकि आंकड़े बाद में समर्पित संसाधनों का मामला मजबूत बनाएंगे। कुछ ब्लॉकों में छोटी शुरुआत करूंगा और प्रक्रिया काम करने पर विस्तार करूंगा।

प्रश्न 2. एक बेटी भरण-पोषण अधिकरण (maintenance tribunal) को बताती है कि उसने डिमेंशिया से पीड़ित अपने पिता की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी है और उसके भाई कोई योगदान नहीं देते। पीठासीन अधिकारी (presiding officer) के रूप में आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): वरिष्ठ नागरिक अधिनियम भरण-पोषण को बच्चों और रिश्तेदारों का दायित्व बनाता है, इसलिए मैं अन्य बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पिता के भरण-पोषण में योगदान देने का निर्देश दे सकता हूँ। मैं परिवार को राहत देखभाल (respite care) और परामर्श के लिए जिले की वृद्धावस्था-रोग और सामाजिक कल्याण सेवाओं से भी जोड़ूंगा। आदेश को यह मान्यता देनी चाहिए कि देखभाल स्वयं एक योगदान है, ताकि बोझ निष्पक्ष रूप से साझा हो।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है कि क्या सरकार को नई अल्जाइमर दवाओं पर सब्सिडी देनी चाहिए। आपका जवाब क्या है?

दृष्टिकोण (Approach): पहली प्राथमिकता के रूप में नहीं। दवाएं महंगी हैं, इनका लाभ मामूली और शुरुआती चरण के मरीजों तक सीमित है, और इन्हें ऐसे स्कैन व निगरानी की जरूरत है जो अधिकांश जिलों में उपलब्ध नहीं हैं। सार्वजनिक धन अधिक लोगों की मदद करेगा यदि इसे जोखिम-कारक नियंत्रण, शीघ्र जांच और देखभालकर्ता सहायता पर खर्च किया जाए। योग्य मरीजों के लिए मूल्य वार्ता और बीमा में शामिल करना, साक्ष्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ बाद में हो सकता है।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

आज की तीनों कहानियाँ तीन उद्योगों में पूछे गए एक ही प्रश्न के बारे में हैं: वह इनपुट कौन नियंत्रित करता है जिस पर बाकी सब कुछ निर्भर करता है। परमाणु ऊर्जा के लिए इनपुट विखंडनीय ईंधन (fissile fuel) है, और भारत के सबसे वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक अब खुलकर कह रहे हैं कि थोरियम को अनलॉक करने के लिए तीव्र प्रजनक रिएक्टरों (fast breeders) का इंतज़ार करना बहुत धीमा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनपुट मेमोरी चिप है, और चीन ने अभी दिखाया है कि निर्यात नियंत्रण एक दृढ़ राष्ट्र को विलंबित तो करते हैं लेकिन रोकते नहीं। भुगतान के लिए इनपुट ग्राहक का प्राधिकरण कार्य है, और एजेंटिक एआई (agentic AI) इसका एक हिस्सा। सॉफ्टवेयर को सौंपने का प्रस्ताव करता है। हर मामले में, प्रौद्योगिकी उतनी दिलचस्प नहीं है जितनी वह निर्भरता जिसे वह बनाती या हटाती है।

7.1 काकोडकर ने पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में थोरियम-हेल्यू (Thorium-HALEU) ईंधन का आग्रह किया, एनपीसीआईएल (NPCIL) ने आरएपीपी-8 (RAPP-8) पर ईंधन लोडिंग शुरू की

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और रावतभाटा, राजस्थान। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 21 सितंबर को रिपोर्ट किए गए दो घटनाक्रम साथ-साथ सामने आए हैं। पहला, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL) ने रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (Rajasthan Atomic Power Project, RAPP) की इकाई 8 में 19 सितंबर 2026 को 15:18 बजे प्रारंभिक ईंधन लोडिंग शुरू की, यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board, AERB) से अनुमति मिलने के बाद हुआ, जो एनपीसीआईएल (NPCIL) के शब्दों में “कठोर सुरक्षा मूल्यांकन, प्रमुख प्रणाली अखंडता लेखापरीक्षा और स्थल-तत्परता समीक्षाओं” के बाद मिली। आरएपीपी-8 (RAPP-8) एक 700 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर (pressurised heavy water reactor, PHWR) है — एक ऐसा रिएक्टर जो प्राकृतिक यूरेनियम जलाता है और न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए भारी जल का उपयोग करता है — और ऐसी 16 इकाइयों की श्रृंखला की चौथी इकाई है। गुजरात में काकरापार की इकाई 3 और 4 ने 2023-24 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था और आरएपीपी-7 (RAPP-7) ने अप्रैल 2025 में। अगला चरण प्रथम क्रांतिकता उपागम (First Approach to Criticality) है, जब एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होती है; ईंधन लोडिंग से वाणिज्यिक परिचालन तक आमतौर पर छह से आठ महीने लगते हैं, और एनपीसीआईएल (NPCIL) को इस वित्त वर्ष में यह उम्मीद है। एनपीसीआईएल (NPCIL) के पास निर्माणाधीन आठ अन्य रिएक्टर हैं — हरियाणा के गोरखपुर और कर्नाटक के कैगा में दो-दो, तथा तमिलनाडु के कुडनकुलम में चार। दूसरा, एक साक्षात्कार में, परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) के पूर्व अध्यक्ष और अब होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (Homi Bhabha National Institute) के चांसलर अनिल काकोडकर ने 1950 के दशक में परिकल्पित होमी भाभा की तीन-चरण योजना के समानांतर, पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) बेड़े में थोरियम को शीघ्र शामिल करने का तर्क दिया। उनका तर्क: वैश्विक यूरेनियम संसाधन 60 वर्ष के रिएक्टर जीवन में वन-थ्रू मोड में केवल लगभग 550-750 गीगावाट क्षमता को बनाए रख सकते हैं, जबकि विश्व परमाणु संघ (World Nuclear Association) ने 2050 तक लगभग 1,400 गीगावाट क्षमता का अनुमान लगाया है, इसलिए यूरेनियम आपूर्ति की तंगी 10-15 वर्षों में भारत को प्रभावित कर सकती है। उनके अनुमान में, तीव्र प्रजनक रिएक्टर (fast breeder reactors) बेड़े-स्तरीय तैनाती से दो से तीन दशक दूर हैं। पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में हेल्यू-थोरियम (HALEU-thorium) ईंधन — उच्च-श्रेणी निम्न-संवर्धित यूरेनियम (high-assay low-enriched uranium) के साथ मिश्रित थोरियम — का उपयोग “बिना किसी महत्वपूर्ण डिज़ाइन परिवर्तन के” करने से, उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर थोरियम विकिरण का एक पहले का मार्ग खुलेगा, व्यय-ईंधन भंडार घटेगा और यूरेनियम की बचत होगी, तथा थोरियम पिघला-लवण रिएक्टरों (thorium molten salt reactors) के साथ तीसरा चरण लगभग 15 वर्षों में शुरू हो सकेगा। उन्हें उम्मीद है कि घरेलू पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) 2047 तक 100 गीगावाट के परमाणु मिशन का प्रमुख हिस्सा लेंगे, जबकि आयातित हल्के जल रिएक्टर (light water reactors) शेष अधिकांश हिस्से को पूरा करेंगे। शांति अधिनियम (SHANTI Act) के बाद क्षेत्र के खुलने के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईंधन पुनर्चक्रण सरकार के पास ही रहना चाहिए।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत के पास बड़ी मात्रा में थोरियम है लेकिन यूरेनियम कम → भाभा की तीन-चरण योजना थोरियम को तीव्र प्रजनक रिएक्टरों के माध्यम से भेजती है → तीव्र प्रजनक रिएक्टर दशकों तक पिछड़ जाते हैं जबकि विश्व भर में यूरेनियम की मांग बढ़ती है → 700 मेगावाट इकाइयों में पीएचडब्ल्यूआर बेड़ा विस्तारित होता है → काकोडकर चरण दो की प्रतीक्षा करने के बजाय अभी पीएचडब्ल्यूआर में थोरियम डालने का प्रस्ताव करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. तीन-चरण कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि भारत का भूविज्ञान असंतुलित है — भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं लेकिन विश्व के सबसे बड़े थोरियम संसाधनों में से एक है, जो मुख्यतः केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों की मोनाज़ाइट रेत में पाया जाता है। थोरियम-232 उर्वर (fertile) है, विखंडनीय (fissile) नहीं: यह स्वयं श्रृंखला अभिक्रिया बनाए नहीं रख सकता और यूरेनियम-233 बनने के लिए पहले एक न्यूट्रॉन अवशोषित करना चाहिए। इसलिए भाभा की योजना में तीन चरण हैं — पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) जो प्राकृतिक यूरेनियम जलाकर प्लूटोनियम बनाते हैं, तीव्र प्रजनक रिएक्टर (fast breeder reactors) जो उस प्लूटोनियम को जलाकर और अधिक ईंधन उत्पन्न करते हैं, और अंततः रिएक्टर जो थोरियम-यूरेनियम-233 चक्र पर चलते हैं। कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर (Prototype Fast Breeder Reactor), जिसे भाविनी (BHAVINI) ने बनाया है, दूसरे चरण का प्रमुख उदाहरण है।
2. पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) भारत का अपना रिएक्टर है, कोई आयातित डिज़ाइन नहीं —

दाबित भारी जल रिएक्टर (pressurised heavy water reactor, PHWR) ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक (moderator) तथा शीतलक (coolant) दोनों के रूप में भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) का उपयोग करता है, इसीलिए इसे संवर्धन संयंत्र (enrichment plant) की आवश्यकता नहीं होती। भारत ने रावतभाटा में कनाडाई कैंडू (CANDU) डिज़ाइन से शुरुआत की और स्वदेशी 220 मेगावाट, 540 मेगावाट और अब 700 मेगावाट संस्करण विकसित किए। 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेड़ा-मोड (fleet mode) में — मानकीकृत डिज़ाइन, थोक खरीद और समानांतर निर्माण — दस 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) बनाने को मंजूरी दी, ताकि लागत और समय कम हो। इसके विपरीत, हल्के जल रिएक्टर (light water reactors) को संवर्धित यूरेनियम की ज़रूरत होती है और यह वह प्रकार है जिसे भारत विदेशी साझेदारों के साथ बनाता है, जैसे रूस के साथ कुडनकुलम में।

3. **हेल्यू (HALEU) रिएक्टर ईंधन और हथियार सामग्री के बीच में आता है** — सामान्य विद्युत-रिएक्टर ईंधन 5% से कम यूरेनियम-235 तक संवर्धित होता है, जबकि उच्च-श्रेणी निम्न-संवर्धित यूरेनियम (high-assay low-enriched uranium, HALEU) 5% से 20% के बीच संवर्धित होता है। 20% से अधिक यूरेनियम को अत्यधिक संवर्धित (highly enriched) माना जाता है। हेल्यू (HALEU) की उच्च विखंडनीय मात्रा इसे मिश्रित ईंधन में थोरियम को न्यूट्रॉन आपूर्ति करने वाले 'चालक' (driver) के रूप में कार्य करने देती है, जो भूमिका मूल तीन-चरण डिज़ाइन में प्लूटोनियम निभाता है। चूंकि संवर्धन क्षमता कुछ ही देशों में केंद्रित है, हेल्यू (HALEU) की उपलब्धता स्वयं एक आपूर्ति-सुरक्षा प्रश्न है।
4. **ईआरबी (AERB) नियामक है, एनपीसीआईएल (NPCIL) परिचालक** — और यह विभाजन विधिक है — परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board, AERB) का गठन नियामक और सुरक्षा कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act, 1962) के तहत 1983 में किया गया था, और इसकी सहमति हर चरण — स्थल चयन, निर्माण, कमीशनिंग, ईंधन लोडिंग और क्रांतिकता — पर आवश्यक है। एनपीसीआईएल (NPCIL), जो 1987 में स्थापित परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, रिएक्टरों को डिज़ाइन, निर्माण और संचालित करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, और 1948 में स्थापित परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) नीति तय करता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा सुरक्षा के रूप में पूछा जाता है, भौतिकी के रूप में नहीं** — जीएस3 (GS3) पाठ्यक्रम में 'अवसंरचना: ऊर्जा' और 'प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास' सूचीबद्ध है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा (UPSC Mains) ने भारत के ऊर्जा मिशन में परमाणु ऊर्जा की प्रासंगिकता के बारे में उसकी लागत और ईंधन बाधाओं को देखते हुए पूछा है, और थोरियम के साथ तीन-चरण कार्यक्रम ऐसे उत्तरों की मानक रीढ़ है। काकोडकर को प्रस्ताव एक वर्तमान, नामित विशेषज्ञ तर्क देता है जो उस रीढ़ को संशोधित करता है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा चरणों, मंदक और नियामक की परीक्षा लेती है** — परमाणु ऊर्जा पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न इस पर केंद्रित रहे हैं कि कौन सा तत्व उर्वर है और कौन सा विखंडनीय, कोई रिएक्टर किस मंदक का उपयोग करता है, कौन सा रिएक्टर किस चरण से संबंधित है, और सुरक्षा को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। 2026 की खबर हेल्यू (HALEU) और पिघला-लवण रिएक्टर (molten salt reactors) को ऐसे शब्दों के रूप में जोड़ती है जिन्हें परीक्षक अब किसी कथन में उचित रूप से उपयोग कर सकता है।
3. **100 गीगावाट लक्ष्य हर क्षमता वृद्धि को परीक्षा-योग्य बनाता है** — एक बार जब कोई संख्यात्मक राष्ट्रीय लक्ष्य तय हो जाता है, तो परीक्षक पूछता है कि क्या वह प्राप्य है। आरएपीपी-8 (RAPP-8), 16-इकाई पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) श्रृंखला और निर्माणाधीन आठ रिएक्टर वे निर्माण-खंड हैं जिनके विरुद्ध लक्ष्य को आंका जा सकता है, और जो अभ्यर्थी इनके नाम बता सकता है वह लक्ष्य को दोहराने वाले अभ्यर्थी की तुलना में बेहतर उत्तर लिखता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- थोरियम-232 एक उर्वर पदार्थ है जो न्यूट्रॉन अवशोषित करने पर विखंडनीय यूरेनियम-233 में परिवर्तित हो जाता है; यूरेनियम-235 एकमात्र प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विखंडनीय समस्थानिक है।
- दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक तथा शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग करता है, और यह भारत के तीन-चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पहला चरण बनाता है।
- तीन-चरण कार्यक्रम की परिकल्पना होमी जे. भाभा (Homi J. Bhabha) ने 1950 के दशक में की थी; इसका दूसरा चरण तीव्र प्रजनक रिएक्टरों (fast breeder reactors) पर आधारित है और तीसरा थोरियम-यूरेनियम-233 चक्र पर।
- उच्च-श्रेणी निम्न-संवर्धित यूरेनियम (High-assay low-enriched uranium, HALEU) वह

विश्लेषण (ANALYSIS)

यूरेनियम है जो 5% से 20% के बीच यूरेनियम-235 तक संवर्धित होता है।

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) का गठन परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 1983 में किया गया था, और उसे किसी विद्युत-रिएक्टर की प्रारंभिक ईंधन लोडिंग और प्रथम क्रांतिकता को अधिकृत करना होता है।
- राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (Rajasthan Atomic Power Project) रावतभाटा में है; काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (Kakrapar Atomic Power Station) गुजरात में है; कैगा जनरेटिंग स्टेशन (Kaiga Generating Station) कर्नाटक में है; और कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में है।
- प्रथम क्रांतिकता उपागम (First Approach to Criticality) वह चरण है जिसमें कोई रिएक्टर पहली बार नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखता है।

1. **काकोडकर विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं कि चरण दो ही बाधा बन गया है** — मूल डिज़ाइन में यह माना गया था कि तीव्र प्रजनक रिएक्टर इतनी तेज़ी से प्लूटोनियम बढ़ाएंगे कि एक बड़े थोरियम चरण की नींव पड़ सके। उनका अनुमान कि बेड़ा-मोड तीव्र रिएक्टर दो से तीन दशक दूर हैं, और उन्हें पहले ऑक्साइड-ईंधन, धात्विक-ईंधन और नए ईंधन-चक्र संक्रमणों से गुज़रना होगा, इस बात के बराबर है कि दूसरा चरण अकेले समय-सारणी को नहीं संभाल सकता। मौजूदा पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में हेल्यू-थोरियम (HALEU-thorium) मार्ग का प्रस्ताव देना दूसरे चरण के हार्डवेयर की प्रतीक्षा किए बिना तीसरे चरण की ईंधन भौतिकी को चलाने का एक तरीका है। यह भाभा की योजना का परित्याग नहीं है, लेकिन इसके क्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और यह इसके सबसे वरिष्ठ संरक्षक की ओर से आया है।
2. **यह प्रस्ताव एक निर्भरता को दूसरी से बदल देता है** — पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में थोरियम को एक विखंडनीय चालक (driver) की आवश्यकता होती है, और इस योजना में वह चालक हेल्यू (HALEU) है। भारत की संवर्धन क्षमता सीमित है और हेल्यू (HALEU) की वैश्विक आपूर्ति केंद्रित है। इसलिए यह मार्ग प्राकृतिक यूरेनियम के आयात पर निर्भरता घटाता है जबकि संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता उत्पन्न करता है, चाहे वह बड़े पैमाने पर घरेलू स्तर पर बने या विदेश से खरीदा जाए। यह आत्मनिर्भरता को बेहतर बनाता है या नहीं, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि भारत इन दोनों में से किसे अधिक विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित कर सकता है, और साक्षात्कार इसका समाधान नहीं करता। एक ईमानदार उत्तर इसे मुफ्त लाभ के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापार-संतुलन (trade-off) के रूप में प्रस्तुत करता है।
3. **बेड़ा-मोड ही असली उपलब्धि है और यह अब भी धीमी है** — आरएपीपी-8 (RAPP-8) 700 मेगावाट की 16 इकाइयों में से केवल चौथी है, काकरापार में पहली दो इकाइयों के 2023-24 में वाणिज्यिक परिचालन में आने के कई वर्षों बाद। मानकीकरण स्पष्ट रूप से काम कर रहा है — हर इकाई को डिज़ाइन को मज़बूत बनाने वाला बताया जाता है — लेकिन हर एक-दो वर्ष में एक इकाई की गति 2047 तक 100 गीगावाट के प्रमुख हिस्से तक नहीं पहुंचेगी जिसकी काकोडकर उम्मीद करते हैं। बाधाएं रिएक्टर भौतिकी नहीं बल्कि स्थल अधिग्रहण, भारी घटक और निर्माण प्रबंधन हैं, यही कारण है कि क्षेत्र का खुलना मायने रखता है: यह इस बात पर दांव है कि प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि पूंजी और परियोजना क्षमता ही बाध्यकारी बाधाएं हैं।
4. **पुनर्चक्रण को सरकार के पास रखना एक अपरिवर्तनीय शर्त है, और यह बाज़ार को आकार देता है** — काकोडकर का यह ज़ोर कि ईंधन पुनर्चक्रण सरकार के भीतर ही रहना चाहिए, अप्रसार दायित्वों (non-proliferation obligations) और तीन-चरण योजना के तर्क, दोनों को दर्शाता है, जहां पुनर्संसाधित ईंधन चरणों के बीच सेतु है। इसका परिणाम यह है कि कोई भी निजी या विदेशी भागीदार एक ऐसे ईंधन चक्र के भीतर रिएक्टर संचालित करेगा जिस पर उसका नियंत्रण नहीं है। यह एक ठोस सुरक्षा उपाय है, लेकिन इसका अर्थ है कि निवेशक ईंधन-आपूर्ति जोखिम उठाते हैं जिससे वे स्वयं प्रबंधित नहीं कर सकते, और ईंधन आपूर्तिकर्ता के रूप में सरकार की विश्वसनीयता निवेश के मामले का हिस्सा बन जाती है।
5. **प्रति-दृष्टिकोण: यूरेनियम की तंगी को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है** — यूरेनियम की कमी के पूर्वानुमान पहले भी लगाए जा चुके हैं और बार-बार नई खोजों, ऊंची कीमतों के कारण सीमांत खदानों के उत्पादन में आने, और विश्व भर में अनुमान से धीमी रिएक्टर-निर्माण गति से नरम पड़े हैं। यदि विश्व परमाणु संघ (World Nuclear Association) का 1,400 गीगावाट का आंकड़ा नहीं पहुंचता, तो काकोडकर द्वारा वर्णित दबाव कम हो जाता है। इसलिए उनके तर्क का अधिक मज़बूत संस्करण केवल दुर्लभता पर नहीं, बल्कि व्यय-ईंधन और सुरक्षा लाभों पर टिका है जिनका उन्होंने भी उल्लेख किया है, जो यूरेनियम दुर्लभ हो या न हो, दोनों स्थितियों में लागू होते हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत का तीन-चरण परमाणु कार्यक्रम देश के थोरियम भंडार के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसकी समय-सारणी तीव्र प्रजनक रिएक्टरों की धीमी प्रगति से तथ्य हुई है।” दाबित भारी जल रिएक्टरों में थोरियम-आधारित ईंधन शुरू करने के हाल के प्रस्तावों के आलोक में, दीर्घकालिक

	परमाणु ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों की समालोचनात्मक जांच की जाए।
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. परिचय — एक वाक्य में भारत की संसाधन असमानता बताएं — सीमित यूरेनियम, विशाल थोरियम — और हर चरण के रिएक्टर प्रकार तथा ईंधन के साथ तीनों चरणों की रूपरेखा दें। संदर्भ के रूप में 2047 तक 100 गीगावाट लक्ष्य का उल्लेख करें, जो समय को महत्वपूर्ण बनाता है। 2. मुख्य भाग — क्रम क्यों दबाव में है — काकोडकर के आंकड़ों का उपयोग करें: वन-ध्रुव मोड में वैश्विक यूरेनियम लगभग 550-750 गीगावाट को बनाए रखता है, जबकि 2050 तक 1,400 गीगावाट का अनुमान है, और तीव्र रिएक्टर बेड़ा-तैनाती से दो से तीन दशक दूर हैं। बताएं कि चरण दो बाधा क्यों है। 3. मुख्य भाग — विकल्प — तीन मार्ग बताएं: तीव्र प्रजनक रिएक्टरों को तेज़ करना, विस्तारित होते पीएचडब्ल्यूआर बेड़े में हेल्थ-थोरियम ईंधन शुरू करना, और तीसरे चरण के लिए पिघला-लवण रिएक्टर विकसित करना। हर एक के लिए एक लाभ और एक बाधा बताएं, विशेषकर संवर्धन क्षमता पर हेल्थ की निर्भरता। 4. मुख्य भाग — संस्थागत पक्ष — 700 मेगावाट बेड़ा-मोड श्रृंखला का हवाला दें जिसकी चौथी इकाई आरएपीपी-8 (RAPP-8) है, हर चरण में एईआरबी (AERB) की भूमिका, शांति अधिनियम (SHANTI Act) के तहत क्षेत्र का खुलना, और यह सिद्धांत कि पुनर्चक्रण सरकार के पास रहता है। 5. निष्कर्ष — एक समानांतर-मार्ग रणनीति की वकालत करें: तीन-चरण योजना को दीर्घकालिक संरचना के रूप में बनाए रखें लेकिन मौजूदा रिएक्टरों में थोरियम मार्ग से इसकी समय-सारणी को सुरक्षित करें, साथ ही संवर्धन सुनिश्चित करें और परियोजना-क्रियान्वयन क्षमता बनाएं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप उस जिले के कलेक्टर हैं जहां एक नई परमाणु इकाई स्थित है। ग्रामीण पूछते हैं कि क्या ईंधन लोडिंग का अर्थ है कि संयंत्र अब 'खतरनाक' हो गया है। आप कैसे जवाब देंगे? दृष्टिकोण (Approach): आश्वासन नहीं, तथ्यों के साथ जवाब दें। समझाएं कि ईंधन लोडिंग सुरक्षा समीक्षाओं के बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) द्वारा अधिकृत एक चरण है, कि रिएक्टर तब तक बिजली उत्पन्न नहीं करता जब तक वह बाद में क्रांतिकता तक नहीं पहुंचता, और हर संयंत्र के आसपास निर्धारित आपातकालीन-तैयारी क्षेत्र मौजूद हैं। स्टेशन निदेशक और जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारियों की उपस्थिति में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करें, और स्थानीय भाषा में स्थल-बाह्य आपातकालीन योजना प्रकाशित करें। लोग उस जोखिम को कहीं अधिक सहजता से स्वीकार करते हैं जिसे वे समझते हैं, बजाय उसके जिसे वे छिपाया हुआ महसूस करते हैं। प्रश्न 2. परमाणु ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी के रूप में, आपसे एक परिचालनरत पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में हेल्थ-थोरियम (HALEU-thorium) ईंधन के परीक्षण के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने को कहा जाता है। आपके नोट को किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): इसे यह बताना होगा कि हेल्थ (HALEU) कहां से आता है और क्या वह आपूर्ति सुरक्षित है, मौजूदा डिज़ाइन में एक नए ईंधन के लिए एईआरबी (AERB) को कौन-सी नियामक स्वीकृतियां और सुरक्षा विश्लेषण चाहिए होंगे, और सरकार-नियंत्रित ईंधन चक्र के भीतर व्यय ईंधन को कैसे संभाला जाएगा। इसे परीक्षण कार्यक्रम की लागत के मुकाबले यूरेनियम बचत और व्यय-ईंधन कमी का अनुमान भी लगाना होगा। अंत में, किसी भी बेड़ा-व्यापी निर्णय से पहले, स्पष्ट सफलता मानदंडों के साथ एक इकाई में सीमित प्रदर्शन का प्रस्ताव देना चाहिए। प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: यदि ईंधन चक्र सरकार के पास ही रहे, तो क्या भारत को अपना परमाणु क्षेत्र निजी परिचालकों के लिए खोलना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): हां, शर्तों के साथ। निजी पूंजी और परियोजना-प्रबंधन क्षमता निर्माण को तेज़ कर सकती है, जो असली बाधा है, जबकि संवर्धन, पुनर्संसाधन और व्यय-ईंधन प्रबंधन को राज्य के पास रखना सुरक्षा और अप्रसार की रक्षा करता है। शर्तें हैं: एक मजबूत और स्पष्ट रूप से स्वतंत्र नियामक, स्पष्ट दायित्व नियम, और एक विश्वसनीय ईंधन-आपूर्ति अनुबंध ताकि निवेशक प्रशासनिक विलंब के बंधक न बनें। इनके बिना, निजी प्रवेश गति बढ़ाए बिना ही जोखिम बढ़ा देगा।

7.2 चीन की सीएक्सएमटी (CXMT) ने अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के बावजूद पांचवीं-पीढ़ी के डीआरएएम (DRAM) का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया

समाचार (THE NEWS) बीजिंग और हेफेई, चीन। रॉयटर्स (Reuters) ने रिपोर्ट किया, और द इंडियन एक्सप्रेस ने 21 सितंबर को छापा, कि चीन की अग्रणी डीआरएएम (DRAM) चिप निर्माता सीएक्सएमटी (CXMT) ने 20 सितंबर को कहा कि उसका पांचवीं-पीढ़ी का प्रौद्योगिकी मंच बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश कर चुका है। डीआरएएम (DRAM), यानी डायनामिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी (dynamic random-access memory), वह अल्पकालिक कार्यशील स्मृति है जिसका उपयोग फोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरण ऐप्स और प्रोग्राम चलाने के लिए करते हैं। हेफेई-आधारित कंपनी, जो इस वर्ष शंघाई के स्टार मार्केट (STAR Market) पर सूचीबद्ध हुई, ने कहा कि नया मंच छोटी डेटा-संग्रहण संरचनाओं को अधिक निकट पैक करता है, जिससे हर चिप पर अधिक मेमोरी समाती है और हर सिलिकॉन वेफर से अधिक चिप काटे जा सकते हैं। कंपनी ने कहा कि उसने मेमोरी-सेल क्षेत्र में मुख्य विशेषताओं का अंतराल घटाकर 11.95 नैनोमीटर, यानी लगभग 12 अरबवां मीटर, कर दिया है, जिसके लिए “चतुर्गुण पैटर्निंग” (quadruple patterning) का उपयोग किया गया — यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई विनिर्माण चरणों को दोहराकर उन बारीक सर्किट रेखाओं को छापती है जिन्हें उपकरण एक ही पास में नहीं छाप सकता। सीएक्सएमटी (CXMT) ने कहा कि यह मंच अपनी चौथी-पीढ़ी के मंच की तुलना में प्रति वेफर कम से कम 50% अधिक सकल चिप डाई (gross chip dies) देता है, यह 8-गीगाबिट-चिप आधार-रेखा पर है; अखबार बताता है कि सकल डाई दोषपूर्ण चिपों को हटाए जाने से पहले संभावित चिपों को मापते हैं, न कि अंतिम परीक्षण पास करने वाले अनुपात को। कंपनी ने दो 24-गीगाबिट एलपीडीडीआर5एक्स (LPDDR5X) चिप भी पेश कीं — डीआरएएम (DRAM) का एक ऊर्जा-बचत प्रकार जो मुख्यतः स्मार्टफोन और पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग होता है — जिनमें से हर एक अपने पिछले समकक्ष उत्पादों से 50% अधिक डेटा रखती है और पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन में हैं। “हमारी प्रक्रिया क्षमता अब उद्योग में सबसे उन्नत बड़े पैमाने पर उत्पादित नोड्स के बराबर है,” सीएक्सएमटी (CXMT) के उपाध्यक्ष और उसके विपणन केंद्र के प्रमुख लुओ शियाओडोंग (Luo Xiaodong) ने हेफेई में 2026 विश्व विनिर्माण सम्मेलन (World Manufacturing Convention) में कहा। सीएक्सएमटी (CXMT) ने कहा कि उसने इस मंच को कंप्यूटर सिमुलेशन और महत्वपूर्ण चरणों पर चीनी चिप-उपकरण निर्माताओं के साथ संयुक्त कार्य का उपयोग करके विकसित किया। यह प्रगति ऐसे समय हुई है जब बीजिंग विदेशी अर्धचालक प्रौद्योगिकी पर निर्भरता घटाना चाहता है और जब 2022 से अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों ने चीन की कुछ उन्नत चिप-निर्माण उपकरणों और संबंधित सॉफ्टवेयर तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। दावा किया गया परिणाम सीएक्सएमटी (CXMT) को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics), एस्के हाइनिक्स (SK Hynix) और माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) का एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बना देगा, ये तीन कंपनियां वैश्विक मेमोरी बाजार पर हावी हैं। भारत के लिए, यह खबर उसी संस्करण में आई है जिसमें द हिंदू का एक ‘असेंबली ट्रैप’ (assembly trap) विश्लेषण भी है, जिसमें आत्मनिर्भरता पहले के बावजूद चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात तीव्रता बढ़ी है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मेमोरी चिप तीन गैर-चीनी कंपनियों के प्रभुत्व में हैं → 2022 से अमेरिकी निर्यात नियंत्रण चीन की उन्नत उपकरणों तक पहुंच काटते हैं → चीन घरेलू चैपियन और घरेलू उपकरण-निर्माताओं का समर्थन करता है → सीएक्सएमटी (CXMT) 11.95 नैनोमीटर सेल अंतराल तक पहुंचने के लिए चतुर्गुण पैटर्निंग का उपयोग करता है → चीन को मेमोरी आपूर्ति का एक तीसरा स्रोत मिलता है जबकि भारत अब भी अपनी चिप आयात करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. मेमोरी और लॉजिक अलग-अलग उद्योग हैं, और भारत ने केवल एक के बैक एंड में प्रवेश किया है — लॉजिक चिप डेटा को प्रोसेस करते हैं और मेमोरी चिप उसे संग्रहीत करते हैं। डीआरएएम (DRAM) वाष्पशील (volatile) मेमोरी है जो बिजली कटने पर डेटा खो देती है, जबकि नैंड फ्लैश (NAND flash) गैर-वाष्पशील (non-volatile) संग्रहण है जो फोन और सॉलिड-स्टेट ड्राइव में उपयोग होता है। मेमोरी एक कमोडिटी व्यवसाय है जिस पर कुछ बहुत बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व है, और कीमतें मांग चक्र के साथ तेजी से घटती-बढ़ती हैं। भारत को पहला बड़ा मेमोरी निवेश, गुजरात के सानंद में माइक्रोन (Micron) का संयंत्र जिसे 2023 में मंजूरी मिली, एक असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग इकाई है, न कि कोई वेफर फैब्रिकेशन संयंत्र।
2. मल्टीपल पैटर्निंग वह तरीका है जिससे नवीनतम मशीनों के बिना भी और छोटा जाया जा सकता है — लिथोग्राफी (Lithography) प्रकाश का उपयोग करके किसी वेफर पर सर्किट पैटर्न छापती है, और आज की सबसे बारीक पैटर्न के लिए अत्यधिक पराबैंगनी (extreme ultraviolet, EUV) लिथोग्राफी मशीनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें चीन आयात नहीं कर सकता। मल्टीपल पैटर्निंग (multiple patterning) एक बारीक पैटर्न को पुराने डीप-अल्ट्रावायलेट मशीनों पर क्रम में छापे गए कई मोटे एक्सपोजर में विभाजित करती है। यह काम करती है, लेकिन हर अतिरिक्त चरण लागत, समय और दोषों की संभावना बढ़ाता है, यही कारण है कि उपज (yield) ही सीएक्सएमटी (CXMT) के दावे की असली परीक्षा है।
3. निर्यात नियंत्रण प्रौद्योगिकी-निषेध का एक लंबे इतिहास वाला उपकरण है — संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्टूबर 2022 से चीन को उन्नत अर्धचालकों और चिप-निर्माण उपकरणों पर निर्यात कड़े किए, और तब से उनका विस्तार करता रहा है। ऐसे निर्यात राष्ट्रीय कानून के माध्यम से काम करते हैं लेकिन तब अधिक बल पकड़ते हैं जब प्रमुख प्रौद्योगिकियों वाले सहयोगी देश — लिथोग्राफी और उपकरणों में नीदरलैंड और जापान — उनके साथ जुड़ जाते हैं। भारत स्वयं प्रौद्योगिकी-निषेध के दोनों पक्षों में रहा है, 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी निर्यात व्यवस्था (Missile Technology Control Regime), 2017 में वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) और 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) में शामिल होने से पहले उसे परमाणु और दोहर-उपयोग निर्यात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था।

	4. भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission) नीति का वाहन है — भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission), जिसे 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (Semicon India programme) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के तहत स्थापित किया गया, फैब्रिकेशन इकाइयों, डिस्ट्रीब्यूटिव फैब, यौगिक अर्धचालक सुविधाओं और असेंबली एवं परीक्षण इकाइयों को राजकोषीय सहायता देता है, और चिप डिज़ाइन कंपनियों के लिए डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (Design Linked Incentive) योजना चलाता है। इसका तर्क यह है कि जिस देश के पास घरेलू चिप आपूर्ति नहीं है, वह ठीक उसी तरह की आपूर्ति-व्यवधान और निषेध की चपेट में है जैसा सीएक्सएमटी (CXMT) की कहानी दर्शाती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. अर्धचालक जीएस3 (GS3) में स्वदेशीकरण के अंतर्गत और जीएस2 (GS2) में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं — पाठ्यक्रम 'प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण' और 'विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव' के बारे में पृष्ठता है। चिप आपूर्ति श्रृंखलाएं दोनों में फिट बैठती हैं, और भारत की अर्धचालक महत्वाकांक्षाओं पर मुख्य परीक्षा के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों से प्रोत्साहनों को संरचनात्मक कमियों के विरुद्ध तौलने को कहा है। 2. प्रारंभिक परीक्षा उद्योग की शब्दावली को पसंद करती है — फैब (fab), एटीएमपी (ATMP) या ओसैट (OSAT), लिथोग्राफी, नोड, डीआरएएम (DRAM) और नैंड (NAND) जैसे शब्द उस तकनीकी शब्दावली के उदाहरण हैं जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा परिभाषा-कथनों में बदल देती है। यह जानना कि डीआरएएम (DRAM) वाष्पशील कार्यशील मेमोरी है, और असेंबली तथा पैकेजिंग फैब्रिकेशन नहीं है, सबसे सामान्य जालों से बचाता है। 3. प्रतिबंधों पर चीन की प्रतिक्रिया स्वयं एक बार-बार आने वाला विषय है — परीक्षक ने इस बात में रुचि दिखाई है कि क्या प्रतिबंध अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। सीएक्सएमटी (CXMT) एक ठोस उदाहरण है जहां एक प्रतिबंधित राष्ट्र ने प्रतिबंध का उल्लंघन किए बिना उसके इर्द-गिर्द काम करके लगभग अग्रणी उत्पादन तक पहुंचता प्रतीत होता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● डायनामिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी (Dynamic random-access memory, DRAM) वाष्पशील मेमोरी है जिसका उपयोग किसी उपकरण की अल्पकालिक कार्यशील स्मृति के रूप में होता है, जबकि नैंड फ्लैश (NAND flash) गैर-वाष्पशील संग्रहण है जो बिना बिजली के भी डेटा बनाए रखता है। ● एलपीडीडीआर5एक्स (LPDDR5X) एक निम्न-ऊर्जा डीआरएएम (DRAM) मानक है जो मुख्यतः स्मार्टफोन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है। ● मल्टीपल पैटर्निंग (multiple patterning), जैसे डबल या क्वाड्रपल पैटर्निंग (double or quadruple patterning), किसी लिथोग्राफी उपकरण के एकल-पास रिज़ॉल्यूशन से अधिक बारीक विशेषताएं छापने के लिए दोहराए गए एक्सपोज़र का उपयोग करती है। ● भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission) की स्थापना 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (Semicon India programme) के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। ● गुजरात के सानंद में माइक्रोन (Micron) की अर्धचालक सुविधा एक असेंबली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (assembly, testing, marking and packaging, ATMP) इकाई है, न कि कोई वेफर फैब्रिकेशन संयंत्र। ● भारत 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime), 2017 में वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) और 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) का सदस्य बना; यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) का सदस्य नहीं है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. निर्यात नियंत्रणों ने समय खरीदा, स्थायी बढ़त नहीं — इन नियंत्रणों को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि चीन अग्रणी स्तर से कम से कम एक पीढ़ी पीछे रहे। सीएक्सएमटी (CXMT) का दावा है कि उसने पुराने उपकरणों और घरेलू उपकरण-निर्माताओं का उपयोग करके सबसे उन्नत बड़े पैमाने पर उत्पादित मेमोरी नोड्स के समकक्ष पहुंच हासिल कर ली है। यदि उपज (yield) व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, तो नियंत्रणों ने चीन के लिए बहिष्करण नहीं बल्कि विलंब और अधिक लागत हासिल की। व्यापक सबक यह है कि निषेध उस देश के विरुद्ध सबसे अच्छा काम करता है जिसके पास औद्योगिक गहराई नहीं है, और उस देश के विरुद्ध सबसे कम काम करता है जिसके पास बड़ा बाज़ार, राजकीय पूंजी और सीखने को इच्छुक आपूर्तिकर्ता आधार है। 2. इस दावे पर उपज को लेकर संदेह उचित है — 50% की वृद्धि प्रति वेफर सकल डाई (gross dies)

	में है, और लेख स्वयं बताता है कि यह दोषपूर्ण चिपों को हटाए जाने से पहले की गिनती है। चतुर्गुण पैटर्निंग (quadruple patterning) प्रक्रिया चरणों को, और इसलिए दोषों की संभावनाओं को बढ़ा देती है। यदि बहुत अधिक चिप परीक्षण में असफल होते हैं, तो कोई कंपनी किसी नोड में तकनीकी रूप से सक्षम होते हुए भी व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकती। जब तक स्वतंत्र विश्लेषण या बाज़ार हिस्सेदारी इसकी पुष्टि नहीं करती, सही पठन है 'विश्वसनीय क्षमता, अप्रमाणित अर्थशास्त्र'। 3. भारत के लिए जोखिम निर्भरता की एक नई परत है — मेमोरी का एक सस्ता तीसरा स्रोत उन भारतीय फोन असेंबलरों के लिए आकर्षक होगा जो पहले से ही अधिकांश घटक आयात करते हैं। उसी संस्करण में द हिंदू का 'असेंबली ट्रैप' (assembly trap) विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन से बढ़ती आयात तीव्रता को दर्ज करता है। यदि चीनी मेमोरी सबसे सस्ता विकल्प बन जाती है, तो भारत का असेंबली उछाल एक और महत्वपूर्ण इनपुट के लिए चीन पर निर्भरता गहरी करेगा, जो उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) और अर्धचालक योजनाओं के इरादे के विपरीत है। 4. यह भारतीय सौदेबाज़ी के लिए एक अवसर भी हो सकता है — प्रति-दृष्टिकोण यह है कि मेमोरी में अधिक प्रतिस्पर्धा भारतीय निर्माताओं के लिए कीमतें घटाती है और तीन मौजूदा प्रमुख कंपनियों की मूल्य-निर्धारण शक्ति को कमज़ोर करती है। माइक्रोन (Micron) की सानंद पैकेजिंग सहित एक विविधतापूर्ण आपूर्ति, और संभावित भविष्य के साझेदार, भारत को निवेश बातचीत में अधिक विकल्प देते हैं। नीतिगत कार्य चीनी मेमोरी को बाहर करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह, विशेषकर रक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए, कई आपूर्तिकर्ताओं में से एक हो। 5. असली कहानी उपकरण-निर्माता हैं, चिप-निर्माता नहीं — सीएक्सएमटी (CXMT) चीनी उपकरण-निर्माताओं के साथ संयुक्त कार्य को श्रेय देता है। यही गहरा बदलाव है: जो देश चिप बनाने वाली मशीनें बना सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाना उस देश की तुलना में कहीं अधिक कठिन है जो केवल आयातित मशीनें चलाता है। भारत का अर्धचालक प्रयास फैब और पैकेजिंग इकाइयों को आकर्षित करने पर केंद्रित रहा है; उपकरण, सामग्री और रसायनों पर इसने कहीं कम काम किया है, जहां दीर्घकालिक प्रभाव-क्षमता निहित है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	प्रौद्योगिकी-निषेध व्यवस्थाएं एक दृढ़ राष्ट्र को रणनीतिक क्षमताएं हासिल करने से विलंबित तो कर सकती हैं लेकिन शायद ही रोक सकती हैं। चीन के अर्धचालक उद्योग में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए, और भारत की अर्धचालक रणनीति के लिए सबक की जांच कीजिए।
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. परिचय — प्रौद्योगिकी-निषेध को परिभाषित करें और बताएं कि अमेरिका ने 2022 से चीन को उन्नत चिप-निर्माण उपकरणों के निर्यात प्रतिबंधित किए हैं। बताएं कि सीएक्सएमटी (CXMT) ने पांचवीं-पीढ़ी के डीआरएएम (DRAM) मंच के बड़े पैमाने पर उत्पादन की घोषणा की है। 2. मुख्य भाग — चीन ने नियंत्रणों के इर्द-गिर्द कैसे काम किया — पुरानी लिथोग्राफी पर चतुर्गुण पैटर्निंग, 11.95 नैनोमीटर सेल अंतराल, और घरेलू उपकरण-निर्माताओं के उपयोग की व्याख्या करें। यह बताते हुए दावे को योग्य बनाएं कि सकल डाई उपज (yield) नहीं है। 3. मुख्य भाग — निषेध के साथ भारत का अपना इतिहास — याद करें कि भारत ने एमटीसीआर (MTCR), वासेनार (Wassenaar) और ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) में शामिल होने से पहले प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों के तहत परमाणु और अंतरिक्ष क्षमता विकसित की, जो निषेध की लागत और अंततः उसकी सीमाएं दोनों दर्शाता है। 4. मुख्य भाग — भारत के लिए सबक — भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission), पैकेजिंग और फैब्रिकेशन के बीच अंतर, 'असेंबली ट्रैप' (assembly trap) के जोखिम, तथा उपकरण, सामग्री और डिज़ाइन प्रतिभा जैसे उपेक्षित क्षेत्रों को शामिल करें। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालें कि लचीलापन किसी एक फैब से नहीं बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला में गहराई से आता है, और भारत को सबसे कम दृश्यमान लेकिन सबसे अधिक रणनीतिक खंडों में क्षमता बनाते हुए आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लानी चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एमईआईटीवाई (MeitY) में संयुक्त सचिव हैं। एक घरेलू फोन असेंबलर अपनी अधिकांश मेमोरी चीन से मंगाते हुए प्रोत्साहन सहायता चाहता है। आप आवेदन का मूल्यांकन कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): पहले योजना के नियमों के अनुसार इसका मूल्यांकन करें, क्योंकि प्रोत्साहन विवेकाधिकार पर नहीं बल्कि निर्धारित मानदंडों के आधार पर दिए जाते हैं। लेकिन घरेलू मूल्य-वर्धन और आयातित इनपुट के संकेंद्रण को दर्ज करें, क्योंकि ये ओकड़े दिखाते हैं कि योजना क्षमता बना रही है या केवल असेंबली। सिफारिश करें कि भविष्य के योजना संशोधन

प्रोत्साहन के एक हिस्से को महत्वपूर्ण घटकों के स्थानीयकरण या विविधीकरण से जोड़ें, साथ में एक उचित ग्लाइड-पथ हो ताकि कंपनियां समायोजित हो सकें।

प्रश्न 2. सशस्त्र बल पूछते हैं कि क्या किसी एक देश की वाणिज्यिक मेमोरी चिप को रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आपकी क्या सलाह है?

दृष्टिकोण (Approach): किसी देश पर पूर्ण प्रतिबंध सरल है लेकिन महंगा और लागू करने में कठिन हो सकता है, क्योंकि मूल उत्पत्ति अक्सर आपूर्ति श्रृंखला में गहराई में छिपी होती है। एक बेहतर तरीका है: महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए विश्वसनीय-स्रोत सूची, घटकों का परीक्षण एवं प्रमाणन, और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री-सूची घोषणा। सबसे संवेदनशील प्रणालियों के लिए, स्रोत जांच-परखे आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित करें और घरेलू या सहयोगी विकल्पों को वित्तपोषित करें।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है कि क्या भारत को अपना खुद का डीआरएएम (DRAM) फैब बनाने का प्रयास करना चाहिए।

दृष्टिकोण (Approach): तुरंत नहीं। मेमोरी फैब पूंजी-गहन, चक्रीय और दिग्गजों के प्रभुत्व वाले होते हैं, इसलिए भारत का पहला फैब लागत पर प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करेगा। पैकेजिंग, डिज़ाइन और उपकरण क्षमता को मज़बूत करना, किसी विशिष्ट या परिपक्व-नोड फैब के लिए साझेदार आकर्षित करना, और प्रतिभा आधार बनाना अधिक बुद्धिमानी है। एक बार पारिस्थितिकी तंत्र और मांग इतनी गहरी हो जाएं कि वह मंदी के दौर में इसे बनाए रख सकें, तब मेमोरी फैब का अनुसरण किया जा सकता है।

7.3 एनपीसीआई (NPCI) के एआई-संचालित माईयूपीआई (MyUPI) और एटीओएम (AtOM) भारतीय भुगतान को एजेंटिक वाणिज्य (agentic commerce) की ओर ले जाते हैं

समाचार (THE NEWS) मुंबई। द इंडियन एक्सप्रेस ने 21 सितंबर को रिपोर्ट किया कि भुगतान उद्योग परंपरागत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) से 'एजेंटिक एआई' (agentic AI) की ओर बढ़ रहा है, और 8 से 11 सितंबर तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (Global Fintech Fest, GFF) में अग्रणी भुगतान कंपनियों ने ऐसे उत्पाद प्रदर्शित किए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India, NPCI) ने माईयूपीआई (MyUPI) पेश किया, एक एआई-संचालित नवीनीकरण जो पूर्व-अधिकृत भुगतानों को सौंप सकता है और स्वतः भुगतान विवाद दर्ज कर सकता है। इसने एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैसेजिंग (Agentic Orchestration and Messaging, AtOM) नामक एक बैक-एंड उपकरण भी लॉन्च किया, जिसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एआई संपर्क के लिए "संयोजी ऊतक" (connective tissue) बताया गया। रिपोर्ट शब्दों की व्याख्या करती है। परंपरागत एआई का उपयोग लंबे समय से भुगतान में घर्षण घटाने और ग्राहकों को धोखाधड़ी लेनदेन से बचाने के लिए किया जाता रहा है। एजेंटिक एआई (agentic AI) एक ऐसा मॉडल है जो निरंतर संकेतों के बिना, लेकिन निर्धारित सीमाओं के भीतर, उपयोगकर्ताओं के लिए कार्य निष्पादित करता है। एजेंटिक वाणिज्य (agentic commerce) एक डिजिटल व्यापार मॉडल है जिसमें एआई एजेंट ग्राहक की ओर से खरीदारी खोजते, बातचीत करते और निष्पादित करते हैं; यह प्राधिकरण को नहीं टालता बल्कि चरणों की संख्या घटाता है, उदाहरण के लिए सबसे अच्छा कार्ड या भुगतान माध्यम चुनकर और कई ओटीपी (OTP) को एक बार के प्रमाणीकरण में घटाकर, जबकि उपभोक्ता निगरानी बनाए रखता है और किसी भी घटक को बदल सकता है। रिपोर्ट अमेज़न पे (Amazon Pay) के स्मार्ट वॉलेट (Smart Wallet) का हवाला देती है, जिसे जीएफएफ (GFF) में प्रदर्शित किया गया, जो स्मार्ट सिफारिशों, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और टैप-एंड-पे (tap-and-pay) का उपयोग करता है, और एक सीमा के भीतर छोटी-राशि की नियमित खरीदारी को स्वतः निष्पादित कर सकता है: ₹10,000 की मासिक सीमा वाला एक ग्राहक जो किराना मंगाना है, उसे तब तक हर बार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी जब तक उस महीने का खर्च सीमा को पार नहीं कर जाता। "एजेंटिक एआई के साथ, मुझे लगता है कि मनुष्यों को बहुत सूचित, बुद्धिमान तरीके से, काफी नियंत्रण और भरोसे के साथ अपना काम पूरा कराने में सहायता एक बड़ा अवसर है जिसे हम देखते हैं," अमेज़न पे इंडिया (Amazon Pay India) में भुगतान, पुरस्कार और व्यापारी सेवाओं के निदेशक गिरिश कृष्णन (Girish Krishnan) ने कहा। अखबार बताता है कि माईयूपीआई (MyUPI) में एक समान सुविधा है, और सैमसंग पे (Samsung Pay), गूगल पे (Google Pay) तथा फोनपे (PhonePe) के वॉलेट बिना-पिन (PIN-less) छोटी-राशि की खरीदारी प्रदान करते हैं, हालांकि यह सब एआई नहीं है। यह जोड़ता है कि अपनाना अभी शुरुआती चरण में है, कि एजेंटिक वाणिज्य वर्तमान में सबसे बड़ा उपयोग-मामला है, और एजेंटिक एआई अंततः व्यवसायों के लिए पूरी 'खरीद से भुगतान' (procurement to payment) प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

यूपीआई (UPI) भुगतान को तुरंत और सस्ता बनाता है → धोखाधड़ी और घर्षण मुख्य समस्याएं बन जाती हैं → एआई का उपयोग पहले धोखाधड़ी की जांच के लिए होता है → पूर्व-अधिकृत सीमाएं और बिना-पिन छोटे भुगतान घर्षण घटाते हैं → एजेंटिक एआई प्रस्ताव करता है कि ग्राहक नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर एक अधिदेश (mandate) के भीतर भुगतान शुरू करे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. एनपीसीआई (NPCI) बैंकों के स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी संस्था है, जिसे आरबीआई (RBI) नियंत्रित करता है — भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की स्थापना 2008 में खुदरा भुगतान के लिए एक छत्र संगठन के रूप में हुई, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association) ने प्रवर्तित किया, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 8 (Section 8) के तहत एक गैर-लाभकारी

कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई (UPI) के साथ-साथ रुपे (RuPay), आईएमपीएस (IMPS), राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (National Automated Clearing House) और फास्टैग (FASTag) अवसंरचना का संचालन करता है। यह आरबीआई (RBI) से प्राधिकरण के अंतर्गत काम करता है।

2. **भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) कानूनी आधार है** — यह अधिनियम आरबीआई (RBI) को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षित करने वाला प्राधिकरण बनाता है, और आरबीआई (RBI) के प्राधिकरण के बिना कोई भी भुगतान प्रणाली संचालित नहीं हो सकती। आरबीआई (RBI) अपने भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) के माध्यम से कार्य करता है। प्रमाणीकरण, आवर्ती भुगतानों के अधिदेश और अनधिकृत लेनदेन के लिए ग्राहक दायित्व से संबंधित नियम इसी नियामक शक्ति से उत्पन्न होते हैं।
3. **प्रमाणीकरण आरबीआई (RBI) का केंद्रीय सुरक्षा उपाय है, और एजेंट इसकी परीक्षा लेते हैं** — आरबीआई (RBI) अधिकांश डिजिटल भुगतानों के लिए ओटीपी (OTP) या पिन (PIN) जैसे एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक की आवश्यकता रखता है, और अपनी निर्धारित सीमाओं के भीतर आवर्ती ई-अधिदेशों (e-mandates) की अनुमति देता है जिसमें केवल पहला लेनदेन ही प्रमाणित होता है। यूपीआई लाइट (UPI Lite) किसी ऑन-डिवाइस वॉलेट से बिना पिन के छोटी-राशि के भुगतान की अनुमति देता है। एजेंटिक वाणिज्य (agentic commerce) पूर्व-अधिकृत अधिदेश को खींचकर इन्हीं नियमों के भीतर काम करता है, यही कारण है कि सटीक सीमाएं और उन्हें रद्द करने की ग्राहक की क्षमता मायने रखती है।
4. **डेटा संरक्षण अब भुगतान के साथ-साथ चलता है** — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) की आवश्यकता है कि व्यक्तिगत डेटा को केवल सहमति के साथ किसी विधिक प्रयोजन के लिए संसाधित किया जाए, और यह व्यक्तियों को सूचना, सुधार और मिटाने के अधिकार देता है। एक एआई एजेंट जो खरीदारी का इतिहास पढ़कर खरीदारी की सिफारिश करता है और फिर उसका भुगतान करता है, वह हर चरण में व्यक्तिगत डेटा संसाधित कर रहा है, इसलिए सहमति, प्रयोजन-सीमा और 'डेटा न्यासी' (data fiduciary) की जवाबदेही सीधे तौर पर जुड़ी होती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जीएस3 (GS3) का एक पसंदीदा विषय है** — यूपीआई (UPI), डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर प्रश्न 'समावेशी विकास' और 'सूचना प्रौद्योगिकी में जागरूकता' के अंतर्गत आते हैं। एजेंटिक भुगतान इस कहानी का अगला चरण है, और परीक्षक उन अभ्यर्थियों को पुरस्कृत करता है जो किसी तकनीकी प्रगति को उसके जोखिमों के साथ जोड़ सकते हैं।
2. **एआई शासन जीएस3 (GS3) और निबंध (Essay) पत्र, दोनों में उभर रहा है** — यूपीएससी (UPSC) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक और नैतिक प्रभावों के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। भुगतान एक व्यावहारिक क्षेत्र है जिसमें स्वचालित निर्णयों के लिए सहमति, जवाबदेही और दायित्व के मुद्दे अमूर्त नहीं बल्कि ठोस हैं।
3. **प्रारंभिक परीक्षा संस्थाओं के बारे में पूछती है** — एनपीसीआई (NPCI) का स्वामी कौन है, किस अधिनियम के तहत आरबीआई (RBI) भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करता है, और यूपीआई लाइट (UPI Lite) या ई-अधिदेश क्या हैं, ये सब मानक प्रारंभिक परीक्षा सामग्री हैं। आज की खबर माईयूपीआई (MyUPI) और एटीओएम (AtOM) को पहचानने योग्य नामों के रूप में जोड़ती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association) द्वारा प्रवर्तित एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।
- भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षित करने वाला प्राधिकरण नामित करता है।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface, UPI) को एनपीसीआई (NPCI) ने 2016 में लॉन्च किया था।
- यूपीआई लाइट (UPI Lite) एक ऑन-डिवाइस वॉलेट है जो यूपीआई पिन (UPI PIN) डाले बिना छोटी-राशि के यूपीआई (UPI) भुगतान की अनुमति देता है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संसाधन को नियंत्रित करता है और भारत डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) की स्थापना करता है।

- एजेंटिक एआई (agentic AI) उन एआई प्रणालियों को संदर्भित करता है जो निर्धारित सीमाओं के भीतर किसी उपयोगकर्ता की ओर से बहु-चरणीय कार्य निष्पादित करती हैं, बिना हर चरण पर संकेत की आवश्यकता के।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. असली बदलाव यह है कि भुगतान कौन शुरू करता है —** डिजिटल भुगतान की हर पहले की सुविधा में भी अंततः ग्राहक को 'पे' (pay) दबाना पड़ता था। एजेंटिक वाणिज्य (agentic commerce) शुरुआती कार्य को एक स्थायी अधिदेश के तहत काम करने वाले सॉफ्टवेयर पर स्थानांतरित करता है। यह केवल एक सहज इंटरफेस नहीं, बल्कि कानूनी और व्यावहारिक ज़िम्मेदारी में एक बदलाव है। मौजूदा ढांचा हर लेनदेन को प्राधिकृत करने वाले किसी मनुष्य के इर्द-गिर्द बनाया गया था, और इसे इस स्पष्ट उत्तर की आवश्यकता होगी कि जब एजेंट गलत चीज़ खरीदता है, या सही चीज़ गलत कीमत पर, तो दायित्व किसका है।
- 2. सीमाएं ही सुरक्षा उपाय हैं, इसलिए उन्हें देखना और रद्द करना आसान होना चाहिए —** स्मार्ट वॉलेट (Smart Wallet) उदाहरण में ₹10,000 की मासिक किराना सीमा डिज़ाइन सिद्धांत दिखाती है: सीमा के भीतर स्वायत्तता। यह तभी काम करता है जब ग्राहक जानता है कि सीमा मौजूद है, देख सकता है कि उसके विरुद्ध कितना खर्च हुआ है, और उसे तुरंत रद्द कर सकता है। कम डिजिटल साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, जो यूपीआई (UPI) की सबसे तेज़ी से बढ़ती आबादी हैं, एक भूला हुआ स्थायी अधिदेश एक कमज़ोरी है। इसलिए नियमन को एजेंटों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय दृश्यमान सीमाओं और सरल रद्दीकरण पर केंद्रित होना चाहिए।
- 3. स्वचालित विवाद दर्ज करना सबसे मूल्यवान सुविधा हो सकती है —** विवाद ही वह जगह है जहां सामान्य ग्राहकों को सबसे अधिक नुकसान होता है, क्योंकि प्रक्रिया धीमी और थकाऊ है। यदि माईयूपीआई (MyUPI) स्वतः विवाद दर्ज कर सकता है, तो यह प्रयास को कमज़ोर पक्ष से प्रणाली पर स्थानांतरित करता है। यह एक वास्तविक उपभोक्ता-संरक्षण लाभ है, और इसे खरीदारी सुविधाओं से अधिक ध्यान मिलना चाहिए। जोखिम स्वचालित दावों की बाढ़ है, जिसे संभालने के लिए विवाद तंत्र तैयार रहना चाहिए।
- 4. एक ही एजेंट में सिफारिश और भुगतान एक हित-टकराव उत्पन्न करता है —** एक एजेंट जो यह भी सुझाता है कि क्या खरीदें और यह भी चुनता है कि कैसे भुगतान करें, वह मंच के अपने उत्पादों, साझेदार व्यापारियों या उस कार्ड को तरजीह दे सकता है जिससे मंच को सबसे अधिक कमाई होती है। रिपोर्ट का यह उदाहरण कि एजेंट 'आदर्श कार्ड' चुनता है, प्रश्न उठाता है: किसके लिए आदर्श? सिफारिशें कैसे बनाई जाती हैं इसका खुलासा, और ग्राहक के हित में कार्य करने का दायित्व, स्पष्ट सुरक्षा उपाय हैं, और प्रतिस्पर्धा नियामकों का भी आरबीआई (RBI) जितना ही इसमें दांव होगा।
- 5. प्रति-दृष्टिकोण: यह क्रमिक है, क्रांतिकारी नहीं —** लेख स्वयं बताता है कि बिना-पिन (PIN-less) छोटी-राशि के भुगतान पहले से ही कई वॉलेट में मौजूद हैं और वे एआई नहीं हैं। आज जिसे एजेंटिक कहा जा रहा है उसमें से बहुत कुछ नए नाम के साथ स्वचालन ही है। यह एक उचित सुधार है। नियामक प्रतिक्रिया आनुपातिक होनी चाहिए — मौजूदा अधिदेश और प्रमाणीकरण नियमों पर आधारित — और उसे केवल वहीं कड़ा करना चाहिए जहां वास्तविक स्वायत्तता, जैसे बातचीत और खरीद-चयन, शुरू की जाती है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (agentic artificial intelligence) डिजिटल भुगतान को घर्षण-रहित बना सकती है लेकिन साथ ही प्राधिकरण के कार्य को ग्राहक से सॉफ्टवेयर पर स्थानांतरित भी करती है। भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एजेंटिक वाणिज्य (agentic commerce) के अवसरों और जोखिमों की जांच कीजिए और एक नियामक दृष्टिकोण सुझाइए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. परिचय —** एक-एक वाक्य में एजेंटिक एआई (agentic AI) और एजेंटिक वाणिज्य (agentic commerce) को परिभाषित करें, और सितंबर 2026 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (Global Fintech Fest) में पेश किए गए एनपीसीआई (NPCI) के माईयूपीआई (MyUPI) और एटीओएम (AtOM) का उल्लेख करें।
- 2. मुख्य भाग — अवसर —** कम चरण और ओटीपी (OTP), बेहतर सौदे, स्वचालित विवाद दर्ज करना, और व्यवसायों की खरीद-से-भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना शामिल करें। इन्हें यूपीआई (UPI) के पैमाने और समावेशन लक्ष्यों से जोड़ें।
- 3. मुख्य भाग — जोखिम —** गलत खरीदारी के लिए दायित्व, भूले हुए स्थायी अधिदेश, समझौता किए गए एजेंटों के माध्यम से धोखाधड़ी, डीपीडीपी अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023) के तहत डेटा-संरक्षण चिंताएं, और जब एक ही एजेंट सिफारिश करता है और भुगतान भी करता है तब होने वाले हित-टकराव पर चर्चा करें।
- 4. मुख्य भाग — नियामक दृष्टिकोण —** भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (Payment and Settlement Systems Act) और आरबीआई (RBI) प्रमाणीकरण नियमों के उपयोग का प्रस्ताव दें:

सीमाबद्ध अधिदेश, स्पष्ट प्रदर्शन और सरल रद्दीकरण, एजेंट की कार्रवाईयों के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल, सिफारिश तर्क का खुलासा, और दायित्व का स्पष्ट आवंटन।

5. निष्कर्ष — एक आनुपातिक, सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण की वकालत करें जो नवाचार को बनाए रखते हुए ग्राहक को नियंत्रण में रखे, यह बताते हुए कि विश्वास ही यूपीआई (UPI) की सबसे बड़ी संपत्ति रहा है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप आरबीआई (RBI) में उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख हैं। शिकायतें आती हैं कि एक एआई वॉलेट ने ऐसी खरीदारी की जो ग्राहक का इरादा नहीं थी। आप कैसे जवाब देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): पहले यह स्थापित करें कि क्या लेनदेन उस अधिदेश के भीतर थे जिसे ग्राहक ने अधिकृत किया था, क्योंकि यही मौजूदा नियमों के तहत दायित्व तय करता है। प्रदाता को निर्देश दें कि जहां अधिदेश या उसका खुलासा अस्पष्ट था, वहां खरीदारी वापस करें। फिर सीमाओं के स्पष्ट प्रदर्शन, सरल रद्दीकरण और एजेंट द्वारा की गई हर कार्रवाई के लॉग की आवश्यकता वाला मार्गदर्शन जारी करें। यह तय करने के लिए शिकायत डेटा का उपयोग करें कि क्या बाध्यकारी नियमों की आवश्यकता है।

प्रश्न 2. एक बैंक ग्रामीण ग्राहकों के लिए एक एजेंटिक भुगतान सुविधा लॉन्च करना चाहता है। आप क्या शर्तें लगाएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): डिफॉल्ट सीमाएं कम रखें और स्थानीय भाषा में स्पष्ट सहमति (opt-in) की आवश्यकता रखें। सुनिश्चित करें कि ग्राहक ऐप के साथ-साथ एक साधारण कॉल या एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी अधिदेश जांच और रद्द कर सकें। सुविधा समझाने के लिए बिज़नेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट (business correspondents) को प्रशिक्षित करें, और पहले महीनों में शिकायतों तथा धोखाधड़ी दर की निकटता से निगरानी करें, तभी विस्तार करें जब वे कम बनी रहें।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार में आपसे पूछा जाता है: क्या एक एआई एजेंट को किसी नागरिक का पैसा खर्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): हां, उन सीमाओं के भीतर जिन्हें नागरिक स्वयं तय करता है और किसी भी समय वापस ले सकता है। लोग पहले से ही स्थायी निर्देश और ऑटो-डेबिट की अनुमति देते हैं, इसलिए यह सिद्धांत नया नहीं है। जो नया है वह यह है कि एजेंट यह चुनता है कि क्या खरीदना है, जिसके लिए पारदर्शिता और ग्राहक के हित में कार्य करने का दायित्व चाहिए। सीमा जोखिम के आकार से तय होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी की नवीनता से नहीं।

8. समाज

दोनों कहानियाँ उस वादे के बारे में हैं जो भारतीय संस्थाएँ युवाओं से करती हैं: कि कैपस उनके साथ समान व्यवहार करेगा और परीक्षा उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगी। आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) में एक छात्र की मृत्यु ने कैपसों में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध नियमों की लड़ाई को फिर से खोल दिया है, जबकि राजस्थान में चार साल बाद हुई एक पुनर्परीक्षा दिखाती है कि पेपर लीक की कीमत क्या होती है। दोनों में, नुकसान को राजनीतिक प्रश्न के रूप में देखे जाने से बहुत पहले से जाना जाता था।

8.1 आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के छात्र की मृत्यु ने यूजीसी (UGC) के स्थगित जाति-समता नियमों की लड़ाई को तेज़ किया

समाचार (THE NEWS) मुंबई और नई दिल्ली। साहिल वाकोडे, आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के ऊर्जा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग (Department of Energy Science and Engineering) में 20 वर्षीय द्वितीय-वर्ष बीटेक (BTech) छात्र, शुरुवार को अपने छात्रावास कक्ष में आत्महत्या से मृत पाया गया — मध्य-सत्र परीक्षा के दौरान कथित रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करते पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद। संस्थान ने कहा कि उसने प्रश्नपत्र को उत्तर खोजने के लिए एक एआई (AI) मंच पर अपलोड किया था (द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार चैटजीपीटी/ChatGPT), कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, और अनुदेशक, संकाय सलाहकार तथा विभागाध्यक्ष ने उसे परामर्श दिया था तथा आश्वसन दिया था कि इस घटना से उसके करियर को नुकसान नहीं होगा। उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि परीक्षा की निगरानी कर रहे संकाय सदस्य सूर्यनारायण डूला ने कथित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर करीब तीन महीने तक उसे जाति-संबंधी अपशब्द कहे और उत्पीड़न किया। प्रो. डूला और अज्ञात वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 108, जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है; मुंबई अपराध शाखा (Mumbai Crime Branch) ने जांच अपने हाथ में ले ली है। निदेशक शिरीष केदारे ने ईटी (ET) को बताया कि जाति संबंधी आरोप में “बिल्कुल कोई सार नहीं” है और ऐसी कोई शिकायत उन तक नहीं पहुंची थी, तथा जोड़ा कि वे “यदि आवश्यक हुआ” तो इस्तीफा दे देंगे। दो दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद, प्रशासन ने रविवार को छात्रों के 18-सूत्री चार्टर पर सहमति जताई, निदेशक ने लाइवस्ट्रीम पर हस्ताक्षर किए, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। मांगों में 30 सितंबर तक अंतरिम रिपोर्ट और 15 अक्टूबर तक अंतिम रिपोर्ट के साथ एक स्वतंत्र जांच, प्राध्यापकों के लिए आचार संहिता, बेहतर परामर्श और छात्र संकट पर एक कार्यबल शामिल हैं। प्रो. डूला को निलंबित करने की मांग पर, निदेशक ने कहा, “हम प्रक्रिया का पालन करेंगे।” प्रो. राजकुमार एस. पंत के नेतृत्व वाले संस्थान के संकाय मंच (Faculty Forum) ने उनका बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने केवल निगरानी कर्तव्य निभाया। दिल्ली में, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, क्षत्रिय करणी सेना (Kshatriya Karni Sena) और “सवर्ण” (उच्च-जाति) समूहों के गठबंधनों ने यूजीसी (UGC) के 2026 के जाति-समता प्रारूप नियमों — जो जनवरी में अधिसूचित हुए और कई उत्तर भारतीय कैपसों में विरोध के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिए गए — के पूर्ण वापसी की मांग करते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को केंद्रीय मंत्रियों जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह द्वारा उनके प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के बाद रद्द कर दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार “उनकी मांगों पर उचित विचार करेगी”। अखबार बताता है कि यह वार्ता दलित छात्र की मृत्यु के बाद हुई। पाठ्यक्रम संबंध: अनुच्छेद 15, 17 और 46 (Articles 15, 17 and 46), और उच्च शिक्षा का विनियमन।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

रोहित वेमुला (2016) और पायल तडवी (2019) की मौतों के बाद कैपसों में जातिगत भेदभाव दस्तावेजीकृत हुआ → 2012 के यूजीसी (UGC) समता नियम कमज़ोर पाए गए → यूजीसी (UGC) के 2026 के जाति-समता नियम → उच्च-जाति समूहों का विरोध, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन → आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के छात्र की मृत्यु ने मांग को पुनर्जीवित किया → केंद्र ने नियमों के विरोधियों से वार्ता शुरू की

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. संविधान अस्पृश्यता को केवल असमानता नहीं, अपराध मानता है — अनुच्छेद 15(1) (Article 15(1)) राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, और अनुच्छेद 15(2) इसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच तक विस्तारित करता है। अनुच्छेद 17 (Article 17) अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है, तथा इससे उत्पन्न किसी भी नियोग्यता के प्रवर्तन को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है। अनुच्छेद 46 (Article 46), एक निदेशक तत्व, राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 15(5) (Article 15(5)), जो 93वें संशोधन, 2005 (93rd Amendment, 2005) द्वारा जोड़ा गया, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की अनुमति देता है।
2. अत्याचार अधिनियम (Atrocities Act) केवल हिंसा नहीं, अपमान और अपमानजनक व्यवहार तक भी पहुंचता है — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989) इन समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करता है, जिसमें सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी, तथा जातिगत नाम से गाली देना शामिल है। 2015 के संशोधन ने अपराधों की सूची का विस्तार किया और विशेष अदालतें (Exclusive Special Courts) बनाईं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुभाष काशीनाथ महाजन (Subhash Kashinath Mahajan, 2018) मामले में गिरफ्तारी प्रावधानों को कमज़ोर किए जाने के

बाद, संसद ने 2018 में धारा 18ए (Section 18A) जोड़ी जो अग्रिम जमानत को रोकती है और प्रारंभिक जांच की आवश्यकता को हटाती है, एक परिवर्तन जिसे प्रीत्वी राज चौहान (Prathvi Raj Chauhan, 2020) मामले में बरकरार रखा गया।

3. **यूजीसी (UGC) की कैपस विनियमित करने की शक्ति 1956 के अधिनियम से आती है —** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (University Grants Commission Act, 1956) उच्च शिक्षा में मानकों के समन्वय और रखरखाव के लिए यूजीसी (UGC) की स्थापना करता है, और धारा 26 (Section 26) इसे नियम बनाने का अधिकार देती है। 2012 में इसने यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समता को बढ़ावा) नियम [UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations] अधिसूचित किए, जिसमें संस्थानों को समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करने और भेदभाव-विरोधी अधिकारी नामित करने की आवश्यकता थी। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी रोहित वेमुला, जिनकी 2016 में मृत्यु हुई, और मुंबई की चिकित्सा निवासी पायल तडवी, जिनकी 2019 में मृत्यु हुई, की माताओं ने मजबूत प्रवर्तन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जो नए नियमों की कानूनी पृष्ठभूमि बनी।
4. **कानून में अब आत्महत्या एक सार्वजनिक-स्वास्थ्य मामला है, और दुष्प्रेरण अपराध ही बना रहता है —** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) की धारा 115 (Section 115) यह मानती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा, तथा सरकार को देखभाल और पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण अब भी अपराध है, अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 108 (Section 108) के अंतर्गत, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (Section 306 of the Indian Penal Code) का स्थान लिया। 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्र मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं पर एक राष्ट्रीय कार्यबल (National Task Force) गठित किया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **जाति और शिक्षा एक जीएस1-जीएस2 (GS1-GS2) प्रतिच्छेदन है जिस पर यूपीएससी (UPSC) बार-बार लौटती है —** जीएस1 (GS1) में “सामाजिक सशक्तिकरण” और “भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं” शामिल हैं; जीएस2 (GS2) में “सुभेद्य वर्गों के संरक्षण एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं एवं निकाय” और “शिक्षा से संबंधित मुद्दे” शामिल हैं। यूपीएससी (UPSC) ने पूछा है कि क्या आधुनिक भारत में जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है, और कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद सामाजिक बहिष्करण की निरंतरता के बारे में।
2. **परीक्षक दो-पक्षीय संस्थागत प्रश्न को महत्व देता है —** इस कहानी में परस्पर विरोधी दावे हैं जो प्रत्येक अपने रूप में वैध हैं: एक परिवार जाति उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है, एक संकाय निकाय उचित प्रक्रिया का बचाव कर रहा है, और समूह जो व्यापक भेदभाव नियमों के दुरुपयोग की आशंका रखते हैं। एक मुख्य परीक्षा उत्तर जो तीनों से जुड़ता है, फिर एक ऐसा डिज़ाइन प्रस्तावित करता है जो शिकायतकर्ताओं की रक्षा करते हुए निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है, वही शीर्ष-श्रेणी के उत्तर को अलग बनाता है।
3. **छात्र मानसिक स्वास्थ्य एक उभरता निबंध और नैतिकता (Essay and Ethics) विषय है —** परीक्षा तनाव, संस्थागत उदासीनता और संकाय की भूमिका जीएस4 (GS4) केस स्टडी और शिक्षा तथा युवाओं पर निबंध विषयों के लिए स्वाभाविक सामग्री हैं। कोटा की छात्र आत्महत्याओं और आईआईटी (IIT) मौतों ने इसे एक आवर्ती सार्वजनिक-नीति प्रश्न बना दिया है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 17 (Article 17) अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इससे उत्पन्न किसी भी निर्याग्यता के प्रवर्तन को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है।
- अनुच्छेद 46 (Article 46), एक निदेशक तत्व, राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 15(5) (Article 15(5)), जो 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2005 (93rd Constitutional Amendment Act, 2005) द्वारा डाला गया, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SCs, STs and socially and educationally backward classes) के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
- एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989] की धारा 18ए (Section 18A), जो 2018 में डाली गई, अग्रिम जमानत देने को रोकती है और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच को समाप्त

	करती है। ● भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 108 (Section 108) आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (Section 306 of the Indian Penal Code) के अनुरूप है। ● मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) की धारा 115 (Section 115) आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए गंभीर तनाव की उपधारणा बनाती है और प्रयास के लिए मुकदमे तथा दंड को रोकती है। ● यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समता को बढ़ावा) नियम, 2012 [UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012] में संस्थानों को समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करने और भेदभाव-विरोधी अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता थी।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. संस्थान के पहले बयान ने तथ्य सामने आने से पहले ही कहानी को आकार दे दिया — यह घोषणा करके कि छात्र ने प्रश्नपत्र एक एआई (AI) मंच पर अपलोड किया था, आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) ने किसी भी जांच शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु को उसके अपने कदाचार के इर्द-गिर्द तय कर दिया। छात्रों ने सही ही बताया कि अनुशासनात्मक मामले सामान्यतः गोपनीय होते हैं और छात्र अब जवाब नहीं दे सकता। जाति आरोप की सच्चाई जो भी हो, जो संस्थान मृत छात्र की गलती के बारे में पहले बोलता है वह वह विश्वास खो देता है जो उसे स्वयं की जांच के लिए चाहिए, यही कारण है कि स्वतंत्र जांच की मांग अपरिहार्य थी। 2. केंद्र ने नियमों के विरोधियों से बात की, उनके इच्छित लाभार्थियों से नहीं — द हिंदू की रिपोर्ट दर्ज करती है कि सरकार की वार्ता करणी सेना (Karni Sena) और सवर्ण गठबंधनों से हुई, जिनकी मांग जाति-समता नियमों की पूर्ण वापसी है। उस वार्ता के लिए समाचार-प्रसंग एक दलित छात्र की मृत्यु थी, जो ठीक वही मामला है जिसके लिए ये नियम लिखे गए थे। इससे विरोधियों की चिंताएं अवैध नहीं हो जातीं, लेकिन एक ऐसी सलाह-मशविरा प्रक्रिया जो स्थगित नियम के केवल एक पक्ष को सुनती है, एक ऐसा समझौता उत्पन्न करने का जोखिम उठाती है जिसे सर्वोच्च न्यायालय और प्रभावित छात्र स्वीकार नहीं करेंगे। 3. भेदभाव-विरोधी नियमों पर वास्तविक आपत्ति प्रक्रिया के बारे में है, और इसे पूरा किया जा सकता है — नियमों का विरोध करने वालों को व्यापक परिभाषाओं और एकतरफा शिकायत तंत्रों का डर है जिनका उपयोग संकाय और सामान्य-श्रेणी छात्रों के विरुद्ध किया जा सकता है। इस चिंता का एक प्रक्रियागत उत्तर है, वस्तुगत नहीं: स्पष्ट परिभाषाएं, समयबद्ध जांच, जवाब देने का अधिकार, और सिद्ध झूठी शिकायतों के लिए दंड। नियमों को पूरी तरह वापस लेना कैपसों को 2012 के ढांचे में लौटा देगा, जिसकी कमजोरी ही नए नियमों के मसौदे का कारण थी। 4. मानसिक-स्वास्थ्य सुधार और जाति-विरोधी सुधार को अलग-अलग पटरियों पर चलाया जा रहा है, जो एक गलती है — छात्रों का चार्टर परामर्श, संकाय संवेदनशीलता और संकट पर एक कार्यबल मांगता है; यूजीसी (UGC) बहस भेदभाव के बारे में है। जिस छात्र को जातिगत अपशब्दों और परीक्षा-कक्ष अपमान का सामना करना पड़ता है, वह दोनों को एक साथ अनुभव करता है। जो संस्थान स्वतंत्र शिकायत मार्ग के बिना परामर्श केंद्र स्थापित करते हैं, या मानसिक-स्वास्थ्य सहायता के बिना समता प्रकोष्ठ, वे समस्या के आधे हिस्से का ही समाधान करेंगे। 5. संकाय की उचित प्रक्रिया भी एक अधिकार है, और संकाय मंच (Faculty Forum) इसका आह्वान करने में गलत नहीं है — एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। केवल आरोप पर एक प्राध्यापक को निलंबित करना स्वयं अनुचित हो सकता है, और निदेशक का “हम प्रक्रिया का पालन करेंगे” प्रक्रियागत रूप से सही है। संस्थान की परीक्षा यह है कि क्या वह प्रक्रिया तेज़, स्वतंत्र और पारदर्शी है, ताकि न तो परिवार और न ही आरोपित संकाय सदस्य वर्षों तक संदेह के साये में रहे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“उच्च शिक्षा में जाति भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा उपाय कानून की कमी के कारण कम, विश्वसनीय संस्थागत तंत्रों की कमी के कारण अधिक विफल हुए हैं।” हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. परिचय — जाति उत्पीड़न के आरोपों के बीच एक द्वितीय-वर्ष आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) छात्र की मृत्यु, तथा यूजीसी (UGC) के स्थगित 2026 जाति-समता नियमों की वापसी चाहने वाले समूहों के साथ केंद्र-स्तरीय वार्ता से खोलें। 2. मुख्य भाग — कानूनी ढांचा — अनुच्छेद 15, 17 और 46 (Articles 15, 17 and 46); अत्याचार अधिनियम (Atrocities Act) और धारा 18ए (Section 18A); यूजीसी अधिनियम, 1956 (UGC Act, 1956) और 2012 के समता नियम; धारा 108 बीएनएस (Section 108 BNS); मानसिक

स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम धारा 115 (Mental Healthcare Act Section 115)। दिखाएं कि कानून की कमी नहीं है।

3. **मुख्य भाग — तंत्र क्यों विफल होते हैं** — संस्थाओं की स्वयं की जांच, पूर्वाग्रहित प्रथम बयान, स्वतंत्रता रहित समता प्रकोष्ठ, संकाय एकजुटता, और छात्रों का शैक्षणिक प्रतिशोध का भय। 18-सूत्री चार्टर को इस बात के प्रमाण के रूप में उपयोग करें कि छात्रों को क्या कमी महसूस होती है।
4. **मुख्य भाग — निष्पक्ष-प्रक्रिया संबंधी चिंता** — व्यापक परिभाषाओं और संभावित दुरुपयोग के प्रति आपत्ति, तथा संकाय के उचित प्रक्रिया के अधिकार को स्वीकार करें। तर्क दें कि प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय इसका वापसी की तुलना में बेहतर उत्तर देते हैं।
5. **निष्कर्ष** — बाहरी सदस्यों वाली स्वतंत्र, समयबद्ध जांच निकालें, मानसिक-स्वास्थ्य और भेदभाव-विरोधी सेवाओं के एकीकरण, शिकायतों और परिणामों की वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग, तथा हाशिए के समुदायों के छात्रों और उनके आलोचकों दोनों के साथ सलाह-मशविरा के बाद यूजीसी (UGC) नियमों को अंतिम रूप देने की सिफारिश करें।

प्रश्न 1. आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं, जाति आरोपों के बीच एक छात्र की आत्महत्या के अगली सुबह। आपका पहला सार्वजनिक बयान क्या है?

दृष्टिकोण (Approach): शोक व्यक्त करें, छात्र के आचरण पर टिप्पणी किए बिना मृत्यु के तथ्यों की पुष्टि करें, और घोषणा करें कि बाहरी सदस्यों वाली एक स्वतंत्र समिति निर्धारित समय के भीतर जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। कहें कि संस्थान पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करेगा। अनुशासनात्मक मामलों के बारे में कोई जानकारी जारी न करें, जो गोपनीय हैं और जिनका छात्र अब जवाब नहीं दे सकता। पहला बयान यह तय करता है कि कैपस जांच पर भरोसा करेगा या नहीं; इसे संस्थान की प्रतिष्ठा की नहीं, प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए।

प्रश्न 2. कुलपति के रूप में, संकाय आपसे एफआईआर (FIR) में नामित एक सहयोगी की रक्षा करने की मांग करता है जबकि छात्र उसके निलंबन की मांग करते हैं। आप क्या करते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): प्रशासनिक प्रश्न को आपराधिक प्रश्न से अलग करें। पुलिस जांच स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी; विश्वविद्यालय का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच और आंतरिक पृष्ठताछ प्रभावित न हों। शिकायतकर्ता की बैच से जुड़े शिक्षण और परीक्षा कर्तव्यों से संकाय सदस्य को हटाना, बिना दंडात्मक निलंबन के, प्रक्रिया और उनके अधिकार दोनों की रक्षा कर सकता है। निर्णय को दोनों पक्षों को लिखित रूप में समझाएं, ताकि किसी को न लगे कि यह दबाव में लिया गया।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार में: क्या विश्वविद्यालयों में भेदभाव-विरोधी नियमों को सामान्य-श्रेणी छात्रों के विरुद्ध भेदभाव को भी कवर करना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): गरिमा की रक्षा करने वाला नियम सिद्धांततः सभी की रक्षा करना चाहिए, और एक सार्वभौमिक परिभाषा इस आरोप को कुंद कर देगी कि नियम एकतरफा हैं। लेकिन नियमों को यह भी पहचानना चाहिए कि भारत में जातिगत भेदभाव की एक विशिष्ट ऐतिहासिक दिशा है, यही कारण है कि अनुच्छेद 17 (Article 17) और अत्याचार अधिनियम (Atrocities Act) मौजूद हैं। एक समझदार डिजाइन में सभी के लिए एक सामान्य उत्पीड़न-विरोधी ढांचा होगा, साथ ही एससी और एसटी (SC and ST) छात्रों के जाति-आधारित अपमान को पहचानने वाले विशिष्ट प्रावधान। दोनों लक्ष्यों को बिना किसी को कमजोर किए पूरा किया जा सकता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

8.2 पेपर लीक के चार साल बाद राजस्थान ने 2021 उप-निरीक्षक परीक्षा दोबारा कराई, परीक्षा अखंडता राजनीतिक बनी

समाचार (THE NEWS) जयपुर, लखनऊ और नई दिल्ली। राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती पुनर्परीक्षा 2021 (Rajasthan Police Sub-Inspector and Platoon Commander Recruitment Re-examination 2021) रविवार को 11 जिलों में कड़ी सुरक्षा के तहत आयोजित की गई, पीटीआई (PTI) ने द हिंदू में रिपोर्ट किया। पुनर्परीक्षा के लिए कुल 2,18,114 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, जो 666 केंद्रों पर आयोजित हुई; उम्मीदवारों को प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन, चेहरा-पहचान और तलाशी से गुजरना पड़ा। यह पुनर्परीक्षा मूल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक — परीक्षा से पहले प्रश्नपत्रों का अनधिकृत प्रकटीकरण — के कारण रद्द होने के चार साल बाद हुई। उसी दिन लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यू.पी. पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (U.P. Police Recruitment and Promotion Board) के माध्यम से चयनित 912 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, और कहा कि 2017 से पहले भर्ती सिफारिशों, अवैध लेन-देन, पेपर लीक और भेदभाव से ग्रस्त थी, जबकि उनकी सरकार ने इसे पारदर्शी और योग्यता-आधारित बनाया है। उन्होंने कहा कि 2017 से राज्य सरकार में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को अवसर दिए गए हैं और 1 लाख और को छह महीनों के भीतर नियुक्ति पत्र मिलेंगे। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि युवाओं को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और “आरक्षण छीन लिया गया है”; यू.पी. विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाला है। द

इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हुए, अर्थशास्त्री रजत कथूरिया, शिव नाडर विश्वविद्यालय (Shiv Nadar University) के प्रो वाइस-चांसलर, ने तर्क दिया कि ऐसी शिकायतें अंततः चुनावी वज़न प्राप्त कर सकती हैं। अर्थशास्त्री अल्बर्ट हर्शमन (Albert Hirschman) के “निकास और आवाज़” (exit and voice) विचार पर आधारित — जब कोई सेवा बिगड़ती है, तो उपयोगकर्ता या तो शिकायत करते हैं (आवाज़) या उसे छोड़कर विकल्प अपनाते हैं (निकास) — उन्होंने बताया कि भारत में निजी निकास की असाधारण क्षमता है: इन्वर्टर, बोरवेल, निजी स्कूल, निजी क्लिनिक। जिन सेवाओं का मध्यम वर्ग अब भी उपयोग करता है, जैसे पासपोर्ट और रेलवे आरक्षण, में प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में अधिक मज़बूत सुधार देखा गया, जिससे संपन्न परिवार बाहर निकल गए। सरकारें, उन्होंने तर्क दिया, उन लाभों से स्पष्ट चुनावी प्रतिफल कमाती हैं जो दृश्यमान और श्रेय देने योग्य होते हैं — पाइप से पानी, एलपीजी (LPG), बिजली, शौचालय, नकद — जो “प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद” (competitive welfarism) की व्याख्या करता है। कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) से जुड़ा आंदोलन, जो प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक पर केंद्रित है, महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा एक आश्वासन देती है: उससे पहले चाहे जो भी असमानताएं हों, चयन के नियम निष्पक्ष होंगे। पेपर लीक इस आश्वासन को इस तरह तोड़ता है जिसे समझाना कठिन है। पाठ्यक्रम संबंध: सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता पर अनुच्छेद 16 (Article 16), और शासन एवं जवाबदेही पर जीएस2 (GS2)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दुर्लभ सरकारी नौकरियां लाखों आवेदकों को आकर्षित करती हैं → संगठित पेपर-लीक नेटवर्क उच्च-दांव वाली परीक्षाओं को निशाना बनाते हैं → रद्दीकरण से करियर वर्षों तक विलंबित होते हैं → बायोमेट्रिक और चेहरा-पहचान जांच के तहत पुनर्परीक्षाएं → परीक्षा निष्पक्षता सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों दलों के लिए एक अभियान विषय बनती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- अनुच्छेद 16 (Article 16) निष्पक्ष भर्ती को एक मौलिक अधिकार बनाता है** — अनुच्छेद 16(1) (Article 16(1)) राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 16(2) ऐसे नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। एक समझौता की गई परीक्षा इस गारंटी का सीधे उल्लंघन करती है, क्योंकि चयन योग्यता पर आधारित नहीं रह जाता। इसलिए अदालतों ने पूरी परीक्षाओं के रद्दीकरण को बरकरार रखा है जहां लीक ने दूषित और अदूषित उम्मीदवारों को अलग करना असंभव बना दिया।
- लोक सेवा आयोग भर्ती अधिदेश वाली संवैधानिक संस्थाएं हैं** — अनुच्छेद 315 से 323 (Articles 315 to 323) संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) और राज्य लोक सेवा आयोगों (State Public Service Commissions) का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 320 (Article 320) उन्हें संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने, और भर्ती तथा अनुशासनात्मक मामलों के तरीकों पर सलाह देने का कर्तव्य सौंपता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 317 (Article 317) के तहत कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद।
- संसद ने 2024 में एक केंद्रीय पेपर-लीक विरोधी कानून बनाया** — लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024] यूपीएससी (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission), रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Boards), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency), और केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। अपराध सज्जेय, गैर-जमानती और गैर-शर्माणीय हैं। यह अनुचित साधनों के लिए तीन से पांच वर्ष का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना, तथा किसी परीक्षा से जुड़े संगठित अपराध के लिए पांच से दस वर्ष का कारावास और कम से कम ₹1 करोड़ का जुर्माना प्रदान करता है। राजस्थान सहित कई राज्यों के अपने राज्य-स्तरीय परीक्षाओं के लिए अपने कानून हैं।
- हर्शमन (Hirschman) का ढांचा लोक नीति में एक मानक दृष्टिकोण है** — अल्बर्ट ओ. हर्शमन (Albert O. Hirschman) की पुस्तक एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी (Exit, Voice, and Loyalty, 1970) में तर्क दिया गया कि किसी संगठन के सदस्य घटती गुणवत्ता पर या तो छोड़कर (निकास) या शिकायत करके (आवाज़) परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, और सबसे गुणवत्ता-सचेत उपयोगकर्ताओं के लिए आसान निकास आवाज़ को कमज़ोर कर सकता है। सार्वजनिक सेवाओं पर लागू करते हुए, यह बताता है कि मध्यम वर्ग द्वारा छोड़ी गई सेवाएं और भी बिगड़ती क्यों हैं। प्रथम (Pratham) की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट [Annual Status of Education Report (ASER)], जो 2005 से प्रकाशित हो रही है, सीखने के परिणामों पर सबसे प्रसिद्ध दीर्घकालिक शृंखला है जिसका ओप-एड में उल्लेख किया गया है।
- एनईईटी-यूजी 2024 (NEET-UG 2024) के बाद से परीक्षा अखंडता एक सजीव शासन विषय बन गई है** — एनईईटी-यूजी 2024 (NEET-UG 2024) विवाद के बाद, केंद्र ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) में सुधार के लिए पूर्व इसरो (ISRO) अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की, और संसद ने 2024 का अनुचित-साधन-विरोधी अधिनियम पारित किया। यूपीएससी (UPSC) अधिनियम के दायरे पर, लोक सेवा आयोगों के कार्यों पर और परीक्षण एजेंसियों के संस्थागत सुधार पर प्रश्न तैयार कर सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

2. कल्याण राजनीति और सेवा वितरण आवर्ती जीएस2 और निबंध (GS2 and Essay) विषय हैं — पाठ्यक्रम में “विकास हेतु सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप”, “सुभेद्य वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं” और “पारदर्शिता और जवाबदेही” नामित हैं। निबंध प्रश्नपत्रों में लोकतंत्र और विकास के बीच संबंध पर पूछा गया है; निकास-आवाज़ विचार और “प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद” ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार विश्लेषणात्मक उपकरण हैं।

- अनुच्छेद 16(1) (Article 16(1)) राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 320 (Article 320) यूपीएससी (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्यों को निर्धारित करता है, जिसमें सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना शामिल है।
- अनुच्छेद 317 (Article 317) के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, कदाचार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद।
- लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024] यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए (UPSC, SSC, RRBs, IBPS, NTA) और केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कवर करता है।
- लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं; संगठित पेपर-लीक अपराध में पांच से दस वर्ष का कारावास और कम से कम ₹1 करोड़ का जुर्माना है।
- घटती गुणवत्ता की प्रतिक्रिया के रूप में “निकास” (exit) और “आवाज़” (voice) की अवधारणा अर्थशास्त्री अल्बर्ट ओ. हर्शमन (Albert O. Hirschman) की 1970 की पुस्तक एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी (Exit, Voice, and Loyalty) से जुड़ी है।
- वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट [Annual Status of Education Report (ASER)] एनजीओ प्रथम (Pratham) द्वारा सुगम बच्चों के सीखने के परिणामों का एक घर-आधारित सर्वेक्षण है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. चार साल की पुनर्परीक्षा ईमानदार उम्मीदवार के लिए उपाय जितनी ही एक सज़ा है** — एक समझौता की गई परीक्षा को रद्द करना अनुच्छेद 16 (Article 16) के सिद्धांत की रक्षा करता है, लेकिन रविवार की पुनर्परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले 2,18,114 लोगों ने चार साल की आयु-पात्रता, आय और करियर प्रगति खो दी है। इसलिए लीक की कीमत उन पर सबसे भारी पड़ती है जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि लीक के आयोजकों पर मुकदमा अक्सर धीमी गति से चलता है। पेपर-लीक विरोधी नीति का कोई भी ईमानदार मूल्यांकन लीक से ताज़ा परिणाम तक के समय को मापना चाहिए, न कि केवल की गई गिरफ्तारियों को।
- 2. गेट पर तकनीक लक्षण का इलाज करती है, स्रोत का नहीं** — बायोमेट्रिक, चेहरा-पहचान और तलाशी हॉल में प्रतिरूपण और उपकरणों को रोकते हैं, लेकिन अधिकांश बड़े लीक अपस्ट्रीम से शुरू होते हैं — प्रिंटिंग प्रेस पर, परिवहन में, या पहुंच रखने वाले अंदरूनी लोगों के बीच। 666 केंद्रों पर सुरक्षा दृश्यमान और आश्वस्त करने वाली है; परीक्षा से पहले हिरासत-शृंखला की सुरक्षा अदृश्य और अधिक कठिन है। निवेश को लीक बिंदुओं का अनुसरण करना चाहिए, जो आमतौर पर आपूर्ति शृंखला में स्थित होते हैं।
- 3. कथुरिया का तर्क बताता है कि भर्ती संबंधी शिकायतें अब अभियान सामग्री क्यों हैं** — उनका केंद्रीय दावा है कि एक सार्वजनिक सेवा चुनावी रूप से तभी मायने रखती है जब उसकी विफलता दृश्यमान, श्रेय-योग्य और सुस्पष्ट हो। पेपर लीक तीनों शर्तों को पूरा करते हैं: उनकी रिपोर्ट होती है, दोष सौंपा जा सकता है, और वे उन परिवारों को छूते हैं जिन्होंने तैयारी में वर्षों निवेश किया है। उत्तर प्रदेश का आदान-प्रदान — 9.5 लाख नौकरियों का दावा बनाम “आरक्षण छीना गया” — ठीक वही संप्रेषण तंत्र है जिसका वे वर्णन करते हैं, दोनों पक्ष चुनाव से एक वर्ष पहले निष्पक्ष भर्ती को एक वोट-जीतने वाला मुद्दा मान रहे हैं।
- 4. प्रति-दृष्टिकोण: परीक्षा निष्पक्षता स्कूलों में सुधार किए बिना भी सुस्पष्ट हो सकती है** — परीक्षाएं सार्वजनिक शिक्षा का एक संकीर्ण हिस्सा हैं। लोक के विरुद्ध लामबंद होने वाले मतदाता बड़े पैमाने पर दुर्लभ नौकरियों के आकांक्षी हैं, न कि विफल प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के अभिभावक, जिनके बारे में प्रथम (Pratham) के आंकड़े दशकों से बहुत कम राजनीतिक प्रभाव के साथ बता रहे हैं। परीक्षा राजनीति सख्त कानून और अधिक निगरानी उत्पन्न कर सकती है जबकि गहरी सीखने की समस्या को अच्छा छोड़ सकती है। यह सीमित करता है कि ओप-एंड का आशावाद कितना दूर तक फैलाया जा सकता है।

	5. दृश्यमान कल्याण अदृश्य गुणवत्ता को दबा देता है, और यह एक डिज़ाइन समस्या है, नैतिक नहीं — यदि सरकारों को उन वस्तुओं के लिए पुरस्कृत किया जाता है जिन्हें परिवार देख सकते हैं और श्रेय दे सकते हैं — गैस कनेक्शन, नकद हस्तांतरण — तो वे शिक्षक गुणवत्ता, स्वच्छ हवा या विश्वसनीय परीक्षण में, जिनके लाभ फैले हुए होते हैं, तर्कसंगत रूप से कम निवेश करेंगी। सुधारात्मक उपाय गुणवत्ता को दृश्यमान बनाना है: स्कूल-वार सीखने के परिणाम प्रकाशित करना, परीक्षा-अखंडता लेखापरीक्षा, और भर्ती के लिए समय-सीमाएं। जानकारी ही वह लुप्त कड़ी है जिसका ओप-एंड वर्णन करता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“विफल सार्वजनिक सेवाओं से निजी निकास उन्हें सुधारने के लोकतांत्रिक दबाव को कमज़ोर करता है।” भारत के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए, और जांच कीजिए कि क्या परीक्षा पेपर लीक पर हाल के विवाद इस पैटर्न को बदल सकते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. परिचय — हर्शमन (Hirschman) के अर्थ में एक वाक्य में निकास और आवाज़ को परिभाषित करें और मूल परीक्षा के पेपर लीक के कारण रद्द होने के चार साल बाद आयोजित राजस्थान एसआई (SI) पुनर्परीक्षा में प्रश्न को स्थापित करें। 2. मुख्य भाग — निकास आवाज़ को कैसे कमज़ोर करता है — निजी विकल्पों के उदाहरण: इन्वर्टर, बोरवेल, निजी स्कूल और क्लिनिक। पासपोर्ट और रेलवे सेवाओं की तुलना करें, जिनका मध्यम वर्ग अब भी उपयोग करता है और जो सुधरी हैं, प्रारंभिक शिक्षा के साथ, जिसे उसने काफी हद तक छोड़ दिया। 3. मुख्य भाग — कल्याण राजनीति दृश्यमान वस्तुओं का पक्ष क्यों लेती है — एलपीजी, पाइप से पानी और नकद हस्तांतरण (LPG, piped water and cash transfers) जैसे दृश्यमान, श्रेय-योग्य लाभ चुनावी श्रेय कमाते हैं, जो प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद की व्याख्या करता है; स्कूल गुणवत्ता और स्वच्छ हवा जैसी फैली हुई वस्तुएं ऐसा नहीं करती। 4. मुख्य भाग — संभावित अपवाद के रूप में पेपर लीक, और उसकी सीमाएं — समझाएं कि लीक अनुच्छेद 16 (Article 16) का उल्लंघन क्यों करता है और सुस्पष्ट, श्रेय-योग्य तथा व्यापक रूप से महसूस किया जाने वाला क्यों है; 2024 के केंद्रीय अधिनियम और यूपी (UP) भर्ती आदान-प्रदान का हवाला दें। प्रति-दृष्टिकोण जोड़ें कि परीक्षा राजनीति शायद सीखने की समस्या तक न पहुंचे। 5. निष्कर्ष — तर्क दें कि जानकारी ही मूल उपकरण है: स्कूल-स्तरीय सीखने के आंकड़े प्रकाशित करना, परीक्षाओं की स्वतंत्र लेखापरीक्षा और समयबद्ध भर्ती कैलेंडर गुणवत्ता को कल्याण जितना ही दृश्यमान बना सकते हैं, और इसलिए चुनावी रूप से पुरस्कृत।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक लीक के बाद 60 पुनर्परीक्षा केंद्रों वाले जिले के कलेक्टर हैं। आप किसे प्राथमिकता देते हैं? दृष्टिकोण (Approach): परीक्षा से पहले की हिरासत-श्रृंखला, न कि केवल गेट। मैं व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करूंगा कि पेपर जिले तक कैसे पहुंचते हैं, उन्हें रात भर कहाँ संग्रहीत किया जाता है, किसके पास चाबियाँ हैं और खोलना कैसे दर्ज किया जाता है, हर चरण पर वीडियो और दोहरी हिरासत के साथ। केंद्रों पर, बायोमेट्रिक और तलाशी जांच मायने रखती है, लेकिन साथ ही निगरानीकर्ताओं का यादृच्छिक पुनःआवंटन और कर्मचारियों के लिए फोन पर प्रतिबंध जैसे सरल उपाय भी। परीक्षा के बाद, मैं किसी भी अनियमितता की लिखित रिपोर्ट घंटों के भीतर भेजूंगा, क्योंकि प्रकटीकरण की गति ही परीक्षा की रक्षा करती है यदि कोई समस्या होती है। प्रश्न 2. एक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, आप लीक और ताज़ा परिणाम के बीच का समय कैसे कम करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): हर बड़ी परीक्षा के लिए एक स्टैंडबाय प्रश्नपत्र सेट रखें, अलग से मुद्रित और सुरक्षित, ताकि पुनर्परीक्षा वर्षों के बजाय हफ्तों के भीतर आयोजित की जा सके। रद्द करने के निर्णय को आपराधिक जांच से अलग करें, जो समानांतर में आगे बढ़ सकती है। प्रत्येक चरण के लिए निश्चित तिथियों के साथ एक भर्ती कैलेंडर प्रकाशित करें और किसी भी विलंब पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करें। उम्मीदवार पुनर्परीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं; जो भरोसा तोड़ता है वह वर्षों की अनिश्चितता है। प्रश्न 3. एक साक्षात्कार में: क्या नकद हस्तांतरण और दृश्यमान कल्याण दीर्घकालिक सार्वजनिक निवेश के लिए खतरा है? दृष्टिकोण (Approach): स्वाभाविक रूप से नहीं। नकद हस्तांतरण और घरेलू परिसंपत्तियों ने वास्तविक कल्याण लाभ दिए हैं, और उन्हें मात्र लोकलुभावनवाद कहकर खारिज करना गलत है। जोखिम असंतुलन में है: जब केवल दृश्यमान वस्तुओं को पुरस्कृत किया जाता है, तो सरकारें शिक्षा गुणवत्ता, स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों में कम निवेश करती हैं। उत्तर उन निवेशों को

प्रकाशित परिणामों के माध्यम से दृश्यमान बनाना और पूंजी तथा गुणवत्ता व्यय की रक्षा करने वाले राजकोषीय नियम बनाना है, न कि कल्याण को सीमित करना।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

दोनों खबरें एक ही बदलाव के बारे में हैं: सुरक्षा बल अब विरोधी के पसंदीदा मैदान पर लड़ना सीख रहे हैं। पीर पंजाल (Pir Panjal) में, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहाड़ों में आतंकवादियों का पीछा करना छोड़कर उन्हीं में रहना शुरू कर दिया है; सेना की नई AASHVAST प्रयोगशालाओं में, इंजीनियरों ने ड्रोन के इनवॉइस पर भरोसा करना छोड़कर उसका फर्मवेयर (firmware) पढ़ना शुरू कर दिया है। अब फायरपावर नहीं, बल्कि दृढ़ता (persistence) और सत्यापन (verification) नए लाभ हैं।

9.1 अस्थायी परिचालन ठिकानों (Temporary Operational Bases) से बलों ने पीर पंजाल पर कब्जा बनाए रखा और आतंकी आवाजाही रोकी

समाचार (THE NEWS) श्रीनगर / जम्मू — 4 सितंबर को, कश्मीर को जम्मू के पुंछ से जोड़ने वाली पीर पंजाल पर्वतमाला के ऊपरी हिस्सों में स्थित अशदर गली (Ashdar Gali) में, सेना, उसकी विशिष्ट पैरा फोर्स (para forces), जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टुकड़ियों के चार महीने के प्रयास के बाद लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Toiba, LeT) के एक आतंकवादी को मार गिराया गया, द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) ने रिपोर्ट किया (बंशारत मसूद और अरुण शर्मा)। यह अभियान पिछले तीन वर्षों में आई “कई असफलताओं” के बाद दृष्टिकोण में आए बदलाव का प्रतीक था: बलों ने अस्थायी परिचालन ठिकाने (Temporary Operational Base, TOB) से काम किया — यानी एक अग्रिम शिविर जो सैनिकों को छापा मारकर वापस लौटने के बजाय पहाड़ों में ही टिके रहने देता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह कठिन पहाड़ी इलाके में अधिक स्थायी मौजूदगी बनाए रखने की एक अस्थायी व्यवस्था है,” और बताया कि बल अब 10 दिन से लेकर कई महीनों तक तैनात रहते हैं, जहां उपलब्ध हो वहां गुज्जर धोक (Gujjar dhok, झोपड़ी) या गुफा को शरण-स्थल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अन्यथा घने जंगल से काम करते हैं। पहाड़ों को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है: सेना के पैराट्रूपर्स (paratroopers) ऊपरी हिस्सों को संभालते हैं और बड़े इलाकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं; मध्य क्षेत्र में सेना का आतंकवाद-रोधी बल राष्ट्रीय राइफल्स (Rashtriya Rifles), या जम्मू-कश्मीर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमें तैनात हैं; निचले हिस्से आमतौर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पास हैं। पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम हमले, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति मारे गए थे, के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अपने विशेष अभियान समूह (Special Operations Group) के भीतर नई विशिष्ट इकाइयां खड़ी कीं — ‘स्नो लेपर्ड्स’ (Snow Leopards), जो उच्च-ऊंचाई वाले शीतकालीन युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं, और ‘मार्खोर’ (Markhor), जो घने जंगलों में गोलीबारी के लिए प्रशिक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को ऊंचाई पर बढ़त हासिल थी, जिनमें स्थिर मोर्चे (vantage points) और अमेरिकी M4 कार्बाइन शामिल थे; विशेष बल अब तुलनीय हथियार और नाइट-विजन उपकरण रखते हैं। पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से अलग करता है: इसके दक्षिण में पुंछ और राजौरी हैं, जो नियंत्रण रेखा (Line of Control) से जुड़े हैं; यह कश्मीर को चिनाब घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों से भी जोड़ता है, और गुलमर्ग व बारामूला तक फैला है। पुंछ-राजौरी अक्ष को 2003 में शुरू किए गए ऑपरेशन सर्प विनाश (Operation Sarp Vinash) के तहत साफ किया गया था, और 2012 में आतंकवाद-मुक्त घोषित किया गया था। पहले, पर्वतमाला के एक तरफ दबाव आतंकवादियों को दूसरी तरफ धकेल देता था; “खुफिया इनपुट और जमीनी स्थिति के विश्लेषण” के आधार पर बनाए गए TOB इस फायदे को खत्म कर देते हैं। अधिकांश TOB कुछ हफ्तों तक चलते हैं; दूधपथरी घास के मैदान (Doodhpathri meadow) के ऊपर स्थित अशदर गली वाला TOB महीनों से बना हुआ है। अधिकारी अब भी बदलते ओवरग्राउंड वर्कर (overground worker) नेटवर्क और नए ठिकानों की ओर इशारा करते हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2012 में पुंछ-राजौरी को आतंकवाद-मुक्त घोषित किया गया → आतंकवाद वापस पीर पंजाल के जंगली रास्तों की ओर मुड़ता है → छापा-मारो-और-लौटो अभियानों में बलों को असफलताएं मिलती हैं → पहलगाम हमला नई SOG इकाइयों और सतत मौजूदगी के सिद्धांत को जन्म देता है → TOB आतंकवादियों से पर्वतमाला पार भागने का रास्ता छीन लेते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. पीर पंजाल जम्मू और घाटी के बीच की दीवार है — पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न (मध्य) हिमालय (Lesser/Middle Himalaya) का हिस्सा है, जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर फैली है और कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से अलग करती है। इसे पार करने वाले दर्रा और मार्गों में बनिहाल दर्रा (Banihal pass) शामिल है, जिसे जवाहर सुरंग (Jawahar tunnel) और नई बनिहाल-काजीगुंड सुरंग (Banihal-Qazigund tunnel) बायपास करती हैं, और शोपियां को पुंछ-राजौरी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड (Mughal Road) पर स्थित पीर की गली (Pir ki Gali) भी शामिल है। पर्वतमाला के दक्षिण में, पुंछ और राजौरी नियंत्रण रेखा से लगते हैं, जिससे ये जंगल घुसपैठियों के लिए पारगमन क्षेत्र (transit zone) बन जाते हैं।
2. राष्ट्रीय राइफल्स सेना से बना एक आतंकवाद-रोधी बल है — राष्ट्रीय राइफल्स (Rashtriya Rifles) 1990 में जम्मू और कश्मीर के लिए एक समर्पित आतंकवाद-रोधी बल के रूप में खड़ी की गई थी। इसके जवान सेना की विभिन्न रेजिमेंटों और शाखाओं से प्रतिनियुक्ति (deputation) पर आते हैं, और यह रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के अधीन कार्य करती है। इससे नियमित सेना नियंत्रण रेखा पर ध्यान केंद्रित कर पाती है, जबकि RR भीतरी इलाकों को संभालती है।
3. व्यवहार में जम्मू-कश्मीर में पुलिसिंग अब एक संघीय (Union) विषय है — जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (Jammu and Kashmir Reorganisation Act), 2019 के तहत, जम्मू-कश्मीर विधानमंडल वाला एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन ‘लोक व्यवस्था’ (public order) और ‘पुलिस’ अब भी केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) के अधीन काम करने वाले उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के पास हैं। विशेष अभियान समूह (Special

	Operations Group) जम्मू-कश्मीर पुलिस की आतंकवाद-रोधी शाखा है। संयुक्त अभियानों का समन्वय एकीकृत मुख्यालय (Unified Headquarters) के जरिये होता है, जो सेना, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों को एक साथ लाता है। 4. अभियानों का कानूनी आधार AFSPA और UAPA है — सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम (Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act), 1990 सशस्त्र बलों को 'अशांत क्षेत्रों' (disturbed areas) में तलाशी, गिरफ्तारी और बल प्रयोग के अधिकार देता है। लश्कर-ए-तैयबा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act), 1967 की पहली अनुसूची (First Schedule) में सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। ओवरग्राउंड वर्कर — यानी हथियार न उठाने वाले वे लोग जो आतंकवादियों को शरण, साजो-सामान और जानकारी देते हैं — पर UAPA के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों और उनके प्रबंधन के बारे में पूछता है — पाठ्यक्रम में 'सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन' तथा 'संगठित अपराध का आतंकवाद से जुड़ाव' शामिल है। UPSC जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की भूमिका और नियंत्रण रेखा (LoC) के आर-पार घुसपैठ के बारे में पूछ चुका है। 2. भूगोल के सवाल सुरक्षा से जुड़ी सुर्खियों के पीछे-पीछे आते हैं — प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) नियमित रूप से हिमालयी पर्वतमालाओं और दरों की परीक्षा लेती है। पीर पंजाल, बनिहाल और पुंछ, राजौरी, डोडा तथा किश्तवाड़ जिले संभावित मानचित्र-आधारित प्रश्न हो सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न (मध्य) हिमालय का हिस्सा है और कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से अलग करती है। ● राष्ट्रीय राइफल्स को 1990 में रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय सेना के एक आतंकवाद-रोधी बल के रूप में खड़ा किया गया था। ● मुगल रोड पीर पंजाल को पीर की गली पर पार करती है, जो कश्मीर के शोपियां को जम्मू के पुंछ और राजौरी से जोड़ती है। ● जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुलिस और लोक व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन उपराज्यपाल के पास हैं। ● लश्कर-ए-तैयबा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ● सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम 1990 में लागू किया गया था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. पहाड़ी आतंकवाद-रोधी अभियानों में गति नहीं, दृढ़ता जीतती है — पुराना तरीका — अभियान शुरू करो, तलाशी लो, वापस लौट जाओ — इलाके को जानने वाले आतंकवादियों को बलों से ज्यादा देर टिकने का मौका देता था। TOB इसे उलट देता है: बल स्थायी मौजूदगी बन जाते हैं और आतंकवादी मेहमान। हफ्तों या महीनों तक टिके रहने में साजो-सामान और थकान की अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इससे आतंकवादियों को आराम और आपूर्ति नहीं मिलती। चार महीने बाद अशदर गली में मिला नतीजा दिखाता है कि धैर्य कोई उप-उत्पाद नहीं, बल्कि खुद सिद्धांत है। 2. असली लक्ष्य आवाजाही है, संख्या नहीं — अधिकारियों की मुख्य बात यह है कि पर्वतमाला के दक्षिण में दबाव आतंकवादियों को उत्तर की ओर धकेलता था और इसका उल्टा भी होता था। दोनों तरफ के रास्तों पर कब्जा रखकर, TOB पर्वतमाला को एक गलियारे से जाल में बदल देते हैं। इससे सफलता का पैमाना केवल मारे गए आतंकवादियों की संख्या नहीं, बल्कि पुंछ-राजौरी में घटी आवाजाही और कम हमले बन जाता है। जो पैमाने सिर्फ हत्याओं को इनाम देते हैं, वे अभियानों को विकृत कर सकते हैं; जो पैमाने आवाजाही रोकने को इनाम देते हैं, वे ऐसा नहीं करते। 3. परतदार तैनाती बलों को इलाके के अनुरूप बनाती है — सबसे ऊपर पैराट्रूपर्स, बीच में राष्ट्रीय राइफल्स या संयुक्त टीमें और सबसे नीचे पुलिस — यह श्रम का एक समझौदा भरा विभाजन है। सबसे ऊंचे इलाकों को सबसे बेहतर प्रशिक्षित और सुसज्जित सैनिकों की जरूरत है, जबकि निचले हिस्सों को स्थानीय जानकारी और खुफिया सूचना की जरूरत है, जो केवल पुलिस के पास है। स्नो लेपड्स और मार्खोर का गठन दिखाता है कि पुलिस भी ऊंचे इलाकों में आगे बढ़ रही है। जोखिम यह है कि परतों के बीच समन्वय टूट सकता है; एकीकृत मुख्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचना आतंकवादियों की चाल से तेज पहुंचे। 4. कमजोर कड़ी अब भी समर्थन नेटवर्क ही है — अधिकारी मानते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क

	लगातार बदलते रहते हैं और नए ठिकाने सामने आते रहते हैं। पहाड़ों में सैन्य मौजूदगी अकेले नीचे के गांवों से मिलने वाले भोजन, शरण और सूचना को नहीं रोक सकती। इसलिए गुज्जर और बकरवाल समुदायों — जिनके ढोक बल इस्तेमाल करते हैं — के साथ संबंध निर्णायक हैं। अगर इन समुदायों को लगे कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है या उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो बल उस खुफिया जानकारी को गंवा देंगे जिस पर TOB की तैनाती निर्भर करती है। 5. विपरीत दृष्टिकोण: लंबी तैनाती की मानवीय कीमत भी है — महीनों तक जंगलों और गुफाओं में रहने वाले सैनिकों को थकान, मौसम और अलगाव का सामना करना पड़ता है, और हाल के वर्षों की असफलताओं में घात लगाकर हमलों (ambushes) में सैनिकों की जान जाना भी शामिल है। सतत मौजूदगी स्थानीय लोगों के साथ टकराव की आशंका भी बढ़ाती है। यह दृष्टिकोण सही है, लेकिन इसे चक्रीकरण (rotation), चिकित्सा निकासी (medical evacuation), ड्रोन और संचार से सहारा मिलना चाहिए, ताकि यह सिर्फ अधिक सैनिकों को अधिक समय तक जोखिम में न डाले।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“पहाड़ी इलाकों में, आमतौर पर वही पक्ष जीतता है जो सबसे लंबे समय तक टिका रहता है।” जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में बदलती आतंकवाद-रोधी रणनीति और उसकी सीमाओं की जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — चार महीने के प्रयास के बाद 4 सितंबर को हुए अशदर गली अभियान से शुरुआत करें और अस्थायी परिचालन ठिकानों (Temporary Operational Bases) को परिभाषित करें। 2. मुख्य भाग — पीर पंजाल क्यों महत्वपूर्ण है — भूगोल: कश्मीर, पुंछ-राजौरी और चिनाब घाटी के बीच की कड़ी; नियंत्रण रेखा से निकटता; घने जंगल; ऑपरेशन संप विनाश का इतिहास और 2012 की आतंकवाद-मुक्त घोषणा। 3. मुख्य भाग — नई रणनीति — TOB के जरिये सतत मौजूदगी, तीन-स्तरीय तैनाती, SOG की स्नो लेपड्स और माखौर इकाइयां, ड्रोन, नाइट-विजन और बेहतर हथियार। 4. मुख्य भाग — सीमाएं — बदलते ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क, स्थानीय समुदायों पर निर्भरता, सैनिकों पर दबाव, एकीकृत मुख्यालय के जरिये समन्वय की जरूरत। 5. निष्कर्ष — यह तर्क दें कि लाभ को टिकाऊ बनाने के लिए सैन्य दृढ़ता को खुफिया जानकारी, सामुदायिक भरोसे और विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. पुंछ के SSP के रूप में, TOB रणनीति के समर्थन के लिए आप किसे प्राथमिकता देंगे? दृष्टिकोण (Approach): TOB की तैनाती के लिए गांवों से मिलने वाली खुफिया जानकारी सबसे मूल इनपुट है, इसलिए मैं सामुदायिक पुलिसिंग (community policing) और गुज्जर व बकरवाल समुदायों के साथ भरोसे को मजबूत करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि निचले हिस्सों में पुलिस टीमों ऊपर मौजूद सेना के साथ जल्दी जानकारी साझा करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित हों। मैं कानूनी तरीकों और वित्तीय ट्रैकिंग के जरिये ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्कों पर नजर रखूंगा। और यह सुनिश्चित करूंगा कि उत्पीड़न की शिकायतों का तुरंत निवारण हो, क्योंकि भरोसा भी एक परिचालन संपत्ति (operational asset) है। प्रश्न 2. सुरक्षा बल गुज्जर ढोकों को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक परिवार शिकायत करता है कि उसकी सहमति के बिना उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया गया। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): परिवार से मिलूंगा, शिकायत दर्ज करूंगा और उचित माध्यमों से सेना को यूनिट को सूचित करूंगा। जहां इस्तेमाल जरूरी हो, वहां यह सहमति और मुआवजे के साथ होना चाहिए। बिना सहमति शरण-स्थल ले लेने से संभावित मुखबिर विरोधी बन जाते हैं। ऐसे इस्तेमाल के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल (protocol) एकीकृत मुख्यालय में तय किया जाना चाहिए। प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या पहाड़ों में दीर्घकालिक सैन्य मौजूदगी टिकाऊ है। दृष्टिकोण (Approach): यह तभी टिकाऊ है जब इसे चक्रीकरण, साजो-सामान और ड्रोन व संचार जैसी तकनीक का सहारा मिले, और हताहतों की संख्या कम से कम रखी जाए। यह हर जगह अस्थायी होनी चाहिए लेकिन एक पैटर्न के रूप में स्थायी, जो कि TOB करने की कोशिश करते हैं। समय के साथ, जैसे-जैसे आतंकवादियों की आवाजाही घटेगी, मौजूदगी को कम किया जा सकता है। टिकाऊपन उन राजनीतिक और विकास संबंधी उपायों पर भी निर्भर करता है जो आतंकवाद के प्रति स्थानीय समर्थन को घटाते हैं।

9.2 सेना की AASHVAST प्रयोगशालाएं तैनाती से पहले ड्रोन फर्मवेयर में छिपे चीनी कोड की जांच करेंगी

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली — भारतीय सेना जल्द ही देश भर में छह AASHVAST प्रयोगशालाएं संचालित करेगी, जहां उसके सभी ड्रोन और भविष्य में CCTV कैमरे भी फर्मवेयर-स्तर की कमजोरियों (vulnerabilities) की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए अनिवार्य निरीक्षण से गुजरेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) ने रिपोर्ट किया (अमृता नायक दत्ता)। फर्मवेयर (firmware) वह निम्न-स्तरीय सॉफ्टवेयर है जो किसी उपकरण की चिप्स में बना होता है और उसके हार्डवेयर के व्यवहार को नियंत्रित करता है। AASHVAST का मतलब है कमजोरियों और सुरक्षा खतरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हार्डवेयर का आकलन और विश्लेषण (Assessment and Analysis of Electronic Systems Hardware for Vulnerabilities and Security Threats)। दिल्ली में एक प्रयोगशाला का उद्घाटन हो चुका है, और आने वाले महीनों में कम से कम पांच और प्रयोगशालाएं बनाने की योजना है। फर्मवेयर विश्लेषण एवं सत्यापन सुइट (Firmware Analysis and Validation Suite) को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग महानिदेशालय (Directorate General of Electronics and Mechanical Engineering, DG EME) के लिए क्विकपे प्राइवेट लिमिटेड (QuickPay Pvt Ltd) ने विकसित किया है। सेना ने इस साल अप्रैल में यूएवी (UAV) घटकों सहित इलेक्ट्रॉनिक घटकों में फर्मवेयर और एम्बेडेड सिस्टम (embedded systems) को सत्यापित करने के लिए अनुकूलित लाइसेंस-प्राप्त सॉफ्टवेयर खरीदने हेतु एक निविदा प्रस्ताव (Request for Proposal) प्रकाशित किया; 14 अगस्त को, इसके अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (Additional Directorate General of Public Information) ने X पर कहा कि यह सुविधा, “#आत्मनिर्भर भारत (#AtmanirbharBharat) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप”, साइबर लचीलेपन (cyber resilience) को बढ़ाएगी। अब तक, सेना द्वारा खरीदे गए ड्रोनों की फर्मवेयर कमजोरियों की जांच नहीं की गई थी। ऐसी खामियां निर्माण या अपग्रेड के दौरान डाली जा सकती हैं: अप्रयुक्त कोड (unused code) या किसी खास जगह पर सक्रिय होने वाले छिपे कमांड किसी ड्रोन को अपना काम करने से रोक सकते हैं। ये प्रयोगशालाएं करीब 14 तरह की कमजोरियों का पता लगा सकती हैं, जिनमें भू-स्थानिक (geospatial) कमजोरियां शामिल हैं जैसे किसी खास स्थान पर खराबी, ड्रोन को उसके तय गंतव्य तक पहुंचने से रोकने वाले बग, लक्ष्य से पहले उड़ान समाप्त कर देने वाला छिपा कोड, और समय व स्थान संबंधी बग। ये चीनी या अन्य विदेशी मूल के सक्रिय घटकों (active components), छिपे पासवर्ड, एम्बेडेड कुंजियों (embedded keys), रिमोट एक्सेस टूलस और स्थान-आधारित सुरक्षा नियंत्रणों की भी तलाश करेंगी। भविष्य के CCTV कैमरों की जांच चीनी स्वामित्व वाले प्रोटोकॉल (proprietary protocols) के लिए की जाएगी। प्रयोगशाला की स्थापना में शामिल एक व्यक्ति ने कहा, “सिलिकॉन (silicon) के भीतर क्या छिपा है, यह तय करने का कोई तंत्र नहीं है। जो दिखाई देता है वह केवल इनवाइस है,” और जोड़ा कि ये जांचें चीनी घटकों को ‘मेड इन इंडिया’ (made in India) के रूप में गलत ढंग से पेश किए जाने से रोकेंगी। अखबार ने बताया कि सेना आपातकालीन खरीद (emergency procurement) मार्ग से बड़े पैमाने पर ड्रोन खरीद रही है, जिनमें से कई पूर्वी सीमाओं के लिए हैं; भारत पहले भी घरेलू सैन्य ड्रोन निर्माताओं को चीनी पुर्जों के इस्तेमाल से रोक चुका है, और 2025 में सेना डिजाइन ब्यूरो (Army Design Bureau) ने यूएवी से चीनी मूल के घटकों को खत्म करने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक ढांचा सौंपा। क्विकपे के निदेशक राजीव रॉय (Rajib Roy) ने कहा कि उद्देश्य विवादित क्षेत्रों में दुश्मन के हस्तक्षेप को रोकना है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ड्रोन आधुनिक युद्ध के केंद्र में आ जाते हैं → सेना आपातकालीन खरीद के जरिये बड़े पैमाने पर खरीद करती है → चीन से लिए गए घटक ऐसे इनवाइस के जरिये ‘भारतीय’ ड्रोन में घुसते हैं जो असली मूल छिपा देते हैं → फर्मवेयर बैकडोर (backdoors) विवादित क्षेत्रों में ड्रोन को निष्क्रिय कर सकते हैं → AASHVAST प्रयोगशालाएं फर्मवेयर निरीक्षण को अनिवार्य बनाती हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. आपूर्ति शृंखला सुरक्षा अब भारत की सुरक्षा नीति का औपचारिक हिस्सा है — दिसंबर 2020 में स्वीकृत दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (National Security Directive on the Telecommunication Sector) दूरसंचार परिचालकों (telecom operators) को उपकरण केवल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (National Cyber Security Coordinator) द्वारा प्रमाणित ‘विश्वसनीय स्रोतों’ (trusted sources) से ही खरीदने के लिए बाध्य करता है। तर्क AASHVAST जैसा ही है: जोखिम केवल इस बात में नहीं है कि उपकरण क्या करता है, बल्कि इसमें भी है कि उसके घटक किसने बनाए। हार्डवेयर और फर्मवेयर बैकडोर तैनाती के बाद पकड़ में आना मुश्किल होता है, इसलिए जांच पहले ही होनी चाहिए।
2. भारत की ड्रोन नीति उदारीकरण और आयात प्रतिबंध दोनों को जोड़ती है — ड्रोन नियम (Drone Rules), 2021 ने मंजूरीयों को घटाकर और डिजिटल स्काई (Digital Sky) मंच बनाकर नागरिक ड्रोन इस्तेमाल को उदार बनाया। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना को 2021 में मंजूरी मिली। फरवरी 2022 में सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा, सुरक्षा और अनुसंधान-विकास (R&D) को छूट देते हुए, विदेशी ड्रोनो के आयात पर रोक लगाई — लेकिन घटकों का आयात जारी रहा।
3. भारत की साइबर-सुरक्षा संस्थाओं की जड़ें IT अधिनियम में हैं — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act), 2000 की धारा 70A राष्ट्रीय गंभीर सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre, NCIIIPC) की व्यवस्था करती है; और धारा 70B साइबर घटना प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी CERT-In की। रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency) सैन्य साइबर अभियानों को संभालती है। सेना में फर्मवेयर परीक्षण इसी नागरिक ढांचे में एक रक्षा-विशिष्ट जोड़ है।
4. आपातकालीन खरीद जांच की कीमत पर गति खरीदती है — रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure), 2020 के तहत, सशस्त्र बल लंबी मानक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए तत्काल जरूरी उपकरण जल्दी खरीदने के लिए आपातकालीन खरीद

	अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद और उसके आगे भी हुआ। इसका जोखिम गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए कम समय बचना है, यही वजह है कि AASHVAST जैसी खरीद-पश्चात जांच मायने रखती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 में साइबर सुरक्षा और सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका शामिल है — पाठ्यक्रम में 'साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें' और 'संचार नेटवर्कों के जरिये आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां' शामिल हैं। UPSC गंभीर अवसंरचना (critical infrastructure) को साइबर खतरों और रक्षा में स्वदेशीकरण (indigenisation) के बारे में पूछ चुका है। 2. रक्षा स्वदेशीकरण को गुणवत्ता की नजर से पूछा जाता है, केवल मात्रा की नहीं — रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) पर सवाल अब क्षमता और आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में अधिक पूछे जाते हैं। यह खबर एक ठोस उदाहरण देती है कि 'मेक इन इंडिया' लेबल को सत्यापन की जरूरत क्यों है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B, CERT-In को घटना प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित करती है। ● IT अधिनियम की धारा 70A राष्ट्रीय गंभीर सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की व्यवस्था करती है। ● ड्रोन नियम, 2021 ने ड्रोन मंजूरीयों के लिए डिजिटल स्काई मंच शुरू किया। ● विदेशी ड्रोनों के आयात पर फरवरी 2022 में रोक लगाई गई, जिसमें रक्षा, सुरक्षा और अनुसंधान-विकास प्रयोजनों को छूट दी गई। ● रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 रक्षा मंत्रालय की पूंजीगत खरीद को नियंत्रित करती है। ● फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो किसी उपकरण के हार्डवेयर में एम्बेडेड होता है और उसके बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. इनवॉइस मूल प्रमाणपत्र (certificate of origin) नहीं है — रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यह है कि इनवॉइस यह दिखाता है कि पुर्जा कहां से खरीदा गया, यह नहीं कि वह कहां बना। कागजी कार्रवाई पर निर्भर आयात प्रतिबंधों और 'मेक इन इंडिया' नियमों को चीनी घटकों को तीसरे देशों या स्थानीय असेंबलरों (assemblers) के जरिये भेजकर दरकिनार किया जा सकता है। फर्मवेयर और घटक विश्लेषण उत्पाद को ही सत्यापित करता है। इससे प्रवर्तन (enforcement) का आधार दस्तावेजों से हटकर सबूत पर आ जाता है, जो अधिक भरोसेमंद है। 2. फर्मवेयर तोड़फोड़ (sabotage) के लिए आदर्श छिपने की जगह है — किसी खास स्थान या समय पर सक्रिय होने वाला छिपा कोड हर सामान्य क्षेत्र परीक्षण (field test) को पार कर जाएगा और केवल असली अभियान में विफल होगा। पूर्वी सीमाओं पर इस्तेमाल होने वाले ड्रोनों के लिए ठीक यही खतरा है, जहां विरोधी को इस्तेमाल के संभावित इलाकों की जानकारी होती है। जो प्रयोगशाला भू-स्थानिक और समय-आधारित ट्रिगरों (triggers) की जांच करती है, वह उस खतरे को संबोधित करती है जिसे सामान्य स्वीकृति परीक्षण (acceptance trials) पकड़ नहीं पाते। यह एक वास्तविक क्षमता-अंतराल (capability gap) है जिसे बंद किया जा रहा है। 3. प्रयोगशाला उतनी ही अच्छी है जितना उसका दायरा और स्वतंत्रता — पूरी सेना के लिए छह प्रयोगशालाएं एक शुरुआत हैं, लेकिन ड्रोन बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं। यह सुइट खुद एक निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है; सेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षण उपकरण सुरक्षित हों और उनका स्वतंत्र रूप से ऑडिट (audit) हो। समय के साथ, परीक्षण को केवल ड्रोन और CCTV तक सीमित न रखकर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स तक बढ़ाया जाना चाहिए। यही तर्क नौसेना और वायुसेना पर भी लागू होता है। 4. विपरीत दृष्टिकोण: सख्त मूल नियम लागत बढ़ाते हैं और आपूर्ति धीमी करते हैं — भारत का ड्रोन उद्योग अब भी मोटर, बैटरी और चिप जैसे आयातित घटकों पर निर्भर है, जिनमें से कई चीन से आते हैं। सख्त बहिष्करण (exclusion) कीमतें बढ़ा सकता है और डिलीवरी धीमी कर सकता है, जबकि बलों को ड्रोन तत्काल चाहिए होते हैं। व्यावहारिक जवाब जोखिम-आधारित (risk-based) है: कंट्रोलर और संचार मॉड्यूल जैसे उन घटकों को बाहर रखें जो छिपा कोड ले जा सकते हैं, जबकि जब तक घरेलू आपूर्ति नहीं बढ़ती तब तक विश्वसनीय स्रोतों से निष्क्रिय (passive) पुर्जों की अनुमति दें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण उसकी आपूर्ति श्रृंखला के सत्यापन के बिना अर्थहीन है।” ड्रोनों में फर्मवेयर-स्तर की कमजोरियों की जांच करने की भारतीय सेना की पहल के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श	1. प्रस्तावना — AASHVAST से परिचय कराएं: छह प्रयोगशालाएं, ड्रोन और बाद में CCTV का

दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

अनिवार्य फर्मवेयर निरीक्षण, दिल्ली में पहले से एक प्रयोगशाला मौजूद।

2. मुख्य भाग — खतरा — पूर्वी सीमाओं पर इस्तेमाल होने वाले ड्रोनों में चीनी घटक; फर्मवेयर बैकडोर, भू-स्थानिक और समय-आधारित ट्रिगर; असली मूल छिपाने वाले इनवॉइस।
3. मुख्य भाग — भारत का नीतिगत ढांचा — 2022 का ड्रोन आयात प्रतिबंध, ड्रोन के लिए PLI, सेना डिजाइन ब्यूरो का 2025 का ढांचा, दूरसंचार विश्वसनीय-स्रोत नियम, CERT-In और NCIIPC।
4. मुख्य भाग — चुनौतियां — खरीद का बड़ा पैमाना, आयातित घटकों पर निर्भरता, लागत, परीक्षण उपकरणों के स्वतंत्र ऑडिट की जरूरत।
5. निष्कर्ष — यह तर्क दें कि आपूर्ति श्रृंखला का सत्यापन रक्षा खरीद का स्थायी हिस्सा बने और घरेलू चिप व कंट्रोलर के लिए प्रयास बढ़ें।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग महानिदेशालय के एक अधिकारी के रूप में, आप जरूरी ड्रोन आपूर्ति में देरी किए बिना अनिवार्य परीक्षण को कैसे लागू करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं जोखिम के आधार पर परीक्षण को प्राथमिकता दूंगा: पहले पूर्वी सीमाओं पर तैनात ड्रोन और सबसे संवेदनशील कार्यों वाले ड्रोन। परीक्षण को स्वीकृति प्रक्रिया (acceptance process) में ही शामिल किया जा सकता है ताकि यह अन्य परीक्षणों के साथ-साथ चले। विक्रेताओं (vendors) को पहले से जरूरतें बता दी जाएंगी, ताकि वे साफ फर्मवेयर की आपूर्ति कर सकें। जहां कोई ड्रोन असफल हो, वहां विक्रेता को तय समय के भीतर अपने खर्च पर उसे ठीक करना होगा।

प्रश्न 2. एक घरेलू विक्रेता के ड्रोन में 'भेड इन इंडिया' घोषणा के बावजूद एक चीनी कंट्रोलर पाया जाता है। इसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): ड्रोन को अस्वीकार किया जाना चाहिए और विक्रेता से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। अगर गलत जानकारी देना साबित होता है, तो अनुबंधीय दंड (contractual penalties) और संभावित डिबारमेंट (debarment) लगाए जाने चाहिए, और मामला जांच के लिए भेजा जा सकता है। यह निष्कर्ष अन्य सेवाओं (services) के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी खरीद जांच सकें। लगातार प्रवर्तन ही नियम को विश्वसनीय बनाता है।

प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या भारत को सरकारी इस्तेमाल में सभी चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

दृष्टिकोण (Approach): व्यापक प्रतिबंध (blanket ban) तुरंत व्यावहारिक नहीं हो सकता क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। बेहतर दृष्टिकोण जोखिम-आधारित है: रक्षा, गंभीर अवसंरचना और निगरानी प्रणालियाँ (surveillance systems) में सख्त बहिष्करण, और बाकी जगह परीक्षण व प्रमाणन। साथ ही भारत को प्रमुख घटकों के घरेलू विनिर्माण में निवेश करना चाहिए। सुरक्षा और आर्थिक क्षमता को साथ-साथ बढ़ाना चाहिए।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — निरीक्षक, फोन और अठारह मांगों का चार्टर (Case 1 — The Invigilator, the Phone and the Charter of Eighteen Demands)

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक प्रमुख तकनीकी संस्थान के निदेशक (Director) हैं। शुक्रवार को एक 20-वर्षीय द्वितीय-वर्ष के स्नातक छात्र ने अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली, उन घंटों के बाद जब कथित तौर पर एक निरीक्षक (invigilator) ने मध्य-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान उसे मोबाइल फोन के साथ पाया था। संस्थान के पहले सार्वजनिक वक्तव्य में कहा गया कि उसने उत्तर खोजने के लिए प्रश्नपत्र एक एआई मंच (AI platform) पर अपलोड किया था। उसके माता-पिता ने पुलिस शिकायत दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि संकाय सदस्य (faculty member) द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसे जाति-आधारित उत्पीड़न (caste-based harassment) का सामना करना पड़ा; निरीक्षण कर रहे प्रोफेसर का नाम प्राथमिकी (FIR) में है, और शहर की अपराध शाखा (crime branch) ने जांच अपने हाथ में ले ली है, यह कहते हुए कि वह यह स्थापित करेगी कि मृत्यु परीक्षा में पकड़े जाने से हुई या जातिगत उत्पीड़न से। दो दिनों से छात्र मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने एक 18-सूत्री चार्टर प्रस्तुत किया है: प्रोफेसर का तत्काल निलंबन, 30 सितंबर तक अंतरिम रिपोर्ट और 15 अक्टूबर तक अंतिम रिपोर्ट के साथ एक स्वतंत्र जांच, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक खुली सभा (open house), प्रोफेसरों के लिए आचार संहिता (code of conduct), संकाय के लिए मानसिक-स्वास्थ्य संवेदीकरण (sensitisation), बेहतर आमने-सामने परामर्श (in-person counselling), अनुशासन समिति की प्रक्रिया में बदलाव, और छात्रों, संकाय, मानसिक-स्वास्थ्य पेशेवरों तथा बाहरी विशेषज्ञों का एक कार्यबल (task force)। छात्रों का कहना है कि आपके पहले वक्तव्य ने एक मृत छात्र पर आरोप लगाया जो अपना बचाव नहीं कर सकता, और इस नियम का उल्लंघन किया कि अनुशासनात्मक मामले गोपनीय होते हैं। संकाय मंच (Faculty Forum) ने सार्वजनिक रूप से प्रोफेसर का बचाव किया है, यह कहते हुए कि उन्होंने अनुमोदित प्रक्रिया का पालन किया और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार ने अभी उन समूहों के साथ बातचीत पर सहमति दी है जो उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रारूप विनियमों (draft regulations) के पूर्ण वापसी की मांग कर रहे हैं, जो जनवरी में अधिसूचित हुए थे और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा स्थगित (stayed) किए गए हैं। एक लाइव-स्ट्रीम पर, आप पहले ही चार्टर पर हस्ताक्षर कर चुके हैं; निलंबन के मुद्दे पर आपने कहा, “हम प्रक्रिया का पालन करेंगे।”

प्रश्न 1. क्या छात्र पर एआई उपयोग का आरोप लगाने वाला संस्थान का पहला सार्वजनिक वक्तव्य नैतिक रूप से न्यायोचित था? इसमें क्या कहा जाना चाहिए था?

प्रश्न 2. जब छात्र और संकाय मंच दोनों आपसे उनका पक्ष लेने की मांग करते हैं, तो आप परिवार के जातिगत उत्पीड़न के आरोप को प्रोफेसर के उचित प्रक्रिया (due process) के अधिकार के विरुद्ध कैसे संतुलित करेंगे?

प्रश्न 3. दबाव में चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद, आप किन प्रतिबद्धताओं का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, और किन्हें पुनर्निर्धारित (reframe) करना आवश्यक है?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- पहले वक्तव्य ने एक मृत छात्र की गरिमा की कीमत पर संस्थान की रक्षा की** — एक मृत्यु के बाद किसी संस्थान के पहले शब्द उस सब कुछ का नैतिक स्वर तय कर देते हैं जो बाद में होता है। यह सार्वजनिक रूप से कहकर कि छात्र ने नकल करने के लिए एक एआई मंच (AI platform) का उपयोग किया, प्रशासन ने ऐसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जो जवाब नहीं दे सकता था, एक ऐसे अनुशासनात्मक मामले का खुलासा किया जिसे उसके अपने नियम गोपनीय रखते हैं, और पुलिस के जांच शुरू करने से पहले ही मृत्यु का कारण संकेतित कर दिया। भले ही हर शब्द सटीक रहा हो, यह पहले कहने वाली गलत बात थी। उपयुक्त वक्तव्य में शोक व्यक्त किया जाना चाहिए था, केवल मृत्यु के तथ्यों की पुष्टि की जानी चाहिए थी, यह बताया जाना चाहिए था कि पुलिस को सूचित कर दिया गया है और संस्थान पूरा सहयोग करेगा, और परिवार तथा छात्रों को सहायता की पेशकश की जानी चाहिए थी। अब ईमानदार रास्ता यह है कि सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाए कि वक्तव्य उस रूप में नहीं दिया जाना चाहिए था। इस तरह की माफी संस्थान को बहुत कम कीमत पर पड़ती है और कुछ भरोसा बहाल करती है; वक्तव्य का बचाव करने से इसे छात्रों की कीमत चुकानी पड़ेगी।
- तीनों प्रक्रियाओं को अलग रखें, और कभी एक को दूसरी तय न करने दें** — यहां तीन अलग-अलग प्रश्न हैं: पुलिस जांच, यह जानने के लिए कि क्या कोई अपराध हुआ, जिसमें उकसावा (abetment) या जातिगत उत्पीड़न शामिल है; संस्थान की आंतरिक जांच, यह जानने के लिए कि क्या इसकी प्रक्रियाएं और कर्मचारी ठीक से व्यवहार करते रहे; और छात्र संकट की प्रणालीगत समीक्षा। प्रत्येक के प्रमाण का अपना मानक और अपना प्राधिकार है। प्रोफेसर की नियुक्ति की स्थिति सेवा नियमों (service rules) के अंतर्गत आंतरिक प्रक्रिया का विषय है, जो पुलिस के निष्कर्षों से सूचित होती है लेकिन भौड़ या सहकर्मी के दबाव से तय नहीं होती। इस अंतर को छात्रों और संकाय को स्पष्ट रूप से समझाना टालमटोल नहीं है; यह दुखी परिवार के वास्तविक जांच के अधिकार और केवल आरोप के आधार पर दंडित न किए जाने के एक कर्मचारी के अधिकार, दोनों की रक्षा करने का एकमात्र तरीका है।
- निलंबन पर, जोखिम के तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, मांग की मात्रा के आधार पर नहीं** — जांच लंबित रहने के दौरान निलंबन अधिकांश सेवा नियमों के अंतर्गत दंड नहीं है; यह एक सुरक्षात्मक कदम है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कर्मचारी की उपस्थिति गवाहों या जांच को प्रभावित कर सकती है, या जब आरोप गंभीर हों। एक छात्र की मृत्यु के संबंध में एक संकाय सदस्य का नाम लेने वाली प्राथमिकी, जातिगत उत्पीड़न के आरोप के साथ, एक गंभीर मामला है, और उसी विभाग के छात्रों को पढ़ाने और परीक्षा लेने में प्रोफेसर की निरंतर भूमिका को उचित रूप से जांच को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। एक उचित मध्यम मार्ग यह है कि

जांच लंबित रहने तक उन्हें परीक्षा और पर्यवेक्षी (supervisory) कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए, वेतन के साथ और बिना किसी निष्कर्ष के, और इसे कारण के साथ सार्वजनिक रूप से कहा जाए। यह उस प्रक्रिया का सम्मान करता है जिसका निदेशक ने वादा किया था, छात्रों के इस भय का जवाब देता है कि कुछ नहीं बदलेगा, और प्रोफेसर को दोषी घोषित नहीं करता।

4. **स्वतंत्र जांच को वास्तव में स्वतंत्र बनाएं, और इसकी समय-सीमा बनाएं रखें** — एक स्वतंत्र जांच के लिए छात्रों की मांग उचित है क्योंकि संस्थान स्वयं इसमें एक पक्ष है। जांच का नेतृत्व संस्थान के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जातिगत भेदभाव में विशेषज्ञता वाले कम से कम एक सदस्य और एक मानसिक-स्वास्थ्य पेशेवर के साथ, और एक छात्र पर्यवेक्षक (observer) के साथ। इसके संदर्भ की शर्तों (terms of reference) में परीक्षा की घटना, बाद में छात्र के साथ बर्ताव, जातिगत उत्पीड़न का आरोप और सहायता प्रणालियों की पर्याप्तता शामिल होनी चाहिए। चार्टर में दी गई तारीखें — अंतरिम रिपोर्ट के लिए 30 सितंबर, अंतिम के लिए 15 अक्टूबर — यदि व्यवहार्य हों तो स्वीकार की जानी चाहिए, और यदि नहीं, तो सार्वजनिक रूप से घोषित यथार्थवादी तारीखों से बदल दी जानी चाहिए। बिना स्पष्टीकरण के तारीख चूकना बाद की तारीख तय करने से कहीं अधिक नुकसान करेगा।
5. **वे प्रणालियां बनाएं जो चार्टर मांगता है, क्योंकि आत्महत्या केवल यह एक मामला नहीं है** — संकाय के लिए आचार संहिता, जाति और मानसिक स्वास्थ्य पर संवेदीकरण, सुलभ आमने-सामने परामर्श, और किसी भी प्रतिकूल कदम से पहले सुनवाई का अधिकार देने वाली निष्पक्ष अनुशासनात्मक प्रक्रिया — ये विरोध की रियायतें नहीं हैं; ये मानक अच्छी प्रथाएं हैं जिन्हें अपनाने में प्रमुख संस्थान धीमे रहे हैं। अनुशासनात्मक प्रक्रिया यहां सबसे अधिक मायने रखती है: फोन के साथ पाए गए छात्र के लिए एक स्पष्ट, मानवीय प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें एक परामर्शदाता को तुरंत सूचित किया जाए, और उसे कभी शर्म में अकेला न छोड़ा जाए। वास्तविक स्वतंत्रता वाला एक समान अवसर प्रकोष्ठ (equal opportunity cell) और छात्रों के भरोसेमंद अनुसूचित जाति/जनजाति संपर्क अधिकारी (SC/ST liaison officers) उत्पीड़न को जल्दी पकड़ सकते हैं। स्थगित यूजीसी प्रारूप विनियमों पर राष्ट्रीय बहस किसी संस्थान को अपने ही परिसर में स्पष्ट रूप से सही काम करने से नहीं रोकती।
6. **दोनों पक्षों से एक ही स्वर में बात करके समुदाय को एकजुट रखें** — छात्र एक ऐसी प्रणाली देखते हैं जिसने एक दलित छात्र को असफल कर दिया; संकाय एक सहकर्मी को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए निंदित होते देखता है। दोनों भय वास्तविक हैं। निदेशक को दोनों समूहों से मिलना चाहिए, और दोनों से एक ही बात कहनी चाहिए: कि सत्य एक निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाएगा, कि किसी को भी केवल आरोप पर दंडित नहीं किया जाएगा और कोई भी आरोप दबाया नहीं जाएगा, और संस्थान वहां बदलेगा जहां वह असफल रहा है। निरंतरता निदेशक की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो नेता हर समूह को वही बताता है जो वे सुनना चाहते हैं, वह जल्द ही दोनों को खो देगा।

केस 2 — वह ड्रोन जो सीमा को छोड़कर हर जगह काम करता था (Case 2 — The Drone That Worked Everywhere Except Over the Border)

परिदृश्य (SCENARIO) आप सेना (Army) की नई आश्वस्त (AASHVAST) फर्मवेयर-परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख एक ब्रिगेडियर (Brigadier) हैं, जो दिल्ली में स्थित है और देश भर में नियोजित छह प्रयोगशालाओं में से पहली है। आश्वस्त — इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हार्डवेयर की भेद्यताओं और सुरक्षा खतरों के आकलन एवं विश्लेषण के लिए (Assessment and Analysis of Electronic Systems Hardware for Vulnerabilities and Security Threats) — इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग महानिदेशालय (Directorate General of Electronics and Mechanical Engineering) के लिए एक निजी भारतीय फर्म द्वारा विकसित एक फर्मवेयर विश्लेषण और सत्यापन सुइट (firmware analysis and validation suite) है। अब तक, सेना द्वारा खरीदे गए ड्रोन की फर्मवेयर-स्तरीय भेद्यताओं (firmware-level vulnerabilities) के लिए जांच नहीं की गई है। ये प्रयोगशालाएं लगभग 14 प्रकार के दोष पता लगा सकती हैं, जिनमें भू-स्थानिक दोष (geospatial faults) शामिल हैं जो किसी विशेष स्थान पर एक ड्रोन को खराब कर देते हैं, छिपा हुआ या अप्रयुक्त कोड जो इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय कर सकता है, और समय या स्थान संबंधी बग जो इसे सामान्य रूप से काम करने देते हैं सिवाय कुछ समय या स्थानों के। ये चीनी या अन्य विदेशी-मूल के सक्रिय घटकों (active components), छिपे पासवर्ड, एम्बेडेड कुंजियों (embedded keys) और दूरस्थ पहुंच उपकरणों (remote access tools) की भी खोज करती हैं। भारत पहले ही घरेलू सैन्य ड्रोन निर्माताओं को चीनी-निर्मित पुर्जों के उपयोग से प्रतिबंधित कर चुका है, और 2025 में सेना डिज़ाइन ब्यूरो (Army Design Bureau) ने रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) को यूएवी (UAV) से चीनी-मूल के घटकों को समाप्त करने का एक ढांचा दिया। सेना के कई ड्रोन आपातकालीन खरीद मार्ग (emergency procurement route) से खरीदे जा रहे हैं और पूर्वी सीमाओं के लिए हैं। आपके परीक्षणों के पहले बैच में एक सुप्रभावशाली भारतीय विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए ड्रोन के फर्मवेयर में एक छिपी हुई स्थान-आधारित दिनचर्या (location-based routine) पाई गई है, जिसने प्रमाणित किया था कि उसके उत्पाद में कोई चीनी पुर्जा नहीं है। ड्रोन पहले ही क्षेत्र में इकाइयों के पास हैं। विक्रेता का कहना है कि यह दिनचर्या एक उप-आपूर्तिकर्ता (sub-supplier) से आया हानिरहित विरासती कोड (legacy code) है। आपके वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए जाने (induction) में देरी को लेकर चिंतित हैं, और विक्रेता ने संकेत दिया है कि उद्योग में अन्य लोग भी अलग नहीं हैं।

प्रश्न 1. क्या आप ड्रोन को तुरंत क्षेत्र से वापस लेने की सिफारिश करते हैं, भले ही इससे इकाइयां क्षमता में कमी से जूझें?

प्रश्न 2. विक्रेता ने चीनी पुर्जों की अनुपस्थिति प्रमाणित की थी। आप एक गलत या लापरवाह प्रमाणपत्र (certificate) के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, और इसका अन्य आपूर्तिकर्ताओं के लिए क्या अर्थ है?

प्रश्न 3. आप आपातकालीन खरीद के माध्यम से गति के दबाव को सुरक्षा परीक्षण की आवश्यकता के साथ कैसे संतुलित करेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **एक छिपी हुई स्थान-आधारित दिनचर्या एक सुरक्षा निष्कर्ष है, कागजी त्रुटि नहीं** — प्रयोगशाला का संपूर्ण उद्देश्य ठीक वही पता लगाना है जो पाया गया है: ऐसा कोड जो कुछ स्थानों पर अलग व्यवहार करता है। यह दुर्भावनापूर्ण (malicious) हो या लापरवाह विरासती कोड, युद्ध में इसका प्रभाव समान हो सकता है — एक ड्रोन जो वहीं असफल हो जाए जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, या जो यह उजागर कर दे कि वह कहाँ है। यह निष्कर्ष लिखित रूप में, कमान श्रृंखला (chain of command) के ऊपर और खरीद प्राधिकरणों को, तकनीकी साक्ष्य के साथ, विक्रेता के संपर्कों या असुविधा के कारण इसे नरम किए बिना, रिपोर्ट किया जाना चाहिए। जो

अधिकारी परेशानी से बचने के लिए एक सुरक्षा निष्कर्ष को पतला कर देता है, उसने एक परीक्षण प्रयोगशाला को एक खरब स्टेप में बदल दिया है।

- जोखिम के आधार पर वापस लें या सीमित करें, और अंतर को पाटने की योजना के साथ** — समझौता किए गए उपकरण को इकाइयों के पास छोड़ना जीवन और अभियानों को जोखिम में डालता है, लेकिन एक साथ सब कुछ खींच लेना सैनिकों को निगरानी क्षमता (surveillance) से वंचित छोड़ सकता है। संतुलित रास्ता तत्काल प्रतिबंध है: प्रभावित ड्रॉनों को अभियानगत रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी सीमाओं पर, जमीन पर रोक दिया जाए, और शेष किसी भी उपयोग को पर्यवेक्षण के अंतर्गत गैर-महत्वपूर्ण कार्यों तक सीमित किया जाए जब तक फर्मवेयर साफ या प्रतिस्थापित न हो जाए। साथ ही, वैकल्पिक उपकरण या अन्य इकाइयों से पुनर्आवंटन (reallocation) की सिफारिश करें। कमांडरों को पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेना चाहिए, और प्रयोगशाला का कर्तव्य है कि यह जानकारी उन्हें शीघ्रता और स्पष्टता से दे।
- एक गलत प्रमाणपत्र के परिणाम होने चाहिए, जो बिना पक्षपात के लागू हों** — विक्रेता ने प्रमाणित किया था कि कोई चीनी पुर्जा उपयोग नहीं हुआ, और ऐसे घटकों पर प्रतिबंध ठीक इसी जोखिम के कारण मौजूद है। चाहे प्रमाणपत्र बेईमान हो या केवल लापरवाह, विक्रेता ने हस्ताक्षर करते समय अपनी आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की ज़िम्मेदारी स्वीकार की थी। अनुबंध के उपाय — अस्वीकृति, विक्रेता की लागत पर प्रतिस्थापन, जुर्माने, और यदि जानबूझकर धोखा दिखाया जाए तो काली सूची में डालना (blacklisting) व जांच के लिए संदर्भित करना — उचित माध्यमों से अपनाए जाने चाहिए। एक सुप्रभावशाली विक्रेता पर इन्हें दृढ़ता से लागू करना उद्योग को सबसे उपयोगी संकेत भेजता है; उसे छोड़ देना हर आपूर्तिकर्ता को यह बता देगा कि प्रमाणपत्र मात्र औपचारिकताएं हैं।
- विक्रेता के संकेत को हर किसी को छूट देने का कारण नहीं, बल्कि सबकी जांच करने का कारण मानें** — यह सुझाव कि अन्य कोई अलग नहीं हैं, या तो एक धमकी है या उपयोगी खुफिया जानकारी। इसे दूसरे के रूप में लें। यह हर उस ड्रॉन की जांच को उचित ठहराता है जो पहले से ही सेवा में है, न कि केवल नई खरीद की, सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात ड्रॉनों से शुरू करते हुए। यह असली कमज़ोरी की ओर भी इशारा करता है, जो आपूर्ति श्रृंखला में गहरे उप-आपूर्तिकर्ताओं (sub-suppliers) के पास है। विक्रेताओं से भविष्य के अनुबंधों की एक शर्त के रूप में सामग्री का पूरा बिल (bill of materials) और फर्मवेयर उद्गम (provenance) उपलब्ध कराने, और महत्वपूर्ण मॉड्यूल के लिए प्रयोगशाला को स्रोत कोड या इसके समकक्ष तक पहुंच देने की आवश्यकता करें।
- गति और सुरक्षा विरोधाभासी नहीं हैं यदि परीक्षण खरीद में निर्मित हो** — आपातकालीन खरीद इसलिए मौजूद है क्योंकि अभियानगत आवश्यकताएं हमेशा लंबी प्रक्रियाओं का इंतज़ार नहीं कर सकतीं, लेकिन ऐसी गति जो समझौता किया गया उपकरण पहुंचाती है, एक झूठी बचत है। इसका उत्तर यह है कि फर्मवेयर परीक्षण को हर आपातकालीन खरीद में एक निश्चित, समय-सीमित चरण बनाया जाए, जिसमें छह नियोजित प्रयोगशालाओं को मात्रा संभालने के लिए बढ़ाया जाए, और विक्रेताओं को शीघ्र परीक्षण के लिए नमूने पहले से जमा करने की अनुमति दी जाए। पहले से ज्ञात एक स्पष्ट मानक उन ईमानदार घरेलू निर्माताओं को भी पुरस्कृत करता है जो स्वच्छ आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश करते हैं और सेना द्वारा स्वयं आह्वान किए गए आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- प्रयोगशाला की स्वयं की अखंडता (integrity) की रक्षा करें** — प्रयोगशाला एक निजी कंपनी द्वारा विकसित की गई थी, और इसके निष्कर्ष अन्य निजी कंपनियों के व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। इसकी विश्वसनीयता तटस्थता और गोपनीयता पर निर्भर करती है। निष्कर्षों को ऐसे मानक तक प्रलेखित (document) किया जाना चाहिए जो जांच झेल सके, विक्रेताओं को तकनीकी रूप से जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, और औपचारिक श्रृंखला के बाहर किसी को भी परिणाम पहले से नहीं देखने चाहिए। जो अधिकारी प्रयोगशाला की प्रक्रियाओं को स्वच्छ रखता है, वह सुनिश्चित करता है कि जब यह कहे 'यह ड्रॉन सुरक्षित है', तो कमांडर इस पर भरोसा कर सकें।

केस 3 — ₹25,000 में आयातित और ₹2 लाख में बिल किया गया पेसमेकर (Case 3 — The Pacemaker Imported at ₹25,000 and Billed at ₹2 Lakh)

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक बड़े राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) के आयुक्त (Commissioner) हैं। आपके निरीक्षणों, और घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग के प्रतिवेदनों से पता चलता है कि मरीज़ों से उपकरणों की वास्तविक लागत से कई गुना अधिक वसूला जाता है। उद्योग संघ (industry association) के प्रकाशित आंकड़े चौंकाने वाले हैं: ₹25,000 में आयातित एक पेसमेकर (pacemaker) मरीज़ों को ₹2 लाख से अधिक में बिल किया जाता है; फैक्ट्री गेट पर ₹3 को लागत वाली सीरिज (syringes) ₹30 में बेची जाती हैं; ₹4 लाख में आयातित हृदय वाल्व (heart valves) को ₹26 लाख तक बढ़ा दिया जाता है। अस्पताल उपकरण चुनते हैं, अक्सर मार्जिन (margin) द्वारा निर्देशित होकर, और मरीज़ मोलभाव नहीं कर सकते। उपकरण चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 [Medical Devices Rules, 2017] के बाद से गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए विनियमित हैं, लेकिन मूल्य निर्धारण अभी भी काफी हद तक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश [Drugs (Prices Control) Order] के माध्यम से संभाला जाता है, जो दवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2017 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) ने कोरोनरी स्टेन्ट (coronary stent) की कीमतों की सीमा तय की, जिससे कीमतें बिना किसी कमी के 70 से 85% तक गिर गईं, और बाद में घुटना प्रत्यारोपण (knee implant) की कीमतें 69% तक गिरीं। घरेलू उद्योग अब जीएसटी (GST) के लिए दर्ज पहले बिक्री बिंदु — आयात के लिए लैंडेड मूल्य (landed price) और घरेलू निर्माताओं के लिए एक्स-फैक्ट्री मूल्य — पर ट्रेड मार्जिन (trade margin) सीमित करने का प्रस्ताव रखता है: ₹1 लाख से ऊपर के उपकरणों के लिए 50%, ₹1,000 और ₹1 लाख के बीच के उपकरणों के लिए 66% और ₹1,000 से नीचे के उपकरणों के लिए 75%, जिसमें पेसमेकर, हृदय वाल्व, कार्डियक कैथेटर (cardiac catheters), सीरिज, आईवी सेट (IV sets) और अंतर-नेत्र लेंस (intra-ocular lenses) पर 12-18 महीने का पायलट (pilot) शामिल है। आयातक तर्क देते हैं कि यह अनुचित रूप से उन्हें लक्षित करता है। निजी अस्पतालों का कहना है कि उपकरण मार्जिन उनकी अन्य सेवाओं को सब्सिडी देता है और चेतावनी देते हैं कि सीमाएं प्रक्रिया शुल्क बढ़ा देंगी। मूल्य नियंत्रण एक केंद्रीय विषय है, लेकिन अस्पताल बिलिंग और निरीक्षण आपके हाथ में हैं, और एक मरीज़ के परिवार ने अभी आपको एक ऐसा बिल दिखाया है जिसमें एक उपकरण को लगभग दस गुना बढ़ा दिया गया है।

प्रश्न 1. जबकि मूल्य निर्धारण नीति राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, आप अपनी शक्तियों के भीतर क्या कर सकते हैं?

प्रश्न 2. यह प्रस्ताव घरेलू निर्माताओं से आता है जिन्हें इससे लाभ होगा। इस हित को आपके आकलन में कितना महत्व देना चाहिए?

प्रश्न 3. अस्पतालों का दावा है कि उपकरण मार्जिन अन्य देखभाल को क्रॉस-सब्सिडी (cross-subsidise) देते हैं। क्या यह अधिमूल्यन (mark-up) का एक वैध बचाव है ?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- नई शक्तियां मांगने से पहले अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करें** — मूल्य निर्धारण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश [Drugs (Prices Control) Order] और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के अंतर्गत एक केंद्रीय विषय है, लेकिन राज्य नियामक शक्तिहीन नहीं हैं। आप पहले से अधिसूचित उपकरणों के लिए मौजूदा सीमा मूल्य (ceiling prices) लागू कर सकते हैं, यह जांच सकते हैं कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सही ढंग से छपा हो और उससे अधिक न लिया जाए, अत्यधिक शुल्क की शिकायतों पर कार्रवाई कर सकते हैं, और अस्पतालों को सामान्य उपकरणों की कीमतें प्रदर्शित करने और बिलों में उन्हें मद-वार (itemise) करने की आवश्यकता कर सकते हैं। विभिन्न अस्पताल एक ही उपकरण के लिए क्या शुल्क लेते हैं, इसकी तुलना प्रकाशित करने में कुछ खर्च नहीं होता और यह मरीजों तथा बीमाकर्ताओं (insurers) की मदद करता है। इन कदमों के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है और ये दिखाते हैं कि समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है।
- साक्ष्य को ऐसे रूप में ऊपर भेजें जिसे राष्ट्रीय नियामक उपयोग कर सके** — उद्योग संघ द्वारा उद्धृत आंकड़े शक्तिशाली हैं लेकिन एक इच्छुक पक्ष से आते हैं। आपके कार्यालय को आयात आंकड़ों, निरीक्षणों में जब्त किए गए चालानों (invoices) और अस्पताल बिलों का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि करनी चाहिए, और विशिष्ट उपकरण श्रेणियों पर कार्रवाई की सिफारिश करते हुए एनपीपीए (NPPA) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) को एक प्रलेखित रिपोर्ट भेजनी चाहिए। एक राज्य नियामक से आने वाले साक्ष्य का महत्व है क्योंकि यह निष्पक्ष है और प्रवर्तन (enforcement) में आधारित है। स्टैंट और घुटना-प्रत्यारोपण मिसालें दिखाती हैं कि सुविचारित साक्ष्यों पर आधारित सीमाएं बिना कमी पैदा किए काम कर सकती हैं।
- प्रस्ताव को उसकी योग्यता पर आँकें, चाहे इसे कोई भी प्रस्तावित करे** — इससे कि घरेलू निर्माताओं को लाभ होगा, यह प्रस्ताव गलत नहीं हो जाता; उद्योग को अक्सर पता होता है कि विकृतियां (distortions) कहाँ हैं। लेकिन उनके हित का मतलब है कि इसकी डिज़ाइन को निष्पक्षता के लिए परखा जाना चाहिए। पहले बिक्री बिंदु पर एक ट्रेड-मार्जिन सीमा आयात और घरेलू उत्पादों को समान आधार पर रखती है, जो इसकी मुख्य ताकत है। इसकी कमजोरी यह है कि प्रतिशत के रूप में तय मार्जिन महंगे उपकरणों पर भी उच्च निरपेक्ष (absolute) अधिमूल्यन की अनुमति दे सकते हैं, और आयातक लैंडेड मूल्य में मुनाफा स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रस्तावित पायलट, स्वतंत्र निगरानी और अंतर्निहित समीक्षा के साथ, व्यापक रूप से लागू करने से पहले यह पता लगाने का एक समझदार तरीका है।
- क्रॉस-सब्सिडी एक स्पष्टीकरण है, औचित्य नहीं** — अस्पताल वास्तव में अन्य सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए उपकरण मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक पेसमेकर की कीमत के भीतर देखभाल की लागत छिपाना न तो पारदर्शी है और न ही निष्पक्ष। यह सबसे बीमार मरीजों पर, उनके सबसे कमजोर क्षण में, बोझ डालता है, जब वे तुलना या इनकार नहीं कर सकते। यदि अस्पतालों को लागत वसूल करनी है, तो उन्हें पारदर्शी प्रक्रिया और सेवा शुल्कों के माध्यम से ऐसा करना चाहिए जिन्हें मरीज और बीमाकर्ता देख सकें। विनियमन को छिपे हुए मार्जिन की रक्षा करने के बजाय ईमानदार, मद-वार मूल्य निर्धारण की ओर धकेलना चाहिए।
- मूल्य की रक्षा करते हुए आपूर्ति की रक्षा करें** — मूल्य नियंत्रण का मुख्य जोखिम यह है कि आपूर्तिकर्ता उत्पाद वापस ले लें या गुणवत्ता कम कर दें। आपको किसी भी पायलट के दौरान सीमित उपकरणों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए, बंद करने की अग्रिम सूचना की आवश्यकता करनी चाहिए, और वास्तविक नवाचार (innovation) के लिए मूल्य संशोधन की अनुमति देने वाले तंत्रों पर एनपीपीए के साथ काम करना चाहिए। मरीजों को शोषण से बचाना व्यर्थ है यदि वे तब उपकरण प्राप्त ही न कर पाएं।
- अपने सामने खड़े परिवार को जवाब दें** — नीति में महीने लगते हैं; परिवार के पास आज का बिल है। बिल की जांच किसी भी लागू सीमा मूल्य और छपे हुए एमआरपी (MRP) के विरुद्ध करें। यदि अत्यधिक शुल्क लिया गया है, तो रिफंड का आदेश दें और अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई करें। यदि शुल्क कानूनी है लेकिन शोषणकारी है, तो परिवार को ईमानदारी से बताएं कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति देते हैं, इस मामले को अपनी ऊपर भेजी गई रिपोर्ट में दर्ज करें, और उन्हें अस्पताल या उनके बीमाकर्ता से संपर्क करने में मदद करें। एक नियामक जो कानून की सीमाओं को सच्चाई से समझता है, वह उससे कहीं अधिक भरोसा अर्जित करता है जो वह वादा करता है जो वह पूरा नहीं कर सकता।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (Research and Analysis Wing — R&AW)	भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी (external intelligence agency), जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 21 सितंबर 1968 को हुई, क्योंकि 1962 और 1965 के युद्धों ने विदेशी खुफिया जानकारी में कमियाँ उजागर कीं, जिसे तब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) संभालता था। इसके पहले प्रमुख रामेश्वर नाथ काव (Rameshwar Nath Kao) थे। यह कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) के अधीन कार्य करती है और एक सांविधिक निकाय (statutory body) नहीं है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन आंतरिक खुफिया जानकारी संभालता है।
इबोला और एर्वेबो वैक्सीन (Ebola and the Ervebo vaccine)	इबोला वायरस रोग (Ebola virus disease) एक गंभीर रक्तस्रावी बुखार (haemorrhagic fever) है, जिसकी पहचान पहली बार 1976 में इबोला नदी (Ebola river) के निकट हुई थी, जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of the Congo) में है; यह शारीरिक द्रवों (body fluids) के संपर्क से फैलता है। एर्वेबो (Ervebo, rVSV-ZEBOV) एक जीवित वैक्सीन (live vaccine) है जो वायरस के ज़ैरे स्ट्रेन (Zaire strain) के विरुद्ध प्रभावी है। इतुरी और उत्तर किवु (Ituri and North Kivu) पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रांत हैं जो युगांडा और रवांडा की सीमा से लगते हैं, और आज का परीक्षण यह जांच रहा है कि क्या यह एक भिन्न स्ट्रेन के विरुद्ध भी सुरक्षा देता है।
पूर्वी सागर / जापान सागर (East Sea / Sea of Japan)	यह प्रशांत महासागर (Pacific) का सीमांत सागर (marginal sea) है, जो कोरियाई प्रायद्वीप (Korean Peninsula), जापान और रूसी सुदूर पूर्व (Russian Far East) से घिरा है; कोरियाई लोग इसे पूर्वी सागर (East Sea) कहते हैं। उत्तर कोरिया 2003 में परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) से अलग हो गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के प्रतिबंधों के अधीन है, जिनमें उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों (ballistic missile launches) को प्रतिबंधित करने वाले प्रस्ताव शामिल हैं।
अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तापीय विद्युत (Ultra-supercritical thermal power)	यह एक कोयला-आधारित तकनीक (coal-fired technology) है, जिसमें भाप पानी के क्रांतिक बिंदु (critical point of water, लगभग 374°C और 22 MPa) से ऊपर के तापमान और दाब पर, सुपरक्रिटिकल इकाइयों (supercritical units) से भी उच्च स्तर पर, संचालित होती है, जिससे दक्षता बढ़ती है और प्रति इकाई बिजली में कोयले की खपत तथा कार्बन डाइऑक्साइड (carbon dioxide) उत्सर्जन घटता है। असम के धुबरी जिले (Dhubri district) में प्रस्तावित 3,200 मेगावाट (MW) का चापर संयंत्र (Chapar plant) पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र होगा।
वीर गार्डियन (Veer Guardian)	यह भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) और जापान वायु आत्मरक्षा बल (Japan Air Self-Defense Force) के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास (bilateral air exercise) है; इसका 2026 संस्करण, जो दूसरा है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर (Air Force Station Jodhpur) में आयोजित हो रहा है। भारत और जापान एक विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership) साझा करते हैं और जिमेक्स (JIMEX) नौसैनिक तथा धर्म गार्डियन (Dharma Guardian) थल सेना अभ्यास भी आयोजित करते हैं। तेजस (Tejas) भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान (indigenous Light Combat Aircraft) है, जिसे वैमानिकी विकास एजेंसी (Aeronautical Development Agency) ने डिज़ाइन किया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited) ने निर्मित किया।
आईपीओ में ऑफर फॉर सेल (Offer for sale — OFS in an IPO)	आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (initial public offering — IPO) में एक नया निर्गम (fresh issue) शामिल हो सकता है, जिसमें कंपनी नई पूंजी जुटाती है, और एक ऑफर फॉर सेल (offer for sale), जिसमें मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर बेचते हैं और धन कंपनी को नहीं बल्कि उन्हें मिलता है। आईपीओ सेबी (इक्विटी पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 [SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018] द्वारा शासित होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) की स्थापना 1992 में हुई और इसने 1994 में कारोबार शुरू किया।
एफसीएनआर(बी) जमा (FCNR(B) deposits)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते [Foreign Currency Non-Resident (Bank) accounts] सावधि जमा (term deposits) हैं, जिन्हें अनिवासी भारतीय (non-resident Indians) भारतीय बैंकों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्राओं (freely convertible foreign currencies) में रखते हैं। चूंकि जमा राशि विदेशी मुद्रा में होती है, विनिमय दर जोखिम (exchange rate risk) जमाकर्ता के बजाय बैंक वहन करता है। 2013 में रिज़र्व बैंक (RBI) ने रुपये को स्थिर करने और भंडार बढ़ाने के लिए एफसीएनआर(बी) जमाओं के लिए एक विशेष स्वैप विंडो (special swap window) चलाई थी।
आपराधिक मानहानि (Criminal defamation)	मानहानि (defamation) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 356 (Section 356) के अंतर्गत एक आपराधिक अपराध है, जिसने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 और 500 का स्थान लिया, और जिसमें अधिकतम सज़ा दो वर्ष, जुर्माना अथवा सामुदायिक

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	सेवा (community service) है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (Subramanian Swamy v. Union of India, 2016) मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अनुच्छेद 19(2) (Article 19(2)) के अंतर्गत एक व्यक्तिगत निबंधन (reasonable restriction) के रूप में अपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
बलोच लिबरेशन आर्मी (Baloch Liberation Army)	यह एक अलगाववादी सशस्त्र समूह (separatist armed group) है जो बलूचिस्तान (Balochistan) की स्वतंत्रता चाहता है, जो क्षेत्रफल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China-Pakistan Economic Corridor) पर स्थित ग्वादर बंदरगाह (Gwadar port) का घर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में इसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign Terrorist Organisation) घोषित किया। पाकिस्तान भारतीय समर्थन का आरोप लगाता है, जिसे भारत नकारता है।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (National Gallery of Modern Art)	इसकी स्थापना 1954 में नई दिल्ली के जयपुर हाउस (Jaipur House) में संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) के अधीन, आधुनिक व समकालीन कला के लिए भारत की प्रमुख संस्था के रूप में हुई; इसकी शाखाएं मुंबई और बेंगलुरु में हैं। तैयब मेहता, एस.एच. रज़ा और एफ.एन. सूज़ा (Tyeb Mehta, S.H. Raza and F.N. Souza) 1947 में बॉम्बे में स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप (Progressive Artists' Group) के सदस्य थे।
जम्मू और कश्मीर विधानसभा (Jammu and Kashmir Legislative Assembly)	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर पुदुचेरी की तरह एक विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory with a legislature) है, जबकि लद्दाख बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के पास पुलिस और लोक व्यवस्था (public order) पर अधिकार हैं, और 2024 के चुनावों ने अनुच्छेद 370 (Article 370) के विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद पहली निर्वाचित विधानसभा दी। विधानसभा में 90 निर्वाचित सीटें हैं।
सूखा घोषणा (Drought declaration)	सूखे की घोषणा राज्य सरकारें कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) की सूखा प्रबंधन पुस्तिका (Manual for Drought Management) के अनुसार करती हैं, जो वर्षा की कमी और शुष्क अवधियों (dry spells) को 'ट्रिगर' संकेतकों के रूप में तथा फिर वनस्पति सूचकांक (vegetation indices), मृदा नमी (soil moisture), बोया गया क्षेत्र और फसल की स्थिति जैसे प्रभाव संकेतकों का उपयोग करती हैं, जिनकी पुष्टि क्षेत्रीय 'ग्राउंड-ट्रूथिंग' (ground-truthing) से होती है। राहत का वित्तपोषण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (State Disaster Response Fund) से और गंभीर सूखे के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (National Disaster Response Fund) से होता है।
पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र और पश्चिमी घाट (Eco-sensitive areas and the Western Ghats)	पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-sensitive areas) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Union Ministry of Environment) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [Environment (Protection) Act, 1986] के अंतर्गत संरक्षित या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं। गाडगिल समिति (Gadgil committee, 2011) ने अधिकांश पश्चिमी घाट (Western Ghats) को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मानने की सिफारिश की थी; कस्तूरीरंगन कार्यसमूह (Kasturirangan working group, 2013) ने इसे घटाकर श्रेणी के लगभग 37% तक सीमित कर दिया। पश्चिमी घाट 2012 से एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) है और विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट (biodiversity hotspots) में से एक है।
प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah)	सितंबर 2022 में विश्व के पहले महाद्वीप-अंतर (intercontinental) बड़े मांसाहारी पुनर्स्थापन के रूप में शुरू किया गया, इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, और बाद में बोत्सवाना, से चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (Kuno National Park) में लाया गया। मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary) दूसरा स्थल है। चीते को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wildlife (Protection) Act, 1972] की अनुसूची I (Schedule I) में सूचीबद्ध है।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (Nutrient Based Subsidy scheme)	डीएपी (DAP) और एसएसपी (SSP) जैसे फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों (phosphatic and potassic fertilisers) के लिए 2010 में शुरू की गई, इसके अंतर्गत सरकार नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सल्फर के लिए प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है, जबकि खुदरा मूल्य नाममात्र रूप से कंपनियों पर छोड़ दिए जाते हैं। यूरिया (Urea) इस योजना से बाहर रहता है, जिसका खुदरा मूल्य निर्धारित है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड (sulphuric acid) बनाने में होता है, जो रॉक फॉस्फेट (rock phosphate) को फॉस्फेटिक उर्वरक में संसाधित करने के लिए आवश्यक है।
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 — उचित उपयोग (Copyright Act, 1957 — fair dealing)	धारा 52 (Section 52) उन कृत्यों को सूचीबद्ध करती है जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते, जिनमें निजी उपयोग, शोध, आलोचना और समीक्षा के लिए उचित उपयोग (fair dealing) तथा शिक्षण के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा पुनरुत्पादन शामिल है। धारा 52(1)(बी) और (सी) [Sections 52(1)(b) and (c)] इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण में अस्थायी और आनुषंगिक भंडारण (transient and incidental storage) की रक्षा करती हैं, जो इंटरनेट मध्यस्थों (internet intermediaries) के लिए सुरक्षित बंदरगाह (safe harbour) है। दिल्ली विश्वविद्यालय फोटोकॉपी मामले (Delhi University photocopy case, 2016-17) में दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शैक्षिक अपवाद को व्यापक रूप से पढ़ा।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश और एनपीपीए [Drugs (Prices Control) Order and NPPA]	औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 [Drugs (Prices Control) Order, 2013] आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) के अंतर्गत जारी किया गया है और राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (National List of Essential Medicines) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशनों (scheduled formulations) के लिए अधिकतम मूल्य तय करता है। 1997 में औषधि विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) इसे लागू करता है। इसने 2017 में कोरोनरी स्टेंट (coronary stent) की कीमतों पर और उसी वर्ष बाद में घुटना प्रत्यारोपण (knee implant) की कीमतों पर सीमा तय की।
चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 (Medical Devices Rules, 2017)	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के अंतर्गत बनाए गए और 1 जनवरी 2018 से प्रभावी, ये नियम चिकित्सा उपकरणों को दवाओं से अलग, जोखिम-आधारित वर्गीकरण (risk-based classification) के अनुसार श्रेणी ए (कम जोखिम) से श्रेणी डी (उच्च जोखिम) तक विनियमित करते हैं। श्रेणी ए और बी उपकरणों के लिए लाइसेंसिंग राज्य प्राधिकरणों के पास है, और श्रेणी सी और डी के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Central Licensing Authority), भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India) के पास है।
डब्ल्यूएचओ नमक दिशानिर्देश (WHO salt guideline)	विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) सिफारिश करता है कि वयस्क प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करें, जो लगभग 2 ग्राम से कम सोडियम (sodium) के बराबर है। अत्यधिक सोडियम उच्च रक्तचाप (high blood pressure) का एक प्रमुख कारण है, जो हृदय रोग और स्ट्रोक (heart disease and stroke) के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। मूत्र सोडियम मापन (urinary sodium measurement) जनसंख्या सर्वेक्षणों में वास्तविक नमक सेवन का अनुमान लगाने की मानक विधि है।
कंपनी अधिनियम, 2013 — संगम अनुच्छेद (Companies Act, 2013 — Articles of Association)	संगम अनुच्छेद (Articles of Association) कंपनी की प्रबंधन, बोर्ड प्रक्रिया और शेयरधारक अधिकारों से संबंधित आंतरिक नियम-पुस्तिका है, और धारा 10 (Section 10) के अंतर्गत यह कंपनी तथा उसके सदस्यों को एक अनुबंध की तरह बांधती है। इन्हें केवल विशेष संकल्प (special resolution) द्वारा धारा 14 (Section 14) के अंतर्गत बदला जा सकता है। टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री (Tata Sons v. Cyrus Mistry, 2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा संस के अनुच्छेदों और मिस्त्री को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने को बरकरार रखा।
डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत बच्चों का डेटा (Children's data under the DPDP Act, 2023)	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक (child) मानता है और बालक के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति (verifiable parental consent) अनिवार्य करता है। यह बच्चों को लक्षित करने वाली ट्रेकिंग, व्यवहार निगरानी (behavioural monitoring) और लक्षित विज्ञापन (targeted advertising) को प्रतिबंधित करता है, जो सरकार द्वारा अधिसूचित छूटों (exemptions) के अधीन है। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) उल्लंघनों का न्याय-निर्णय करता है।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 21 सितंबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

एक नियम अपना मूल्य उसी दिन सिद्ध करता है जिस दिन वह असुविधाजनक हो।

विषय (Themes): संस्थाएं (Institutions) • नैतिकता (Ethics) • शासन (Governance)

17 सितंबर को, भारत के सबसे पुराने व्यापारिक समूहों में से एक के बोर्ड की बैठक मुंबई में यह तय करने के लिए हुई कि क्या इसके अध्यक्ष अगले पांच वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। समूह के बहुसंख्यक शेयरधारक (majority shareholder) द्वारा नामित निदेशकों में से एक ने विरोध में मत दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वतंत्र निदेशक (independent director) ने निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग किया, और प्रस्ताव पारित घोषित कर दिया गया। तीन दिन बाद उस शेयरधारक ने एक वक्तव्य जारी किया जिसे धीरे-धीरे पढ़ने लायक है। इसने कहा कि उसकी कंपनी के संगम अनुच्छेद (Articles of Association) को अपने नामित निदेशकों के बहुमत के सकारात्मक समर्थन की आवश्यकता है, और सिर्फ सिर गिनना उसका विकल्प नहीं हो सकता। द हिंदू (The Hindu) की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहा गया, “मत का परिणाम 4:1 था, या कोई अन्य आंकड़ा, यह अप्रासंगिक है। एक शर्त या तो पूरी होती है, या नहीं होती।”

कौन सही है, यह बोर्ड, अधिकरण (tribunal) और संभवतः अदालतों के लिए एक प्रश्न है, और इसका फैसला करने की जगह एक निबंध नहीं है। जिस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए वह है तर्क का आकार। दोनों पक्ष नियमों का पालन करने का दावा करते हैं। झगड़ा इस बात पर है कि उस सटीक क्षण में नियम क्या कहते हैं जब एक व्याख्या एक पक्ष की मदद करती है और दूसरे को हानि पहुंचाती है। वही क्षण है जहां संस्थाओं की वास्तव में परीक्षा होती है, क्योंकि जो नियम केवल तभी बाध्यकारी हो जब यह सुविधाजनक हो, वह कोई नियम ही नहीं है। वह तो पत्र-शीर्ष (letterhead) पर छपी एक वरीयता मात्र है।

विचार करें कि नियम आखिर बनते ही क्यों हैं। अजनबी एक-दूसरे की मंशा पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वे इसके बजाय एक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं: प्रतिबद्धताओं का एक समुच्चय जो किसी के यह जानने से पहले ही तय कर दिया जाता है कि इनसे किसे लाभ होगा। एक शेयरधारक निवेश करता है, एक उम्मीदवार वर्षों तक तैयारी करता है, एक नागरिक मतदान के लिए पंजीकरण कराता है — हर कोई इस मान्यता पर कि परिणाम पता चलने के बाद शर्तें फिर से नहीं लिखी जाएंगी। इसलिए एक नियम का मूल्य लगभग पूरी तरह उसकी पूर्वानुमेयता (predictability) में निहित है। यदि इसका सम्मान तभी किया जाए जब यह शक्तिशाली को सूट करे, और पुनर्व्याख्या तब की जाए जब यह न करे, तो यह कल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, और जिस भरोसे को यह वहन करने के लिए बना था, वह बह जाता है।

शेयरधारक का दूसरा तर्क इस बिंदु को और तीखा बनाता है। उसने कहा कि इन्हीं मतदान सुरक्षाओं को एक पूर्व अध्यक्ष को हटाने को लेकर हुए विवाद के दौरान चुनौती दी गई थी, जब अपीलपीठ अधिकरण (appellate tribunal) ने इन्हें दमनकारी (oppressive) पाया था; कंपनी ने इनका बचाव सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तक किया और जीत हासिल की। वक्तव्य में कहा गया, “कंपनी अब उस संरक्षण को नकार नहीं सकती जिसे बचाने के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय तक गई थी।” कानून में इसकी योग्यता चाहे जो हो, इसके पीछे का नैतिक बोध सार्वभौमिक है। हम उस किसी पर भी अविश्वास करते हैं जो एक नियम को पवित्र कहता है जब वह उसकी रक्षा करता है, और एक तकनीकी बात (technicality) कहता है जब वह उसे रोकता है। समय के साथ निरंतरता ही एक खंड (clause) को एक प्रतिबद्धता में बदलती है।

यह बोध परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रबल है। इस सप्ताह द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) में लिखते हुए एक अर्थशास्त्री ने देखा कि परीक्षा प्रणाली परिवारों को एक बुनियादी आश्वासन देती है: पेपर से पहले जो भी असमानताएं हों, चयन को नियंत्रित करने वाले नियम कम से कम निष्पक्ष होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि पेपर-लीक विरोध शायद इस आश्वासन को एक वास्तविक चुनावी प्रश्न में बदल रहे हैं, जबकि कमजोर स्कूली शिक्षा पर दशकों के प्रमाणों ने कभी ऐसा नहीं किया। इसका कारण शिक्षाप्रद है। एक टूटा हुआ स्कूल शौचालय प्रावधान (provision) की विफलता है। एक लीक हुआ पेपर एक नियम के साथ विश्वासघात है, और उस एक नियम के साथ जिसने हर किसी से, अमीर और गरीब दोनों से, एक ही दिन एक ही परीक्षा के अधीन होने को कहा था। लोग उस राज्य को क्षमा कर देते हैं जो सब कुछ नहीं कर सकता। वे उसे क्षमा नहीं करते जो चुपचाप अपने ही वादे में अपवाद बनाता है।

फिर भी बिना अपवाद लागू किया गया नियम स्वतः ही अच्छी तरह लागू किया गया नियम नहीं होता। दिल्ली में, चुनाव आयोग (Election Commission) के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (special intensive revision) ने 33.1 लाख मतदाताओं के लिए नोटिस उत्पन्न किए हैं। सूची में एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व उप-प्रधानमंत्री और, आयोग के अपने सॉफ्टवेयर द्वारा “स्व-नाम बेमेल” (self-name mismatch) के रूप में चिह्नित, एक कार्यरत चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) शामिल हैं। प्रक्रिया, आश्वस्त करने वाले ढंग से, पद के लिए रुकी नहीं। लेकिन वही प्रारूप सूची (draft roll) एक 70 वर्षीय मतदाता के रूप में एक अर्थशास्त्री को भी सूचीबद्ध करती है जिनका निधन नवंबर 2024 में हो चुका है, और उन्हें “कोई मैपिंग नहीं” (no mapping) के लिए चिह्नित करती है। एक नियम जो किसी को नहीं बख्शता, सम्मान अर्जित करता है; एक नियम जो जीवित और मृत में अंतर नहीं कर सकता, वह इसे खो देता है। असुविधा तभी सत्यनिष्ठा सिद्ध करती है जब नियम सटीक भी हो।

इस सबके विरुद्ध एक ईमानदार आपत्ति है, और उसे पूरी तरह कहा जाना चाहिए। कठोर नियम क्रूर हो सकते हैं। कानून सामान्य होता है और जीवन विशिष्ट, और शासन की हर परंपरा यह मानती है कि अक्षर (letter) उस उद्देश्य को हरा सकता है जिसके लिए वह लिखा गया था। वह प्रशासक जो बाढ़ बढ़ते समय एक प्रक्रिया का यंत्रवत पालन करता है, वह प्रशंसनीय नहीं है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर (Dr B.R. Ambedkar) ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा (Constituent Assembly) में गहरी बात कही: “संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि इसे चलाने वाले बुरे निकलें तो यह अवश्य ही बुरा साबित होगा। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि इसे चलाने वाले अच्छे निकलें तो यह अच्छा साबित हो सकता है” (“however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot.”)। दूसरे शब्दों में, नियम उतने ही अच्छे होते हैं जितना उन्हें चलाने वालों का चरित्र, और चरित्र को कभी-कभी आज्ञापालन के बजाय विवेक की आवश्यकता होती है।

आपत्ति सही है, परंतु यह एक अनुमति की नहीं बल्कि एक भेद की ओर इशारा करती है। नियम बदलने और नियम को मोड़ने में अंतर है। परिवर्तन खुला, सामान्य और भावी (prospective) होता है: एक कंपनी विशेष संकल्प (special resolution) द्वारा अपने अनुच्छेद संशोधित कर सकती है, संसद एक कानून संशोधित कर सकती है, एक परीक्षा संस्था अपनी प्रक्रिया फिर से डिज़ाइन कर सकती है, और अगला खेल शुरू होने से पहले हर कोई नई शर्तें जान लेता है। मोड़ना निजी, विशिष्ट और भूतलक्षी (retrospective) होता है: परिणाम पता चलने के बाद, इस मामले में, इस व्यक्ति के लिए, नियम को अलग ढंग से पढ़ा जाता है। पहला वह तरीका है जिससे संस्थाएं अनुकूलित होती हैं। दूसरा वह तरीका है जिससे वे क्षरित होती हैं, और यह क्षरण कभी घोषित नहीं होता। संस्थाएं खुली अवज्ञा से शायद ही कभी नष्ट होती हैं। वे उस दिन रचनात्मक व्याख्या से खोखली की जाती हैं जिस दिन यह मायने रखता है।

यही कारण है कि लोक सेवकों (public servants) पर रखी गई मांग इतनी विशिष्ट है। जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति देख न रहा हो, तो रोस्टर (roster) का पालन करने में कोई साहस नहीं चाहिए। परीक्षा उस टेलीफोन कॉल के साथ आती है: वह स्थानांतरण जो बारी से हटकर होना चाहिए, वह निविदा (tender) जिसे थोड़ा अलग ढंग से पढ़ा जा सकता है, वह उम्मीदवार जिसकी फाइल थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई जा सकती है। उस दिन नियम की कीमत चुकानी पड़ती है, और जो अधिकारी इसका सम्मान करता है वह अड़ियल नहीं है। वह एक नियमावली में लिखे एक वाक्य को दुनिया के एक तथ्य में बदल रहा है, ताकि अगला नागरिक जो यह वाक्य पढ़े, उस पर विश्वास कर सके।

इसलिए यह भी सत्य है कि किसी नियम का अधिकार उस निकाय द्वारा नहीं दिया जाता जो उसे लिखता है। यह उन लोगों द्वारा, एक-एक असुविधाजनक दिन में, संचित किया जाता है जो इसे तब बनाए रखते हैं जब इसे तोड़ना आसान और अदृश्य होता है। ऐसा हर दिन भरोसे के उस भंडार में थोड़ा जोड़ता है जिसे कोई वक्तव्य, चाहे कितना ही वाक्पटु क्यों न हो, बदल नहीं सकता; और हर अपवाद उससे इससे कहीं तेज़ी से निकाल लेता है जितनी तेज़ी से यह जमा हुआ था। बोर्डरूम, परीक्षा कक्ष और मतदाता सूची बहुत अलग-अलग स्थान हैं, परंतु वे एक ही प्रश्न पूछते हैं। क्या नियम तब टिका रहा जब किसी शक्तिशाली को इसकी आवश्यकता थी कि यह न टिके? यदि उत्तर हां है, तो नियम कुछ मूल्य रखता है। यदि उत्तर नहीं है, तो यह कभी भी एक सुझाव मात्र था।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को 'आरंभ से ही शून्य' (void ab initio) बताया, निर्णायक मत (casting vote) के उपयोग को चुनौती दी। पेपर-लीक विरोध परीक्षा निष्पक्षता को एक वास्तविक चुनावी मुद्दा बना सकते हैं; अर्थशास्त्री का तर्क: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची विसंगतियों पर मुख्यमंत्री, आयुक्त संधू, आडवाणी, जयशंकर को दिल्ली एसआईआर (SIR) नोटिस जारी किए

निबंध (ESSAY) 2 • निबंध • खंड B • 6 मिनट पठन (min read)

निर्भरता खतरा नहीं है; यह न जानना कि वह कहां है, खतरा है।

विषय (Themes): अर्थव्यवस्था (Economy) • सामरिक स्वायत्तता (Strategic autonomy) • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & technology)

पंजाब का एक गेहूं किसान जो इस रबी सीजन में डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (di-ammonium phosphate) की एक बोरी खरीदता है, उसने लगभग निश्चित रूप से कभी सल्फर के बारे में नहीं सोचा। उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी इसके बिना वह बोरी नहीं होती। रॉक फॉस्फेट (rock phosphate) तब तक किसी पौधे को पोषण नहीं दे सकता जब तक इसे सल्फ्यूरिक एसिड (sulphuric acid) से तोड़ा न जाए, और विश्व का अधिकांश सल्फर खनन (mine) किया ही नहीं जाता: इस सप्ताह रिपोर्ट किए गए उद्योग आंकड़ों के अनुसार, लगभग दसवां हिस्सा ही खनन होता है, जबकि शेष तेल शोधन (oil refining) और गैस प्रसंस्करण (gas processing) से प्राप्त होता है। जब यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी रिफाइनरियों पर हमला किया, और जब हमलों ने खाड़ी की ऊर्जा अवसंरचना (energy infrastructure) को निशाना बनाया, तो भारत में सल्फर का लैंडेड मूल्य (landed price) कभी \$200 से कम रहा था, वहां से बढ़कर लगभग \$1,070 प्रति टन हो गया। किसान की फसल आखिरकार उन देशों की रिफाइनरी अनुसूचियों (refinery schedules) पर निर्भर निकली जहां वह कभी नहीं जाएगा।

ऐसी कहानियों को आत्मनिर्भरता की अतिवादी अवधारणा — स्वावलंबन (autarky) — के पक्ष में तर्क के रूप में पढ़ने का लोभ होता है: घर में सब कुछ बनाओ और किसी से मत डरो। यह निष्कर्ष गलत है, और शुरुआत में ही यह कहना उचित है क्यों। किसी भी आकार की अर्थव्यवस्था कभी भी हर चीज़ में आत्मनिर्भर नहीं रही, और जिसने भी यह प्रयास किया, वह समृद्ध नहीं हुआ। एडम स्मिथ (Adam Smith) ने द वेल्थ ऑफ नेशंस (The Wealth of Nations) में यह रोज़मर्रा का तर्क स्पष्टता से रखा: “यह हर विवेकशील गृहस्वामी का सिद्धांत है कि वह कभी घर में वह चीज़ बनाने का प्रयास न करे जिसे बनाना उसे खरीदने से अधिक महंगा पड़े” (“It is the maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy.”)। निर्भरता विशेषीकरण (specialisation) का ही दूसरा पहलू है, और समृद्धि विशेषीकरण से ही आती है। असली खतरा कहीं और है। यह उस निर्भरता में है जिसका किसी ने मानचित्रण (mapping) नहीं किया, जिसे किसी ने चुना नहीं, और जिसे जब उसके विरुद्ध उपयोग किया जाए तो कोई उलट नहीं सकता।

विचार करें कि इस सप्ताह भारत ने अपने ही विनिर्माण (manufacturing) के बारे में क्या सीखा है। चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2025 में \$167.6 बिलियन तक पहुंचा, परंतु चीन से आयात 2021 और 2025 के बीच लगभग 71 प्रतिशत बढ़कर \$87.5 बिलियन से \$149.5 बिलियन हो गया, जबकि निर्यात लगभग स्थिर रहा। इन आयातों का लगभग 70 प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तुएं (intermediate goods) हैं और अन्य 22 प्रतिशत पूंजीगत वस्तुएं (capital goods)। भारत मोबाइल फोन असेंबली (assembling) के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है, फिर भी चीन से आयातित पुर्जों और घटकों (parts and components) का हिस्सा उसके चीन से आयात बास्केट में 2022 के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 10.1 प्रतिशत हो गया। द हिंदू (The Hindu) में लिखने वाले शोधकर्ता इसे आत्मनिर्भरता का “असेंबली ट्रैप” (“assembly trap”) कहते हैं: हम जितनी सफलतापूर्वक असेंबल करते हैं, उतनी ही गहराई से हम किसी और के घटकों पर निर्भर हो सकते हैं। सफलता की सुखी और निर्भरता का तथ्य एक ही आंकड़ा है, जिसे दो सिरों से पढ़ा जा रहा है।

चुंबक (magnet) की कहानी और भी अजीब है, क्योंकि यह उस निर्भरता की कहानी है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। औद्योगिक सर्वेक्षण वार्षिकी (Annual Survey of Industries) भारत के घरेलू स्थायी चुंबक बाज़ार (domestic permanent-magnet market) को लगभग ₹750 करोड़ बताती है, जबकि व्यापार आंकड़े दिखाते हैं कि आयात इस पूरे बाज़ार के कई गुने हैं। अभी तक कोई भरोसे से यह नहीं बता सकता कि ये चुंबक अर्थव्यवस्था में कहां प्रवेश करते हैं या इसके भीतर कैसे यात्रा करते हैं। मूल्य श्रृंखला (value chain) अन्वेषण और खनन से लेकर पृथक्करण (separation), ऑक्साइड, धातु, मिश्रधातु (alloys) और अंततः तैयार चुंबकों तक चलती है, और हर चरण में अलग विज्ञान और अलग उद्योग की मांग होती है। जैसा कि लेखक तर्क देते हैं, एक देश ज़मीन में खनिज सुरक्षित कर सकता है और फिर भी निर्भर रह सकता है यदि वह इसे संसाधित (process) नहीं कर सकता। जो राष्ट्र यह नहीं जानता कि वह किस चरण में कमज़ोर है, वह यह नहीं चुन सकता कि कहां निवेश करे, और जो राष्ट्र अपनी निर्भरता को माप नहीं सकता, वह इसका प्रबंधन नहीं कर सकता।

इसके अलावा, कुछ निर्भरता व्यावसायिक बिल्कुल भी नहीं होती। एक वैश्विक जांच के दस्तावेज़, जो इस सप्ताह रिपोर्ट किए गए, दिखाते हैं कि 2017 के 73-दिवसीय डोकलाम गतिरोध (Doklam standoff) के दौरान, एक चीनी राजकीय स्वामित्व वाले बैंक (Chinese state-owned bank) की एकमात्र भारतीय शाखा ने कुल \$185 मिलियन के ग्यारह स्वीकृत ऋण और बॉन्ड निवेश निलंबित (suspend) कर दिए, और अपने पार्टी सदस्यों को अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास (embassy and consulate) के साथ निरंतर संपर्क में रहने के लिए संगठित किया। ये राशियां भारतीय अर्थव्यवस्था के मानकों से छोटी हैं। सबक छोटा नहीं है। जो पूंजी एक शांत दिन साधारण वित्त जैसी दिखती है, वह एक तनावपूर्ण दिन राज्य के एक साधन जैसा व्यवहार कर सकती है। स्वतंत्र व्यापार के संरक्षक संत एडम

स्मिथ ने भी यह देखा था; ब्रिटेन के नौवहन कानूनों (navigation laws) का बचाव करते हुए उन्होंने उसी पुस्तक में लिखा, “रक्षा, हालांकि, समृद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है” (“defence, however, is of much more importance than opulence.”)।

तो फिर, समझदार निर्भरता कैसी दिखती है? पहली आवश्यकता दृश्यता (visibility) है। इससे पहले कि कोई राज्य किसी भेद्यता (vulnerability) को कम कर सके, उसे इसका पता लगाना होगा, और यह रणनीति जितना ही आंकड़ों का भी काम है। चुंबकों के लिए चरण-दर-चरण प्रस्तावित मूल्य श्रृंखला की एकीकृत मैपिंग एक नौकरशाही विलासिता नहीं है; यह हर अन्य निर्णय की पूर्वशर्त है। दूसरी आवश्यकता विविधता (diversity) है। भारत के फॉस्फेट निर्माताओं ने जॉर्डन, सेनेगल और मोरक्को में संयुक्त उद्यमों (joint ventures) और गठजोड़ के माध्यम से रॉक फॉस्फेट सुरक्षित किया है। यह विवेकपूर्ण है, परंतु इस सप्ताह इसकी सीमा भी दिखती है: एक इनपुट में विविधता लाना बहुत उपयोगी नहीं है यदि दूसरा इनपुट, सल्फर, उन्हीं झटकों के प्रति उजागर रहता है।

तीसरी आवश्यकता धैर्य है, और यहां भारत के पास अपना सबसे अच्छा उदाहरण है। 1950 के दशक में होमी भाभा (Homi Bhabha) ने ठीक इसीलिए एक तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम (three-stage nuclear programme) की कल्पना की क्योंकि देश के पास सीमित यूरेनियम (uranium) और बहुत बड़े थोरियम (thorium) संसाधन थे। योजना यह थी कि पहले प्राकृतिक-यूरेनियम रिएक्टरों (natural-uranium reactors) का उपयोग किया जाए, फिर फास्ट ब्रीडर (fast breeders), और अंत में थोरियम, जिससे एक संसाधन-दोष को दीर्घकालिक डिज़ाइन में बदल दिया जाए। सत्तर वर्ष बाद, परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) के एक पूर्व अध्यक्ष आग्रह कर रहे हैं कि थोरियम-आधारित ईंधन को भारत के स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टरों (indigenous pressurised heavy water reactors — PHWR) में शीघ्र प्रवेश दिया जाए, और रावतभाटा (Rawatbhata) में आठवीं इकाई, जो सोलह स्वदेशी 700 मेगावाट (700 MWe) रिएक्टरों में से चौथी है, ने ईंधन लोडिंग शुरू कर दी है। गति के बारे में कोई कुछ भी सोचे, यह वही दिखता है जिसे चुनी हुई निर्भरता कहा जाता है: जो अनिवार्य है उसे आयात करते हुए, उस क्षमता का लगातार निर्माण करना जो अंततः आयात को वैकल्पिक बना देगी।

सबसे मज़बूत प्रति-तर्क को निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए। भारत में संरक्षणवाद (protection) का रिकॉर्ड खराब रहा है। लाइसेंस के वर्षों ने उच्च-लागत वाला उद्योग, दुर्लभ वस्तुएं और ऐसी कंपनियां पैदा कीं जिन्होंने नवाचार करने के बजाय पैरवी (lobby) की। परिष्कृत इनपुट और मशीनरी का आयात उन्नयन (upgrading) का सबसे तेज़ मार्ग हो सकता है, और इन पर पूर्ण प्रतिबंध ठीक उन्हीं निर्माताओं को दंडित करेगा जिन्हें भारत बढ़ाना चाहता है। असेंबली-ट्रैप अध्ययन के लेखक इसे स्वीकार करते हैं; वे प्रतिबंधों के लिए नहीं बल्कि पुर्जों और घटकों पर संतुलित शुल्कों (calibrated tariffs) के लिए तर्क देते हैं, जो मूल्य श्रृंखला के चुने हुए खंडों को पोषित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हों। यह अंतर मायने रखता है। एक नारे के रूप में आत्मनिर्भरता संरक्षणवाद बनने की प्रवृत्ति रखती है एक पद्धति के रूप में आत्मनिर्भरता क्षमता बनती है।

इसी सत्य का एक शांत, मानवीय संस्करण भी है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर है वह कमज़ोर नहीं है; हर कोई ऐसा ही है। कमज़ोरी इसमें है कि यह न जानना कि कौन-सी निर्भरता हमें तोड़ देगी, और यह न होना कि जिस दिन इसे वापस ले लिया जाए, उस दिन के लिए कोई योजना हो। राष्ट्र इतने अलग नहीं हैं। परस्पर निर्भरता (interdependence) ने दुनिया को समृद्ध बनाया है, परंतु इसने उर्वरक इनपुट, दुर्लभ-मृदा चुंबकों (rare-earth magnets) और बैंक ऋण को दबाव के औज़ारों में बदलना भी संभव बना दिया है।

इसलिए भारत के सामने काम न तो किसी पर निर्भर न होना है, न बिना सोचे-समझे निर्भर रहना है। यह जानना है, सटीक रूप से और आंकड़ों में, कि यह कहां निर्भर है; हर महत्वपूर्ण अवरोध-बिंदु (chokepoint) पर एक से अधिक द्वार खुले रखना है; और धैर्यपूर्वक, दशकों में, वह क्षमता बनाना है जो एक अनिवार्य निर्भरता को एक जानबूझकर लिए गए विकल्प में बदल दे। अपनी उर्वरक की बोरी खरीदने वाले किसान को सल्फर के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। जो राज्य उसकी सेवा करता है, वह न जानने का जोखिम नहीं उठा सकता।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): भारत का 'असेंबली ट्रैप' (assembly trap): आत्मनिर्भर प्रयासों के बावजूद चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात तीव्रता बढ़कर 10.1% हुई। एक वर्ष में सल्फर आयात मूल्य तीन गुना, भारत के डीएपी (DAP) और एसएसपी (SSP) उर्वरक उत्पादन पर दबाव। भारत की महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) रणनीति में यह ट्रैक करने का कोई ढांचा नहीं कि स्थायी चुंबक (permanent-magnet) क्षमता कहां निर्मित हो रही है। आईसीबीसी (ICBC) की लीक फाइलों से खुलासा: 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान चीनी बैंक ने मुंबई में \$185 मिलियन के ऋण रोके और पार्टी कैडर सक्रिय किया। पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग प्रमुख काकोडकर ने आरएपीपी-8 (RAPP-8) में ईंधन लोडिंग शुरू होने पर पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में शीघ्र थोरियम-हेल्यू (thorium-HALEU) ईंधन परिवर्तन की मांग की।